सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2019 का प्रतिवेदन संख्या 18
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों
के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)

2019 का प्रतिवेदन संख्या 18

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों

के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन

विषय सूची

प्राक्कथन			v
कार्यकारी सार			vii
अध्याय I	**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन**		
	1.1	प्रस्तावना	1
	1.2	सरकारी कंपनियों एवं निगमों में निवेश	5
	1.3	सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश पर प्रतिफल	16
	1.4	हानि उठाने वाले सीपीएसई	23
	1.5	सरकारी कम्पनियों की प्रचालन दक्षता	25
अध्याय II	**सीएजी की निरीक्षण भूमिका**		
	2.1	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा	32
	2.2	सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	32
	2.3	सीपीएसई द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	32
	2.4	सीएजी का निरीक्षण-लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा	35
	2.5	सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम	37
	2.6	लेखाकरण मानकों/इंडएएस के प्रावधानों का अननुपालन	60
	2.7	प्रबन्धन पत्र	65
अध्याय III	**निगमित अभिशासन**		
	3.1	निगमित अभिशासन	66
	3.2	निदेशक बोर्ड का गठन	68
	3.3	स्वतन्त्र निदेशको की नियुक्ति एवं कार्यचालन पद्धति	71
	3.4	निदेशकों के पदों की भर्ती-कार्यकारी, गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र	77
	3.5	लेखापरीक्षा समिति	79
	3.6	अन्य समितियां	82
	3.7	चेतावनी तंत्र	84
	3.8	संबद्ध पक्षों से संबंधित नीति	84
	3.9	वेबसाइट पर सूचना का प्रकटन	85

	3.10	अनुपालन रिपोर्ट	85
	3.11	निष्कर्ष	85
	3.12	सिफारिश	86
अध्याय IV	**कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व**		
	4.1	प्रस्तावना	87
	4.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	88
	4.3	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कवरेज	89
	4.4	लेखापरीक्षा मापदंड	89
	4.5	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	90
	4.6	निष्कर्ष	113
अध्याय V	**प्रशासनिक मंत्रालयों और मिनीरत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण**		
	5.1	प्रस्तावना	114
	5.2	एमओयू नीति के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था	114
	5.3	निष्पादन आकलन और रेटिंग के लिए एमओयू लक्ष्य	116
	5.4	एमओयू स्कोर और रैंकिंग	117
	5.5	विश्लेषण का कवरेज	117
	5.6	विश्लेषण का उद्देश्य	118
	5.7	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	118
	5.8	निष्कर्ष और सिफारिशें	131
अध्याय VI	**चयनित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में भारतीय लेखांकन मानकों (चरण-II के अंतर्गत) के कार्यान्वयन का प्रभाव**		
	6.1	प्रस्तावना	133
	6.2	इंड एएस का कार्यान्वयन	134
	6.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य	135
	6.4	लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र	136
	6.5	लेखापरीक्षा कार्यपद्धति	136
	6.6	इंड एएस के पहली बार अपनाये जाने की समीक्षा	136
	6.7	2017-18 में निगमित कंपनियों द्वारा इंड ए एस का अपनाया जाना	138
	6.8	चयनित प्रमुख क्षेत्रों पर इंड एएस के कार्यान्वयन का	138

		प्रभाव	
	6.9	निष्कर्ष	152
अध्याय VII	**सीपीएसई द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय**		
	7.1	प्रस्तावना	154
	7.2	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र	154
	7.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य	155
	7.4	लेखापरीक्षा मापदंड	155
	7.5	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	155
	7.6	निष्कर्ष	171
	7.7	सिफारिशें	171
अध्याय VIII	**सीपीएसई में विनिवेश**		
	8.1	भारत सरकार की विनिवेश नीति	173
	8.2	वर्ष 2017-18 की बजट घोषणाएं	174
	8.3	वर्ष 2017-18 के दौरान सीपीएसई के विनिवेश का लक्ष्य तथा उपलब्धि	175
	8.4	आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ)	178
	8.5	बिक्री की पेशकश (ओएफएस)	181
	8.6	शेयरों की वापसी खरीद	189
	8.7	नीतिगत विनिवेश	191
	8.8	नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (नया ईटीएफ)	195
	8.9	विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि (एसएनआईएफ)	199
	8.10	न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानक	201
	8.11	गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई के सूचीकरण की धीमी गति	204
परिशिष्ट			207

प्राक्कथन

सरकारी कम्पनियों के लेखाओं को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) ऐसी कम्पनियों के लेखाओं को प्रमाणित करते हैं जो सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन है। सीएजी सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी प्रकट करते हैं अथवा पूरक व्यवस्था करते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 सीएजी को सांविधिक लेखापरीक्षकों को उस विधि के विषय में निर्देश जारी करने का अधिकार देता है जिसमें कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाएगी।

2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवेज अर्थारिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम तथा दामोदार घाटी निगम नाम के पांच निगमों के संदर्भ में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। सीएजी को केन्द्रीय वेयरहाऊसिंग निगम के संदर्भ में कानून के अन्तर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के पश्चात अनुपूरक लेखापरीक्षक करने का अधिकार है।

3. नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के तहत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए एक सरकारी कम्पनी या निगम के लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है, जैसा 1984 में संशोधित किया गया था।

4. इस रिपोर्ट में समीक्षित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लेखे वर्ष 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 (प्राप्ति की सीमा तक) के लेखाओं को शामिल किया गया है। ऐसे सीपीएसई जहां 30 सितंबर 2018 से पूर्व किसी विशिष्ट वर्ष के लेखे प्राप्त नहीं किए गए थे, के संबंध में, पिछले वर्ष लेखापरीक्षित लेखाओं के आंकड़े लिए गए हैं।

5. कुछ सीपीएसई के संदर्भ में, पिछले वर्ष के आंकड़े अनंतिम आंकड़ों के लेखापरीक्षित/संशोधित आंकड़ों में प्रतिस्थापन के कारण 2018 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 18 में दर्शाए गए तदनुरूप आंकड़े से मेल नहीं खा सकते।

6. यदि इस संदर्भ में कोई अन्य परामर्श न दिया जाए तो इस रिपोर्ट में 'सरकारी कम्पनियों/निगमो या सीपीएसई' के सभी संदर्भों को 'केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों/निगमों' से संबंधित समझा जाएं।

कार्यकारी सार

I. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2018 को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 644 केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) थे। इसमें 450 सरकारी कंपनियां, 188 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां तथा 06 सांविधिक निगम शामिल थे। यह प्रतिवेदन 420 सरकारी कम्पनियों तथा निगमो (06 सांविधिक निगमों सहित) तथा 165 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की चर्चा करता है। इस प्रतिवेदन में 59 सीपीएसई (23 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित) शामिल नहीं है, जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक से बकाया थे या समाप्त/परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुऐ थे या देय नहीं थे।

[पैरा 1.1.3]

भारत सरकार द्वारा निवेश

420 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं ने दर्शाया कि भारत सरकार (जीओआई) ने शेयर पूंजी में ₹ 3,57,064 करोड़ का निवेश किया था। 31 मार्च 2018 तक भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण की ₹ 88,479 करोड़ की राशि बकाया थी। पिछले वर्ष की तुलना में, भारत सरकार द्वारा सीपीएसई की इक्विटी में निवेश में ₹ 35,038 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की तथा 2017-18 के दौरान बकाया ऋण ₹ 5,978 करोड़ तक बढ़ा।

[पैरा 1.2 और 1.2.1]

बाजार पूंजीकरण

31 मार्च 2018 तक उन 47 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (05 सहायक कम्पनियों सहित) के शेयरो का कुल बाजार मूल्य ₹ 14,42,216 करोड़ था जिसके शेयरों को 2017-18 के दौरान विक्रय किया गया था। 31 मार्च 2018 तक 42 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों

(05 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) में भारत सरकार द्वारा धारित शेयरो का बाजार मूल्य ₹ 13,63,194 करोड़ था।

[पैरा 1.2.4]

इक्विटी पर प्रतिफल

231 सरकारी कम्पनियों तथा निगमो द्वारा 2017-18 के दौरान अर्जित लाभ ₹ 1,66,197 करोड़ था जिसका 71.83 *प्रतिशत* (₹ 1,19,379 करोड़) योगदान तीन क्षेत्रों अर्थात पेट्रोलियम, कोयला तथा लिग्नाइट तथा विद्युत में 52 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा किया गया था। 2016-17 में 215 सीपीएसई में 13.82 *प्रतिशत* की तुलना में इन 231 सीपीएसई में 2017-18 में इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) 13.16 *प्रतिशत* था।

[पैरा 1.3.1]

101 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 70,562 करोड़ के लाभांश की घोषणा की। इसमें से भारत सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹ 42,229 करोड़ था जो सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में भारत सरकार द्वारा कुल निवेश (₹ 3,57,064 करोड़) पर 11.83 *प्रतिशत* प्रतिफल का द्योतक है।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत 14 सरकारी कम्पनियों ने ₹ 28,859 करोड़ का योगदान दिया जो सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 40.90 *प्रतिशत* का द्योतक है।

53 सीपीएसई द्वारा लाभांश की घोषणा पर भारत सरकार के निर्देश का अननुपालन करने के फलस्वरूप वर्ष 2017-18 के लिए भारत सरकार को भुगतान किए गए लाभांश में ₹ 9,417.75 करोड़ की कमी हुई।

[पैरा 1.3.2]

158 सीपीएसई ऐसे थे जिन्होंने वर्ष 2017-18 के दौरान हानि उठाई थी। इन कम्पनियों द्वारा 2016-17 में ₹ 33,574 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 41,420 करोड़ की हानि वहन की गई।

[पैरा 1.4]

निवल सम्पत्ति/संचित हानि

31 मार्च 2018 तक ₹ 1,42,309.28 करोड़ की संचित हानि वाली 184 सरकारी कम्पनियां तथा निगम थी। इनमें से 77 कम्पनियों की निवल सम्पत्ति उनकी संचित हानियों द्वारा पूर्ण रूप से क्षरित हो गई थी। इसके फलस्वरूप 31 मार्च 2018 तक इन कम्पनियों की कुल निवल सम्पत्ति ₹ 83,122.38 करोड़ तक नकारात्मक हो गई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान इन 77 कम्पनियों में से केवल 12 ने ₹ 1344.45 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

[पैरा 1.4.1]

सूचीबद्ध सीपीएसई का निजी कंपनियों के साथ निष्पादन

पिछले पाँच वर्षों के दौरान 36 सीपीएसई के निष्पादन की तुलना पाँच मानदण्डों पर (आरओई, आरओसीई, ईपीएस, पी/ई रेशो और आईसीआर) समान प्रकृति के कामकाज वाली निजी कंपनियों के साथ की गई। यह देखा गया कि 36 कंपनियों में से आरओई, आरओसीई, ईपीएस, पी/ई रेशो और आईसीआर क्रमश: 16,15,26,29 और 17 सीपीएसई में निम्न स्तर पर थे।

[पैरा 1.5.3]

निवेश के वर्तमान मूल्य आधार पर रिटर्न

25 सीपीएसई के संदर्भ में भारत सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) का परिकलन किया गया जोकि भारत सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य पर रिटर्न/ हानि की दर के आंकलन में आठ या अधिक वर्षों से घाटे में है का निवेश के ऐतिहासिक मूल्यों से तुलना की गई। 31 मार्च 2018 को भारत सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 1,12,958.30 करोड़ था जिसके प्रति रिटर्न ₹ (-)21,145.73 करोड़ था।

[पैरा 1.5.4]

II. सीएजी की निरीक्षण भूमिका

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 638 सीपीएसई में से (छ: वैधानिक निगमो को छोड़कर), 540 सीपीएसई से समय पर (अर्थात 30 सितम्बर 2018 तक) वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरण प्राप्त किए गए। जबकि 4 सीपीएसई से वित्तीय विवरण देय नही थे, 94 सीपीएसई के वित्तीय विवरण विभिन्न कारणों से बकाया थे।

[पैरा 2.3.2]

540 सीपीएसई जिनसे वित्तीय विवरण समय पर प्राप्त हुए थे, में से 386 सीपीएसई में अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई थी।

[पैरा 2.5.1]

87 सीपीएसई में तीन चरणीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरुप, लाभप्रदत्ता और परिसंपत्तियों /देनदारियों के मूल्य में क्रमश: ₹ 5786.43 करोड और ₹ 9831.24 करोड़ का परिवर्तन हुआ।

तीन सीपीएसई ने अपने वित्तीय विवरणों और 35 सीपीएसई के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वार्षिक सामान्य बैठक में वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने से पूर्व अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में संशोधित किया था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय विवरणों में त्रुटियां उजागर करने वाली विभिन्न टिप्पणियां भी जारी की गई थी।

चयनित सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणीयों का वित्तीय प्रभाव लाभ प्रदता तथा परिसंपत्तियों/ उत्तरदायित्व पर क्रमश: ₹ 2,374.62 करोड़ और ₹ 51,014.59 करोड़ रहा।

[पैरा 2.5.1]

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखाकरण मानकों/इंड एएस के प्रावधानों से 14 सीपीएसई में विचलनों को देखा गया था। सीएजी ने भी 17 सीपीएसई में ऐसे विचलनों को बताया था।

[पैरा 2.6]

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं और कमियों को देखा गया जो कि महत्वपूर्ण आपत्तियां नहीं थी, 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 98 सीपीएसई के प्रबंधन को सूचित की गई थीं।

[पैरा 2.7]

III. कॉरपोरेट अभिशासन

कॉर्पोरेट अभिशासन की समीक्षा में विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत 52 सूचीबद्ध सीपीएसई को शामिल किया गया। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों:

डीपीई दिशानिर्देशों, कॉर्पोरेट अभिशासन से सम्बन्धित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के विनियम यद्यपि अनिवार्य थे परन्तु कुछ सीपीएसई द्वारा उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। वर्ष के दौरान निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन देखे गए थे:

- दो सीपीएसई में गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या निदेशक बोर्ड में कुल संख्या के 50 *प्रतिशत* से भी कम थी। एमएमटीसी लि. के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

  [पैरा 3.2.1 और 3.2.3]

- 24 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के प्रतिनिधित्व की अपेक्षित संख्या कम थी तीन सीपीएसई के निदेशक बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

  [पैरा 3.2.2]

- 42 सीपीएसई में बोर्ड बैठक/ बोर्ड समिति बैठक में स्वतंत्र निदेशक उपस्थित नहीं हुए तथा 19 सीपीएसई में सामान्य बैठक में स्वतंत्र निदेशक उपस्थित नहीं हुए।

  [पैरा 3.3.4 और 3.3.5]

- दो सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठके आयोजित नहीं की गई थी और 13 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशक पृथक बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे।

  [पैरा 3.3.6.1 और 3.3.6.2]

- 13 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया था 15 सीपीएसई में कार्यकारी निदेशकों की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया था।

  [पैरा 3.4.1 और 3.4.2]

- स्कूटरर्स इंडिया लिमिटेड को छोड़कर सभी समीक्षागत सीपीएसई ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया, वहीं लेखापरीक्षा समीति में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या चार सीपीएसई में निर्धारित संख्या से कम थी।

  [पैरा 3.5.1]

- दो सीपीएसई में व्हिसल ब्लोअर क्रियाविधि नहीं थी।

  [पैरा 3.7]

IV. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

10 मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत समीक्षा में 82 सीपीएसई (7 महारत्न, 14 नवरत्न, 44 मिनीरत्न और 17 अन्य) को शामिल किया गया। समीक्षा के दौरान एक वर्ष की अवधि मार्च 2018 समाप्ति तक शामिल की गई थी। समीक्षा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ की गयी थी:

[पैरा 4.3]

- 7 सीपीएसई यथा एंट्रिक्स, बीएलआई, जीजीएल, एचएससीसी, आईआईएफसीएल, जेसीआई और एनएचडीसी द्वारा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नामित नहीं किया गया।

[पैरा 4.5.1.2]

- जेसीआई की कोई सीएसआर पालिसी नहीं थी।

[पैरा 4.5.1.3]

- ईसीजीसी और एनटीपीएल दो सीपीएसई ने वार्षिक सीएसआर बजट तैयार नहीं किया था।

[पैरा 4.5.1.4]

- छः सीपीएसई यथा सीसीआईएल, हुडकों, केपीएल, एनसीएल, पीएफसीएल, यूसीआईएल द्वारा सीएसआर के प्रति निधियों का कम आबंटन किया गया।

[पैरा 4.5.2.1]

- 48 सीपीएसई ने वर्ष के दौरान सीएसआर निधियों का पूरा उपयोग किया और 34 सीपीएसई ने सीएसआर निधियों का पूरा उपयोग नहीं किया।

[पैरा 4.5.2.3]

- 4 सीपीएसई यथा कॉनएयर, आईटीपीओ, केआरसीएल और एनटीपीवीएनएल ने वर्ष के दौरान सीएसआर की अग्रेनीत की गयी राशि खर्च नहीं की थी।

[पैरा 4.5.2.4]

- सीएसआर के लिए लेखांकन पर निर्देश टिप्पणी के उल्लंघन में बीडीएल, भेल और पीएचएल ने क्रमश: ₹ 9.58 करोड़, ₹ 31 करोड़ और ₹ 2.20 करोड़ की सीमा तक व्यय नहीं की गयी राशि के लिए प्रावधान किया गया। एएआई, ईसीजीसी, एचएससीसी और आईओसी ने क्रमश: ₹ 61.72 करोड़, ₹ 2.25 करोड़, ₹ 1.44 करोड़ और ₹ 1.32 करोड़ की राशि की सीएसआर के लिए आरक्षित निधि का सृजन किया है।

[पैरा 4.5.2.4.1]

- 2017-18 में 82 सीपीएसई द्वारा सीएसआर कार्यों पर कुल व्यय ₹ 3,338.60 करोड़ था। पेट्रोलियम क्षेत्र ने सीएसआर पर ₹ 1,416.12 करोड़ की अधिकतम राशि का व्यय किया।

[पैरा 4.5.2.6 एवं 4.5.2.9]

- बीडीएल ने अधिशेष सीएसआर निधि (₹ 9.59 करोड़) को सावधि जमा में निवेश कर इस पर अर्जित ब्याज को सीएसआर निधि में पुनर्निवेश के बजाय व्यवसाय से आय स्वरूप माना।

[पैरा 4.5.2.11]

- सीएसआर के तहत व्यय स्वास्थ्य पर केन्द्रित था (32.66 *प्रतिशत*) जिसके बाद शिक्षा पर केन्द्रित था (31.98 *प्रतिशत*)।

[पैरा 4.5.3.3]

- 73 सीपीएसई ने स्वच्छ भारत (एसबी) पर ₹ 1,019.16 करोड़ का व्यय किया जो कि कुल् सीएसआर व्यय का 30.52 *प्रतिशत* है। डीपीई निर्देशों के अनुसार सीपीएसई को अक्टूबर 2019 तक 33 *प्रतिशत* सीएसआर निधियों को स्वच्छ भारत मिशन के साथ एसबी पर व्यय करना था। एसबी पर 2.48 *प्रतिशत* तक की कमी थी। 26 सीपीएसई ने 33 *प्रतिशत* से अधिक व्यय किया था और 47 सीपीएसई ने 33 *प्रतिशत* से कम व्यय किया था।

[पैरा 4.5.3.5(1)]

- बीपीसीएल ने नेशनल आयल म्यूजियम को ₹ 14.83 करोड़ की राशि का योगदान दिया है।

[पैरा 4.5.3.5(4)]

V. प्रशासनिक मंत्रालयों और मिनीरत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने 17 'मिनिरत्न' कम्पनियों और उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच वर्ष 2016-17 और 2017-18 के एमओयू का विश्लेषण किया है।

[पैरा 5.5]

एमओयू दिशानिर्देशों में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समकक्ष संस्थाओं के संदर्भ में के मानदण्ड निर्धारित करना अधिदेशित था जिसे 11 सीपीएसईज द्वारा लागू नहीं किया गया था।

[पैरा 5.7.3]

यद्यपि एमओयू दिशानिर्देशों में सीपीएसईज़ को उनके बोर्ड पर गैर अधिकारिक निदेशकों के पदों को भरने के लिए और स्वतंत्र और महिला निदेशकों के संबंध में सूचीबद्ध समझौता और कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन हेतु एमओयू में प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक प्रतिबद्धता शामिल करने के लिए अधिदेशित किया गया था, तथापि पाँच सीपीएसईज में स्वतंत्र और महिला निदेशकों के कुछ पद खाली पडे थे।

[पैरा 5.7.4]

वर्ष 2016-17 के लिए एमओयू दिशानिर्देशों में आठ अतिरिक्त पात्रता मानदंडों का अनुपालन अनिवार्य था। किसी एक शर्त के अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप सीपीएसई की रेटिंग को 'उत्कृष्ट' से घटाकर 'बहुत अच्छा' कर दिया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 सीपीएसईज़ के निदेशक बोर्ड ने वर्ष 2016-17 के लिए एमओयू का मूल्यांकन प्रस्तुत करते समय डीपीई दिशानिर्देशों के गलत अनुपालन को प्रमाणित किया था। डीपीई ने इन मामलों को दिशानिर्देशों के अनुपालन में मानते हुए पाँच सीपीएसईज़ के अंक नहीं काटे, जिसके परिणामस्वरूप दो सीपीएसईज़ को बहुत

अच्छा के बजाय उत्कृष्ट के रूप में अधि मूल्यांकन किया गया जिसके कारण पीआरपी के अधिक भुगतान का प्रभाव हुआ।

[पैरा 5.7.6, 5.7.7 और 5.7.8]

VI. चयनित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्धमों में भारतीय लेखांकन मानकों (चरण-।। के तहत) के कार्यान्वयन का प्रभाव

कारपोरेट मामला मंत्रालय ने भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अधिसूचित किया था जो वित्तीय वर्ष 2016-17 से चरणबद्ध तरीके में कम्पनियों के लिए लागू थे। चरण-। में, महारत्न, नवरत्न, मिनिरत्न कम्पनियों वाली 67 सीपीएसई जिन्होंने 01 अप्रैल 2016 से अपने वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इंड एएस अपनाया था, के वित्तीय विवरणों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन के प्रभाव की समीक्षा हेतु चुना गया और इन निष्कर्षों को 2018 की रिपोर्ट सं. 18 में शामिल किया गया था। मौजूदा अध्ययन में 25 सीपीएसई कवर किए गए है जिन्हें चरण-।। में इंड एएस अपनाने की आवश्यकता थी या जिन्होनें 2017-18 के दौरान इंड एएस को स्वेच्छा से अपनाया था। इन सीपीएसई में इंड एएस के कार्यानवयन का उनके राजस्व, कर पश्चात लाभ (पीएटी), निवल सम्पत्ति और सीपीएसई की कुल परिसम्पत्तियों पर प्रभाव की समीक्षा की गई थी। 31 मार्च 2017 तक इंड एएस के अनुसार मूल्यों की तुलना करके प्रभाव का आकलन किया गया था जिसकी तुलना उस तिथि को भारतीय सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (आईजीएएपी) के अनुसार तदनुरूपी मूल्यों के साथ की गई थी।

[पैरा 6.1, 6.4 और 6.5]

कर पश्चात लाभ (पीएटी) पर प्रभाव

इंड एएस अपनाने के परिणामस्वरूप, 10 सीपीएसई में पीएटी में ₹ 17.79 करोड़ की वृद्धि देखी गई थी। इसके विपरीत, छ: सीपीएसई में ₹ 240.04 करोड़ की पीएटी में गिरावट पाई गई थी। पीएटी में ₹ 236.34 करोड़ की अधिकतम गिरावट महाराष्ट्र मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड में देखी गई थी जबकि पीएटी में ₹ 7.56 करोड़ की अधिकतम वृद्धि हंसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटैड में देखी गयी थी।

[पैरा 6.8.1]

राजस्व पर प्रभाव

समीक्षा की गई 25 सीपीएसई में से नौ सीपीएसई में इंड एएस अपनाने के परिणामस्वरूप राजस्व का समायोजन किया गया था। इसमें से, 6 सीपीएसई में राजस्व में ₹ 258.80 करोड़ की मूल्य वृद्धि और 3 सीपीएसई में ₹ 110.98 करोड़ कुल परिसंपत्तियों के मूल्य की कमी बताई गई थी। ₹ 218.86 करोड़ की अधिकतम वृद्धि कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में देखी गई थी जबकि ₹ 110.71 करोड़ की अधिकतम कमी इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में देखी गई थी।

[पैरा 6.8.3]

कुल परिसम्पत्तियों पर प्रभाव

इंड एएस अपनाने के परिणामस्वरूप् कुल परिसम्पत्तियों के मूल्य के समायोजन पर 25 सीपीएसई में से 15 सीपीएसई की समीक्षा की गई थी। उसमें से, नौ सीपीएसई ने कुल परिसम्पत्तियों के मूल्य में ₹ 1,209.73 करोड़ की वृद्धि और छः सीपीएसई ने ₹ 109.48 करोड़ की कमी दर्शायी। कुल परिसम्पत्तियों के मूल्य में ₹ 1,113.11 करोड़ की अधिकतम वृद्धि हिन्दुस्तान आरर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के मामले में देखी गई थी जबकि परिसम्पत्तियों के कुल मूल्य में ₹ 69.01 करोड़ की अधिकतम कमी ब्रेथवेट बर्न एंड जेस्सोप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के मामले में पाई गई थी।

[पैरा 6.8.5]

निवल सम्पत्ति पर प्रभाव

इंड एएस अपनाने के परिणामस्वरूप निवल सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर समायोजन हेतु 25 सीपीएसई में से 16 सीपीएसई की समीक्षा की गई थी। इसमें से 11 सीपीएसई में निवल सम्पत्ति में ₹ 462.33 करोड़ की कमी देखी गई और पांच सीपीएसई में निवल सम्पत्ति में ₹ 69.70 करोड़ की वृद्धि देखी गई थी। निवल सम्पत्ति में ₹ 49.75 करोड़ की अधिकतम वृद्धि हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बनस लिमिटेड के सम्बन्ध में देखी गई थी जबकि निवल सम्पत्ति में ₹ 270 करोड़ की अधिकतम कमी हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड के संबंध में देखी गई थी।

[पैरा 6.8.7]

VII. सीपीएसई द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय

लेखापरीक्षा ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान 21 सीपीएसई (6 महारत्न, 9 नवरत्न, 3 मिनिरत्न और 3 अन्य सीपीएसई) द्वारा अनुसंधान और विकास कार्यों पर व्यय का विश्लेषण शामिल किया। लेखापरीक्षा में सम्मिलित 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान निम्नलिखित देखा गया:-

- 2013-14 से 2017-18 के दौरान 79 कम्पनी वर्षों[1] में पीएटी की प्रतिशतता के रूप में आरएंडडी व्यय एक *प्रतिशत* के निर्धारित प्रतिशतता से अधिक था जबकि 94 कम्पनी वर्षों में से 15 कम्पनी वर्षों में यह एक *प्रतिशत* से कम था।

[*पैरा 7.5.2.1*]

- डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में नौ चयनित सीपीएसई के मामले में अगले तीन वर्षों के लिए आरएंडडी बजट इंगित नहीं किया गया था।

[*पैरा 7.5.2.2*]

- लेखापरीक्षा में शामिल किए गए सभी पांच वर्षों के दौरान आरएंडडी बजट का 100 *प्रतिशत* केवल चार सीपीएसई में ही उपयोग किया गया था और लेखपरीक्षा में शामिल किए गए पांच वर्षों में से चार वर्षों में केवल दो सीपीएसई आरएंडडी बजट का 100 *प्रतिशत* उपयोग किया था।

[*पैरा 7.5.2.2*]

- 2013-14 से 2017-18 के दौरान 4046 इन हाऊस आरएंडडी परियोजनाओं को लिया गया था जिनमें से 3595 परियोजनाएं पूरी की गई थी। 363 परियोजनाएं निर्धारित पूर्णता अवधि से काफी अधिक विलम्बित थीं, जिनमें से 80 परियोजनाओं के मामले में विलम्ब एक वर्ष से अधिक का था।

[*पैरा 7.5.3.1*]

- 2013-14 से 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालयों/संस्थानों के सहयोग से 439 आरएंडडी परियोजनाएं प्रारंभ की गई जिनमें से 178 परियोजनाएं पूर्ण की गई

---
[1] *कम्पनी वर्ष 1 कम्पनी के लिए 1 वर्ष*

थीं। 87 परियोजनाएं निर्धारित अवधि में पूर्ण की गई थी और 91 परियोजनाएं निर्धारित अवधि से बाद पूर्ण की गई थी।

[पैरा 7.5.3.2]

- 2013-14 से 2017-18 के दौरान भेल को 198 पेटेंट प्रदान किए गए थे। अन्य नौ सीपीएसई द्वारा पेटेंट पंजीकरण के लिए फाइल किए गए 600 परियोजनाओं में से वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान केवल 49 पेटेंट प्रदान किए गए थे, जबकि वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान 11 सीपीएसई को कोई पेटेंट प्रदान नहीं किया गया था।

[पैरा 7.5.5]

- केवल दो सीपीएसई ही विकसित तकनीक से अधिक राजस्व अर्जित कर सके और पाँच सीपीएसई अल्प राजस्व अर्जित कर सके थे।

[पैरा 7.5.6.2]

VIII. सीपीएसई में विनिवेश

भारत सरकार द्वारा मौजुदा विनिवेश नीति 05 नवम्बर 2009 को लाई गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित मुद्दे पाये गये थे:-

- वर्ष 2017-18 के लिए बजट आंकलन, संशोधित आंकलन और वास्तविक अर्जन विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से क्रमश: ₹ 72,500 करोड़, ₹ 1,00,000 करोड़ और ₹ 1,00,057 करोड़ था। भारत सरकार ने 36 मामलों में विभिन्न तरीकों/मार्गों के माध्यम से अपना अंश विनिवेश किया जिसमें विनिवेश प्रक्रिया के भाग के रूप में एसयूयूटीआई निवेश से आय जिसका भाग नहीं होना चाहिए था और परिणामस्वरूप ₹ 1,400 करोड़ की राशि की विनिवेश प्राप्ति अधिक बताई गई थी।

[पैरा 8.3]

- सीसीईए ने ओएफएस के माध्यम से एमएमटीसी लिमिटेड और द स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) प्रत्येक में सरकार के अंशधारिता का 15 *प्रतिशत* विनिवेश अनुमोदित किया (13 मई 2015)। प्रस्तावित विनिवेश

21 अगस्त 2017 तक क्रियान्वित किया जाना था। तथापि, डीआईपीएएम एमएमटीसी एवं एसटीसी में विनिवेश के सीसीईए के निर्णय को निर्धारित समय सीमा में कार्यान्वित नहीं कर सका। परिणामस्वप, 21 अगस्त 2017 को प्रचलित ट्रेडिंग कीमतों के आधार पर प्रत्याशित ₹ 974 करोड़ (एमएमटीसी ₹ 836.97 करोड और एसटीसी ₹ 137.03 करेड़) की प्राप्ति नहीं हो सकी। यह पाया गया कि डीआईपीएएस अच्छी कीमतों पर शेयरों की बिक्री करने के अवसर का उपयोग नहीं कर पाया।

[पैरा 8.5.2]

- भारत सरकार ने 2017-18 के दौरान 24 सीपीएसई का नीतिगत विनिवेश अनुमोदित किया था, जिसके लिए 2017-18 के दौरान केवल एक एचपीसीएल ओएनजीसी सौदे को ही अन्तिम रूप दिया गया था। 23 सीपीएसई में सीसीईए द्वारा अनुमोदित निर्धारित समय सीमा में नीतिगत विनिवेश नहीं किया जा सका। इसके अलावा, 2018-19 के दौरान चार सीपीएसई डाईवेस्ट की गई थी जैसा कि डीआईपीएएम द्वारा बताया गया था।

[पैरा 8.7.2]

अध्याय I

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उदयमों का वित्तीय निष्पादन

1.1 प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत करता है। शब्द केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठित सरकारी स्वामित्व कम्पनियाँ और संसद की संविधियों के अन्तर्गत गठित सांविधिक निगम सम्मिलित हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कम्पनी की परिभाषा ऐसी कम्पनी के रूप में दी गयी है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 *प्रतिशत* केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक है।

सरकारी कम्पनियां

एक कम्पनी जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 *प्रतिशत* केन्द्र सरकार, अथवा किसी एक या अधिक राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार(रों) द्वारा धारित है तथा इसमें सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी सम्मिलित होती है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या केंद्रीय सरकार द्वारा आशिंक रूप से और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आशिंक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कंपनी[1] को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में दर्शाया गया है।

---

[1] *गजट अधिसूचना दिनांक 4 सितंबर 2014 के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया कंपनियों का (कठिनाइयों का निवारण) सातवां आदेश 2014*

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने डीपीई द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण में बताया (दिसंबर 2018) कि सांविधिक निगमों के अलावा सीपीएसई वह सरकारी कम्पनियाँ है; जिनमें 50 *प्रतिशत* से अधिक शेयर केन्द्र सरकार द्वारा धारित था। इन कम्पनियों की सहायक कम्पनियों, यदि भारत में पंजीकृत है, को भी सीपीएसई के तौर पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। इसमें विभागीय तौर पर चालित सार्वजनिक उद्यम, बैंकिंग संस्थान एवं बीमा कम्पनियाँ शामिल नहीं है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) एंव डीपीई द्वारा अंगीकृत परिभाषा में अंतर को देखते हुए, सीएजी एवं डीपीई द्वारा सीपीएसई मानी गई कम्पनियों की संख्या में अंतर हो सकता है।

1.1.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत सीएजी द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, सीएजी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करता है और उस तरीके पर निर्देश देता है जिससे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सीएजी को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की मात्र सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की अपेक्षा की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को शासित करने वाले अधिनियमों में वे प्रावधान निहित हैं जिनके द्वारा केन्द्र सरकार इन संस्थानों के लेखाओं की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी भी समय सीएजी को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। 2017-18 के दौरान ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

1.1.2 इस प्रतिवेदन में क्या है

इस प्रतिवेदन में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों तथा निगमों के लेखाओं से प्रकट उनके वित्तीय निष्पादन की समग्र स्थिति को दर्शाया गया है।

लेखाओं के संशोधन तथा वर्ष 2017-18 (अथवा पिछले वर्षों के, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया गया है) के लिए सीएजी द्वारा की गई सीपीएसई के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों, का प्रभाव इस प्रतिवेदन में दिया गया है। इस प्रतिवेदन में सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा जारी टिप्पणियों का प्रभाव भी निहित हैं जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है।

यह प्रतिवेदन कार्पोरेट अभिशासन पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सीपीएसई द्वारा पालन, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पालन तथा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों, केंद्रीय सरकार तथा सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के विश्लेषण, तथा सीपीएसई में विनिवेश, सीपीएसई द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय तथा सीपीएसई की वित्तीय स्थिति पर भारतीय लेखाकरण मानक (इंड-एएस) के कार्यान्वयन के प्रभाव की स्थिति का पूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है।

1.1.3 सीपीएसई तथा सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों की संख्या

सरकारी कंपनियां	450
सांविधिक निगम	6
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	188
कुल सीपीएसई	644

31 मार्च 2018 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 644 सीपीएसई थे। इनमें 450 सरकारी कंपनियां, 06 सांविधिक निगम[2] तथा 188 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां शामिल थी। इनमें से, 585 सीपीएसई का वित्तीय निष्पादन, इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है और इन सीपीएसई की प्रवृत्ति निम्नलिखित तालिका 1.1 में दर्शाई गई है:

---

[2] *भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), केन्द्रीय भण्डारण निगम (सीडब्ल्यूसी), दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)।*

तालिका 1.1: इस प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसई का कार्यक्षेत्र तथा स्वरूप

सीपीएसई की प्रवृत्ति	कुल संख्या	प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसई की संख्या				इस प्रतिवेदन में कवर नहीं किए गए सीपीएसई की संख्या
		2017-18 तक के लेखे	निम्न तक लेखे		कुल	
			2016-17	2015-16		
सरकारी कम्पनियां	450	385	24	5	414	36
सांविधिक निगम	6	6	0	0	6	0
कम्पनियों/निगमों की कुल संख्या	456	391	24	5	420	36
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां	188	155	9	1	165	23
जोड़	**644**	**546**	**33**	**6**	**585**	**59**

2017-18 के दौरान सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आयी/बाहर चली गई, सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के विवरण ***परिशिष्ट I*** में दिए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में 59 सीपीएसई (23 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित) शामिल नहीं है, जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक से बकाया थे या समाप्त/परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं किए गए थे या बकाया नहीं थे। इन सीपीएसई को दो सितारों (**) के द्वारा **परिशिष्ट II ए** तथा **परिशिष्ट II बी** में दर्शाया गया है।

इस प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसई के वित्तीय निष्पादन का सार (सरकारी कम्पनियां तथा सांविधिक निगम)	
सीपीएसई की संख्या	**456**
कवर किए गए सीपीएसई	**420**
प्रदत्त पूंजी (420 सीपीएसई)[3]	**₹ 4,92,572 करोड़**
दीर्घावधि ऋण (420 सीपीएसई)	**₹ 13,35,640 करोड़**
बाजार पूंजीकरण (47 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां)	**₹ 14,42,216 करोड़**
निवल लाभ (231 सीपीएसई)	**₹ 1,66, 197 करोड़**

[3] *आईडब्ल्यूएआई की कॉर्पस/पूंजी को जहाजरानी तथा नौ-परिवहन के उद्देश्य हेतु अंतर्देशीय जलमार्गों के विनियमन और विकास के लिए आईडब्ल्यूएआई अधिनियम, 1985 के अनुसार स्थापित किया गया है और इससे जुड़ें या इसके अतिरिक्त प्रासंगिक मामलों हेतु, आईडब्ल्यूएआई फंड शामिल है अन्य बातों के साथ-साथ जिसमें केंद्र सरकार द्वारा दिये गए अनुदानों तथा ऋणों और प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी शुल्क तथा प्रभार शामिल है। यह फंड अधिकारियों के वेतन संबंधी व्यय सहित इसके कार्यों के निर्वहन में प्राधिकरण के व्ययों को पूरा करने के लिए लागू किया जाता है। 31 मार्च 2018 तक आईडब्ल्यूएआई फंड में ₹ 998.30 करोड़ की राशि थी। प्रदत्त पूंजी/इक्विटी के रूप में इस राशि को नहीं माना गया था।*

निवल हानि (158 सीपीएसई)	₹ 41,420 करोड़
शून्य लाभ/हानि (31 सीपीएसई)[4]	
घोषित लाभांश (101 सीपीएसई)	₹ 70,562 करोड़
कुल परिसंपत्तियां (420 सीपीएसई)	₹ 46,01,008 करोड़
उत्पादन का मूल्य (420 सीपीएसई)	₹ 19,25,676 करोड़
निवल सम्पत्ति (420 सीपीएसई)	₹ 15,98,160 करोड़

1.2 सरकारी कंपनियों एवं निगमों में निवेश

31 मार्च 2018 के अंत में 420[5] सरकारी कंपनियों तथा निगमों में इक्विटी निवेश और ऋण की राशि निम्नलिखित तालिका 1.2 में दी गई है:

तालिका 1.2: सरकारी कंपनियों और निगमों में इक्विटी निवेश तथा ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2018 तक			31 मार्च 2017 तक		
	इक्विटी	दीर्घावधिऋण	जोड़	इक्विटी	दीर्घावधिऋण	जोड़
1. केन्द्र सरकार	357064	88479	445543	322026	82501	404527
2. केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियां/निगम	55354	28483	83837	49062	25294	74356
3. राज्य सरकारों/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियां/निगम	29424	16327	45751	26547	11411	37958
4. वित्तीय संस्थाएँ और अन्य	50730	1202351	1253081	33802	1081951	1115753
जोड़	**492572**	**1335640**	**1828212**	**431437**	**1201157**	**1632594**
कुल निवेश मेंकेन्द्र सरकार के निवेश की प्रतिशतता	72.49	6.62	24.37	74.64	6.87	24.78

[4] *420 में से, 29 सीपीएसई थे, जिन्होंने 2017-18 के दौरान कोई लाभ नहीं कमाया या कोई हानि नहीं उठाई क्योंकि या तो परिचालन प्रारंभ नहीं किये गए थे या हानि/निवल व्यय फंड या परियोजना लागत में समायोजित किए गए थे। आईडब्ल्यूएआई के मामले में, आईडब्ल्यूएआई फंड के साथ ₹ 197.92 करोड़ की निवल हानि को समायोजित किये गया था जबकि एनएचएआई अधिनियम, 1988 के अनुसार स्थापित एनएचएआई के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन हेतु और इससे जुड़े या आकस्मिक मामलों हेतु, ₹ 392.26 करोड़ की निवल हानि को इसकी नियत परिसंपत्तियों के साथ समायोजित किया गया था1 इसलिए आईडब्ल्यूएआई और एनएचएआई को 29 सीपीएसई के अतिरिक्त कोई लाभ कोई हानि नहीं वाले सीपीएसई के रूप में माना गया है।*

[5] *456 सीपीएसई-36 सीपीएसई जिनके लेखे तीन वर्षों या उससे अधिक समय से बकाया थे या समाप्त/परिसमापन के तहत थे प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे।*

1.2.1 इक्विटी में निवेश

2017-18 के दौरान, इस प्रतिवेदन में शामिल 420 सीपीएसई की इक्विटी के अंकित मूल्य में कुल निवेश में ₹ 61,135 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई है। सीपीएसई में अंकित मूल्य पर केन्द्र सरकार के स्वामित्व की इक्विटी में ₹ 35,038 करोड़[6] की वृद्धि हुई। 47 सीपीएसई में ₹ 37,472 करोड़ के अंकित मूल्य के शेयर जारी करने और 27 सीपीएसई में ₹ 2,434 करोड़ के अंकित मूल्य के शेयरों के विनिवेश का निवल परिणाम ₹ 35,038 करोड़ था। वर्ष 2017-18 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 37,472 करोड़ के इक्विटी निवेश में ₹ 8,139 करोड़ का नया निवेश बोनस शेयर जारी करने के रूप में और इक्विटी में ऋण के संपरिवर्तन के रूप में संबंधित था जिसमें सीपीएसई को नकद प्रवाह शामिल नहीं था और ₹ 273 करोड़ का नया निवेश, बोनस शेयर, शेयरों की पुन: खरीद का प्रस्ताव विक्रय का प्रस्ताव (ओएफएस) और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) जारी करने का निवल परिणाम था। सीपीएसई में नगद प्रवाह सहित ₹ 29,060 करोड़ की इक्विटी के अतिरिक्त निवेश के उद्देश्य की समीक्षा लेखापरीक्षा में दर्शाया गया कि 32 सीपीएसई में व्यय पूंजीगत वस्तुओं को पूरा करने के लिए यह निवेश किया गया था।

31 मार्च 2018 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार तथा अन्य द्वारा सरकारी कंपनियों तथा निगमों की इक्विटी में निवेश चार्ट I में दर्शाया गया है।

---

[6] *एयर इंडिया लिमिटेड. सहित 29 सीपीएसई के अनंतिम आंकडे इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अपने अंतिम लेखापरीक्षित खातों के आंकडों के आधार पर शामिल किए गए हैं क्योंकि 2017-18 के खातों के लिए 30 सितम्बर 2018 की अंतिम तारीख से पहले प्रतिवेदन तैयार करने के लिए प्राप्त नहीं हुए थे। इसलिए, वर्ष 2017-18 के दौरान एयर इंडिया लिमिटेड. में केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 1,937 करोड़ इक्विटी संचार, ₹ 37,472 करोड़ के कुल इक्विटी संचार में शामिल किया गया था।*

चार्ट I: सरकारी कंपनियों तथा निगमों की इक्विटी में निवेश

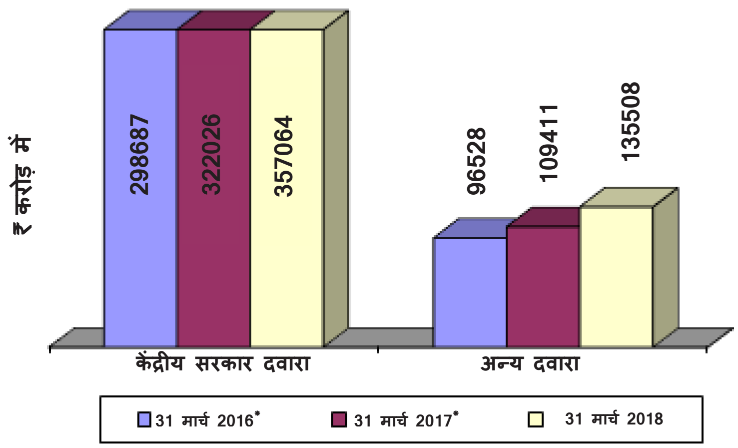

*(*पिछले वर्षों के आंकड़े 2017-18 के दौरान अद्यतित किए गए क्योंकि उस वर्ष के लेखे प्राप्त हुए थे)*

सीपीएसई की प्रदत्त पूंजी में 2017-18 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश (₹ 2,000 करोड़ से अधिक के निवेश) के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका 1.3 में दिए गए हैं:

तालिका 1.3: केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	राशि
सांविधिक निगम		
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग	24185
सरकारी कंपनियां		
हिन्दुस्तान केबलस लिमिटेड[7]	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम	4447
इंडियनऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड[8]	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	2749

1.2.2 सरकारी कंपनियों तथा निगमों को दिए गए ऋण

1.2.2.1 31 मार्च 2018 तक बकाया दीर्घावधि ऋणों कीसंगणना

31 मार्च 2018 को सभी स्रोतों से 420 सीपीएसई में बकाया कुल दीर्घावधि ऋण ₹ 13,35,640 करोड़ थी। 2017-18 के दौरान, सरकारी कंपनियों और निगमों के दीर्घकालिक ऋणों में ₹ 1,34,483 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। 31 मार्च 2018 को

---

7 *ऋण का संपरिवर्तन*

8 *बोनस शेयर जारी करना*

सीपीएसई के कुल ऋणों में से केंद्र सरकार के ऋण ₹ 88,479 करोड़ थे। 17 सीपीएसई ने केन्द्र सरकार से प्राप्त ₹ 3,477 करोड़ राशि के ऋण के भुगतान में चूक की। सरकारी कंपनियों तथा निगमों में दीर्घावधि ऋणों के वर्षवार ब्योंरो को चार्ट II में दर्शाया गया है।

चार्ट II: सरकारी कंपनियों तथा निगमों में बकाया दीर्घावधि ऋण

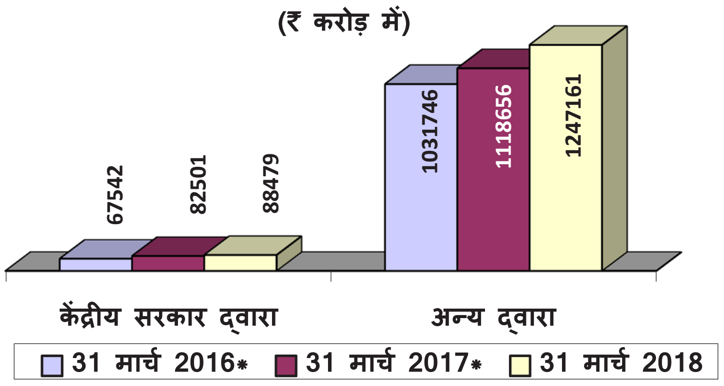

(*पिछले साल के आंकड़े 2017-18 के दौरान अद्यतित किए गए जब उस वर्ष के लेखे प्राप्त हुए थे)

31 मार्च 2018 तक 420 सीपीएसई में से 248 सीपीएसई (एक सावंधिक निगम सहित अर्थात् सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन) थी जिसमें कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं था।

1.2.2.2 ऋण देनदारियों को देने के लिए संपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों से कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों में से एक है कि क्या कोई कंपनी ऋण चुका सकती है या नहीं। ऋण चुकाने में सक्षम उसे माना जाए जिस सत्व की परिसंपत्तियों का मूल्य उसके ऋणों/कर्जो के कुल योग से ज्यादा है। 172 सीपीएसई में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य से दीर्घकालिक ऋण का कवरेज जिन पर 31 मार्च 2018 तक ऋण बकाया था, को तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: दीर्घावधि ऋणों के साथ कुल परिसंपत्तियों का कवरेज

	धनात्मक कवरेज				ऋणात्मक कवरेज			
	सीपीएसई की सं.	दीर्घावधि ऋण	परि-सम्पतियां	ऋणों से परिसंपत्तियों की प्रतिशतता	सीपीएसई की सं.	दीर्घावधि ऋण	परि-संपतियां	ऋणों से परिसंपत्तियों की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम	5	154404	635313	411.46				
सूचीबद्ध कंपनियां	38	765967	2101735	274.39	1	238	91	38.24
असूचीबद्ध कंपनियां	114	411155	989661	240.70	14	3877	1024	26.41
कुल	**157**	**1331526**	**3726709**		**15**	**4115**	**1115**	

172 सीपीएसई में से 15 सीपीएसई के संबंध में ***(परिशिष्ट-III)*** कुल परिसंपत्तियों के मूल्य बकाया ऋणों से कम था।

1.2.2.3 ब्याज कवरेज

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक कंपनी कितनी आसानी से बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान कर सकती हैं तथा उसी अवधि के ब्याज के व्ययों को ब्याज तथा कर से पूर्व कंपनी की आय (ईबीआईटी) से भाग करके संगणना की जाती है। जितना कम अनुपात होगा उतनी ही कम कंपनी की ऋण पर ब्याज भुगतान की योग्यता होगी। एक से नीचे कवरेज अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व का सृजन नहीं कर रही थी। 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान सीपीएसई के धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात का ब्यौरा तालिका 1.5 में दिया गया हैं:

तालिका 1.5: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	सीपीएसई की सं.	1 से अधिक अथवा समान ब्याज कवरेज अनुपात वाले सीपीएसई की सं.	1से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाले सीपीएसई की संख्या
सांविधिक निगम					
2015-16	11421.23	13746.39	4	2	2
2016-17	10162.66	13388.46	5	2	3
2017-18	11833.26	14812.69	5	2	3
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां					
2015-16	55864.28	131511.6	38	28	10
2016-17	60935.43	159564.8	38	28	10
2017-18	63844.46	179678.4	39	29	10
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां					
2015-16	14239.61	24475.41	129	58	71
2016-17	16362.45	30413.05	123	61	62
2017-18	21073.92	22636.98	128	59	69

यह देखा गया था कि 2017-18 केदौरान सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों के मामले में एक से अधिक अथवा समान ब्याज कवरेज अनुपात वाले सीपीएसई की संख्या में आंशिक रूप से अभिवृद्धि हुई थी। 9[9] सीपीएसई के संबंध में, 31 मार्च 2018 को ऋणों पर देय ब्याज उनकी कुल परिसपत्तियों के मूल्य से अधिक था जो इन कंपनियों के दिवालिया होने के उच्च ज़ोखिम को दर्शाता है।

1.2.2.4 केन्द्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का काल-वार विश्लेषण

31 मार्च 2018 तक, केन्द्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए 18 सीपीएसई के दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 3881.44 करोड़ की राशि का ब्याज बकाया था। सीपीएसई मे केन्द्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का काल-वार विश्लेषण तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

---

[9] *अंडमान मत्स्य पालन लिमिटेड, अंडमान एण्ड निकोबार द्वीप, वन और वृक्षारोपण विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत गोल्ड माइनस लिमिटेड, हिन्दुस्तान फोटोफील्मस् (मैनुफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड, हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयलस कार्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसटीसीएल लिमिटेड, टीसीआईएल बिना टोल रोड़ लिमिटेड,टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड।*

तालिका 1.6: केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	केंद्र सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज	1 वर्ष से कम समय के लिए बकाया केंद्र सरकार के ऋण पर ब्याज	1 से 3 वर्ष के लिए बकाया केंद्र सरकार के ऋण पर ब्याज	3 वर्ष से अधिक समय के लिए बकाया केंद्र सरकार के ऋण पर ब्याज
1	भारत गोल्डमाइंस लिमिटेड	901.52	38.50	115.51	747.51
2	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	548.08	54.58	109.16	384.34
3	द फर्टीलाईजर एंड कैमीकल त्रावणकोर लिमिटेड	451.08	239.01	212.07	-
4	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	443.83	46.83	93.67	303.33
5	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	409.64	16.99	33.97	358.68
6	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	359.84	0.84	4.74	354.26
7	एचएमटी मशीनस टूल्स लिमिटेड	165.02	-	106.94	58.08
8	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	135.98	135.98	-	-
9	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	123.85	-	-	123.85
10	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	42.12	-	4.95	37.17
11	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	82.71	9.22	17.40	56.09
12	एनईपीएलि	82.51	22.13	39	21.38

13	एनएचपीसी लिमिटेड	33.92	33.92	-	-
14	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	27.62	9.21	15.33	3.08
15	हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड	23.57	4.70	12.37	6.50
16	भारत पंप एंड कम्प्रेसर लिमिटेड	18.99	15.06	3.93	-
17	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	15.62	3.50	9.75	2.37
18	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	15.54	2.30	4.72	8.52
	कुल	**3881.44**	**632.77**	**783.51**	**2465.16**

1.2.3 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश

वर्ष 2017-18 के दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों और निगमों द्वारा 165[10] सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेशित पूंजी चार्ट III में दर्शाई गई है:

चार्ट III: सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों में शेयर पूंजी की संरचना

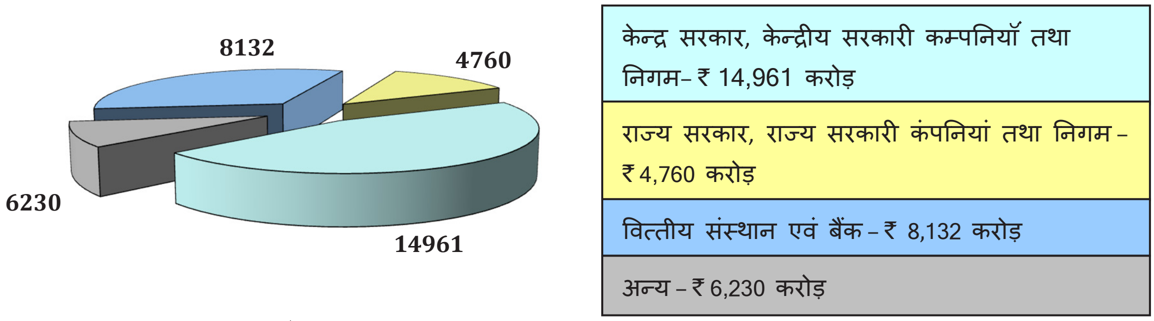

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2018 को इन सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों में इक्विटी ₹ 34,083 करोड़ थी। सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों में इक्विटी 2017-18 में ₹ 125 करोड़ तक बढ़ गई थी।

---

[10] *188-23 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या समाप्त/परिसमापन के तहत थे या पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे।*

1.2.4 सरकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण उन कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य को प्रस्तुत करता है जिनके शेयर सूचीबद्ध है। 31 मार्च 2018 तक 66 सरकारी कंपनियां, जिनमें 53 सरकारी कंपनियां सहित 07[11] नई सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों सहित, सरकारी कंपनियों की 06 सहायक सरकारी कंपनियां और 07[12] सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों के शेयर भारत के विभिन्न स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे।

46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के संबंध में, (53-7 नई सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां) 2017-18 के दौरान 43 कम्पनियों के शेयरों का व्यापार हुआ था और 3[13] कंपनियों के शेयरों का व्यापार नहीं हुआ था। सरकारी कम्पनियों की 06[14] सहायक कम्पनियों के संबंध में 05 के शेयरों का व्यापार किया गया था और वर्ष के दौरान ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के शेयरों का व्यापार नहीं किया गया था।

31 मार्च 2017 को ₹ 15,12,614 करोड़ की तुलना में 47[15] सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (05 सहायक कम्पनियों सहित) के शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च 2018 को ₹ 14,42,216 करोड़ (इक्विटी निवेश ₹ 79,999 करोड़) था। 31 मार्च 2017 की तुलना में 31 मार्च 2018 तक शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹ 70,398 करोड़ (4.65 *प्रतिशत)* तक घट गया था। अधिकतम बाजार पूंजीकरण वाले क्षेत्र प्रट्रोलियम (₹ 6,59,144 करोड़), पावर (₹ 2,82,813 करोड़), कोल एण्ड लिग्नाइट (₹ 1,88,797 करोड़) थे। शेयरों के बाजार मूल्य में उच्चतम वृद्धि परिवहन सेवा क्षेत्र परिवहन सेवा क्षेत्र (15.51 *प्रतिशत*), इस्पात क्षेत्र (14.71 *प्रतिशत*) और निर्माण सेवा क्षेत्र (10.60 *प्रतिशत*) में देखी गई तथा

---

11 *(1) भारत डायनैमिक लिमिटेड, (2) कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, (3) जनरल इंश्योरेंश कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, (4) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, (5) हाऊसिंग एंड अर्बन डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (6) मिश्र धातु निगम लिमिटेड और (7) न्यू इंडिया एशयोरेंश कंपनी लिमिटेड।*

12 *(1) इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड, (2) इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड, (3) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, (4) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, (5) उड़ीसा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड, (6) तमिलनाडु दूरसंचार लिमिटेड, (7) भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड।*

13 *2017-18 के दौरान (1) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड (2) हिन्दुस्तान फोटो-फिल्म्स (मैनुफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड (3) इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर विक्रय नहीं किए गए थे।*

14 *एचपीसीएल में केद्र सरकार की हिस्सेदारी 2017-18 के दौरान पूरी तरह से ओएनजीसी को हस्तांतरित हो गई। यह कंपनी अब एक सहायक कंपनी है।*

15 *बीएसई में 2017-18 के दौरान केआईओसीएल के शेयर विक्रय किए गए थे परंतु 2016-17 में नहीं किए गए थे। इसलिए, कंपनी के लिए बाजार पूंजीकरण आंकड़े चालू वर्ष और पिछले वर्ष के बीच तुलना हेतु शामिल नहीं किए गए थे।*

शेयरों के बाजार मूल्यों में उच्चतम गिरावट वित्तीय सेवा क्षेत्र (32.52 *प्रतिशत*), भारी उद्योग क्षेत्र (25.14 *प्रतिशत*) और दूरसंचार सेवाएं (21.46 *प्रतिशत*) में देखी गई। 31 मार्च 2018 तक 42 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (05 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) के शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 13,63,194 करोड़ पर स्थिर था जिनमें से केंद्र सरकार द्वारा धारित शेयरों के बाजार मूल्य की राशि ₹ 8,84,978 करोड़ थी।

इस अवधि के दौरान, एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स[16] 31 मार्च 2017 को 29,620.50 से 11.3 *प्रतिशत* बढ़कर 31 मार्च 2018 को 32,968.68 हो गया। एस एंड पी बीएसई-सीपीएसई इन्डैक्स[17] 31 मार्च 2017 को 1,657.00 से 31 मार्च 2018 को 1591.37 से 3.96 *प्रतिशत* घट गया था।

इन 47 सक्रिय सूचीबद्ध सीपीएसई की बाजार पूंजीगत की पिछले पाँच वर्षों के लिए प्रवृत्तियां एस एवं पी बीएसई सैसेक्स और एस एंव पी बीएसई - सीपीएसई इंडेक्स के प्रतिरूप चार्ट IV में चित्रित है।

चार्ट IV: बीएसई सैसेक्स और सीपीएसई इंडेक्स के प्रतिरूप बाजार पूंजीगत की प्रवृत्ति

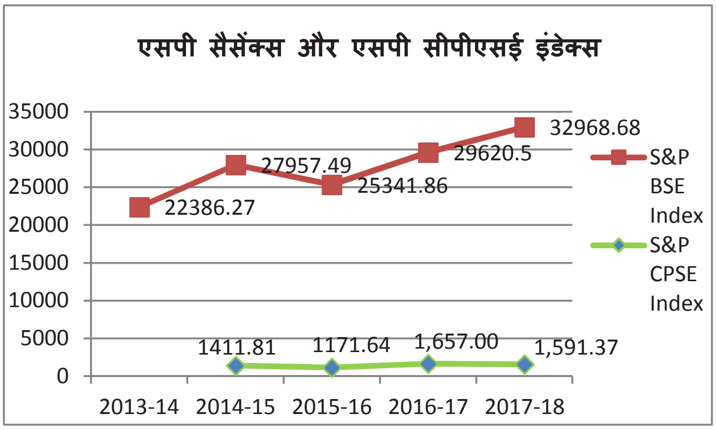

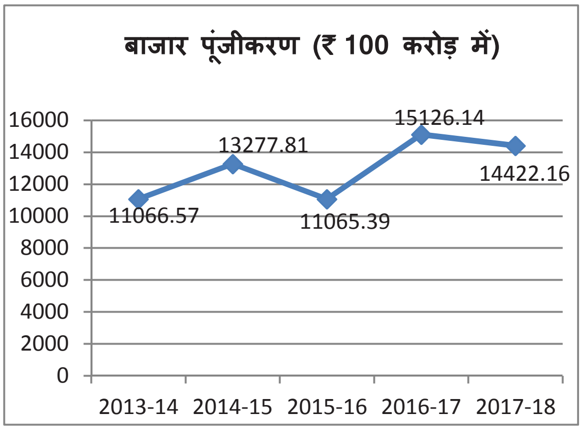

यह देखा गया कि 47 सक्रिय सूचीबद्ध सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण की प्रवृततियां 2013-14 से 2016-17 तक समरूप थी जब उनकी एसपी बीएसई सैसेंक्स और एसपी सीपीएसई इंडेक्स से ही गई। हालांकि 2017-18 में इन सीपीएसई के शेयरों का बाजार मूल्य 4.65 प्रतिशत (₹ 15,12,614 करोड़ से ₹ 14,42,216 करोड़ तक) घट गया जबकि

[16] *एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स की गणना मुख्य भागों में बड़े सुव्यवस्थित और वित्तीय रूप से सुदृढ़ 30 घटक स्टॉक दर्शाते हुए बाजार पूंजीकरण भारित पद्धति पर की जाती है।*

[17] *एस एंड पी बीएसई सीपीएसई इन्डेक्स में बीएसई में सूचीबद्ध मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम शामिल होते हैं।*

एसपी बीएसई सैसेंक्स 11.3 *प्रतिशत* बढ़ा (29,620.50 से 32,968.68 तक) यद्यपि उसी अवधि के दौरान एसपी बीएसई-सीपीएसई इंडेक्स 3.96 *प्रतिशत* घटा (1657.00 से 1591.37 तक)।

31 मार्च 2018 तक 05 सहायक सरकारी कम्पनियों के शेयरों का बाज़ार मूल्य जिन, शेयरों का व्यापार 2017-18 के दौरान हुआ था, ₹ 79,022 करोड़ पर स्थिर रहा था। 31 मार्च 2017 की तुलना में 31 मार्च 2018 तक पाँच सरकारी सहायक कम्पनियों में सरकारी कम्पनियों द्वारा धारित शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹ 1,169 करोड़ तक घट गया था। 31 मार्च 2018 को अधिकतम बाजार पूंजीकरण वाले शीर्ष 10 सीपीएसई तालिका 1.7 में दिए गए हैं:

तालिका 1.7: उच्चतम बाजार पूंजीकरण वाले सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	बाजार पूंजीकरण
1	ऑयल एंड नैचूरल गैस निगम लिमिटेड	2,28,175
2	कोल इंडिया लिमिटेड	1,75,980
3	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,71,219
4	एनटीपीसी लिमिटेड	1,39,925
5	पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,01,414
6	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	92,833
7	गेल (इंडिया) लिमिटेड	74,101
8	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	52,442
9	एनएमडीसी लिमिटेड	37,539
10	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	34,611

31 मार्च 2018 को 47 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों में से 15 सीपीएसई[18] के संबंध में बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई थी। बाजार पूंजीकरण में ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की वृद्धि वाले सीपीएसई तालिका 1.8 में दिए गए हैः

[18] *एण्ड्रयु एण्ड यूल कंपनी लिमिटेड, बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमैंट कंपनी लिमिटेउ, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, आई टी आई लिमिटेड, एमआईएल लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड।*

तालिका 1.8: ₹ 1,000 करोड़ से अधिक के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि वाले सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	31 मार्च 2017 को बाजार पूंजीकरण	31 मार्च 2018 को बाजार पूंजीकरण	पूंजीकरण में अंतर
1	गेल (इंडिया) लिमिटेड	63,669	74,101	10,432
2	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	24,782	30,313	5,531
3	आईटीआई लिमिटेड	3,979	8,595	4,616
4	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	25,278	28,996	3,718
5	एनटीपीसी लिमिटेड	1,36,833	1,39,925	3,092
6	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	15,489	17,131	1,642

डीआईपीएएम द्वारा मई 2016 में जारी दिशानिर्देशों में परिकल्पित था कि प्रत्येक सीपीएसई जहां इसके शेयर की बाजार मूल्य या बुक मूल्य इसके अंकित मूल्य से 50 गुणा अधिक हों, को उचित रूप से अपने शेयरों को विभाजित करना चाहिए बशर्ते कि शेयर का इसका मौजूदा अंकित मूल्य ₹ 1 के बराबर या अधिक हो। तथापि, तालिका 1.9 में दिए गए सीपीएसई ने इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया (30 सितम्बर 2018)।

तालिका 1.9: शेयरों दिशानिर्देशों के विभाजनका पालन न करने वाले सीपीएसई

सीपीएसई का नाम	31 मार्च 2018 तक अंकित मूल्य (₹)	31 मार्च 2018 तक बाजार मूल्य (₹)	31 मार्च 2018 तक बुक मूल्य (₹)	50 गुणा अंकित मूल्य (₹)	अधिक बाजार मूल्य (₹)
बीईएमएल लिमिटेड	10	1044.15	514.22	500	544.15
ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10	581.60	551.47	500	81.60

1.3 सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश पर प्रतिफल

1.3.1 सीपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या 2016-17 में 215 (37 सीपीएसई जोड़ी गई और 21 सीपीएसई हटाई गई) की तुलना में 2017-18 में 231 थी। अर्जित लाभ 2016-17 में ₹ 1,59,006 करोड़ से 2017-18 में ₹1,66,197 करोड़ बढ़ गया था। हालांकि 2016-17 में 215 सीपीएसई में 13.82 *प्रतिशत* की तुलना में 2017-18 में 231 सीपीएसई का इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) 13.16 *प्रतिशत* था। सभी 420 सीपीएसई में इक्विटी पर

प्रतिफल अर्थात् 2017-18 में 158 हानि उठाने वाली और 31 शून्य लाभ वाली कंपनियों को सम्मिलित करते हुए 7.77 *प्रतिशत* था।

2015-16 से 2017-18 के दौरान लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या चार्ट-IV में दर्शाई गई हैं:

चार्ट V: लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की संख्या

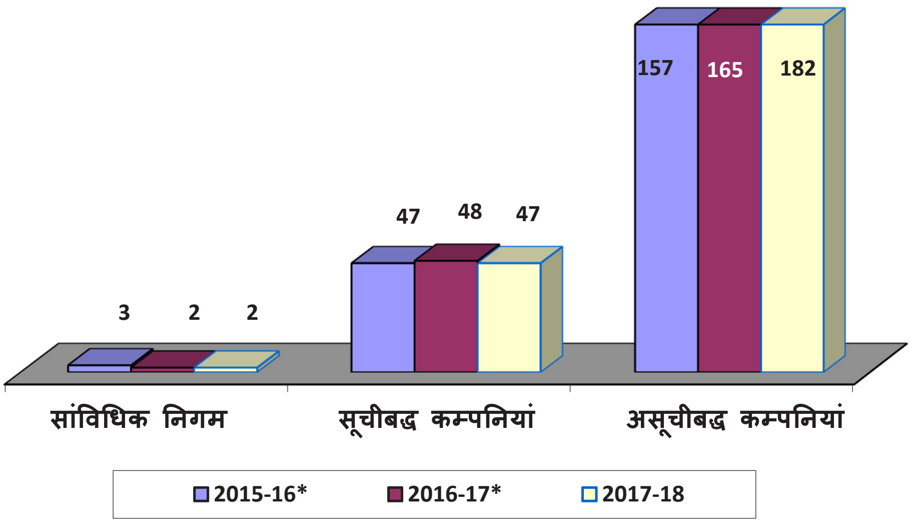

(*2017-18 के दौरान पिछले वर्षों के आंकड़ों को अद्यतित किया गया था जब उस वर्ष के लेखे प्राप्त हुए थे)

वर्ष 2017-18 के दौरान अधिकतम लाभ देने वाले शीर्ष 3 क्षेत्रों का ब्यौरा नीचे तालिका 1.10 में सारांशीकृत किया गया हैः

तालिका 1.10: वर्ष 2017-18 के दौरान अधिकतम लाभ देने वाले शीर्ष 3 क्षेत्र

क्षेत्र	लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या	अर्जित निवल लाभ (₹करोड़ में)	कुल सीपीएसई लाभ से लाभ की प्रतिशतता
पेट्रोलियम			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	8	65993	39.71
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	7	3291	1.98
उप-जोड़ (ए)	15	69284	41.69
विद्युत			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	4	22573	13.58
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	27	5774	3.47

उप-जोड़ (बी)	31	28347	17.06
कोयला एवं लिग्नाईट			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	2	11142	6.70
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	4	10606	6.38
उप-जोड़ (सी)	6	21748	13.09
जोड़ (ए+बी+सी)	**52**	**119379**	**71.83**

2016-17 के दौरान 49 सीपीएसई द्वारा 74.38 *प्रतिशत* योगदान की तुलना में इन तीन क्षेत्रों में 52 सीपीएसई द्वारा 2017-18 के दौरान सीपीएसई के कुल लाभ के 71.83 *प्रतिशत* ₹ 1,19,379 करोड़ के निवल लाभ का योगदान दिया गया था।

23 सीपीएसई द्वारा ₹ 30,823 करोड़ के निवल लाभ का योगदान दिया गया था जो कि रक्षा, कोयला, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्यरत थे जो बाजार प्रतिस्पर्धा के लिए खोले नहीं गए थे। इससे 2017-18 के दौरान सभी 231 सीपीएसई में ₹ 166,197 करोड़ के कुल लाभ का 18.55 *प्रतिशत* हो गया था। 2017-18 में इन 23 सीपीएसई के आरओई प्रतिस्पर्धी परिस्थिति में कार्य कर रही 208 सीपीएसई में 11.71 *प्रतिशत* की तुलना में 29.05 *प्रतिशत* था।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान 165 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनिया में से, 117 कंपनियों ने ₹ 7,663 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। इन 117 सीपीएसई का आरओई, 2017-18 में 4.52 *प्रतिशत* था। 165 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों में आरओई 3.88 *प्रतिशत* था।

वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की सूची तालिका 1.11 में दी गई है:

तालिका 1.11: ₹ 5,000 करोड़ से अधिक लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निवल लाभ
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	21346
2	ऑयल एण्ड नैचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19945
3	एनटीपीसी लिमिटेड	10343
4	कोल इंडिया लिमिटेड	9293
5	पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8253
6	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7919
7	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6357
8	पॉवर फाईनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5855
	कुल	**89311**

यह देखा जा सकता है कि इन 8 सीपीएसई ने 2017-18 के दौरान 231 सीपीएसई द्वारा कुल अर्जित लाभ के 53.73 *प्रतिशत* का योगदान किया।

1.3.2 सीपीएसई द्वारा लाभांश भुगतान

अर्जित लाभ और घोषित लाभांश का विवरण तालिका 1.12 में दिया गया है:

तालिका 1.12: अर्जित लाभ और घोषित लाभांश

श्रेणी	सीपीएसई द्वारा घोषित लाभांश			
	सीपीएसई की संख्या	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)
सांविधिक निगम	2	725	2858	862
सूचीबद्ध कंपनियां	40	72987	130088	58627
असूचीबद्ध कंपनियां	59	62821	19956	11073
कुल	**101**	**136533**	**152902**	**70562**

2017-18 में लाभांश की घोषणा करने वाले 101 सीपीएसई थे। इन सीपीएसई द्वारा अर्जित निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में घोषित लाभांश 2016-17 में 51.87 *प्रतिशत* से घट कर 2017-18 में 42.46 *प्रतिशत* हो गया था, निरपेक्ष दृष्टि से, सीपीएसई द्वारा 2017-18 में घोषित लाभांश में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 11,921 करोड़ की कमी हुई है। चार्ट-VI में अर्जित निवल लाभ की तुलना में घोषित लाभांश को दर्शाया गया है और

सीपीएसई को पूंजी का भुगतान किया गया जो पिछले तीन वर्षों के दौरान घोषित लाभांश था।

चार्ट VI: निवल लाभ और प्रदत्त पूँजी की तुलना में घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)

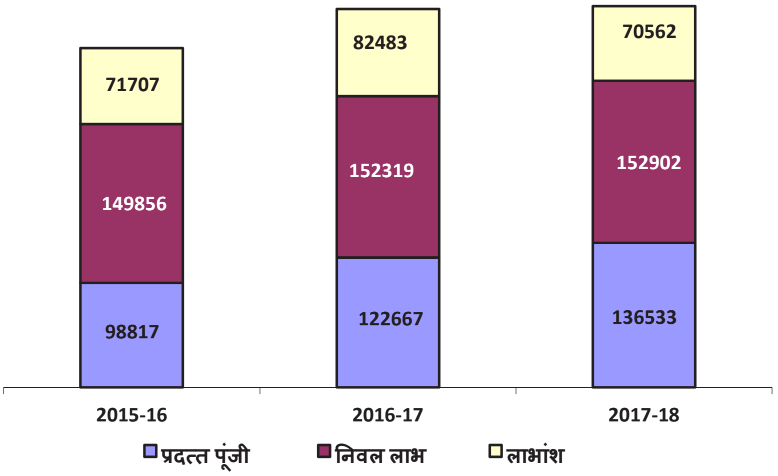

वर्ष 2017-18 के लिए 101 सीपीएसई द्वारा घोषित ₹ 70,562 करोड़ के कुल लाभांश में से, केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत निवेश 86,365 करोड़ वाली 74 सीपीएसई से प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹ 42,229 करोड़ था (48.90 *प्रतिशत*)। 420 सीपीएसई की इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार द्वारा किए गए ₹ 3,57,064 करोड़ के कुल निवेश पर प्रतिफल 2016-17 के दौरान 14.67 *प्रतिशत* की तुलना में 11.83 *प्रतिशत* था। इसी प्रकार 35 सीपीएसई ने 2017-18 में अन्य सीपीएसई में इक्विटी धारिता पर ₹ 25,230 करोड़ की प्रदत्त पूंजी पर लाभांश के रूप में ₹ 11,580 करोड़ प्राप्त किए।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 14 सीपीएसई ने ₹ 28,859 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो 2017-18 में 101 सीपीएसई द्वारा घोषित ₹ 70,562 करोड़ के कुल लाभांश का 40.90 *प्रतिशत* था।

मई 2016 में डीआईपीएएम द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यह परिकल्पित था कि प्रत्येक सीपीएसई, वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत अधिकतम अनुमत लाभांश के अध्यधीन, कर के पश्चात् लाभ के 30 प्रतिशत या निवल सम्पत्ति के 5 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के वार्षिक लाभांश भुगतान करेगा। तथापि, 53 सीपीएसई (17 सूचीबद्ध सीपीएसई और 01 सांविधिक निगम सहित) ने सरकार द्वारा निर्धारित लाभांश घोषित नहीं किया था,

जैसा कि ***परिशिष्ट-IV*** में दिया गया है। इसके कारण 2017-18 में इसके संबंध में कुल कमी ₹ 9,417.75 करोड़ थी।

165[19] सरकार नियंत्रित कंपनियों में से 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान 117 कंपनियों ने ₹7,663 करोड़ का लाभ अर्जित किया। इन 117 कंपनियों में से 47 ने ₹ 1,178 करोड़ की राशि का लाभांश घोषित किया जो ₹ 13,470 करोड़ की इसकी प्रदत्त पूंजी के 8.74 *प्रतिशत* का प्रतिनिधित्व करती थी। 47 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों जिन्होने 2017-18 के दौरान लाभांश घोषित किया था, का क्षेत्र वार वर्गीकरण तालिका 1.13 में दिया गया है:

तालिका 1.13: सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश

क्षेत्र	कम्पनियों की सं.	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)
कोयला और लिग्नाइट	1	2188	146	22
अनुबंध और निर्माण सेवाएँ	2	250	230	23
वित्तीय सेवाएं	28	4495	2044	527
औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्श	4	14	18	3
बीमा	1	1000	1150	200
पेट्रोलियम	4	777	182	81
विद्युत	4	4506	1073	281
दूरसंचार सेवाएं	1	35	45	2
ट्रेडिंग और मार्केटिंग	1	41	23	6
परिवहन सेवाएं	1	164	49	33
कुल	**47**	**13470**	**4960**	**1178**

1.3.3 सीपीएसई की इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)[20] शेयरधारकों की इक्विटी के द्वारा निवल आय को विभाजित करके संगणना की गई कंपनियों के वित्तीय निष्पादन की एक माप है।

[19] *188-23 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां जिनके लेखे तीन वर्ष या इससे अधिक समय से बकाया थे या समाप्त/परिसमाप्त के तहत या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे।*

[20] *इक्विटी पर प्रतिफल = (कर और वरीयता लाभांश/इक्विटी के बाद निवल लाभ)*100 जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + निर्बाध आरक्षित निधियां-संचित हानि-आस्थगित राजस्व व्यय)*

सीपीएसई क्षेत्र-वार आरओई जहां 2017-18 के दौरान क्षेत्र की कुल इक्विटी ₹ 10,000 करोड़ से अधिक है, को नीचे तालिका 1.14में दर्शाया गया है।

तालिका 1.14: ₹ 10000 करोड़ तथा अधिक की कुल इक्विटी के साथ क्षेत्रों की इक्विटी पर प्रतिफल

क्र. सं.	क्षेत्र	2015-16 के दौरान आरओई	2016-17 के दौरान आरओई	2017-18 के दौरान आरओई
1	पेट्रोलियम	12.06	13.72	13.40
2	विद्युत	9.41	9.31	9.81
3	परिवहन सेवाएं	-0.32	-1.08	-1.12
4	इश्योरेंस	3.20	0.52	3.66
5	वित्तीय सेवाएं	12.53	8.68	9.25
6	दूरसंचार सेवाएँ	-13.55	-7.93	-12.77
7	इस्पात	-6.91	-9.38	-3.88
8	खनिज औ रधातु	7.71	9.67	13.76
9	कोयला एवं लिग्नाइट	77.16	58.29	38.67
10	भारी उद्योग	-3.44	2.41	5.15
11	परिवहन उपकरण	14.71	18.67	15.24
12	संविदा एवं विनिर्माण सेवाएं	12.46	11.83	12.48

तालिका 1.15: एकाधिकार[21] वाली सीपीएसई और गैर-एकाधिकार वाली सीपीएसई के बीच आरओई की तुलना को दर्शाती है।

तालिका 1.15: सीपीएसई की इक्विटी पर प्रतिफल की एकाधिकार बनाम गैर-एकाधिक की तुलना

वर्ष	एकाधिकार सीपीएसई		गैर-एकाधिकार सीपीएसई	
	सीपीएसई की संख्या	आरओई	सीपीएसई की संख्या	आरओई
2015-16	50	1.52	326	10.37
2016-17	53	1.87	346	9.72
2017-18	54	1.43	366	9.14

[21] *एकाधिकार बाजार संरचना का अर्थ हे जो एक एकल विक्रेता की विशेषता को बताता है, जो बाजार में एक विशिष्ट उत्पाद विक्रय करते है। एकाधिकार बाजार में, विक्रेता कोई प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करते, चूंकि वह वस्तुओं का एकमात्र विक्रता है जिसके पास कोई विकल्प नहीं है। एक सीपीएसई को एकाधिकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि भौगोलिक क्षेत्र में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, जिसमें यह संचालित होता है (अर्थात् कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन)।*

यह देखा जा सकता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-एकाधिकार वाले सीपीएसई की तुलना में एकाधिकार वाले सीपीएसई के आरओई महत्वपूर्ण रूप से कम था।

1.4 हानि उठाने वाले सीपीएसई

158 सीपीएसई को वर्ष 2017-18 के दौरान हानि हुई थी। इन सीपीएसई द्वारा 2016-17 के दौरान उठाई गई हानि ₹ 33,574 करोड़ से बढ़ कर 2017-18 में ₹ 41,420 करोड़ हो गई जिसका तालिका 1.16 में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.16: 2017-18 के दौरान हानियां उठाने वाले सीपीएसई की संख्या

सूचीबद्ध/असूचीबद्ध वर्ष	हानि उठाने वाले सीपीएसई की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि (₹ करोड़ में)	संचित हानि (₹ करोड़ में)	निवल सम्पत्ति[22] (₹ करोड़ में)
सांविधिक निगम				
2015-16	1	1143	0	13268
2016-17	1	907	0	12891
2017-18	1	847	0	12144
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां				
2015-16	12	11830	30268	76207
2016-17	11	10168	28481	18253
2017-18	12	8292	40433	9146
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां/निगम				
2015-16	127	18696	72576	91953
2016-17	142	22499	79890	137640
2017-18	145	32281	90212	131401
जोड़				
2015-16	**140**	**31669**	**102844**	**181428**
2016-17	**154**	**33574**	**108371**	**168784**
2017-18	**158**	**41420**	**130645**	**152691**

158 सीपीएसई में कुल ₹ 41,420 करोड़ का घाटा हुआ जिसमे रक्षा, कोयला और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में कार्यरत 12 सीपीएसई द्वारा ₹ 6,239 करोड़ का योगदान था जोकि बाजार प्रतिस्पर्धा हेतु मुक्त नहीं थी।

---

[22] *निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूंजी तथा मुक्त आरक्षित निधि तथा अधिशेष ककम संचित हानि तथा आस्थगित राजस्व व्यय का कुल जोड। मुक्त आरक्षित निधि का अर्थ है लाभों तथा शेयर प्रीमियम लेखा में से सृजित सभी आरक्षितों परन्तु परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन तथा मूल्यह्रास प्रावधान के प्रतिलेखन में से सृजित आरक्षितों को शामिल नहीं किया गया है।*

वर्ष 2017-18 के दौरान तालिका 1.17 में सूचीबद्ध सीपीएसई द्वारा ₹ 1,000 करोड़[23] से अधिक की हानि वहन की गई।

तालिका 1.17: 2017-18 के दौरान ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की हानि उठाने वाले सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निवल हानि
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	8002
2	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	3902
3	हिंदुस्तान फोटोफिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड	3402
4	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2973
5	ओएनजीसी पेट्रो एडीशन लिमिटेड	2219
6	नेशनल इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड	2171
7	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	1391
8	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	1369
9	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1155
10	आईएफसीआई लिमिटेड	1009

165 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों में से, 46 कंपनियों को वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 960.57 करोड़ की हानि हुई।

1.4.1 सरकारी कम्पनियों में पूंजी क्षरण

31 मार्च 2018 तक 184 सीपीएसई जिनकी संचित हानि ₹ 1,42,309.28 करोड़ थी। वर्ष 2017-18 के दौरान 184 सीपीएसई में से 130 सीपीएसई ने ₹ 21,755.26 करोड़ की हानि वहन की तथा वर्ष 2017-18 में 54 सीपीएसई ने हानि नहीं उठाई थी यद्यपि उन्हें ₹ 11,664.68 करोड़ की संचित हानि हुई थी। 184 सीपीएसई में से 66 ठप्प होने/ समापन/ परिशोधन/ नीतिगत विनिवेश के अधीन थी।

184 सीपीएसई में से 77 की निवल संपत्ति संचित हानि द्वारा पूरी तरह क्षरित हो गई थी और उनकी निवल संपत्ति या तो शून्य या नकारात्मक थी। इन 77 सीपीएसई की

---

[23] 2017-18 के लिए लेखाओं के रूप में इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए हुए अपने अंतिम लेखापरीक्षित लेखाओं से एयर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) के आकडों का सम्मिलित करते हुए 29 सीपीएसई के अंनतिम आंकड़े में कट-ऑफ तिथि से पहले अर्थात 30 सितम्बर 2018 में रिपोर्ट तैयार करने से पहले प्राप्त नहीं हुए थे। तथापि, ₹ 5348 करोड़ कीनिवल हानि को इस प्रतिवेदन मे शामिल नहीं किया गया।

निवल संपत्ति 31 मार्च 2018 को ₹ 40,155.73 करोड़ इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-)83,122.38 करोड़ थी। इसमें छः सूचीबद्ध कम्पनियां शामिल हैं जिनकी निवल संपत्ति ₹ 6,685.50 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-)32,606.92 करोड़ थी। 77 सीपीएसई जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी (शून्य अथवा नकारात्मक निवल सम्पत्ति होने पर), में से केवल 12 सीपीएसई ने 2017-18 के दौरान ₹ 1344.45 करोड़ का लाभ प्राप्त किया था। ***(परिशिष्ट-V)***

77 सीपीएसई में से 20, जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी की बकाया सरकारी ऋण की राशि 31 मार्च 2018 को ₹ 6,044.99 करोड़ थी। इसमें ₹ 1,877.34 करोड़ के बकाया सरकारी ऋण वाली दो सूचीबद्ध कम्पनियां शामिल है।

संभावित वित्तीय रूग्णता दर्शाते हुए 341 सीपीएसई, जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक थी, में से 25 सीपीएसई की निवल संपत्ति 31 मार्च 2018 के अंत में उनकी प्रदत्त पूंजी के आधे से कम थी।

1.5 सरकारी कम्पनियों की प्रचालन दक्षता

1.5.1 उत्पादन का मूल्य

तीन वर्ष की अवधि के दौरान 420 सीपीएसई में उत्पादन का मूल्य, कुल परिसम्पत्तियों तथा नियोजित पूंजी को दर्शाने वाला सार चार्ट VII में दिया गया है:

चार्ट VII: उत्पादन का मूल्य, परिसम्पत्तियां और नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)

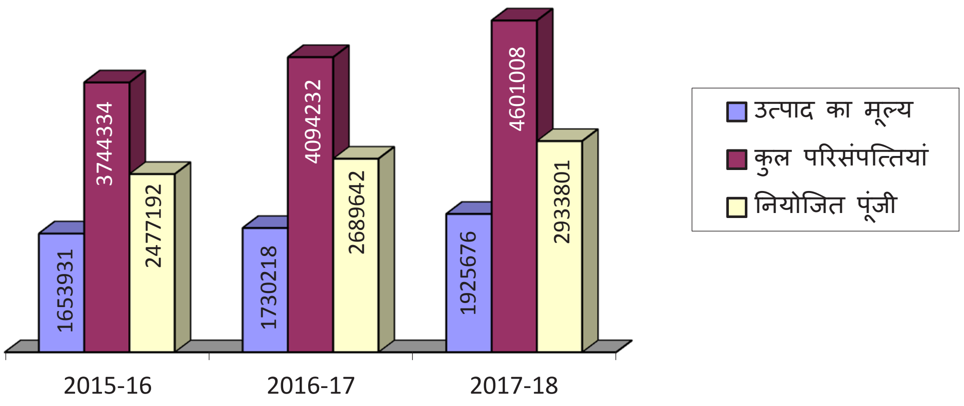

पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में उत्पादन के मूल्य, कुल परिसम्पत्ति तथा नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई थी।

1.5.2 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक ऐसा अनुपात है जो कंपनी को लाभ प्रदता और दक्षता को मापता है जिसके साथ इसकी पूंजी नियोजित होती है। आरओसीई की संगणना नियोजित पूंजी[24] के द्वारा करो से पहले कंपनी की आय (ईबीआईटी) को विभाजित करके किया जाता है। 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान 420 सीपीएसई के आरओसीई के ब्यौरे तालिका 1.18 में नीचे दिये गए है:

तालिका 1.18: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%)
2015-16	256353	2477192	10.35
2016-17	273720	2689642	10.18
2017-18	291093	2935631	9.92

यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान 420 सीपीएसई का आरओसीई सीमांत रूप से वर्ष 2016-17 की तुलना में कम था।

1.5.3 सूचीबद्ध सीपीएसई का निजी कंपनरियों के साथ निष्पादन

36[25] सूचीबद्ध सीपीएसई के निष्पादन की तुलना पाँच अनुपात मापदण्डों (इक्विटी पर रिटर्न, नियोजन पूंजी पर रिटर्न, प्रति शेयर अर्जन, मूल्य अर्जन अनुपात और ब्याज कवरेज अनुपात) पर समान प्रकृति के कामकाज वाली निजी कंपनियों के साथ पिछले पाँच वर्षों 2013-14 से 2017-18 तक के लिए की गई। तुलना से निम्नलिखित परिणाम प्रकट हुए:

इक्विटी पर रिटर्न (आरओई): यह देखा गया कि 36 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 16 के संबंध में आरओई निम्न स्तर पर थी जैसा कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए समान प्रकृति के कामकाज वाली निजी कंपनियों से तुलना की गई ***(परिशिष्ट-VI)***।

---

[24] *नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी+निर्बाध आरक्षित निधि और अधिशेष + दीर्घ अवधि ऋण - संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय*

[25] *47 सीपीएसई में से जहाँ पिछले पांच वर्षों के दौरान शेयर सक्रिय थे, 11 सीपीएसई के मामले से समान प्रकृति के कामकाज वाली निजी कंपनियां सूचीबद्ध नहीं पाई गई। इसी वजह से तुलना हेतु 36 सीपीएसई पर विचार किया गया।*

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई): यह देखा गया कि 36 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 15 के संबंध में आरओसीई निम्न स्तर पर थी जैसा कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए समान प्रकृति के कामकाज वाली निजी कंपनियों से तुलना की गई। ***(परिशिष्ट-VII)***

प्रति शेयर अर्जन: यह देखा गया कि 36 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 26 के संबंध में ईपीएस निम्न स्तर पर थी जैसा कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए समान प्रकृति के कामकाज वाली निजी कंपनियों से तुलना की गई। ***(परिशष्ट- VIII)***

मूल्य अर्जन पी/ई अनुपात[26]: यह देखा गया कि 36 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 29 के संबंध में पी/ई अनुपात निम्न स्तर पर था। पिछले पाँच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए समान प्रकृति के कामकाज वाली निजी कंपनियों से तुलना की गई। ***(परिशष्ट-IX)***

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर): यह देखा गया कि 36 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 17 के संबंध में आईसीआर निम्न स्तर पर थापिछले पाँच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए समान प्रकृति के कामकाज वाली निजी कंपनियों से तुलना की गई। ***(परिशष्ट-X)***

छः सीपीएसई के संबंध में, उपरोक्त सभी मापदंड पिछले सभी पाँच वर्षों के दौरान समान क्षेत्र वाली निजी कंपनियों की तुलना में निम्न स्तर पर थे।

1.5.4 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न

25 सीपीएसई के संबंध में केन्द्र सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) को परिकलित किया गया है जो, इन सीपीएसई में केन्द्र सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य पर रिटर्न/ हानि की दर के आंकलन से आठ या आठ से अधिक वर्षों के लिए घाटे में है जैसा कि निवेश के ऐतिहासिक मूल्य से तुलना की गई है। निवेश की ऐतिहासिक लागत को 31 मार्च 2018 तक प्रति वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य के क्रम में लाने के लिए,

[26] मूल्य अर्जन अनुपात (पी/ई अनुपात) कंपनी के निर्धारण का अनुपात है जो इसके वर्तमान शेयर मूल्य का इसके प्रति शेयर अर्जन के संबंध में मापन करता है। पी/ई अनुपात का मापन बाजार मूल्य प्रति शेयर/ अर्जन प्रति शेयर रूप होता है।

इन सीपीएसई में केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व निवेश/ वर्ष वार लाई गई निधियां केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों पर वर्षवार भारित औसत ब्याज दर पर संयोजित हो गई है जोकि संबंधित वर्ष के लिए सरकार की निधियों की न्यूनतम लागत मानी गई है। सीपीएसई में केन्द्र सरकार के निवेश के पीवी को निम्नलिखित पूर्वानुमानों के आधार पर परिकलित किया गया:

- सीपीएसई में केन्द्र सरकार द्वारा इक्विटी ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विस्तविक संचार के अतिरिक्त सीपीएसई में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान/ परिचालन और प्रशासनिक खच्र के लिए यहायिका को भी केन्द्र सरकार द्वारा पूंजी डालना माना गया है।
- उन मामलों में जहाँ सीपीएसई को प्रदान किए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में इक्विट में परिवर्तित कर दिया गया, इक्वटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटाकर उस वष्र की इक्विटी में जोड़ा गया।
- विनिवेश को वष्र के अंत में कुल निवेश की गणना करते समय घटाया गया है।
- केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों पर संबंधित वित्त वर्ष[27] के लिए भारित औसत ब्याज दर को संयोजित दर के रूप में पूर्तमान मूल्य को प्राप्त करने हेतु अंगीकृत कया गया चूंकि वे सरकार द्वारा उस वर्ष के लिए निधियों के निवेश के लिए व्यय हुई लागत को प्रदर्शित करते हैं तथा इसलिए सरकार द्वारा किए निवेश पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया।
- केन्द्र सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना के उद्देश्य हेतु 2000-01 से शुरू 2017-18 तक की अवधि को, 31 मार्च 2000 तक 25 सीपीएसई में केन्द्र सरकार के निवेश को 2000-01 की शुरूआत में केन्द्र सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य के रूप में मानते हुए लिया गया है।

ऐसी घाटा वहन कर रही सीपीएसई के निष्पादन के अधिक उचित उपाय हानि के कारण निवल संपत्ति का क्षरण है। कंपनियों की पूंजी के क्षरण पर टिप्पणियां पैरा 1.4.1 में दी

[27] सरकारी प्रतिभूतियों पर भारित औसत ब्याज दर को भारतीय रिजर्व बैंक की सरकारी प्रतिभूति बाजार पर रिपोर्ट/ सरकारी ऋण पर वित्त मंत्रालय के संघ स्थिति अध्ययन पत्र से लिया गया है।

गई है। चयनित सीपीएसई में केन्द्र सरकार के 2000-01 से 2017-18 तक इक्वटी, ब्याज मुक्त ऋण अनुदान/ सहायिकी रूप में निवेश तथा निविवेश का विवरण ***परिशिष्ट-XI*** में निर्दिष्ट है। सीपीएसई में ऐसे केन्द्र सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति तालिका 1.19 में निर्दिष्ट है।

तालिका 1.19: 2000-01 से 2017-18 तक केन्द्र सरकार के निवेश तथा सरकारी निधियों के वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष की शुरुआत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा डाली गई इक्विटी	वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अनुदित ब्याज मुक्त ऋण	केन्द्र सरकार द्वारा परिपालन और प्रशासनिक खर्च को पूरा करने हेतु सहायता/ अनुदान	वर्ष के दौरान ब्याज मुक्त ऋण का इक्विटी में परिवर्तन	वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विनिवेश	वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी प्रति भूतियों पर भारित औसत ब्याज दर	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5-6-7)	9= (2+8)	10	11= 9{1+(10/100)}
2000-01	7592.65	469.75	107.99	240.07	0	0	817.81	8410.46	11.00	9335.611
2001-02	9335.611	166.75	28.8	55.56	0	0	251.11	9586.721	9.40	10487.87
2002-03	10487.87	181.43	77.47	15.2	0	0	274.1	10761.97	7.30	11547.59
2003-04	11547.59	328.07	299.62	14.38	249.62	0	392.45	11940.04	5.71	12621.82
2004-05	12621.82	440.91	15.33	572.45	0	0	1028.69	13650.51	6.11	14484.56
2005-06	14484.56	287.41	184.65	20.62	0	0	492.68	14977.24	7.34	16076.57
2006-07	16076.57	777.97	78.74	79.92	0	0	936.63	17013.2	7.89	18355.54
2007-08	18355.54	727.98	260.63	19.2	0	0	1007.81	19363.35	8.12	20935.65
2008-09	20935.65	1014.22	242.37	42.79	0	0	1299.38	22235.03	7.69	23944.9
2009-10	23944.9	2039.4	30.52	37.38	0	0	2107.3	26052.2	7.23	27935.77
2010-11	27935.77	2461.92	51.89	69.22	0	0	2583.03	30518.8	7.92	32935.89
2011-12	32935.89	1904.05	328.66	59.43	85.21	0	2206.93	35142.82	8.52	38136.99
2012-13	38136.99	6815.51	222.39	72.28	0	0.18	7110	45246.99	8.36	49029.64
2013-14	49029.64	6000.08	447.3	24.71	0	67.72	6404.37	55434.01	8.39	60084.92
2014-15	60084.92	3872.57	615.85	42.96	0	55.4	4475.98	64560.9	8.51	70055.03
2015-16	70055.03	7651.97	741.42	58.97	0	0	8452.36	78507.39	7.89	84701.62
2016-17	84701.62	5726.05	1353.83	317.48	101.78	0	7295.58	91997.2	7.16	98584.2
2017-18	98584.2	6796.23	190.4	17.42	0	0	7004.05	105588.3	6.98	**112958.3**
कुल		**47662.27**	**5277.86**	**1760.04**	**436.61**	**123.3**	**54140.26**			

इन कंपनियों में केन्द्र सरकार का शेष निवेश वर्ष 2000-01 में ₹ 7,592.65 करोड़ से बढ़कर 2017-18 के अंत में ₹ 54,140.26 करोड़ हो गया जैसा कि सरकार ने आगे ₹ 47,538.97 करोड़ की राशि इक्विटी (₹ 47,662.27 - ₹ 123.30), ₹ 4,841.25 करोड़ की राशि ब्याज मुक्त ऋण (₹ 5,277.86 - ₹ 436.61) और ₹ 1,760.04 करोड़ की राशि परिचालन और प्रशासनित खर्च को पूरा करने हेतु अनुदान/ आर्थिक सहायता स्वरूप निवेश की। 31 मार्च 2018 तक केन्द्र सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य को ₹ 1,12.958 करोड़ गिना गया। वर्ष 2017-18 के दौरान इन 25 कंपनियों द्वारा निवल अर्जन ₹ (-)21,145.73 करोड़ (₹ 526.32- ₹ 21,672.05 करोड़) था। इस प्रकार, कंपनियों में केन्द्र सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की राशि ₹ 1,12,958.30 करोड़ के प्रति रिटर्न ऋणात्मक ₹ (-)21,145.73 करोड़ थी।

1.5.5 बिक्री एवं विपणन

2017-18 के दौरान, 420 सीपीएसई की कुल बिक्री ₹ 21,56,441 करोड़ थी। जैसा कि वर्ष 2016-17 के दौरान 402 सीपीएसई में ₹ 19,49,214 करोड़ से तुलना की गई। इनमें से 115 सीपीएसई ने सरकारी क्षेत्रों को उनकी ₹ 10,26,134 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति ₹ 2,35,750 करोड़ मूल्य की बिक्री की/सेवाएं प्रदान की। उनकी कुल निवल बिक्रियों के संदर्भ में सरकारी क्षेत्रों को इन 115 सीपीएसई की बिक्री की समग्र प्रतिशतता, 22.97 *प्रतिशत* बनती थी।

52 सीपीएसई थे जिन्होंने ₹ 73,620 करोड़ मूल्य की माल सेवाओं का निर्यात किया था। (यह उनकी ₹ 12,12,266 करोड़ की कुल निवल बिक्री राशि का 6.07 *प्रतिशत* था।)। जिसके प्रति इन सीपीएसई द्वारा कुल आयात ₹ 2,72,037 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,98,417 कर निवल आयात रहा (2016-17 में ₹ 2,30,895 करोड़)।

420 सीपीएसई द्वारा की गई ₹ 21,56,441 करोड़ की कुल बिक्री के प्रति 52 सीपीएसई द्वारा निर्यात बिक्री 3.41 *प्रतिशत* थी। ₹ 5,000 करोड़ से अधिक निर्यात बिक्री वाले सीपीएसई तालिका 1.20 में दिए गए है:

तालिका 1.20: 2017-18 के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक के निर्यात बिक्री वाले सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	निर्यात बिक्री
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24353
2	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	16996
3	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	7799
जोड़		**49148**

इन चार सीपीएसई की निर्यात बिक्री सभी सीपीएसई के कुल निर्यात का 66.76 *प्रतिशत* है।

अध्याय II

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

2.1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) सरकारी कम्पनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपूरक जारी करने या उस पर टिप्पणी जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षा है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए तथा प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत किया जाए।

2.2 सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अन्तर्गत एक सरकारी कम्पनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से 180 दिनों की अवधि के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त किये जाने हैं।

वर्ष 2017-18 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति जुलाई 2017 के दौरान की गई थी।

वर्ष 2017-18 के लिए उपर्युक्त कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा जुलाई 2017 के दौरान की गई थी।

2.3 सीपीएसई द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के कार्यचालन और कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट इसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार की जानी है और ऐसी तैयारी के बाद यथा शीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और सीएजी द्वारा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र भारत की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 प्रत्येक कम्पनी से प्रत्येक कलेंडर वर्ष में एकबार शेयर धारकों की एजीएम आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम और अगले एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में अनुबद्ध है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षा वित्तिय विवरण उक्त एजीएम को उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुबद्ध के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर दंड और कारागार जैसी शास्ति लगाने का भी प्रावधान है।

इसके बावजूद, 30 सितंबर 2018 तक विभिन्न सीपीएसई के वार्षिक लेखे लम्बित थे जिसके ब्यौरे आगामी पैराग्राफ में दिये गये है।

2.3.2 सरकारी कम्पनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

638 कम्पनियों में से 94 कम्पनियों के लेखे बकाया थे।

31 मार्च 2018 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र में 450 सरकारी कम्पनियां तथा 188 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां थीं। वर्ष 2017-18 के लिए इनमें से 447 सरकारी कंपनियों और 187 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों से लेखे देय थे। 3 सरकारी कंपनियों और 1 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी, जो कि नई थी, के लेखे देय नहीं थे। 30 सितम्बर 2018 या इससे पहले कुल 385 सरकारी कम्पनियों तथा 155 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 62 सरकारी

कम्पनियों तथा 32 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। सरकारी कम्पनियों के बकाया लेखाओं को प्रस्तुत करने के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

विवरण		सरकारी कम्पनियां/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनिया					
		सरकारी कम्पनियां		सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनिया		कुल	
31.03.2018 तक सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के तहत कुल कंपनियों की संख्या		450		188		638	
		सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध
सूचीबद्ध/असुचीबद्ध		59	391	6	182	65	573
घटाएं: नई कंपनियां जिनके लेखे 2017-18 के लिए देय नहीं थे।		0	3	0	1	0	4
कंपनियों की संख्या जिनके लेखे 2017-18 के लिए देय थे।		59	388	6	181	65	569
30 सितम्बर 2018 तक सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु लेखा प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या		59	326	6	149	65	475
बकाया लेखाओं की संख्या		0	62	0	32	0	94
बकाया के संबंध विच्छेद	(i) परिसमापनाधीन	0	22	0	8	0	30
	(ii) समाप्त	0	2	0	6	0	8
	(iii) पहला लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	0	0	0	2	0	2
	(iv) अन्य	0	38	0	16	0	54
'अन्य' श्रेणी के प्रति बकाया का अवधि वार विश्लेषण	एक वर्ष (2017-18)	0	24	0	9	0	33
	दो वर्ष (2016-17 और 2017-18)	0	5	0	1	0	6
	तीन वर्ष और अधिक	0	9	0	6	0	15

परिशिष्ट II क और ***परिशिष्ट II ख*** में इन कम्पनियों के नाम दर्शाए गए हैं।

2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

छः सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। पाँच सांविधिक निगमों, जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, में से दो[28] सांविधिक निगमों ने समय पर लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2017-18 के अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। वर्ष 2017-18 के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम और भारतीय खाद्य निगम के लेखे 30 सितम्बर 2018 को प्रतीक्षित थे। सेन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन के मामले में, सीएजी अनुपूरक लेखापरीक्षा करता है तथा लेखे समय पर प्राप्त हुए थे।

2.4 सीएजी का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।।। में निर्धारित प्रपत्र में और लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों से सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

2.4.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आबंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा निरीक्षण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्ति का उपयोग करते हुए किया जाता है:

- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना।

---

[28] *भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण।*

- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को अनुपूरक करना या टिप्पणी करना।

2.4.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिर्पोटिंग ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी एक इकाई के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चुनीगई सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखे की समीक्षा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से सीएजी द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, यदि कोई है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

2.4.3.1 चयनित सरकारी कंपनियों में तीन चरणीय लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को अपनाना

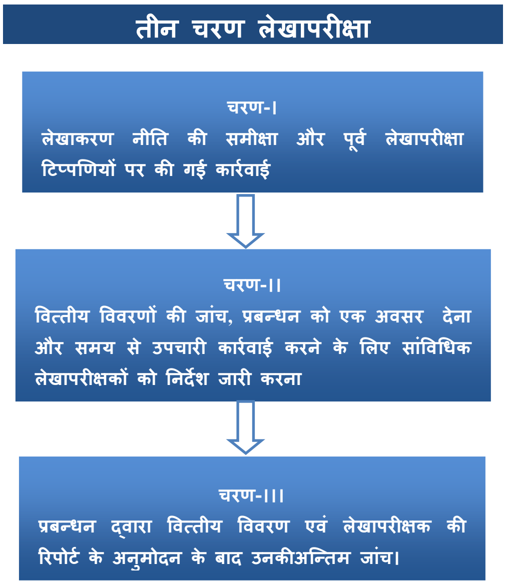

चूंकि, लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता में वृद्धि अर्थात्पठनीयता, विश्वसनीयता और विभिन्न शेयर धारकों के लिए उपयोगिता में प्रबंधन की सहायता करना है, इसलिए सीएजीने "तीन चरणीय लेखापरीक्षा की प्रणाली" के द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए अधिक तीव्र, नवीन, केंद्रित और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण आरम्भ किया। तीन चरणीय

लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रबंधन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ नए लेखापरीक्षा अभिगम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली पर चर्चा के बाद मतैक्य आधार पर 2008-09 के वित्तीय विवरणों के लिए 'सूचीबद्ध', 'नवरत्न', 'मिनीरत्न' और 'सांविधिक निगमों' की श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले चयनित गए सीपीएसई में लागू किया गया था:

- सीपीएसई द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों से संबंधित असंगतियों और संदेहों को दूर करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रबंधन और सीएजी की लेखापरीक्षा के बीच प्रभावी संप्रेषण और समन्वित अभिगम स्थापित करना।
- सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के पूर्व त्रुटियों, चूक, अननुपालन आदि की पहचान करना और उल्लेख करना और सीपीएसई के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा प्रबन्धन को समय से उपचारी कार्रवाई करने के लिए ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए अवसर प्रदान करना।
- सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के बाद सीएजी की लेखापरीक्षा के समय को कम करना।

तीन चरण लेखापरीक्षा के चरण-I और चरण-II कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के विस्तारित प्रावधान है। प्रथम दो चरणों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आपत्तियां प्रारंभिक आपत्तियां के रूप में मानी जाती हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत उप-निर्देशों के भाग के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षकों को सूचित की जाती हैं। लेखापरीक्षा का अंतिम चरण (चरण III) प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के बाद किया जाता है।

2.5 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.5.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

सीएजी ने वर्ष 2017-18 के लिए 386 कम्पनियों और तीन सांविधिक निगमों के लेखाओं की समीक्षा की।

वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरण 385 सरकारी कम्पनियों (59 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित), 155 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों (6 सूचीबद्ध

कम्पनियों सहित) तथा 03 सांविधिक निगमों से 30 सितम्बर 2018 तक प्राप्त हुए थे। इनमें से 289 सरकारी कम्पनियों और 97 सरकार द्वारा नियंत्रित कम्पनियों तथा 3 सांविधिक निगमों के लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

कुल मिलाकर सीएजी ने 30 सितम्बर 2018 तक प्राप्त लेखाओं में से 75 *प्रतिशत* सरकारी कम्पनियों और 63 *प्रतिशत* सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की समीक्षा की। समीक्षा के परिणाम के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

2.5.1.1 तीन चरणीय लेखापरीक्षा का परिणाम

87 सीपीएसई ***(परिशिष्ट XII)*** की तीन चरण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, सीपीएसई ने अनेक मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन किए थे जिसके कारण इनके वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

वर्ष 2017-18 के लिए इन सीपीएसई के वित्तीय विवरणों में तीन चरण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्द्धन नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

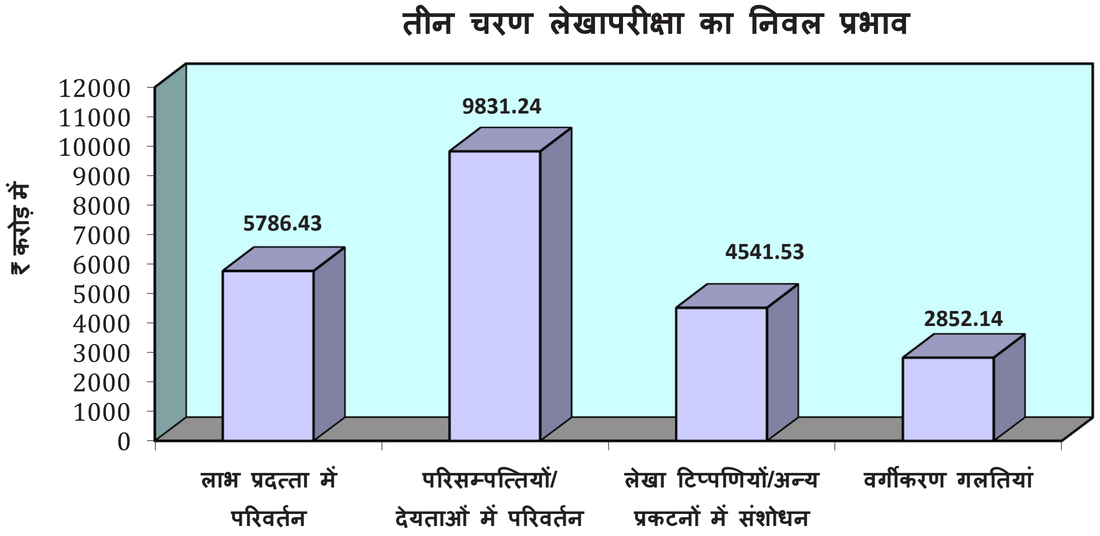

सीपीएसई जहाँ महत्वपूर्ण मूल्य वर्धन किया गयाः

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
2.	सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड

3.	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
4.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
5.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
6.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
8.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9.	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड
10.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
11.	मेज़ागनडॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड
12.	एमएसटीसी लिमिटेड
13.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
14.	नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड
15.	आयल और नेचुरल गैस निगम लिमिटेड
16.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
17.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
18.	राष्ट्रीयर सायन और उर्वरक लिमिटेड
19.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
20.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

2.5.1.2 वित्तीय विवरणों का संशोधन

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, 02 सरकारी कंपनियां और 01 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी ने वार्षिक सामान्य बैठक में इन कंपनियों के वित्तीय विवरण को रखने से पहले अपनी रिपोर्ट संशोधित की थी।

2.5.1.3 लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का परिशोधन

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, 29 सरकारी कंपनियां और 6 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों जैसा कि ***परिशिष्ट XIII*** में वर्णित है के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वार्षिक सामान्य बैठक में इन कंपनियों के वित्तीय विवरण को रखने से पहले अपनी रिपोर्ट संशोधित की थी।

2.5.1.4 सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुपूरक के रूप में जारी सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात, सीएजी ने चयनित सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। सीपीएसई की सूची, जिनके संबंध में टिप्पणीयों जारी की गई, ***परिशिष्ट XIV*** में दी गई है। सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखाओं पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जिनका लाभ प्रदत्ता पर वित्तीय प्रभाव ₹ 2,374.62 करोड़ और परिसंपत्तियों/ देयताओं पर ₹ 51,014.59 करोड़ था, को नीचे तालिका बद्ध किया गया है:

- **सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ**

लाभ प्रदत्ता पर टिप्पणी

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	व्ययों के तहत उसको अलग से प्रदर्शित करने के बजाय परिचालन से राजस्व उत्पाद शुल्क/वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में की कटौती के संबंध में राजस्व से परिचालनों के साथ-साथ व्यय ₹ 6.23 करोड़ कम बताया गया था जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के विपरीत था।
2.	आईएफसीआई लिमिटेड (एकल और समेकित वित्तीय विवरण)	यद्यपि, 2016-17 के दौरान, लेखांकन मानक-13 निवेश का लेखांकन का उल्लंघन के विषय मे बताया गया था, कंपनी ने विभिन्न नकारात्मक संकेतकों के बावजूद चार कंपनियों[29] के संबंध में गैर-चालू निवेश के मूल्य में कमी के प्रति ₹ 533.78 करोड़ का प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप गैर-चालू निवेश अधिक बताये गए, निवेश के मूल्य में कमी के प्रावधान कम बताये गए और ₹ 533.78 करोड़ से वर्ष के लिए हानि को कम बताया गया था। अशोध्य और संदिग्ध परिसंपत्तियों के साथ-साथ हानि के लिए प्रावधान को कम दर्शाया गया था और दीर्घ अवधि

[29] *जीटीएल इन्फ्रास्ट्रंचर लिमिटेड, आईएफसीआई फेक्ट्रस लिमिटेड, एथेना छत्तीसगढ़ पॉवर प्राइवेट लिमिटेड और विडियोकॉन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड*

		ऋण और अग्रिम ₹ 151.93 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था, निम्न के कारण: संदिग्ध श्रेणी के तहत समान को श्रेणीबद्ध करने के बजाय अवमानक के रूप में सितंबर 2013 में विडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिए गए ऋण का गलत वर्गीकरण जिसके परिणामस्वरूप ₹ 142.10 करोड़ का अल्प प्रावधान। नीसा लेशर लिमिटेड को जुलाई 2010 में दिए गए ₹ 30.02 करोड़ के बकाया ऋण हेतु ₹ 9.83 करोड़ का अल्प प्रावधान।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणीयां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	इंडएएस में परिवर्तन पर पूर्ण स्वामित्व भूमि के उचित मूल्य की अवधारणा और अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संबंध में मूल कीमत का चयनात्मक अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 29.96 करोड़ से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अन्य व्यापक आय को अधिक बताया गया।
2.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एकल और समेकित वित्तीय विवरण)	निष्पादन संबंधी वेतन की गणना करने में डीपीई दिशानिर्देशो के अननुपालन के परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय देनदारियों को अधिक बताया गया और ₹ 10.64 करोड़ से लाभ को कम बताया गया।

❖ **असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां**

लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड (2016-17)	एक विशिष्ट परियोजना के लिए प्राप्त अनुदानों के जमा पर अर्जित ब्याज की संगणना समान अनुदान खाते को क्रेडिट करने के बजाय आय के रूप में की गई जिसके फलस्वरूप वर्ष हेतु आय को अधिक, देयता के साथ-साथ हानि को ₹97.13 करोड़ तक कम बताया गया।

		अधिकतम भुगतान के बजाय वास्तव में आहरित भुगतान के आधार पर समावेशित कर्मचारियों के पेंशन योगदान को प्रभारित करने की वजह से व्ययों को ₹ 594.53 करोड़ तक कम बताया गया जिसके फलस्वरूप उक्त राशि तक प्रावधानों के साथ-साथ संचित हानि को कम बताया गया।
2.	सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को 2016-17 के दौरान उस समझौता ज्ञापन जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा विवादित था, के अनुसार परस्पर सहमत मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री बिल जारी करना जिसके फलस्वरूप संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान को कम बताया गया तथा व्यापार प्राप्यों के साथ-साथ लाभ को ₹ 126.16 करोड़ तक अधिक बताया गया।
3.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड	गैर-चालू परिसम्पतियों तथा लाभ को जनवरी 2018 में नेशनल कम्पनी विधि न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में कम्पनी के दावो के अस्वीकरण के बावजूद मै.यू.बी. इंजीनियरिंग लिमिटेड से निवल वयापार प्राप्यो के लिए कम प्रावधान की वजह से ₹ 4 करोड़ तक अधिक बताया गया।
4.	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (स्टैण्डअलोन तथा समेकित वित्तीय विवरण)	भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा महत्वपूर्ण लेखाकंन नीति के अनुसार उप-मानक के रूप में इसे वर्गीकृत करने के बजाय मानक के रूप में दो ऋण परिसम्पत्तियों[30] को व्यवहार जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.58 करोड़ तक परिचालनो से राजस्व का अधिक बताया गया तथा ₹ 32.28 करोड़ तक ऋण परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान को कम बताया गया। फलस्वरूप वर्ष हेतु हानि को ₹ 64.86 करोड़ तक कम बताया गया।
5.	इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल)	कैवर्न के परिचालन तथा अनुरक्षण पर ₹ 43.26 करोड़ का व्यय जो भारत सरकार से वसूली योग्य था तथा इसके प्रति भारत सरकार से ₹ 19.93 करोड़ की वसूली कम्पनी की बहियों में दर्ज नहीं थी। भारत सरकार से प्राप्यों के रूप में केवल ₹ 23.33 करोड़ की बकाया राशि दर्शाई गई थी।

---

[30] *एसेल अहमदाबाद गोदरा टोल रोड्स लिमिटेड (मूल - ₹ 198.14 करोड़ और अवास्तविक पहचानित ब्याज आय - ₹ 28.34 करोड़) और मदुरई तुतीकोरिन एक्सप्रेसवेज लिमिटेड (मूल - ₹ 138.16 करोड़ और अवास्तविक पहचानित ब्याज आय - ₹ 4.24 करोड़)।*

		सव्यंवहार कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानो तथा कम्पनी के मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन के अनुसार नहीं था। इसके अलावा, कम्पनी ने उपयुक्त अनुमोदन के बिना व्यय से संबंधित परिचालन तथा अनुरक्षण को पूरा करने में परियोजना/पूँजीगत प्रयोजन के लिए निर्मित निधियों को दूसरे काम पर लगाया।
6.	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	व्यय के साथ-साथ ठेकेदार देयता को अगस्त 2014 से फरवरी 2018 तक की समयावधि के लिए सवंर्धन बिल का लेखाकंन न होने की वजह से ₹ 1.93 करोड़ तक कम बताया गया।
7.	नेशनल हाइवे एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	मूल संस्वीकृत लागत के 9 *प्रतिशत* की बजाय वास्तविक लागत के 9 प्रतिशत की दर पर एजेंसी प्रभारो की बुकिंग होना जो दिनांक 29 मार्च 2017 के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्णय के विरूद्ध था इसके फलस्वरूप परिचालन से राजस्व को तथा लाभ को ₹ 2.92 करोड़ अधिक बताया गया। परिचालनों से राजस्व को अधिक बताया गया तथा अन्य चालू देयताओं को 3 प्रतिशत तक एजेंसी प्रभारो की अधिक बुकिंग की वजह से ₹ 2.27 करोड़ तक कम बताया गया था जो बटोट से किश्तवार स्ट्रेच तक एनएच-244 के पुन: स्थापन कार्य के पर्यवेक्षण हेतु सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग, डोडा, जम्मू को देय था।
8.	नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	कर कटने के पश्चात हानि को ग्रेच्यूटी के प्रति देयता को कम बताने की वजह से ₹ 72.28 करोड़ तक कम बताया गया था। कर कटने के पश्चात हानि को बीमा परियोजना के लिए एन्टरप्राइज आर्किटेक्चर सोल्यूशन के प्रति भुगतान जारी करने के बावजूद देयता का समायोजन न होने की वजह से ₹ 66.12 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
9.	न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	चालू देयताओं को आकस्मिक देयता के रूप में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा जुलाई 2011 से मार्च 2018 तक की समयावधि हेतु जल के लिए उठाए गए रायल्टी प्रभारो के प्रति बिलों की भाग राशि के लेखांकन की वजह से ₹ 20.13

		करोड़ तक कम बताया गया था। इसके फलस्वरूप लाभ को समान राशि तक अधिक बताया गया।
10.	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण)	पिछले वर्ष से संबंधित ₹ 227.68 करोड़ की पेंशन ट्रस्ट राशि में कमी के लिए प्रावधान को चूक के संशोधन के रूप में पिछले वर्ष की प्रतिधारित आय के प्रति समायोजित किया गया था परन्तु उक्त प्रावधान पर सृजित ₹78.80 करोड़ की आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को चालू वर्ष के लाभ तथा हानि खाते में क्रेडिट किया गया था। इसके फलस्वरूप चालू वर्ष के लाभ तथा आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को अधिक तथा पिछले वर्ष की प्रतिधारित आय तथा आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को ₹ 78.80 करोड़ तक कम बताया गया। आस्थगित कर देयताओं की संगणना करते समय स्थाई परिसम्पत्तियों के लिखित मूल्य में प्रगति पर पूंजीगत कार्य के गलत समावेश के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए आस्थगित कर परिसम्पत्तियों के साथ-साथ लाभ को ₹ 26.12 करोड़ तक कम बताया गया। ₹ 12.31 करोड़ तक संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान जिसे पिछले वर्ष के दौरान गलत प्रकार से सृजित किया गया था, प्रतिधारित आय के प्रति इसे समायोजित करने के बजाय लाभ तथा हानि खाते में क्रेडिट करके चालू वर्ष के दौरान वापस लिखा गया था जिसके फलस्वरूप लाभ को अधिक तथा ₹ 12.31 करोड़ तक प्रतिधारित आय को कम बताया गया था।
11.	टान्डा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में यह बताया गया कि विद्युत मंत्रालय ने ट्रांसमिशन योजना रद्द कर दी (फरवरी 2018) जिसके विकास के लिए कंपनी को निगमित किया गया था और चूंकि कंपनी को बन्द किया जाना था इसलिए गोइंग कन्सर्न बेसिस पर लेखे नहीं बनाए गए थे। यह भी कहा गया कि दिनांक 1 फरवरी 2018 की बैठक में कंपनी के बोर्ड निदेशकों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार खाता बहियों में परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के समायोजन हेतु लेखाकंन सव्यंवहार को धारण कंपनी के बोर्ड निदेशकों से लम्बित अनुमोदन को रोककर रखा था। उक्त प्रकटनो के

		बावजूद कंपनी ने गोइंग कन्सर्न बेसिस हेतु लागू भूतपूर्व लेखाकंन नीतियों को अपनाया जो सही नहीं था। बोर्ड निदेशकों को 15.5.2018 को यह सूचित करने कि चूंकि कंपनी की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को धारण कंपनी को हस्तांतरित करना था, अत: ₹ 1.58 करोड़ के प्रांरभिक सीडब्ल्यूआईपी को ₹ 1.54 करोड़ की राशि को धारण कंपनी की उधारियों के साथ हस्तांतरित/समायोजित किया गया था तथा चूंकि कंपनी को विमुक्त किया गया है, अत: उधारियों पर सीडब्ल्यूआईपी की अधिकता तथा ₹ 4.71 लाख की राशि के चालू वर्ष के व्ययों को लाभ तथा हानि के विवरण पर प्रभारित किया गया था, इसे वित्तीय विवरणों में प्रभावित नहीं किया गया था।
12.	तुगंभद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड (2016-17)	कंपनी ने परिसम्पत्तियों की बिक्री/हंस्तातरण के प्रति तथा इस पर असाधारण आय के रूप संगणित लाभ के प्रति ₹ 467.07 करोड़ की राशि के ब्याज को शामिल करते हुए भारत सरकार के ऋण को बट्टे खाते में डाला जो गलत था क्योंकि भारत सरकार ने केवल बट्टे खाते में डाली गई राशि की गणना की, किसी परिसम्प्ति की नहीं। इसके फलस्वरूप, वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों ने यथार्थ तथा स्पष्ट दृष्टिकोण परिलक्षित नहीं किया।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणियां
1.	आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्यूफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	भले ही वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ₹ 2.72 करोड़ के मूल्य की मशीनरी प्राप्त की गई थी, फिर भी व्यापार देयो के प्रति ₹ 2.17 करोड़ की अग्रिम राशि को समायोजित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यापार देयताओं तथा दीर्घावधि ऋणों एवं अग्रिमों को ₹ 2.17 करोड़ तक अधिक बताया गया।
2.	भारत संचार निगम लिमिटेड (2016-17)	1 अप्रैल 2015 तक ₹ 660.40 करोड़ के अंकित मूल्य वाली भूमि को पुन: मूल्यांकित किया तथा इसका उचित मूल्य ₹ 70,524.89 करोड़ तक निकाला गया। इसमें से,

		₹ 513.71 करोड़ के अंकित मूल्य के कम्पनी के पास शीर्षक/दस्तावेज भी नहीं थे अथवा भूमि की बिक्री/उपयोग पर प्रतिबंध था। भूमि के लिए बाजार दर जिसके सदंर्भ में या तो कोई शीर्षक/दस्तावेज उपलब्ध नहीं था या इसमें बिक्री/उपयोग पर प्रतिबंध था, को अपनाना क्रमानुसार नहीं था क्योंकि यह बाजार योग्य नहीं था। इसके फलस्वरूप, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के साथ-साथ प्रतिधारित आय को ₹ 42,769.43 करोड़ तक अधिक बताया गया। इसके अलावा, जैसा कि सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा टिप्पणी की गई अपनाई गई दर की शुद्धता, सूचना प्रस्तुत न होने, सत्यापित मूल्यांक द्वारा प्रस्तुत से भिन्न दर अपनाने, विभिन्न मूल्यांक को द्वारा अपनाई गई विभिन्न पद्धितियों की वजह से सुनिश्चित नहीं किया गया था।
3.	बॉयोटेक्नोलोजी इंडस्ट्री रिसर्च असिसटेंस काउंसिल	₹ 2.23 करोड़ की राशि जो इलेक्ट्रिकल इन्फोरमेशन एवं टेक्नोलॉजी मंत्रालय से वसूली योग्य थी, को चालू परिसम्पत्तियों के रूप में इसका लेखांकन करने की बजाय चालू देयताओं के तहत एक नकारात्मक आंकडे के रूप में संगणित किया गया था जिसके फलस्वरूप इस राशि द्वारा चालू देयताओं तथा चालू परिसम्पत्तियों दोनो को कम बताया गया।
4.	बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड	संयुक्त उद्यम भागीदार प्रमोटर से प्राप्त भूमि के मूल्य को अन्य इक्विटी के तहत इसे सम्मिलित करने के बजाय वित्तीय देयताओं में समावेशन के कारण ₹ 5.71 करोड़ तक अधिक बताया गया।
5.	डीएनएच पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	चालू देयताओं को दिनांक 26 अक्तूबर 2007 के विद्युत खरीद करार (पीपीए) के अनुसार कथित कंपनी द्वारा किए गए ₹ 8.90 करोड़ के दावे का भुगतान न होने की वजह से एनटीपीसी-सेल विद्युत कपंनी प्राइवेट लिमिटेड को देय ब्याज राशि के रूप में ₹ 5.34 करोड़ को शामिल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप हानि को ₹ 5.34 करोड़ तक कम बताया गया था।

6.	ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटैड	चालू परिसम्पत्तियों में अप्रैल 2013 को प्रदत्त सेवा कर के प्रतिदाय के प्रति वसूली योग्य दावो के रूप में ₹ 1.10 करोड़ सम्मिलित थे जिसके लिए आवेदन अप्रैल 2018 में दर्ज किया गया था। चूंकि भुगतान की तिथि से एक वर्ष की अनुबंधित अवधि के पश्चात आवेदन फाइल किया गया था अत: यह वसूली योग्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू परिसम्पत्तियों तथा लाभ को ₹ 1.10 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
7.	एचएमटी बियरिंग लिमिटेड	चालू देयताओं को वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार के ऋणों को बट्टे खाते में डालकर समायोजित न करने की वजह से ₹ 141.62 करोड़ तक अधिक बताया गया। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य इक्विटी' के नकारात्मक बकाया को ₹ 141.62 करोड़ तक अधिक बताया गया।
8.	इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड	अमूर्त संपत्ति तथा चालू देयताओं को चालू देयता के बजाय आकस्मिक देयता के रूप में मैंगलोर कैवर्न के लिए 48" पाइपलाइन के उपयोग करने के अधिकार के लिए मैंगलोर सेज लिमिटेड को देय बकाया राशि के लेखांकन की वजह से ₹ 24.18 करोड़ तक कम बताया गया।
9.	इरकॉन पीबीटॉलवे लिमिटेड	नकद तथा नकद समतुल्य में एक वर्ष की मूल मैच्योरिटी वाले बैंक के पास सावधि जमा के रूप में ₹ 20.00 करोड़ की राशि सम्मिलित थी जिसे इंडएएस 7 के प्रावधानों के अनुसार अन्य बैंक बकायों के तहत शामिल किया जाना चाहिए था।
10.	कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को भूमि की लागत के समावेश की वजह से ₹ 29.24 करोड़ तक अधिक बताया गया जोकि अपेक्षित नहीं था तथा जिसके लिए मामले को धन के प्रतिदाय के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ लिया गया था। इसके फलस्वरूप अन्य चालू परिसम्पत्तियों को कम बताया गया। उक्त का उपयुक्त प्रकटन भी नहीं किया गया। अन्य परिसम्पत्तियों को ट्राम लाइनों की शिफ्टिंग के प्रति पश्चिम बंगाल परिवहन निगम को प्रदत्त ₹ 5.00 करोड़ के

		तदर्थ अग्रिम तथा ओवरहैड ट्रैक्शन प्रणाली के साथ मौजूदा उपयोगिताओं के समावेश की वजह से अधिक बताया गया जिसे प्रगति पर पूँजीगत कार्य के तहत सम्मिलित किया जाना चाहिए था। रेल मंत्रालय से तद्नुसार प्राप्य वस्तुओं के साथ अधीनस्थ ऋण के तहत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इक्विटी योगदान की पहचान न होने के फलस्वरूप देयताओं के साथ-साथ परिसम्पत्तियों को ₹ 146.50 करोड़ तक कम बताया गया। संरेखण में परिवर्तन की वजह से ठेकेदार से एक दावे के प्रति देयता का लेखाकंन न होने की वजह से ₹ 77.25 करोड़ तक प्रगति पर पूँजीगत कार्य का तद्नुरूपी कम बताने के साथ अन्य चालू देयताओं को भी कम बताया गया। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रदत्त 38.50 एकड़ भूमि तथा ₹ 48 करोड़ तक भूमि अधिग्रहण के लिए प्राप्त निधियों को खातों में परिलक्षित नहीं किया गया। प्रबंधन ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ राशि का समेकन करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। इस संदर्भ में खातों में भी कोई प्रकटन नहीं किया गया।
11.	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	अन्य इक्विटी को कम बताया गया तथा प्रगति पर पूंजीगत कार्यो को पूर्व वर्षो में उद्यम को अस्तित्व में लाने में प्राथमिक व्ययो को प्रभारित न करनें तथा प्रगति पर पूंजीगत कार्यों में इसके लेखांकन की वजह से ₹ 5.01 करोड़ तक अधिक बताया गया।
12.	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	₹ 22.37 करोड़ की निर्धारित निधियों को नकद तथा नकद समतुल्य के तहत पृथक रूप से दर्शाया नहीं गया जोकि कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रावधानों के विरूद्ध था। नकद तथा नकद समतुल्य से ₹ 1.98 करोड़ की लघु अवधि की सावधि जमा राशि को निकाल दिया गया जिसे वास्तव में अन्य बैंक बकायो के तहत प्रदर्शित किया गया था।

13.	नेशनल हाइवे एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	अन्य चालू देयताओं को 2017-18 तक किए गए मरम्मत तथा अनुरक्षण, उपयोगिता शिफ्टिंग तथा अन्य कार्यों के लिए विभिन्न ठेकेदारों को देय राशि का समावेश न होने की वजह से ₹ 4.35 करोड़ तक कम बताया गया। इसके फलस्वरूप समान राशि द्वारा भारत सरकार की ओर से धारित परिसम्पत्तियों को कम बताया गया।
14.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	कंपनी द्वारा इन निवेशो के गलत द्विभाजन की वजह से ₹ 3018.06 करोड़ तक नीतिधारकों के निवेश को कम बताने सहित शेयरधारकों के निवेशो को अधिक बताया गया। इसी प्रकार, नीतिधारकों की निधियों को ₹ 458.69 करोड़ तक कम बताने के साथ शेयरधारकों की निधियों को अधिक बताया गया।
15.	ओएनजीसी पेट्रो एडिशनस लिमिटेड	व्यापार देयों में आयल एवं नैचुरल गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) को देय निम्नलिखित भुगतानों को शामिल नहीं किया: ₹ 30.20 करोड़ का प्रीमियम तथा वर्ष 2016-17 में समुद्र मार्ग के माध्यम से ओएनजीसी द्वारा आपूर्त नाफथा हेतु ₹ 81.50 करोड़ के निर्यात संबंधित व्ययों तथा लोडिंग प्रभार। 31 मार्च 2018 तक मीथेन की आपूर्ति के लिए ओएनजीसी को किए जाने वाले भुगतान की सगंणना हेतु गलत फार्मूला अपनाने की वजह से ₹ 46.82 करोड़ का कम भुगतान। नाफथा, इथेन, प्रोपेन एवं बूटेन की खरीद के लिए ओएनजीसी को अतिदेय भुगतानों पर ₹ 14.80 करोड़ के ब्याज के भुगतान हेतु देयता। फलस्वरूप, चालू देयता तथा हानि को ₹ 173.32 करोड़ तक कम बताया गया। प्रावधानों को दिसम्बर 2016 में सेमसंग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाए गए एक बीजक का लेखाकंन न होने की वजह से ₹ 10.41 करोड़ तक कम बताया गया। इसके फलस्वरूप, वर्ष हेतु हानि को ₹ 10.41 करोड़ तक कम बताया गया था।

		पूंजीगत अग्रिमों को सेमसंग इंजी.कॉ.लि., कोरिया को कवर करने के लिए बीमा की विस्तारण लागत की प्रतिपूर्ति का समावेश न होने की वजह से ₹5 करोड़ तक कम बताया गया जो वास्तव में इससे वसूली योग्य था। इसके फलस्वरूप संपत्तिएवं उपकरण को ₹ 5 करोड़ तक अधिक बताया गया। प्रगति पर पूंजीगत कार्य को उन समेकित जन उपयोगी सेवाओं एवं ऑफसाइट पैकेज के प्रति ₹ 641.91 करोड़ की राशि के समावेश की वजह से अधिक बताया गया था जिन्हें 31 मार्च 2018 तक उपयोग में लाया गया था। इसके फलस्वरूप संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को ₹ 641.91 करोड़ तक कम बताया गया।
16.	ओरिएन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (स्टैंडअलोन तथा समेकित वित्तीय विवरण)	कंपनी द्वारा इन निवेशों के गलत द्विभाजन की वजह से ₹ 2202.83 करोड़ तक शेयर धारको के निवेश को कम बताने सहित नीतिधारको के निवेश को अधिक बताया गया। इसी प्रकार, इसमें ₹ 836.30 करोड़ तक शेयरधारको की निधियों को कम बताने सहित नीतिधारकों की निधियों को अधिक बताया गया था।
17.	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण)	व्यापार देयो को कम बताया गया तथा वर्ष 2012-13 के उचित बिक्री मूल्य (एफएसपी) जो वर्ष 2014-15 हेतु एफएसपी से अधिक था जिसे 2016-17 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया।पर वर्ष 2014-15 के लिए सिक्को की बिक्री की बुकिंग की वजह से दर भिन्नता होते हुए ₹ 44.85 करोड़ के प्रावधान का समावेश न होने की वजह से प्रतिधारक आय को अधिक बताया गया यद्यपि सांविधिक लेखापरीक्षक ने पिछले वर्ष की अपनी उक्त रिपोर्ट में टिप्पणी की थी, तथापि सांविधिक लेखापरीक्षक ने चालू वर्ष के लिए एक असंशोधित रिपोर्ट जारी की। अत: सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में यह कमी थी।
18.	सिडकूल कॉनकॉर इन्फ्रा कंपनी	नकद तथा नकद समतुल्य में ₹ 12.76 करोड़ की राशि सम्मिलित थी जो एक वर्ष की मूल मेच्योरिटी वाले बैंक के

	लिमिटेड	पास सावधि जमा था तथा इसलिए इसे इंडएएस 7 के प्रावधानों के अनुसार अन्य बैंक बकायों के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए था।

प्रकटन पर टिप्पणी

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणीयां
1.	अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वर्ष 2016-17 के लेखाओं की लेखापरीक्षा के समय प्रबंधन द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का यह पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज, कि वह स्व-बीमा नीति के माध्यम से उपग्रहणों के प्रक्षेपण हेतु ठेकों के लिए तीसरी पार्टी की देयता का वहन करेंगे, न तो प्राप्त हुआ था और न ही स्व-बीमा निधि के अननुरक्षण से संबंधित तथ्यात्मक स्थिति को लेखा टिप्पणीयों में प्रकट किया गया था।
2.	भारत संचार निगम लिमिटेड	दूर संचार विभाग द्वारा लगाए गए ग्राहक अधिग्रहण फॉर्म शास्ति की ₹ 34.73 करोड़ की राशि को न तो पुष्ट देयता के रूप में प्रकट किया गया था और न ही आकस्मिक देयता में शामिल किया गया था।
3.	बायोटैक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एसिस्टैंस काउंसिल	नकद और नकद समकक्षों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए मंत्रालय से प्राप्त निधियों के ₹ 66.82 करोड़ शामिल थे जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की अपेक्षाओं के अनुसार इसे अलग से दर्शाने की बजाय बचत खाते और सावधि जमा के रूप में दर्शाया गया था। नकद प्रवाह विवरण में प्रचालन कार्यकलाप से नकद में ₹ 10.13 करोड़ कम बताए गए और इसी राशि तक नकद तथा नकद समकक्ष के अंत शेष में अधिक बताया गया। इसके अलावा, लेखाकंन मानदंड 3के अनुसार प्रकटन अपेक्षाओं का भी पालन नहीं किया गया था।
4.	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	कंपनी ने प्रति शेयर आय, मूल तथा मंदित आय को प्रकट नहीं किया था जो इंड लेखांकन मानदंड 33 के प्रावधानों के उल्लंघन में था।

		कंपनी ने वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में अध्यक्ष और निदेशकों का मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रूप में खुलासा नहीं किया था जो इंडएएस-24 के प्रावधानों का उल्लंघन था। इसके अलावा, उन अधिकारियों के नाम का भी खुलासा नहीं किया गया था जो वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधन कार्मिक थे परन्तु जिन्होने वर्ष की समाप्ति से पूर्व कार्यालय छोड़ दिया था।
5.	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	विद्युत आपूर्तिकर्ता को दिए गए ₹ 1.17 करोड़ के शास्ति ब्याज को प्रचालन कार्यकलापों से प्राप्त नकद के अंतर्गत शामिल करने की बजाय वित्तीय कार्यकलापों से प्राप्त नकद के तहत् शामिल किया गया था।
6.	इंजीनियरिंग परियोजनाएं (भारत) लिमिटेड	ठेकेदार से वसूलीयोग्य के रूप में दर्शाई गई ₹ 43.06 करोड़ की राशि के संबंध में कपंनी ने यह प्रकट नहीं किया कि वर्ष के दौरान ठेका समाप्त कर दिया था और कंपनी पर ₹ 81.96 करोड़ का विवाचन दावा दायर किया गया था जिसके प्रति कंपनी ने भी ₹ 146.71 करोड़ का काउंटर दावा किया था। इसके अलावा, इस संबंध में ग्राहक के साथ एक के बाद एक ठेका करने के बावजूद ग्राहक से इस राशि की वसूली नहीं की गई और इसें ठेकेदार से वसूलीयोग्य के रूप में दर्शाया गया था।
7.	एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण)	चूंकि कंपनी के प्रचालनों को बंद करने के कैबिनेट के निर्णय के आधार पर सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृति दे दी गई और अंतिम निपटान किया गया था, अत: ग्रेच्युटी ट्रस्ट में पड़ी ₹ 1.90 करोड़ की राशि को गैर-चालू देयताओं के तहत नकारात्मक आंकड़े दर्शाने की बजाय चालू परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। आकस्मिक देयताओं में ₹ 30.22 करोड़ को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को देयताओं के विलंबित भुगतान पर दांडिक ब्याज के कारण शामिल नहीं किया गया था।
8.	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	नकद प्रवाह विवरण नकद एवं नकद समकरणों, कर पूर्व निवल लाभ, असाधारण मदों तथा अन्य वित्तीय देयताओं को गलत रूप से दर्शाने के कारण त्रुटिपूर्ण था।

9.	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखांकन मापदंड 1 के प्रावधानों के विपरीत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया था।
10.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	लेखांकन मापदंड-20 के अंतर्गत यथा अपेक्षित आय प्रति शेयर को वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया गया था। सेवा लागत को पिछली सेवा लागत और मौजूदा सेवा लागत के रूप में अलग से नहीं दर्शाया गया था जो लेखांकन मापदंड-15 के अनुसार अनिवार्य है।
11.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण)	निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह को ₹ 3,235.42 करोड़ तक कम बताया गया था और प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह को उसी राशि तक अधिक बताया गया था। वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह में ₹ 1,794.08 करोड़ के वास्तविक नकद प्रवाह के बजाय ₹ 1,854.36 करोड़ का भुगतान किए गए ब्याज का 2017-18 का नकद प्रवाह शामिल था। ₹ 60.28 करोड़ के अंतर को वित्तीय कार्यकलापों के नकद प्रवाह के तहत इसे अलग से दर्शाने की बजाय प्रचालन कार्यकलापों के नकद प्रवाहों और वित्तीय कार्यकलापों के नकद प्रवाहो में समायोजित किया गया था।
12.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	कंपनी ने ब्याज/शास्ति की राशि प्रकट किए बिना आय कर और सेवाकर की विवादित देयताओं के आधार पर ₹ 9,155.39 करोड़ की राशि को प्रकट किया था जिसे विभिन्न सांविधियो के अंतर्गत उद्ग्रहीत किया जा सकता था।
13.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण)	वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए कुओं और अमूर्त परिसंपत्तियों की मरम्मत की लागत की ₹ 346.52 करोड़ की राशि की चूक के कारण निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह को अधिक बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप इसी राशि तक प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाहों को कम बताया गया था। प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाहों में (पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े) कंपनी ने इसे कम करने की बजाय

		प्रचालन लाभ में ₹ 136.85 करोड़ की राशि तक सहायक कंपनियों द्वारा इक्विटी शेयरों की आंशिक वापसी-खरीद पर लाभ को जोड़ दिया जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के प्रचालन कार्यकलापों के नकद प्रवाहों को ₹ 273.70 करोड़ तक अधिक बताया गया था। प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाहों में (पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े) कंपनी ने ब्याज आय के आधार पर पिछले वर्ष के लाभ से ₹ 57.16 करोड़ की बजाय ₹ 25.77 करोड़ की कटौती की थी जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाहों को ₹ 31.39 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
14.	सेलराईटस बंगाल वैगन प्राइवेट लिमिटेड	भारतीय इस्पात प्राधिकरण से 33 वर्षो की अवधि हेतु ली गई भूमि के लिए इंडएएस 17 के तहत आवश्यक प्रकटन नहीं दिया गया था। कंपनी ने प्रचालन पट्टा के संबंध में कोई लेखांकन नीति नहीं बनाई थी।
15.	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	नकद प्रवाह विवरण में निम्नलिखित कमियां थी: पूर्व अवधि की मदों, विवादित दावों और मूल्यह्रास के ₹ 84.53 करोड़ में अन्य समायोजनों के धारित आय के प्रति समायोजित किया गया था परन्तु प्रचालन कार्यकलापों से सृजित नकद की गणना करते समय नकद प्रवाह विवरण में वर्ष के लाभ से उसकी कटौती नहीं की जानी थी। विदेशी विनिमय उतार-चढ़ाव से प्राप्त ₹ 4.71 करोड़ को कर पूर्व बुक लाभ से कम नहीं किया गया था। अन्य गैर-प्रचालन आय के ₹ 31.42 करोड़ को प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह की गणना करते समय कर पूर्व बुक लाभ से कम नहीं किया गया था।
16.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (2016-17)	कंपनी ने टिप्पणियों में बताया कि भारत सरकार से ऋण और उस पर ब्याज के ₹ 467.07 करोड़ को भारत सरकार द्वारा कंपनी की अचल परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने के अधिकार की धारणा के बदले लेखाबहियों में बट्टे खाते में डाला गया था इस तथ्य पर ध्यान न देते हुए कि कंपनी इस अधिकार को भारत सरकार को हस्तांतरित नहीं कर सकती थी क्योंकि यह भूमि कर्नाटक सरकार द्वारा दिसंबर 1973 में इस शर्त के साथ दी गई थी कि कंपनी इस भूमि को

		केवल उस उद्देश्य हेतु रख सकती है जिसके लिए यह अधिगृहित की गई थी अर्थात व्यवसाय करने के लिए और इस शर्त के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप कर्नाटक सरकार द्वारा इस पर निर्मित भवन सहित भूमि को पुनर्ग्रहण कर लिया जाएगा।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणियां
1.	सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड	कंपनी ने प्रतिवाद के अंतर्गत सांविधिक देयताओं की विवादित मांग के आधार पर ₹ 832.90 करोड़ की राशि जमा कराई थी। तथापि, इस तथ्य की सूचना लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में नहीं दी गई थी जो कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) के आदेश पर मार्गदर्शन टिप्पणी, 2016 के अनुरूप नहीं था।
2.	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में लेखापरीक्षक का विवरण कि जोखिम निर्धारण करने में, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाईन करने के लिए विचार किया गया परन्तु इस पर मत व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं कि क्या कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियत्रंण प्रणाली है तथा ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावकारिता कम्पनी की (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) विनियमावली 2014 के नियम 10(ए) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(i) के परस्पर विरोधी था जिसमें लेखापरीक्षकों को पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा इसकी परिचालन प्रभावकारिता की मौजूदगी के विषय में बताना अपेक्षित है।
3.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण)	विवादित सांविधिक देयो पर रिपोर्टिंग करते समय सांविधिक लेखापरीक्षकों ने विवादित ब्याज तथा शास्ति पर रिपोर्ट नहीं की।
4.	रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कन्स्ट्रक्शन	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के पैराग्राफ 3 तथा 4 में निर्दिष्ट प्रत्येक मामलों पर टिप्पणी निहित नहीं थी तथा एक सामान्य

	कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड	विवरण देने के अलावा कंपनी पर लागू आदेश के पैराग्राफ 3 तथा 4 में निर्दिष्ट होने हेतु ऐसा कोई मामला नहीं था।
5.	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण)	रिपोर्ट मेंऐसे मामले जिसे कंपनी के वित्तीय विवरण में बताया नहीं गया है,को इंफासिस ऑफ मैटर पैरा समेकित किया गया जो कि लेखापरीक्षण मापदंड 706 के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था। इसके अलावा,कथित मानक की आवश्यकता के अनुसार इस कथन कि "लेखापरीक्षक मत इंफासिस ऑफ मेटर के संदर्भ में संशोधित नहीं है" को इंफासिस ऑफ मेटर पर जोर देने में सम्मिलित नहीं किया गया।
6.	टान्डा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	वित्तीय कथनों पर टिप्पणियों में यह कहा गया कि कपंनी का प्रमुख व्यवसाय अब अस्तित्व में नहीं था तथा कंपनी बन्द हो रही है। हालांकि, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में गोइंग कन्सर्न से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता के संदर्भ में पृथक भाग शामिल नहीं था जो लेखापरीक्षण मापदंड 570 के प्रावधानों के विरूद्ध था।
7.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड (2016-17)	लेखापरीक्षकों ने यह सूचित किया कि कंपनी ने भारत सरकार को देय अनुसार अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री आय नहीं दर्शाई थी जोकि गलत था क्योंकि दिनांक 18.1.2018 के पत्र द्वारा भारत सरकार ने कथित बिक्री आय से सभी सत्त्वों के लिए कंपनी द्वारा किए गए दावों/देयताओं का निपटान करने का निर्देश दिया था। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कर्नाटक सरकार द्वारा भारत सरकार को कंपनी के लिए दी गई भूमि की गैर-हस्तांतरणीयता के संदर्भ में तथ्यात्मक स्थिति वर्णित नहीं की।

असूचीबद्ध सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियाँ

लाभप्रदता पर टिप्पणी

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणीयां
1.	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	अन्य चालू परिसंपत्तियों में प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों के कमीशन तथा ब्रोकेज के प्रति ₹1.21 करोड़ की राशि शामिल थी जिसे

		कंपनी की नीति के विपरीत 2015-16 से परिशोधित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'पूर्व अवधि व्यय' को कम तथा 'अन्य चालू परिसम्पत्तियों' एवं 'कर से पूर्व लाभ' को ₹ 1.21 करोड़ तक अधिक बताया गया।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1.	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2010-11 से 2015-16 के दौरान अन्य आय के रूप में लेखांकन की बजाय पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में अनपयुक्त/अधिशेष निधि पर अर्जित ब्याज के रूप में ₹ 90.63 करोड़ के लेखांकन के फलस्वरूप अन्य आय, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और अन्य इक्विटी को ₹ 90.63 करोड़ तक कम बताया गया। इसके फलस्वरूप, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण पर मूल्हास को भी कम बताया गया जोकि डाटा की अनुपलब्धता की वजह से गणना नहीं की जा सकी।
2.	चेन्नई एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	चालू देयताओं तथा प्रगति पर पूंजीगत कार्य को एन्नोर-मनाली रोड सुधार परियोजना के संबंध में पुन: निपटान लागत में वृद्धि के प्रति तमिलनाडु स्लम क्लियरेंस बोर्ड को देय राशि का लेखांकन न करने की वजह से ₹ 48.82 करोड़ तक कम बताया गया था।
3.	दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण)	प्रदत्त ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा तथा इसका उचित मूल्य जिसे पूर्व प्रदत्त व्ययो के रूप दर्शाया जाना था,के बीच भिन्नता को गलती से अमूर्त परिसम्पत्ति के रूप में बुक किया गया जिसके परिणामस्वरूप अमूर्त परिसम्पत्ति को अधिक तथा पूर्व प्रदत्त व्ययो को ₹ 110.43 करोड़ तक कम बताया गया था। कंपनी ने इंडएएस 16 तथा कंपनी की लेखाकंन नीति संख्या 1.2.3.(ए) के तहत अपेक्षित रूप में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर परिसम्पत्तियों के अवशिष्ट मूल्य तथा उपयोगी काल की कोई समीक्षा नहीं की।

4.	मुम्बई एविएशन फ्यूल फार्म एवं फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	ईंधन के डेड स्टॉक को परिचालन ईंधन के रूप में 902 केएल के डेड स्टॉक ईंधन के रूपान्तरण का लेखाकंन न होने की वजह से ₹ 4.30 करोड़ तक अधिक बताया गया जिसके कारण गैर-चालू परिसम्पत्तियों को अधिक तथा चालू परिसम्पत्तियों को ₹ 4.30 करोड़ तक कम बताया गया था।
5.	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	व्यापार देयो में ₹ 4.20 करोड़ की राशि सम्मिलित थी जिसे ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक ठेकेदार को देय रूप में दर्शाया गया था, यद्यपि ठेकेदार ने पहले ही यह पुष्टि कर दी थी कि इसने कंपनी से सभी देय भुगतान प्राप्त कर लिए थे तथा कथित ठेके के तहत जो भी लम्बित था उसका दावा नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप व्यापार देयो तथा संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर प्रत्येक को ₹ 4.20 करोड़ तक अधिक बताया गया।

प्रकटन पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1.	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	केन्द्र सरकार ने 29 मार्च 2018 को ग्रेच्यूटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के भुगतान को अधिसूचित किया तथा कर्मचारियों को देय ग्रेच्यूटी की राशि की सीलिंग में ₹ 10 लाख से ₹ 20 लाख तक की वृद्धि। हालांकि, कंपनी ने कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी के भुगतान के लिए प्रावधान से सृजन हेतु सीलिंग राशि में वृद्धि पर विचार नहीं किया। लेखों की टिप्पणियों में लेखांकन मानक 15 के अपेक्षित परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजना परिसंपत्तियों, लाभ तथा हानि विवरण में स्वीकृत कुल व्ययों, प्रोद्भूत आवधारणाओं के साथ प्रोदभूत लाभ तथा हानियां आदि जैसी परिभाषित लाभ योजनाओं के संदर्भ में प्रकटन शामिल नहीं थे। उक्त अननुपालनों को सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा उनकी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में भी सूचित नहीं किया गया था।
2.	नबकिसन फाइनेंस लिमिटेड	कंपनी ने नकद आधार पर प्रसंस्करण ऋणों के लिए ग्राहक से संग्रहित अपफ्रन्ट/प्रसंस्करण फीस से आय को मान्यता दी जो प्रोद्भूत की मूल लेखांकन अवधारणा के विरूद्ध था। इसे

		महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों में प्रदर्शित नहीं किया गया जोकि लेखांकन मानक-1 के प्रावधानों का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियां

क्र.सं	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1.	दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण)	• सांविधिक लेखापरीक्षक ने कम्पनी) लेखापरीक्षक रिपोर्ट (आदेश 2016 पर मार्गदर्शन टिप्पणी के पैरा 5 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जो यह बताता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का भाग बनेंगी। • सांविधिक लेखापरीक्षक ने स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में गलत तरीके से यह सूचित किया कि कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं थी, तथापि कंपनी के पास 31 मार्च 2018 तक ₹ 158. 16करोड़ के मूल्य की संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण थे जिसमें अचल परिसम्पत्तियां भी शामिल थी।

2.5.2 सांविधिक निगम जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है

सांविधिक निगम जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है,के संबंध में सीएजी द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के विवरण नीचे दर्शाये गये है:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

(i) एएआई द्वारा कार्गो परिचालनो तथा ₹ 49.34 करोड़ की राशि के इसके तद्नुरूपी संचित मूल्यह्रास से संबंधित सभी सेगमेंट परिसम्पत्तियों को एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसिज कम्पनी लिमिटेड को स्थानांतरित किया गया था। हालांकि, इन परिसम्पत्तियों को मई 2006 में पहले ही दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डीआईएएल) को हस्तांतरित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप मूर्त परिसम्पत्तियों तथा संचित मूल्यह्रास को ₹ 49.34 करोड़ तक कम बताया गया।

(ii) 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में बताने के बावजूद, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने संयुक्त उद्यमो अर्थात् दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) तथा मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) के लिए प्रोदभूत राजस्व तथा संबंधित परिचालन, प्रबंधन तथा विकास करार के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित राजस्व के शेयर की यथार्थता सत्यापित करने के लिए मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। संबंधित अभिलेखों के अभाव में, डीआईएएल तथा एमआईएएल से प्राप्त ₹ 3,092.19 करोड़ के राजस्व की यथार्थता पर ध्यान नहीं दिया जा सका।

(iii) आकस्मिक देयताओं (ऋणों के रूप दावे जिन्हे स्वीकार नहीं किया गया) को निम्नलिखित का प्रकटन न करने की वजह से ₹ 556.59 करोड़ तक कम बताया गया:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	प्राधिकरण के अधिकृत क्षेत्र के तहत 43.49 एकड़ की इन्टर्मिटन्ट भूमि के भाग के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जयपुर द्वारा मांग की गई राशि	246.40
2.	नई दिल्ली निगम परिषद फायर स्टेशन, रनवे, डब्ल्यू/टी स्टेशन तथा सफदरजंग एयरपोर्ट पर अन्य प्राधिकरणों/निकायों द्वारा कब्जे में लिए गए क्षेत्र पर संपत्ति कर की मांग की	258.58
3.	रक्षा मंत्रालय द्वारा 56.78 एकड़ भूमि जिसे इन्दिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली हेतु लिया गया था के लिये मांग	51.61
	जोड़	**556.59**

2.6 लेखाकरण मानकों/इंडएएस के प्रावधानों का अननुपालन

कथित अधिनियम की धारा 129 (1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से, केन्द्र सरकार ने लेखाकंन मानक 1 से 7 तथा 9 से 29 निर्धारित किए। इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखाकंन मानक) नियमावली, 2015 तथा कंपनी (भारतीय लेखाकंन मानक)

(संशोधन) नियमावली, 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखाकंन मानक (इंडएएस) अधिसूचित किए।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि ***परिशिष्ट-XV*** में ब्यौराबद्ध 14 कम्पनियों ने अनिवार्य लेखाकंन मानकों/इंडएएस का पालन नहीं किया।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, सीएजी ने यह पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने अनिवार्य लेखाकंन मानकों/इंडएएस का अनुपालन नहीं किया था जिन्हें उनके सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दर्शाया नहीं गया था:

लेखाकंन मानक/इंडएएस		कंपनीकानाम	विचलन
एएस 1	लेखांकन नीतियों का प्रकटन	नबकिसान फाइनेंस लिमिटेड	ग्राहकों से अपफ्रन्ट/प्रसंस्करण फीस को इसका प्रकटन किए बिना नकद आधार पर संगणित किया गया था।
		नेशनल हेंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों को शामिल नहीं किया गया।
एएस 12	सरकारी अनुदानों का लेखांकन	बायोटेक्नोलाजी कल इंडिस्ट्रिज रिसर्च एसिसटेंस कांउसिल	आय शीर्ष के तहत इसे प्रकट करने के बजाय अतिरिक्त मदों के रूप में ₹ 40.57 लाख की मूल्यह्रास राशि को वापिस जोड़ा गया।
एएस 13	निवेशो का लेखांकन	आईएफसीआई लिमिटेड	गैर-चालू निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान न होने/अपर्याप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप गैर चालू निवेशों को ₹ 533.78 करोड़ तक अधिक बताया गया।
एएस 15	कर्मचारी लाभ	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	लेखों पर टिप्पणियों में परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में विभिन्न प्रकटन शामिल नहीं थे।
एएस 20	प्रति शेयर आय	नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	प्रति शेयर आय को दर्शाया नहीं गया

इंडएएस 101	भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार प्रयोग करना	हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड	कम्पनी ने चयनित रूप से केवल फ्रीहोल्ड भूमि के उचित मूल्यांकन का प्रयोग किया।
		हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	कंपनी ने अपने सूचित नकद प्रवाह पर इंडएएस को पिछले सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों (जीएएपी) से सव्यवंहार के प्रभाव का वर्णन नहीं किया। कंपनी ने कुल व्यापक आय विवरण के समेकन तथा इंडएएस से गुजरने पर लाभ तथा हानि खाते के लिए सामग्री समंजन पर पर्याप्त विवरण प्रदान नहीं किया। कंपनी ने इक्विटी के समंजन तथा इंडएएस से गुजरने पर तुलन पत्र में सामग्री समायोजन पर पर्याप्त विवरण प्रदान नहीं किया।
इंडएएस 105	बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों तथा बन्द किए गए परिचालन	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	कंपनी ने गैर चालू परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, बिक्री के तथ्य तथा परिस्थिति और पहचाना गया लाभ/हानि जैसे प्रकटन नहीं दिए।
इंडएएस 7	नकद प्रवाह का विवरण (स्टैण्डअलोन तथा समेकित वित्तीय विवरण)	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	कंपनी ने नकद तथा नकद समतुल्य के घटक प्रस्तुत नहीं किए। तुलन पत्र में सूचित समान मदों के साथ नकद प्रवाह के विवरण में राशि के समेकन को भी प्रकट नहीं किया।
		इंरकान पीबी टॉलवे लिमिटेड	नकद तथा नकद समतुल्य में एक वर्ष की वास्तविक मैच्योरिटी वाले बैंक के साथ सावधि जमा शामिल था।

		सेल राइट्स बंगाल वैगन प्राइवेट लिमिटेड	नकद तथा नकद समतुल्य में एक वर्ष की वास्तविक मैच्योरिटी वाले बैंक के साथ सावधि जमा शामिल था।
		सिडकूल कॉनकॉर इन्फ्रा कंपनी लिमिटेड	नकद तथा नकद समतुल्य में एक वर्ष की वास्तविक मैच्योरिटी वाले बैंक के साथ सावधि जमा शामिल था।
इंडएएस 8	लेखाकंन नीतियां, लेखाकंन आकलनो में परिवर्तन एवं त्रुटियां	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पिछले वर्ष की प्रतिधारित आय के प्रति पिछले वर्ष के दौरान गलती से सृजित ₹12.31 करोड़ के संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान को समायोजित करने के बावजूद, इसे लाभ तथा हानि खाते में अन्य आय के रूप में संगणित किया गया था।
		शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जब एक नया इंडएएस जिसे जारी किया गया है परन्तु अभी प्रभावी नहीं हुआ है, तब सत्व यह तथ्य तथा संभावित प्रभाव का निर्धारण करने से संबंधित जानकारी या उचित रूप से आकलन योग्य सूचना प्रस्तुत करेगा। यह नहीं किया गया।
इंडएएस 10	तुलन पत्र तिथि के पश्चात होने वाले मामले	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कंपनी ने तुलन पत्र तिथि के पश्चात पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में ₹ 13.45 करोड़ की इक्विटी लगाई जिसे प्रकट नहीं किया गया।
इंडएएस 16	संपति, संयंत्र तथा उपकरण	दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य तथा उपयोगी काल की समीक्षा नहीं की गई।

इंडएएस 19	कर्मचारी लाभ	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	कंपनी ग्रेच्यूटी अधिनियम, 1972 के भुगतान के आवेदन जैसी अनिवार्य प्रकटन आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया जिसके जोखिम में कंपनी को वर्ष के दौरान ऐसे आवेदन, संशोधन, संवेदात्मकता विश्लेषण तथा कंपनी के आगामी नकद प्रवाह पर परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रभाव की वजह से उजागर नहीं किया गया।
इंडएएस 24	संबंधित पार्टी प्रकटन	बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड	इंड लेखाकंन मानक के अनुसार पूर्ण प्रकटन नहीं किया गया।
		हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	कंपनी ने विभिन्न प्रकटन आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया।
इंडएएस 33	प्रति शेयर आय	बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड	प्रति शेयर आय को प्रकट नहीं किया गया।
इंडएएस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	कंपनी की लेखाकंन नीति कि आकस्मिक परिसंपत्ति को सामान्य तौर पर न तो स्वीकृत किया गया न ही प्रकटन किया गया जोकि इंडएएस 37 के प्रावधानों का उल्लंघन था।
		राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	कंपनी ने ₹ 46.92 करोड़ की आकस्मिक देयता की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण प्रदान नहीं किया।
इंडएएस 38	अमूर्त परिसंपत्ति	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	₹ 15.89 करोड़ के अग्रिम पट्टा किराए को पूंजीगत अग्रिमो के बजाय अन्य अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.7 प्रबन्धन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और निगम इकाई के अभिशासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से व्युत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर संवाद स्थापित करना है।

पीएसई के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आपत्तियाँ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में सूचित की गई थीं। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताएं अथवा त्रुटियाँ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से प्रबन्धन को भी बताई गई थी। यह त्रुटियां सामान्यतया निम्नलिखित से संबंधित थीः

- लेखाकंन नीतियों और प्रथाओं को लागू करना और व्याख्या करना,
- लेखापरीक्षा से उद्भूत समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सके; और
- कतिपय सूचना की अपर्याप्तता या अप्रकटीकरण जिस पर संबंधित पीएसई के प्रबन्धन ने यह आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा 98 सीपीएसई को 'प्रबंधन पत्र' जारी किए गए ***(परिशिष्ट XVI)***।

अध्याय III

निगमित अभिशासन

3.1 निगमित अभिशासन

3.1.1 कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा शामिल प्रावधान

कम्पनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करते हुए 29 अगस्त 2013 को कम्पनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रबन्धन और प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता, निदेशक बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां और लेखे को कम्पनी नियमावली 2014 में अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया था। कम्पनी नियमों के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 निगमित अभिशासन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते है। जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित का प्रावधान है:

- व्यवसायिक आचरण के लिए कर्तव्यों और दिशानिर्देशों के साथ स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यताएं कंपनी (निदेशको की नियुक्त, योग्यता) नियम 2014 के नियम 5 के साथ धारा 149(6) को पढ़ा जाए।
- सूचीबद्ध कम्पनियों {धारा 149 (1)} के बोर्ड पर एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति।
- निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति {धारा (135)}, लेखापरीक्षा समिति {धारा 177(1)}, नामांकन और पारिश्रमिक समिति {धारा 178(1)}, और पणधारक संबंध समिति {धारा 178(5)} जैसी कुछ समितियों का अनिवार्य रूप से गठन।
- प्रति वर्ष निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस तरीके से निर्धारित की जानी है कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिन से अधिक का अन्तराल नहीं होगा {धारा 173(1)}।

3.1.2 निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देश

कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियमन के साथ,भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 को संशोधित किया (अप्रैल और सितम्बर 2014) ताकि उसे कम्पनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट निगमित अभिशासन प्रावधानों के साथ संरेखित किया जा सके।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने पुराने प्रावधानों को निरस्त करके सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 जो 1 दिसम्बर 2015 से लागू हुई, को अधिसूचित किया (2 सितम्बर 2015)।

सेबी ने (13 अक्टूबर 2015) सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए एक एकीकृत सूचीबद्ध करार प्रपत्र जारी किया जिसके द्वारा सभी सूचीबद्ध कम्पनियों को सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये विनियम 22 दिसम्बर 2015, 25 मई 2016, 8 जुलाई 2016, 4 जनवरी 2017 और 15 फरवरी 2017 को संशोधित किए गए थे।

3.1.3 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों को शामिल करने पर नवम्बर, 1992 में निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। डीपीई ने निदेशक मण्डल में स्वंत्रत निदेशकों को शामिल करने के लिए नवम्बर, 2001 में पुनः दिशानिर्देश जारी किए। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के कार्यचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार ने जून, 2007 में सीपीएसई के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश स्वरूप में स्वैच्छिक थे। इन दिशानिर्देशों को एक वर्ष की प्रयोगात्मक अवधि के लिए लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर, मई 2010 में डीपीई दिशानिर्देशों को आशोधित करने एवं पुनः जारी करने का निर्णय लिया गया था। इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाया गया और ये सभी सीपीएसई के लिए लागू किए गए हैं। डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निदेशक बोर्ड के संयोजन, बोर्ड समितियों के संयोजन एवं कार्य जैसे लेखापरीक्षा समिति क्षतिपूर्ति समिति, सहायक कम्पनियों का विवरण, उदघोषणाएं, रिपोर्टों

और कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम के क्षेत्र कवर होते हैं। इस अध्याय में डीपीई दिशानिर्देशों के सभी संदर्भ मई, 2010 में जारी डीपीई दिशार्निदेशों से संदर्भित है जो सभी सीपीएसई के लिए अनिवार्य है। डीपीई ने सभी सीपीएसई के एमओयू में निष्पादन पैरामीटर के रूप में निगमित अभिशासन को भी शामिल किया है। जहां तक सूचीबद्ध सीपीएसई का संबंध है, वहां उन्हें डीपीई दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों/विनियमन के अनुपालन के अतिरिक्त निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

3.1.4 चयनित सीपीएसई द्वारा निगमित अभिशासन प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2018 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 644 केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) थे। सीपीएसई को अधिक स्वायतत्ता प्रदान करने की सरकार की नीति के संदर्भ में निगमित अभिशासन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महारत्न योजना के अन्तर्गत, सीपीएसई से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों को बढाने और वैश्विक पहचान बनाने की उम्मीद की जाती है जिसके लिए प्रभावी निगमित अभिशासन अत्यावश्यक है।

समीक्षा के उद्देश्य से, कम्पनी अधिनियम 2013 में निहित प्रावधानों, सेबी द्वारा जारी (अप्रैल तथा सितम्बर 2014) दिशानिर्देश और निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों (मई 2010), के आधार पर एक निर्धारण रूपरेखा तैयार की गई थी और निर्धारण रूपरेखा में वर्ष 2017-18 के दौरान इन प्रावधानों का विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सीपीएसई द्वारा अनुपालन को प्रदर्शित किया गया था। समीक्षा में 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 52 सूचीबद्ध सीपीएसई कवर किए गए हैं। सीपीएसई की सूची ***परिशिष्ट-XVII*** में दी गई है।

3.2 निदेशकबोर्ड का गठन

3.2.1 बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक

बोर्ड निगमित अभिशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है। सूचीगत करार के खण्ड 49 (II) (ए) (1) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 17 (1)(ए) में अनुबंधित है कि कम्पनी के निदेशक बोर्ड में कार्यकारी एवं गैर-

कार्रकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए जिनमें से गैर कार्यकारी निदेशक, निदेशक मंडल के 50 *प्रतिशत* से कम नहीं होने चाहिए।

तालिका 3.1 में सूचीबद्ध सीपीएसई में, कुल बोर्ड संख्या के 50 प्रतिशत से कम संख्या में गैर-कार्यकारी निदेशक हैं।

तालिका 3.1 सीपीएसई जहां गैर-कार्यकारी निदेशक कुल बोर्ड की क्षमता के 50 *प्रतिशत* से कम थे

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	कुल निदेशक	गैर कार्यकारी निदेशकों की संख्या	प्रतिशतता
1	बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	6	2	33
2	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	9	4	44

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

प्रबन्धन के निर्णयों, स्वतन्त्र विचार देने में समर्थ बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को शेयरधारकों और अन्य पणधारियों के हितों की सुरक्षा करने के साधन के रूप में व्यापक रूप से माना गया है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4), कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति तथा योग्यता) विनियमावली 2014 के नियम 4, सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(II) (ए) (2), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 17(1)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुसार जहां बोर्ड का अध्यक्ष गैर कार्यकारी निदेशक है वहां कम से कम बोर्ड के एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और यदि वह एक कार्यकारी निदेशक है तो कम से कम आधा बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए। तथापि, खण्ड 49 (II) (बी)(1) के अनुसार,'स्वतंत्र निदेशक' का अर्थ कम्पनी के नामित निदेशक के अलावा गैर कार्यकारी निदेशक होगा।

निदेशक बोर्ड (बीओडी) के गठन की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.2 में सूचीबद्ध सीपीएसई में उनके बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थीः

तालिका 3.2: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वीओडी में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की प्रास्थिति	बीओडी में स्वतंत्र निदेशकों को अपेक्षित संख्या	बीओडी में निदेशकों की वास्तविक संख्या
1	केआईओसीएल लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
2	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6	कार्यकारी	3	2
3	एचएमटी लिमिटेड	5	कार्यकारी	3	1
4	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	14	कार्यकारी	7	6
5	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	गैर-कार्यकारी	4	2
6	दी फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेबनकोर लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	5
7	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
8	बीईएमएल लिमिटेड	8	कार्यकारी	4	3
9	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	5
10	आईटीआई लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
11	ऑयल इंडिया लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
12	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	4
13	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	3
14	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	5
15	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि.	8	कार्यकारी	4	3
16	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13	कार्यकारी	7	6
17	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
18	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	4
19	एनटीपीसी लिमिटेड	16	कार्यकारी	8	7
20	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	3
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	13	कार्यकारी	7	6
22	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
23	एसजेवीएन लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	4
24	मोइल लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	3

तालिका 3.3 में दिए गए सीपीएसई के संबंध में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.3: सीपीएसई जिनके पास कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बॉमर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड
2	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
3	आईएफसीआई लिमिटेड

3.2.3 बोर्ड में महिला निदेशक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (1), कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति तथा योग्यता) विनियमावली, 2014 के अध्याय XI का नियम 3 तथा सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(II)(ए)(1) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियमन 17 (1)(ए) निर्धारित करता है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होगी। एमएमटीसी लि. के संदर्भ में, निदेशक बोर्ड में एक भी महिला निदेशक नहीं थी।

3.3 स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्यचालन पद्धति

3.3.1 नियुक्ति का औपचारिक पत्र जारी करना

सूचीबद्ध करार (अप्रैल 2014) के खण्ड 49 (II) (बी) (4) (ए) अनुबद्ध करता है कि कम्पनी स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति का औपचारिक पत्र कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा प्रावधानित तरीके से जारी करेगी। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV भाग IV के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, नियुक्ति के पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप से होगी जो नियुक्ति की निबंधन और शर्तों को निर्धारित करेगा। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.4 में सूचीबद्ध सीपीएसई में शर्तो एवं निबंधन का विवरण देने वाला कोई भी नियुक्तिपत्र, जारी नहीं किया गया था।

तालिका 3.4 सीपीएसई द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को जारी न किए गए नियुक्ति पत्र

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एचएमटी लिमिटेड
2	एनएलसी इंडिया लिमिटेड

3	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
5	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
6	एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड
7	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

3.3.2 आचार संहिता

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 17 (5)(ख) अनुबद्ध करता हैं कि निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित आचार संहिता कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को शामिल किया जाएगा। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.5 में सूचीबद्ध सीपीएसई में, आचार संहिता स्वतन्त्र निदेशकों के कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया है।

तालिका 3.5: केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जहां आचार संहिता स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	एमएमटीसी लिमिटेड
2	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.3.3 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

3.3.3.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (पैरा-III(1) स्वतंत्र निदेशकों के कर्त्तव्य), सूचीगत करार के खण्ड 49(II) (ख) (7) (क) और (ख) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 25 (7) में प्रावधान है कि कम्पनी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को उनकी भूमिकाएं, अधिकार, कंपनी में उत्तरदायित्वों, उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी संचालित होती है, कंपनी के व्यापार मॉडल इत्यादि विषयों से अवगत करायेगी। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.6 में सूचीबद्ध सीपीएसई में, उन स्वतंत्र निदेशकों के लिए ऐसा कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया जो 2017-18 के दौरान बोर्ड में थे।

तालिका 3.6: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
2	भारत इम्यूनोलीजीकल एंड बायोलोजीकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.3.3.2 इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 46(2) (i) और अनुसूची V(सी) (2)(जी) के उल्लंघन में वेबसाइट पर प्रशिक्षण का विवरण उद्घोषित नहीं किया गया था और तालिका 3.7 में सूचीबद्ध सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट में उसका कोई वेब लिंक नहीं दिया गया था।

तालिका 3.7: सीपीएसई, जहां वेबसाइट पर प्रशिक्षण विवरण नहीं दिया गया था

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	द फर्टीलाइजर एंडकेमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
2	मिश्र धातु निगम लिमिटेड

3.3.4 निदेशक बोर्ड और बोर्ड समितियों की बैठक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(III)(3) में वर्णित है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक बोर्ड और बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं। तथापि, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने इन बैठकों में भाग नहीं लिया। तालिका 3.8 ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की संख्या दर्शाती है:

तालिका 3.8: स्वतंत्र निदेशक जिन्होंने कुछ बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने बोर्ड की बैठकों में भाग नहीं लिया	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने कुछ बोर्ड समितियों की बैठकों में भाग नहीं लिया
1	एनएमडीसी लिमिटेड	5	3
2	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	3	2
3	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	-
4	द फर्टीलाइजर्स एंड केमीकल्स ट्रेवेनकोर लिमिटेड	3	-

5	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1	-
6	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	4	2
7	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	2	1
8	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	4	3
9	मिश्र धातू निगम लिमिटेड	1	1
10	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि	1	-
11	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	5	2
12	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी	3	1
13	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	1
14	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	3	2
15	कोल इंडिया लिमिटेड	6	3
16	ऑयल इंडिया लिमिटेड	4	-
17	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	5	2
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	2	2
19	बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	2	-
20	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	1	1
21	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2	-
22	राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड	2	2
23	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	2	1
24	ऑयल एंड नेचूरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	4
25	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	-
26	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	3
27	एमएमटीसी लिमिटेड	3	-
28	इंडिया टुरिज़्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन	1	1
29	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6	2
30	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3	-
31	गेल (इंडिया) लिमिटेड	5	2
32	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	5	5
33	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2	2
34	एनटीपीसी लिमिटेड	7	3
35	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	1	-
36	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	2	1
37	एनएचपीसी लिमिटेड	3	2
38	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	-

39	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	2	2
40	एसजेवीएन लिमिटेड	3	2
41	मोइल लिमिटेड	1	-
42	हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	5	2

3.3.5 कम्पनी की सामान्य बैठकों में भाग लेना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(III)(5) में वर्णित है कि स्वतंत्र निदेशकों को कम्पनी की सभी सामान्य बैठकों में भाग लेना होगा। तालिका 3.9 में ऐसे सीपीएसई सूचीबद्ध हैं, जहां स्वतंत्र निदेशकों ने कम्पनियों की सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया।

तालिका 3.9: स्वतंत्र निदेशक, जिन्होंने सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया
1	एनएमडीसी लिमिटेड	2
2	केआईओसीएल लिमिटेड	1
3	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1
4	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	3
5	द फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	3
6	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	6
7	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	5
8	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	1
9	आईटीआई लिमिटेड	1
10	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8
11	ऑयल इंडिया लिमिटेड	3
12	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	3
13	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	3
14	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	2
15	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	2
16	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1
17	गेल (इडिंया) लिमिटेड	2
18	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	2
19	एनएचपीसी लिमिटेड	1

3.3.6 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

3.3.6.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (VII) (1), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 25 (3) और सूचीगत करार के विनियम 49 II बी (6) (ए) में अपेक्षित है कि स्वतंत्र निदेशक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार गैर-स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति के बिना मिलेंगे। तालिका 3.10 ऐसे सीपीएसई दर्शाती है जहां कोई पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

तालिका 3.10: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित नहीं की गई थी

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2	भारत इम्मुनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.3.6.2 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (VII) (2) में प्रावधान है कि सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठकों में भाग लेने का प्रयत्न करेंगे। तथापि, तालिका 3.11 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने पृथक बैठकों में भाग नहीं लिया था।

तालिका 3.11: सीपीएसई जहां कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने पृथक बैठकों में भाग नहीं लिया था

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
2	द फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
3	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
4	भारत डायनमिक्स लिमिटेड
5	कंटैनेर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	इंडियन रिन्यूऐबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी
7	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
8	ऑयल इंड नेचुरल गैस कॉर्पोरिशन लिमिटेड
9	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
10	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11	गेल (इंडिया) लिमिटेड
12	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
13	एनटीपीसी लिमिटेड

यद्यपि पृथक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन तालिका 3.12 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में बैठक का कोई कार्यवृत्त नहीं बनाया गया था।

तालिका 3.12: सीपीएसई जहां पृथक बैठक का कार्यवृत्त नहीं बनाया गया था

क्र. सं.	सीपीएसईका नाम
1.	केआईओसीएल लिमिटेड
2.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3.	द फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
4.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
5.	आईटीआई लिमिटेड
6.	एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
7.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

3.4 निदेशकों के पदों की भर्ती-कार्यकारी, गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र

3.4.1 निदेशकों के रिक्त पदों की समय पर भर्ती कम्पनी के प्रबन्धन में अपेक्षित कौशल तथा विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। रिक्तियों को भरने में किसी प्रकार का विलम्ब, निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता में रूकावट पैदा कर सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (पैरा VI (2) - पंजीकरण या हटाना) सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 25 (6) और सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (II) (डी) (4) में प्रावधान है कि एक स्वतंत्र निदेशक के त्याग-पत्र अथवा पद से हटाए जाने से उत्पन्न रिक्ति को जल्द से जल्द किन्तु अगली बोर्ड बैठक अथवा ऐसी रिक्ति की तिथि से तीन महीने, जो भी बाद में हो, तक तुरन्त भरा जाना चाहिए। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.13 में वर्णित सीपीएसई ने उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया और स्वतंत्र निदेशकों के पद काफी समय तक खाली पड़े रहे।

तालिका 3.13: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियां समय पर नहीं भरी गई

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	महीनों में खाली रहना
1	केआईओसीएल लिमिटेड	20
2	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	40
3	एचएमटी लिमिटेड	12
4	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	24
5	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	24
6	बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	58

7	एंड्रयू युल एंड कंपनी लिमिटेड	74
8	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5
9	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12
10	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	11
11	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24
12	एसजेवीएन लिमिटेड	12
13	मोइल लिमिटेड	4

3.4.2 इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि तालिका 3.14 में सूचीबद्ध सीपीएसई, में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की रिक्तियां कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) में निर्धारित छः महीनों की अवधि में नहीं भरी गई थी।

तालिका 3.14: सीपीएसई जहां पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की रिक्तियां समय पर नहीं भरी गई

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम	पद का नाम	चूक महीने में
1	एचएमटी लिमिटेड	निदेशक (संचालन)	46
2	द फर्टीलाईजर एंड केमीकल त्रावणकोर लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निदेशक (वित्त) निदेशक (टेक)	17 21 21
3	बीईएमएल लिमिटेड	निदेशक (वित्त), निदेशक (एचआर)	23 21
4	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	12
5	कोल इंडिया लिमिटेड	अध्यक्ष	7
6	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	निदेशक (वाणिज्यिक)	13
7	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	निदेशक (वित्त) निदेशक (संचालन)	9 7
8	एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड	निदेशक (कार्मिक)	7
9	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	एमडी/सीईओ	12
10	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	निदेशक (टीएंडएफएस)	6
11	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	निदेशक (विपणन)	9
12	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	11
13	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	निदेशक (विपणन)	26
14	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	24
15	आईएफसीआई लिमिटेड	अध्यक्ष	12

3.5 लेखापरीक्षा समिति

3.5.1 लेखापरीक्षा समिति का गठन

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 (1) और (2), सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (III) (ए) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 18 में प्रावधान है कि सदस्य रूप में न्यूनतम तीन निदेशकों वाली एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसके दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। तथापि, स्कूटर्स इंडिया लि. के संबंध में कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी।

तालिका 3.15 में वर्णित सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य, स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.15: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति में दो तिहाई स्वतन्त्र निदेशक नहीं थे

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एचएमटी लिमिटेड
2	बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
3	बॉमर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
4	आईएफसीआई लिमिटेड

3.5.2 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (III) (ए) (3) (4) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 18 (1) (डी) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष जो स्वतंत्र निदेशक होगा, वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित होंगा। बॉमर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी और आईएफसीआई लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं है। एनएलसी लिमिटेड, द फर्टिलाईजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड और आईएफसीआई लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में उपस्थिति नहीं थे।

3.5.3 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम 18 (2) (ए) और (बी) तथा सूचीबद्ध करार के खंड 49 (III) (बी) प्रावधान करता है कि लेखापरीक्षा समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होनी चाहिए तथा 120 दिनों से अधिक का समय दो बैठकों के बीच नहीं होगा। लेखापरीक्षा समिति में कोरम के लिए निर्दिष्ट संख्या या तो दो सदस्य या एक तिहाई, जो भी अधिक हो, की होनी चाहिए, परन्तु न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशक उपस्थित होने चाहिए।

मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, आईएफसीआई लिमिटेड और भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के संबंध में कुछ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में अपर्याप्त कोरम के उदाहरण देखें गए थे। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के संबंध में दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अन्तर था।

3.5.4 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन

सूचीबद्ध करार के खंड 49(III)(डी)(11) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी(ए)(11) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना चाहिए। तालिका 3.16 में दिए गए सीपीएसई के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने प्रणालियों का मूल्यांकन नहीं किया है।

तालिका 3.16: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक वित्त नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया था

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	मिश्र धातू निगम लिमिटेड
2	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स केमिकल्स लिमिटेड

3.5.5 सांविधिक तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा

इसके अलावा, सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(12) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए) (12) में वर्णित है कि लेखापरीक्षा समिति को प्रबंधन, सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा आन्तरिक

लेखापरीक्षको के निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए। तालिका 3.17 में दिए गए सीपीएसई के संबंध में ऐसा निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया गया था।

तालिका 3.17: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों और आन्तरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा नहीं की गई

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	मिश्र धातू निगम लिमिटेड
2	भारतीय तेल निगम लिमिटेड

3.5.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता

3.5.6.1 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (III) (डी) (13) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए) (13) में वर्णित है कि लेखापरीक्षा समिति को आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के कार्यकारी प्रमुख की स्टॉफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आन्तरिक लेखापरीक्षा की कवरेज तथा फ्रीक्वेंसी को सम्मिलित करते हुए आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, तो उसकी पर्याप्तता की समीक्षा करनी चाहिए। मिश्र धातु निगम लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों की समीक्षा नहीं की।

3.5.6.2 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (III) (डी) (14) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी (14) के अनुसार, महत्वपूर्ण निष्कर्षों तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की चर्चा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ करना भी लेखापरीक्षा समिति का दायित्व है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ कोई चर्चा नहीं की थी।

3.5.7 लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना/दस्तावेजों की समीक्षा

3.5.7.1 सांविधिक अधिदेश के अनुसार, सभी सीपीएसई भारत के सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) सीएजी को सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4)(iii) प्रावधान करती है कि लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणों तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करेगी। इस प्रकार,

सीपीएसई के मामले में, सीएजी के निष्कर्षों की समीक्षा करना लेखापरीक्षा समिति का दायित्व है।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड और गैल (इंडिया) लिमिटेड के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने सीएजी के निष्कर्षों की समीक्षा नहीं की।

3.5.7.2 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकतायें), नियमावली 2015 की अनुसूची II के विनियम 18 (3) तथा भाग सी (बी) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति (i) प्रबंधन विचार-विमर्श और वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों के विश्लेषण, (ii) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण तत्संबंधी पार्टी संव्यवहारों (लेखापरीक्षा समिति द्वारा यथा परिभाषित) के विवरण, (iii) प्रबंधन पत्रों/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण खामियों के पत्रों पर, (iv) आंतरिक नियंत्रण खामियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों, (v) मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पदच्युति और पारिश्रमिक शर्तों(vi) विचलनों का विवरण लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अध्यधीन होंगे।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त मदों की समीक्षा नहीं की।

3.5.7.3 सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (III) (डी) (16) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के भाग सी (ए) (16) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के विषय में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करनी चाहिए तथा साथ ही साथ चिंता के किसी विषय का पता लगाने के लिए पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा करनी चाहिए। मिश्र धातु निगम लिमिटेड के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने ऐसी चर्चा नहीं की।

3.6 अन्य समितियां

3.6.1 नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178 (1), कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियमावली 2014 के नियम 6, सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(IV) तथा सेबी

(सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम 19(1) तथा (2) यह अनुबंधित करता है कि प्रत्येक सीपीएसई कम से कम तीन निदेशकों वाली एक नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा जिसमें सभी, गैर-कार्यकारी निदेशक होंगे तथा कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे। समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। तथापि, तालिका 3.18 में उल्लिखित सीपीएसई में कोई नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति नहीं थी यद्यपि कुछ सीपीएसई में समिति का गठन किया गया था किन्तु तीन निदेशक और उनमें से आधे स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता पूर्ण नहीं की गई थी।

तालिका 3.18: नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति न रखने वाले सीपीएसई

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	बॉमरलॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
3	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

बॉमर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

3.6.2 पणधारक संबंध समिति

कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 178 (5), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 20(1) में अपेक्षित है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी, पणधारक संबंध समिति का गठन करेगी। यह देखा गया कि स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के संबंध में ऐसी कोई समिति नहीं बनाई गई थी।

3.6.3 धारा 177 (लेखापरीक्षा समिति) तथा धारा 178 (नामंकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं पणधारक संबंध समिति) के किसी प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में, कंपनी धारा 178 (8) के तहत दंडनीय होगी, जिसमें जुर्माना एक लाख रूपए से कम नहीं होगा लेकिन पाँच लाख रूपए तक बढाया जा सकता है और कंपनी के प्रत्येक अधिकारी, जो चूककर्ता है, को कारावास की सजा दी जाएगी जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जाएगा जो पच्चीस हजार से कम नहीं होगा लेकिन इसे एक लाख तक बढ़ाया

जा सकता है या दोनों। तथापि, यह देखा गया कि 2017-18 के दौरान कंपनियां के संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी कोई दंडात्मक कार्रवाई आरंभ नहीं हुई थी।

3.7 चेतावनी तंत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9), कंपनी (बोर्ड की बैठके एवं इसकी शक्तियां) नियमावली 2014 के नियम 7, सूचीबद्ध करार के संशोधित खण्ड 49(II)(एफ) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 22(1) तथा (2) अनुबंधित करते हैं कि कम्पनी निदेशकों तथा कर्मचारियों के अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संभावित धोखाधड़ी अथवा कम्पनी की आचार-संहिता या नीतिगत नीतियों के विषय में सूचना देने के लिए एक निगरानी तंत्र की स्थापना करेगी। यह पाया गया कि तालिका 3.19 में सूचीबद्ध सीपीएसई में कोई चेतावनी तंत्र नहीं था।

तालिका 3.19: चेतावनी तंत्र न रखने वाले सीपीएसई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत इम्युनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	बॉमर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

3.8 संबंधित पक्षों से संबंधित नीति

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 23(1) एवं (4) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी संबधित पार्टी संव्यवहारों के महत्व पर एक नीति बनाएगी। इसके अलावा, ऐसे महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी संव्यवहारों को अंशधारकों द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदन किया जाना अपेक्षित है। तालिका 3.20 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गईथी:

तालिका 3.20: संबंधित पार्टियों से संबंधित नीति न रखने वाले सीपीएसई

क्रमसं.	सीपीएसई का नाम
1	एचएमटी लिमिटेड
2	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

3.9 वेबसाइट पर सूचना का प्रकटन

3.9.1 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 46(2)(ए), (एफ) और (जी) में प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी अपनी वेबसाइट पर (i) अपने व्यवसाय के विवरण, (ii) तत्संबंधी पार्टी संव्यवहारों से संबंधित नीति (iii) गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदण्डों पर सूचना प्रकट करेगी, बशर्ते कि इसे वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया हो। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के संबंध में वेबसाइट पर ऐसा कोई प्रकटन नहीं किया गया था।

3.9.2 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 46(2) (सी) में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी अपनी वेबसाइट पर निदेशक बोर्ड की विभिन्न समितियों का संयोजन प्रस्तुत करेगी। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के संबंध में वेबसाइट पर ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.10 अनुपालन रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 27 (2) (ए) में प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक तिमाही के अन्त से 15 दिनों के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसके अलावा डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 8.3 में अपेक्षित है कि प्रत्येक कम्पनी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के अन्दर निर्धारित प्रारूप में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड ने प्रशासनिक मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।

3.11 निष्कर्ष

चयनित 52 सीपीएसई में से दो सीपीएसई में 50 प्रतिशत से कम गैर-कार्यकारी निदेशक थे, तीन सीपीएसई में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था और 24 सीपीएसई में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त नहीं किये गये थे; एक सीपीएसई में कोई महिला निदेशक नियुक्त नहीं की गई थी; 7 सीपीएसई में नियुक्ति

पत्र जारी नहीं किया गया था; दो सीपीएसई में आचार संहिता को शामिल नहीं किया गया था; दो सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था; 42 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों ने या तो बोर्ड बैठकों में भाग नहीं लिया या कुछ बोर्ड समिति की बैठकों में शामिल नहीं हुए; 19 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों ने सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया, दो सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के लिए अलग बैठक आयोजित नहीं की गई थी और 13 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों ने ऐसी बैठकों में भाग नहीं लिया; 13 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशको के पद 4 से 74 महीनों तक रिक्त पाए गए थे; चार सीपीएसई में लेखापरीक्षा समिति में दो तिहाई स्वतंत्र निदेशकों को शामिल नहीं किया गया। दो सीपीएसई में लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया; दो सीपीएसई में संविधिक लेखापरीक्षकों और आन्तरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया गया था; तीन सीपीएसई में कोई नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति नहीं बनाई गई थी, दो सीपीएसई में कोई चेतावनी तंत्र स्थापित नहीं किया गया; और तीन सीपीएसई में संबंद्ध पार्टी से संबंधित कोई नीति नहीं थी।

सार्वजनिक उद्यमों के विभाग (डीपीई) ने कहा है (जुलाई 2019) कि सीपीएसई द्वारा संबंधित कानूनों, विनियमों, दिशा-निर्देशों इत्यादि के कार्यन्वयन की निरीक्षण/ निगरानी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों में निहित है जोकि अपने संबंधी प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सीपीएसई के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की समय से नियुक्ति हेतु भी उत्तरदायी है। डीपीई ने आगे बताया कि संबंधित सूचीबद्ध सीपीएसई के निदेशक बोर्ड को डीपीई/ सेबी के दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3.12 सिफारिश

भारत सरकार, दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों पर जोर दे ताकि सूचीबद्ध सीपीएसई में निगमित अभिशासन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

अध्याय IV

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

4.1 प्रस्तावना

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यवसाय द्वारा नैतिक रूप से व्यवहार करने और समग्र रूप से स्थानीय समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए निरन्तर प्रतिबद्ध है। यह संधारणीयता, सामाजिक प्रभाव और नैतिकता को शामिल करके समग्र रूप से अपने हितधारकों और सामान्य समुदाय के हितों को पहचानता है। सीएसआर की अवधारणा आदान-प्रदान की विचारधारा पर टिकी हुई है। कंपनियां समाज से कच्चे माल, मानव संसाधनों आदि के रूप में संसाधनों को लेती है। सीएसआर गतिविधियों का कार्य निष्पादित करके, कंपनियां समाज को कुछ वापस दे रही है।

चार्ट 4.1

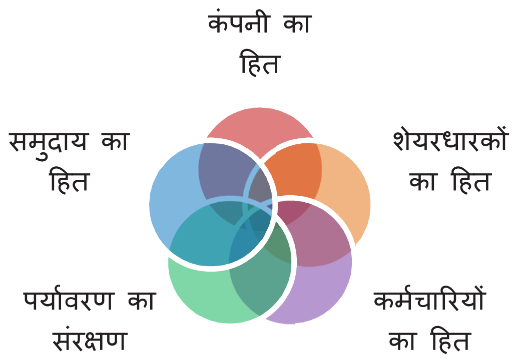

अप्रैल 2014 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII के लागू होने से सीएसआर को अनिवार्य बनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी सीएसआर नियम 2014 कंपनियों द्वारा सामाजिक व्यय को अधिवेशित और विनियमित करता हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सीएसआर अधिदेश को शामिल करना सरकार के विकास के लाभों को समान रूप से पहचाने और कॉर्पोरेट जगत को देश के विकास एजेंडे के साथ जोडने के प्रयासों को अनुपूरक बनाने का एक प्रयास है।

कानूनी ढांचा: कंपनी अधिनियम 2013 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 135 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय से संबंधित है और कंपनियों के

लिए किसी भी वित्तीय वर्ष[31] के दौरान निवल मूल्य, टर्नओवर और शुद्ध लाभ के आधार पर योग्य मानदंड निर्धारित करती है जिन्हें सीएसआर गतिविधियां करनी अपेक्षित है और अन्य के साथ-साथ कंपनी के निदेशक बोर्ड के द्वारा सीएसआर गतिविधियों के चयन के विस्तृत तौर-तरीकों, कार्यान्वयन और निगरानी को निर्दिष्ट किया गया है। कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीतियों में जिन गतिविधियों को शामिल किया जाता है, वे अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध है। अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान, अधिनियम की अनुसूची VII सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू हैं। अधिनियम किसी भी कंपनी को सीएसआर गतिविधियों के लिए तीन तत्कालीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार परिकलित) का कम से कम 2 प्रतिशत सालाना खर्च करना अनिवार्य बनाता है। अधिनियम के तहत सीएसआर के प्रावधानों के अनुपालन अर्थात सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति का निरूपण और सीएसआर गतिविधियों पर निर्धारित राशि को व्यय करना अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ।

फरवरी 2014 में, निगमित मामले मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली 2014 जारी की। सीएसआर नियम 1 अप्रैल 2014 से सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू किए गए थे। लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) ने अगस्त 2016 में सीपीएसई द्वारा सीएसआर के तहत पारदर्शिता और गतिविधियों के चयन में सम्यक तत्परता और कार्यान्वयन के अनुपालन पर अधिसूचना भी जारी की।

4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

पीसीएसई की जीएसआर गतिविधियों की अनुपालन लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या अधिनियम के प्रावधानों, कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली 2014 तथा डीपीई दिशा-निर्देशों 2016 का अनुपालन किया गया था। सीपीएसई के प्रयासों का आकलन करने के क्रम में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों की जांच की:

[31] *कंपनी अधिनियम 2017 के संशोधन 37 के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष पर अस्पष्टता को हल करने के लिए, शब्द' किसी भी वित्तीय वर्ष' को वित्तीय वर्ष से तुरंत पहले के शब्दों से बदल दिया गया है। यह अधिसूचना 19 सितंबर 2018 से प्रभावी है।*

- क्या सीएसआर समिति के गठन, नीति के प्रतिपादन तथा अनुपालन, निष्पादन के योजना स्तरों का अनुपालन किया गया है;
- क्या विनिर्दिष्ट गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली निर्धारित राशि से संबधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;
- क्या कार्यान्वयन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;
- क्या रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

4.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कवरेज

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 के दौरान 82 सीपीएसई द्वारा कार्यान्वित सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा की। लेखापरीक्षा ने 2016-17 में कुल 164 लाभकारी सीपीएसई में से 82 सीपीएसई का चयन किया था, नीचे तालिका 4.1 मे दिया है

तालिका 4.1: सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा हेतु सीपीएसई का चयन

सीपीएसई के शुद्ध लाभ की मात्रा	आबादी	चयनित सीपीएसई की संख्या	प्रतिशत
₹ 100 करोड़ से अधिक	65*	64	100 *प्रतिशत*
₹ 50 से ₹ 100 करोड़	19	9	47.36 *प्रतिशत*
₹ 10 से ₹ 50 करोड़	37	7	18.91 *प्रतिशत*
₹ 10 करोड़ से कम	43	2	4.65 *प्रतिशत*

***ओएनजीसी विदेश विदेशों में अपने संचालन को अंजाम देता है और इस लिए सीएसआर के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है*

**प्राथमिक स्रोत: 2016-17 के लिए डीपीई की सर्वेक्षण रिपोर्ट*

82 सीपीएसई में 7 महारत्न, 14 नवरत्न, 44 मिनीरत्न और 17 अन्य कंपनियां शामिल थी, जिनमें से 42 सीपीएसई सूचीबद्ध कंपनियां थी। ***परिशिष्ट-XVIII*** में विवरण दिया गया है।

4.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा विश्लेषण निम्नलिखित मापदंडों के प्रति किया गया था:

i. अधिनियम की धारा 135 और अनुसूची VII में शामिल प्रावधान

ii. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के प्रावधान

iii. स्वच्छ भारत पर सीएसआर और निर्देशों के तहत गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन में पारदर्शिता और उचित तत्परता के अवलोकन पर 1 अगस्त 2016 की डीपीई अधिसूचना।

4.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सीएसआर समिति के गठन, नीति निर्माण और अनुपालन, सीएसआर गतिविधियों की योजना और निष्पादन और सीपीएसई द्वारा निगरानी व रिपोर्टिंग के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के विस्तार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए है।

4.5.1 योजना

4.5.1.1 सीएसआर समिति का गठन

चार्ट 4.2

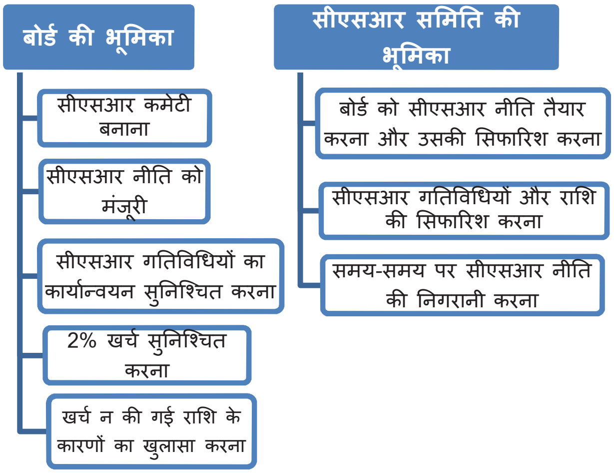

अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार प्रत्येक कंपनी की निवल सम्पति ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक या ₹ 1000 करोड़ या उसमें अधिक का टर्नओवर या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध लाभ है और इस प्रकार सीएसआर गतिविधियों के लिए अर्हता प्राप्त कम्पनी तीन या अधिक निदेशक वाले बोर्ड की एक सीएसआर समिति स्थापित करेगी। अधिनियम के अनुसार सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए चुनी गई सभी 82 सीपीएसई उपरोक्त मापदंड को पूरा कर रही थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि सोलर एनर्जी कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआईएल) के अलावा सभी सीपीएसई ने सीएसआर समिति का गठन किया; जिसने केवल सितम्बर 2018 में समिति का गठन किया था। जबकि 76 सीपीएसई ने एक स्टेंडआलोन सीएसआर समिति का गठन किया था, 5 सीपीएसई (सीओएनएआईआर, ईसीजीसी, ईआईएल, जेसीआई और एमडीएल) ने बोर्ड के साथ सीएसआर समिति को क्लब कर दिया। सभी सीपीएसई में, एंट्रिक्स को छोड़कर, समिति में न्यूनतम 3 निदेशक थे, जिसमें

केवल दो निदेशक थे। अधिनियम की धारा 135 (1) और (3) के अनुसार बोर्ड और सीएसआर समिति की भूमिका को चार्ट में दर्शाया गया है।

4.5.1.2 समिति में स्वतंत्र निदेशक

स्वतंत्र निदेशक है: 74 सीपीएसई

स्वतंत्र निदेशक नहीं है: 7 सीपीएसई

एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक है: 45 सीपीएसई

अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार, सीएसआर समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा। 81[32] सीपीएसई में से जहां सीएसआर समिति का गठन किया था, 74 सीपीएसई ने समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होने के नियम की अनुपालना की थी। शेष 7 सीपीएसई (एन्ट्रिक्स, बीएलआई, जीजीएल, एचएससीसी, आईआईएफसीएल, जेसीआई और एनएचडीसी) के संबंध में समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नामित नहीं किया गया था, चार सीपीएसई (एआईईएल), एआइएटीएसएल, एनटीपीसीवीवीएन और आरईसीपीडीसी) पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनियां होने के स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता कंपनी (निदेशक) की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन अधिनियम, 2017 के नियम 4(2) के अनुसार नहीं है। 45 सीपीएसई में एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक थे ***(परिशिष्ट-XVIII)***। सीएसआर समिति में कुल 354 निदेशकों में से, 150 स्वतंत्र निदेशक थे और 15 महिला निदेशक थी।

कोरपोरेट कार्य मंत्रालय (मंत्रालय) ने अपने उत्तर (अगस्त 2019) में बताया कि कंपनी द्वारा जमा की गई अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार, जेसीआई की समिति में स्वतंत्र निदेशक हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के लिए जेसीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार गैर अधिकारिक निदेशक की नियुक्ति केवल अगस्त 2018 अर्थात वित्तीय वर्ष 2018-19 में की गई।

4.5.1.3 सीएसआर नीति का निर्धारण: अधिनियम की धारा 135 (3) में अपेक्षित है कि सीएसआर समिति एक सीएसआर नीति तैयार करें और बोर्ड को सिफारिश करे। 81 सीपीएसई ने सीएसआर समिति की सिफारिश पर आधारित सीएसआर नीति तैयार की और बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया था। जबकि 5 सीपीएसई (सीसीएल, सीपीएमडीआईएल, एनसीएल, एसईसीएलऔर एनटीपीवीवीएन) ने सहायक कंपनियां होने के नाते अपनी होल्डिंग कंपनी की नीति को अपनाया (जैसे सीआईएल और एनटीपीसी),एक

[32] *एसईसीआईएल ने सिर्फ सितंबर 2018 में ही समिति का गठन किया।*

सीपीएसई (जेसीआई) के पास सीएसआर नीति नहीं थी। गेल गैस ने केवल मई 2017 में सीएसआर नीति बनाई और इसलिए इसने 2017-18 से पहले सीएसआर गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया, भले ही यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसा करने के लिए योग्य था। 81[33] सीपीएसई द्वारा नीति और उसके अनुपालन के संबंध में नियम 6 की आवश्यकता नीचे तालिका में दी गई है।

तालिका 4.2 : सीपीएसई द्वारा सीएसआर नीतियों का अनुपालन

सीएसआर नियम संख्या 6 की आवश्यकता	सीपीएसई द्वारा अनुपालन	
नीति में अन्य के साथ निम्न का शामिल किया जाना	**हाँ**	**नहीं**
कार्यान्वयन के फोकस क्षेत्र	81	0
कार्यान्वयन का तरीका	77	4 (एंट्रिक्स, सीडब्ल्यूसी, आईओसीएल, केआरसीएल और यूसीआईएल)
घोषणा कि सीएसआर परियोजना/गतिविधि से अधिशेष व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा	44	37[34]
निगरानी की रूपरेखा	73	8 (बीएलआई, कोन कोरएयर, सीडब्ल्यूसी, ईआईएल, आईओसी, एनएलसी, एनटीपीएल और यूसीआईएल)

- 2014 में डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को अगस्त 2016 के संशोधित दिशा-निर्देशों द्वारा अतिष्ठित किया है। 14[35] सीपीएसई की सीएसआर नीति, यद्यपि, 2014 के डीपीई दिशा निर्देशों को लगातार संदर्भित करना जारी है।
- एमसीए स्पष्टीकरण के अनुसार (सितम्बर 2014) सीएसआर की परियोजना लागत में वेतन को शामिल नहीं किया जाता है। इरकॉन, एनबीसीसी, एनएफएल, एनटीपीएलएन, रेलटेल, आरईसीपीडीएल और आरवीएनएल की सीएसआर नीतियों को तदनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है।
- बीपीसीएल ने अपनी नीति में सीएसआर गतिविधियों से अधिशेष के प्रशोधन का खुलासा करने का आश्वासन दिया है।

---

[33] *जेसीआई की कोई सीएसआर नीति नहीं है*

[34] *एएनटीआरआईएक्स, बीडीएल, बीईएमएल, बीपीसीएल, सीसीएल, सीआईएल, सीएमपीडीआईएल, सीडब्ल्यूसी, ईआईएल, गेलगैस, एचएससीसी, आईआईएफसीएल, आईआरसीटीसी, इरेडा, आईटीपीओकेआईओसीएल, केआरसीएल, एमसीएल, एमडीएल, एमओआईएल, एमएसटीसी, एनएएल, एनबीसीसी, एनसीएल, एनएफएल, एनएचडीसी, एनएचपीसी, एनपीसीआईएल, एनआरएल, एनएसआईसी, एनटीपीएल, आरसीएफ, आरईसीएल, आरवीएनएल, एसईसीएल, एसजेवीएन और यूसीआईएल*

[35] *एएआई, बीईएल, बीएचईएल, बीएलसी, जीएसएल, आईआरएफसी, एमआरपीएल, ओएनजीसी, पीजीसीआईएल, रेलटेल, आरईपीडीसी, एसपीएमसीआईएल, टीसीआईएल और टीएचडीसी*

मंत्रालय ने जवाब में बताया कि एमसीए 21 पोर्टल पर कंपनी द्वारा की गई फाइलिंग के अनुसार, केआर-सीएल ने सीएसआर परियोजनाओं के निष्पादन के तोर-तरीकों को निर्दिष्ट किया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि हालॉकि कंपनी की वेब साइट में निष्पादन के तौर तरीकों को निर्दिष्ट किया गया है, केआरसीएल को चाहिए कि परियोजनाओं के निष्पादन के तौर तरीकों को सीएसआर पालिसी दस्तावेजों में शामिल करें।

4.5.1.4 वार्षिक सीएसआर योजना और बजट:

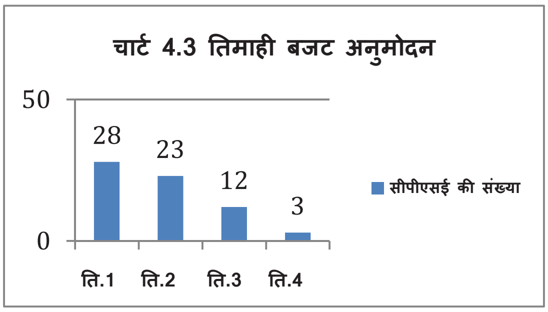

सीएसआर समिति की भूमिका बोर्ड को सीएसआर गतिविधियों और वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली राशि की सिफारिश करना है, बोर्ड को सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। यह सीएसआर गतिविधि और बजट की योजना और अनुमोदन के लिए आवश्यक है। एक सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में, प्रस्तावित सीएसआर परियोजनाएं और आगामी वि.व. के लिए बजट को हर साल 31 मार्च तक सीएसआर समिति के माध्यम से अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि अंतिम तिमाही में धनराशि समाप्त करने में कोई हड़बड़ी न हो। इसके अलावा, यह वित्तीय वर्ष में निधियों का पूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित करेगा। 70 सीपीएसई के लिए उपलब्ध डाटा के अनुसार, 28 सीपीएसई को प्रथम तिमाही में अनुमोदित अनंतिम बजट मिला (चार सीपीएसई सहित जिसे पिछले वर्ष में ही अनुमोदित बजट मिला अर्थात मार्च 2017), दूसरी तिमाही में 23 सीपीएसई और तीसरी तिमाही में 12 सीपीएसई को बजट मिला। तीन सीपीएसई को केवल चोथी तिमाही (बीएलआई, एमसीएल और रेलटेल) में बजट स्वीकृत हुआ था, 2 सीपीएसई अर्थात् आईआरईडीए और एनसीएल को परियोजना बार बजट सभी 4 तिमाहियों में स्वीकृत हुआ था और 2 सीपीएसई (ईसीजीसी और एनटीपीएल) ने बजट तैयार नहीं किया था। ***परिशिष्ट-XIX*** में विवरण दिया गया है।

4.5.2 वित्तीय घटक

4.5.2.1 निधियों का आबंटन

अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार, किसी भी कंपनी के लिए तीन तत्कालीन विगत वित्तीय वर्षों (अधिनियम की धारा 198 के अंतर्गत परिकलित) के निवल लाभ के औसत का कम से कम 2 प्रतिशत वार्षिक रूप से खर्च करना अनिवार्य है। 82 सीपीएसई के लिए तथा परिकलित निवल लाभ के औसत का 2 प्रतिशत ₹ 3,272.47 करोड़ था। सीपीएसई ने ₹ 3,452.77 करोड़ अर्थात् ₹ 180.30 करोड़ अधिक आबंटित किया (***परिशिष्ट-XX*** में विवरण दिया गया है)।

तालिका: 4.4

तीन साल से पहले के औसत निवल लाभ (अघिनियम की धारा 198 के अंतर्गत परिकलित)	2017-18 के लिए 2 प्रतिशत आबंटन किया जाएगा	वास्तविक आबंटित
₹ 1,63,219.04 करोड़*	₹ 3,272.47 करोड़	₹ 3,452.77 करोड़
	₹ 180.30 करोड़ की अधिक राशि अधिनियम के अनुसार आवंटित की जाने वाली राशि और वास्तव में आवंटित की गई राशि के बीच अंतर के कारण है।	
*₹ 0.45 करोड़ का अंतर राशि के लाख से करोड़ में राउंड ऑफ के कारण हैं		

- 19 सीपीएसई ने 2016-17 के लिए आगे ले जाने के लिए अतिरिक्त राशि आबंटित की थी/आबंटित की थी (₹ 266.39 करोड़ की कुल अतिरिक्त राशि)।
- 6 सीपीएसई (सीसीआईएल, एचयूडीसीओ, केपीएल, एनसीएल, पीएफसीएल और, यूसीआईएल) ने गत तीन वर्षों के औसत का 2 प्रतिशत से कम आबंटित किया था।
- 6 सीपीएसई द्वारा कुल कम-आबंटन ₹ 86 करोड़ की सीमा तक था। डब्ल्यूएपीसीओएस के लिए कोई डाटा उपलब्ध नहीं था।

4.5.2.2 ऋणात्मक निवल लाभ वाली सीपीएसई

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 82 सीपीएसई में से, 3 सीपीएसई (केआईओसीएल, एनटीपीएल और टीसीआईएल) का औसत निवल लाभ क्रमश: ₹ (-)8.97 करोड़, ₹ (-) 27.33 करोड़ और ₹ (-)47.41 करोड़ तक ऋणात्मक था। हालांकि, 2017-18 में सीएसआर पर क्रमश: ₹ 0.16 करोड़, ₹ 1.44 करोड़ और ₹ 1.15 करोड़ आबंटित और खर्च किए गए। आईआईएफसीएल का निवल लाभ 2017-18 के लिए ऋणात्मक था। हालांकि इसका टर्नओवर 2017-18 में ₹ 1000 करोड़ से अधिक था और इसलिए तीन

पूर्ववर्ती वर्षों के औसत निवल लाभ के आधार पर आईआईएफसी ने सीएसआर पर ₹ 17.32 करोड़ खर्च किए थे।

4.5.2.3 निधियों का उपयोग

अधिनियम की धारा 135 (5) में कहा गया है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत खर्च करें। डीपीई ने यह भी सलाह (1.08.2016) दी कि वर्ष के लिए आबंटित सीएसआर निधियों के पूर्ण उपयोग के लिए सीपीएसई द्वारा सभी प्रयास किये जाने चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 3,272.47 करोड़ की निर्धारित 2 प्रतिशत राशि के प्रति ₹ 3,338.60 करोड़ कुल खर्च किए थे। हालांकि, इसमें ₹ 235.71 करोड़ की अग्रेनीत राशि शामिल है। इस प्रकार, 2017-18 के लिए ₹ 169.60 करोड़ की कमी थी और ₹ 732.99 करोड़ की अग्रेनीत राशि की कमी थी। 48 सीपीएसई ने वि.व. 2017-18 में सीएसआर निधियों का पूरा उपयोग किया था जबकि 34 सीपीएसई द्वारा उपयोग में कमी थी। 43 सीपीएसई ने निर्धारित राशि से अधिक खर्च किए थे। एआईईएल सीएसआर निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका क्योंकि कंपनी विनिवेश के लिए विचाराधीन थी। ₹ 487.04 करोड़ की निर्धारित राशि के प्रति, ओएनजीसी ने ₹ 503.44 करोड़ (उपरिव्यय सहित) खर्च किए थे। हालांकि, 2016-17 से अग्रेनीत पर विचार करे तो ₹ 15.14 करोड़ की सीमा तक कमी थी। इसी प्रकार, एमडीएल के लिए ₹ 12.77 करोड़ की कमी थी। एआईएटीएसएल को 2016-17 से अग्रेनीत ₹ 1.86 करोड़ और ₹ 1.39 करोड़ खर्च करने थे। हालांकि, एआईएटीएसएल ने 2017-18 की अंतिम तिमाही में अग्रेनीत राशि का केवल ₹ 0.84 करोड़ खर्च किए थे। ***परिशिष्ट-XX*** में सीपीएसई वार किए गए खर्च का विवरण दिया गया है। सीपीएसई द्वारा पूर्ण सीएसआर निधियों का उपयोग न किए जाने के मुख्य कारणों में बजट की मंजूरी में देरी/गैर-उपयुक्त परियोजना या कार्यान्वयन एजेंसी/ बहु-वर्ष परियोजना थे।

चार्ट 4.4 निधियों का उपयोग

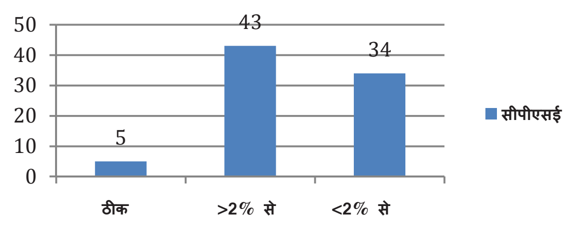

डीपीई ने अपने उत्तर (जुलाई 2019) में बताया कि सीएसआर व्यय पर सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत कुछ आंकडे और औसत निवल लाभ डीपीई के वार्षिक पीई सर्वेक्षण 2017-18 के आंकडो से यथार्थत: मेल नहीं खाते।

अध्याय में प्रस्तुत सीएसआर व्यय के आंकडे सीपीएसई द्वारा प्रदान किए डेटा के आधार पर लिए गये है। इसके अतिरिक्त डीपीई के वार्षिक पीई सर्वेक्षण के अनुसार निवल लाभ सीपीएसई की लाभ व हानि विवरणी के अनुसार है। चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की

धारा 135 की आवश्यकता के अनुसार पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ की गणना करने के उद्देश्य हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार निवल लाभ पर विचार किया जाना है। इसलिए लेखापरीक्षा और डीपीई सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत आंकडे भिन्न्न हैं।

4.5.2.4 अग्रेनीत राशि का उपयोग

तालिका 4.3 बडी सीएसआर राशि खर्च न करने वाली सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई	2016-17 से आगे बढ़ा	2017-18 में खर्च किया गया	अव्ययित राशि
एसईसीएल	186.35	0.32	186.03
पीजीसीआईएल	123.38	0.05	123.33
बीपीसीएल	127.23	14.00	113.23
आरईसी	76.77	22.04	54.73
पीएफसीएल	100.20	51.16	49.04
भेल	53.90	25.80	28.10
ईआईएल	26.83	5.58	21.25
बीईएल	31.23	10.20	21.03
कुल	**725.89**	**129.15**	**596.74**

एमसीए स्पष्टीकरण के अनुसार (12 जनवरी 2016), बोर्ड यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि क्या न्यूनतम सीएसआर निधि से किसी भी अव्ययित राशि को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाना है। 42 सीपीएसई ने ₹ 968.70 करोड़ (वि.व. 2016-17 से) की अव्ययित राशि को अग्रेनीत किया, जिसमें से ₹ 235.71 करोड़ की राशि 2017-18 में खर्च की गई, जिसमें ₹ 732.99 करोड़ की राशि शेष थी। 13 सीपीएसई (एएआई, एआईईएल, कॉनकोर सीडब्ल्यूसी, ईसीजीसी, एचएससीसी, आईओसीएल, इरकॉन, केआईओसीएल, नीपकोएनएलसी, एनआरएलऔरयूसीआईएल) ने 2017-18 में अग्रेनीत राशि को पूर्णत: खर्च किया था। 4 सीपीएसई (कोनकोर एयर, आईटीपीओ, केआरसीएल और एनटीपीवीएनएल) ने अभी तक अग्रेनीत राशि को खर्च नहीं किया था। 29 सीपीएसई ने अग्रेनीत राशि को पूर्णत: खर्च नहीं किया था। प्रमुख अव्ययित राशि वाले सीपीएसई को तालिका में सुचीबद्ध किया गया है। 8 सीपीएसई के लिए ₹ 725.89 करोड़ के कुल अग्रेनीत के प्रति ₹ 596.74 करोड़ की शेष राशि को छोड़कर केवल ₹ 129.15 करोड़ खर्च किए थे।

4.5.2.4.1 अव्ययित राशि का लेखांकन: आईसीएआई द्वारा जारी किए गए सीएसआर के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन टिप्पणी (जीएन) के अनुसार, अव्ययित राशि का खुलासा केवल बोर्ड की रिपोर्ट में किया जाना है और अव्ययित राशि के लिए लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया जाना है। हालांकि, यदि कोई कंपनी पहले से ही कुछ सीएसआर

गतिविधि कर चुकी है, जिसके लिए एक संविदात्मक दायित्व किया गया है तो आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधि को किस हद तक पूरा किया गया था, इसके लिए राशि का प्रावधान करने की आवश्यकता है, जिसे पुस्तकों में मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीडीएल, भेल और पीएचएल क्रमश: ₹ 9.58 करोड़, ₹ 31 करोड़ और ₹ 2.20 करोड़ की सीमा तक अग्रेनीत/अव्ययित राशि के लिए प्रावधान बना रहे है। 4 सीपीएसई (एएआई, ईसीजीसी, एचएससीसी और आईओसी) ने सीएसआर के लिए कोष बनाया है (₹ 61.72 करोड़, ₹ 2.25 करोड़ ₹ 1.44 करोड़ और ₹ 1.32 करोड़)। यह सीएसआर के लिए लेखांकन पर जीएन का उल्लंघन है।

4.5.2.5 तिमाही वार खर्च

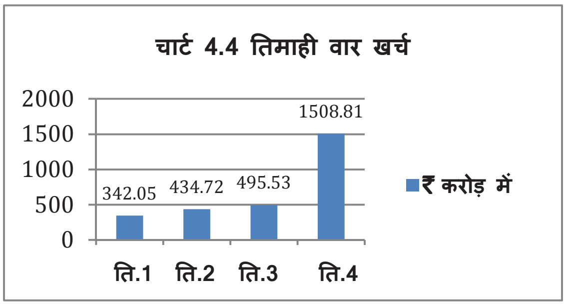

80 सीपीएसई (2 सीपीएसई अर्थात एसईसीआई एवं यूसीआईएल के लिए तिमाही वार ब्रेक-अप उपलब्ध नहीं है) द्वारा ₹ 1272.30 करोड़ पहली तीन तिमाहीयों में और अंतिम तिमाही में ₹ 1508.81 करोड़ (अग्रेनीत सहित) कुल खर्च किए थे। यह इंगित करता है कि अंतिम तिमाही में सीएसआर खर्च करने में शीघ्रता की थी। हालांकि, तिमाही 2 और तिमाही 3 में कुछ हद तक एकरूपता है। एमओआईएल एकमात्र सीपीएसई थी जिसने सभी 4 तिमाहीयों (क्रमश: ₹ 2.30 करोड़, ₹ 2.34 करोड़, ₹ 2.27 करोड़ और ₹ 2.71 करोड़) में सीएसआर खर्च को समान रूप से किया था। यद्यपि एआईईएल और एचपीसीएल को मार्च 2017 में ही बजट मंजूर किया गया था, लेकिन निधियां वर्ष में उपयोग नहीं की गयी थी। एचपीसीएल ने पहली 3 तिमाहीयों में ₹ 64.25 करोड़ और अंतिम तिमाही में ₹ 92.62 करोड़ खर्च किए। एआईईएल विनिवेश के लिए विचाराधीन था और इसलिए सभी प्रस्तावों को ताक पर रख दिया गया था। 9 सीपीएसई (एआईएटीएसएल बीएलआई, सीओएनएआईआर, गेल गैस, एचएससीसी, एचयूडीसीओ, केआईओसीएल, एनटीपीवीवीएन

और रेलटेल) ने केवल अंतिम तिमाही में खर्च किया था। सीएसआर में 22[36] सीपीएसई के लिए तिमाही 1 में शून्य और 15[37] सीपीएसई के लिए तिमाही 2 में शून्य खर्च किए थे।

4.5.2.6 शीर्ष खर्च करने वाला

2017-18 में 82 सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर किया गया कुल खर्च ₹ 3,338.60 करोड़ (प्रशासनिक उपरिव्यय सहित) था। ₹ 503.44 करोड़ (कुल सीएसआर खर्च का 15.08 प्रतिशत) के साथ ओएनजीसी उसके बाद आईओसीएल, एमसीएल, एनटीपीसी, और एनएमडीसी शीर्ष खर्च करने वाले थे। 2 सीपीएसई तेल क्षेत्र में दो कोयला और खनन क्षेत्र में और एक विद्युत क्षेत्र में है। ₹ 3,338.60 करोड़ के कुल सीएसआर खर्च के प्रति, 5 सीपीएसई ने कुल खर्च का 45.30 प्रतिशत अर्थात ₹ 1,512.92 करोड़ किया। महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न और अन्य सीपीएसई ने निम्नानुसार सीएसआर खर्च किया था:

- 7 महारत्न सीपीएसई: ₹ 1365.36 करोड़
- 14 नवरत्न सीपीएसई: ₹ 990.36 करोड़
- 44 मिनीरत्न सीपीएसई: ₹ 864.17 करोड़
- 17 अन्य सीपीएसई: ₹ 118.51 करोड़

4.5.2.7 सीएसआर व्यय की सीमा

10 सीपीएसई ने ₹ 100 करोड़ से अधिक, 7 सीपीएसई ने ₹ 50 और 100 करोड़ के बीच, 19 सीपीएसई ने ₹ 10 और ₹ 50 करोड़ के बीच और 11 सीपीएसई ने एक करोड़ रूपये से कम खर्च किए थे। अधिकतम सीपीएसई (35) ने ₹ 1-10 करोड़ की सीमा में खर्च किए थे।

चार्ट 4.7 सीएसआर व्यय की सीमा

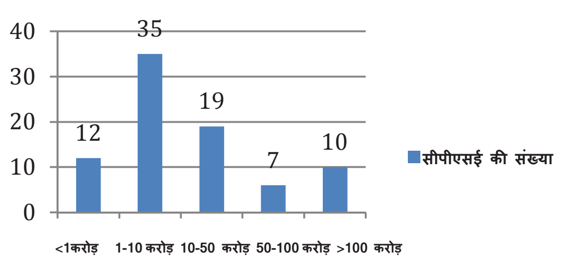

36 *एआईएटीएसएल, भेल, बीएलआईएल, सीएमपीडीआईएल, कोनकोर एयर, गेलगैस, एचएससीसी, हुडको, इरेडाआईआरएफसीएल, केआईओसीएल, एमईसीएल, एमआरपीएल, एनएफएल, एनटीपीएल, पीएचएल, रेलटेल, आरईसीपीडीसीएल, एससीआई, सीईसीआई, एसपीएमसीआईएल, टीसीआईएल*

37 *एआईएटीएसएल, एआईएक्सएल, बीएलआईएल, सीसीआई, कोन कोरएयर, गेलगैस, एचएससीसी, हुडको, आईआरएफसीएल, केआईओसीएल, एमआरपीएल, एनएफएल, रेलटेल, एसईसीआई, टीसीआईएल*

4.5.2.8 राज्यवार सीएसआर व्यय

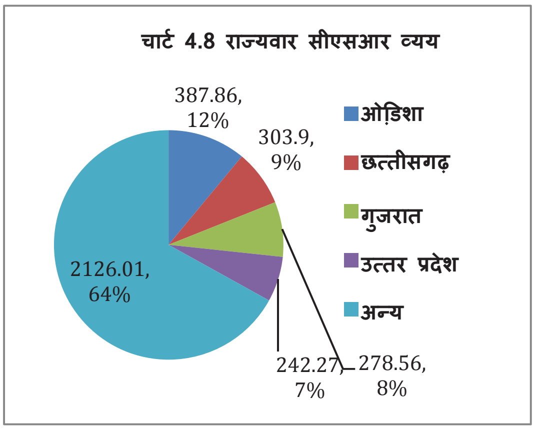

82 सीपीएसई में से 75 ने एक से अधिक राज्यों में सीएसआर गतिविधियां की और इस प्रकार 36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ***(परिशिष्ट-XXI)*** में से 35 को कवर किया गया है। दमन एवं दीव में कोई सीएसआर गतिविधि नहीं की गई थी। ओएनजीसी ने अधिकतम राज्यों (32) उसके बाद आईओसीएल (30), पीजीसीआईएल (23) और भेल (18) ने सीएसआर गतिविधियां की थी। 7 सीपीएसई (एआईएटीएसएल, कॉनकोर एयर, जीएसएल, एमसीएल, मिधानी, एनटीपीएल और पीएचएल) ने केवल एक राज्य अर्थात क्रमश: राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिसा, तेलंगाना, तमिलनाडु और दादरा नागर हवेली में खर्च किए थे। अधिकतम सीएसआर ओडिसा (₹ 387.86 करोड़) उसके बाद छत्तीसगढ़ (₹ 303.90 करोड़) गुजरात (₹ 278.56 करोड़), और उत्तर प्रदेश (₹ 242.27 करोड़) खर्च किए थे। इन चार राज्यों में कुल सीएसआर व्यय का 36.32 प्रतिशत हिस्सा बनता है। अडंमान एवं निकोबार (₹ 0.13 करोड़) दादरा एवं नगर हवेली (₹ 0.20 करोड़), मणिपुर (₹ 0.54 करोड़), नागालैंड (₹ 0.57 करोड़) और मिजोरम (₹ 0.59 करोड़) में सीएसआर व्यय सबसे कम/नगण्य था। दो राज्यों (उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र) में अधिकतम ध्यान दिया अर्थात् 41 सीपीएसई और 32 सीपीएसई द्वारा उसके बाद नई दिल्ली में 36 सीपीएसई द्वारा ध्यान दिया गया। लक्षद्वीप की ओर केवल एक सीपीएसई यथा सीएसएल द्वारा ध्यान दिया गया। मणिपुर, मिजोरम तथा पांडिचेरी प्रत्येक पर 3 सीपीएसई द्वारा ध्यान दिया और त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार और चंडीगढ़ प्रत्येक पर 2 सीपीएसई द्वारा ध्यान दिया गया। ₹ 3,338.60 करोड़ के कुल सीएसआर खर्चे में से जम्मू-कश्मीर और नार्थ ईस्ट का सीएसआर खर्चा क्रमश: ₹ 9.57 करोड़ (0.29 प्रतिशत) और ₹ 288.91 करोड़ (8.65 प्रतिशत) था।

4.5.2.9 क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

लेखापरीक्षा में 10 क्षेत्रों के 82 सीपीएसई को शामिल किया गया। 10 सीपीएसई द्वारा पेट्रोलियम क्षेत्र में (₹ 1,416.12 करोड़) अधिकतम खर्च किया गया उसके बाद 10 सीपीएसई द्वारा कोयला और खनन में (₹ 524.49 करोड़) अधिकतम खर्च किया गया

था। सबसे कम केवल ₹ 10.76 करोड़ 2 सीपीएसई द्वारा उर्वरक में खर्च किया था। यद्यपि अन्य/अवसंरचना क्षेत्र में सीपीएसई की संख्या अधिकतम (24) थी, केवल ₹ 223.94 करोड़ सीएसआर पर खर्च किए थे।

क्षेत्र और सीपीएसई की संख्या	2% राशि	कुल व्यय
विमानन - 4	80.22	73.51
खनन -10	401.53	524.49
रक्षा -2	88.87	95.68
उर्वरक -2	12.08	10.76
अन्य - 24	242.10	223.94
धातु -3	126.41	174.80
पेट्रोलियम - 10	1337.69	1416.12
विद्युत - 13	774.78	706.46
रेलवे -9	100.47	63.17
जहाजरानी - 5	42.29	39.71

9 सीपीएसई वाली रेलवे ने ₹ 100.47 करोड़ की निर्धारित राशि के प्रति ₹ 63.17 करोड़ व्यय किए और जहाजरानी (5 सीपीएसई) ने ₹ 39.71 करोड़ व्यय किए। रक्षा, धातु, खनन और पेट्रोलियम क्षेत्र ने निर्धारित राशि से अधिक व्यय किया। विमानन, उर्वरक, अन्य/अवसंरचना, विद्युत, रेलवे और जहाजरानी क्षेत्र में सीएसआर व्यय में कमी थी।

4.5.2.10 प्रशासनिक उपरिव्यय

सीएसआर नियम 4 (6) के अनुसार, प्रशासनिक उपरिव्यय (ओएच) को कुल सीएसआर निधि के 5 प्रतिशत तक सीमित रखा जाना है। अलग से उल्लिखित ओएच में आधारभूत अध्ययन, क्षमता निर्माण और अन्य उपरि व्यय को शामिल करना चाहिए। ₹ 3,338.60 करोड़ के कुल सीएसआर व्यय में से 48 सीपीएसई के लिए ओएच की औसत प्रतिशतता केवल 2.27 प्रतिशत अर्थात् ₹ 75.92 करोड़ था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- 29 सीपीएसई ने या तो किसी ओएच वहन नहीं किया या सीएसआर के तहत इसे शामिल नहीं किया था।
- ओएच का प्रमुख घटक वेतन (₹ 58.36 करोड़) था। ओएच के तहत कुल 25 सीपीएसई ने वेतन शामिल किया। 8 सीपीएसई (भेल, एचएएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, पीएफसीएल, पीजीसीआईएल, आरईसी और एसजेवीएन) की ₹ 1 करोड़ से अधिक वेतन था।
- 8 सीपीएसई अर्थात एएआई (14.73 प्रतिशत), बीडीएल (6.36 प्रतिशत), भेल (22.55 प्रतिशत), जीएसएल (5.9 प्रतिशत), आईआरईडीए (6.09 प्रतिशत), जेसीआई (29.26 प्रतिशत), केपीएल (19.23 प्रतिशत) और आरआईटीईएस (5.05 प्रतिशत) का ओएच 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक था।

- एमआरपीएल और ओआईएल को सीएसआर के तहत ओएच में शामिल नहीं किया जा रहा है। मिधानी ने ओएच में क्षमता निर्माण को शामिल नहीं किया है।
- यद्यपि आरसीएफ और आरआईटीईएस ने ओएच पर अलग से काम किया था, लेकिन सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में इसका खुलासा नहीं किया।

4.5.2.11 सीएसआर परियोजना से अधिशेष

सीएसआर नियम 6 (2) के अनुसार, सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा। 82 सीपीएसई में से, केवल 2 सीपीएसई (एचएएल और एसजेवीएन) ने सीएसआर परियोजना से अधिशेष के बारे में सूचित किया था। एचएएल ने पवन चक्की से उत्पन्न अधिशेष (₹ 7.37 करोड़) को सीएसआर निधियों में वापस रख दिया और 2017-18 में इसे पूरी तरह से खर्च किया था। एसजेवीएन ने ब्याज (₹ 0.65 करोड़) अर्जित किया जिसे सीएसआर में वापस रख दिया था। बीडीएल ने अधिशेष सीएसआर निधियों को सावधि जमाओं में निवेश किया था, जिसमें ब्याज (₹ 9.59 करोड़) को सीआरएस निधियों में वापस रखे जाने के बजाय व्यावसायिक आय के रूप में लिया था। किसी अन्य सीपीएसई ने सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधि से कोई अधिशेष उत्पन्न नहीं किया।

हित के विषय: ओएनजीसी की निम्नलिखित सीएसआर परियोजना एनबीसीसी के राजस्व का एक स्रोत था:

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने ओएनजीसी को सीएसआर के हिस्से के रूप में वाराणसी में चार ऐतिहासिक कुंडो/तालाबों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए कहा और साथ ही एनबीसीसी को संविदा लागत के आधार पर नौकरी के लिए अनुबंध करने का निर्देश दिया। (एजेंसी परियोजना लागत का 10 प्रतिशत शुल्क लेती है)। तदनुसार, ओएनजीसी ने नौकरी के लिए एनबीसीसी को ₹ 1.6 करोड़ के शुल्क सहित ₹ 16.68 करोड़ का भुगतान किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनबीसीसी जो अधिनियम के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के लिए अर्हता प्राप्त है, ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना की (अक्टूबर 2014) अर्थात् एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड (एनएसएल) जो अपनी ओर से या किसी अन्य सरकारी उपक्रम/कॉर्पोरेट निकाय/सोसायटी/ट्रस्ट/निजी संस्थान/गैर सरकारी संगठन आदि की

ओर से सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए निष्पादन और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करे। एनएसएल को संधारणीयता परियोजनाओं, विरासत-ईमारत जीर्णोद्धार कार्य आदि के लिए एक निष्पादन और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करना अनिवार्य है। इसलिए, मंत्रालय द्वारा एनबीसीसी को एनएलएस के माध्यम से उपरोक्त जीर्णोद्धार के कार्य करवाने का निर्देश देना चाहिए। इसके अलावा, एनबीसीसी को अपनी स्वयं की सीएसआर गतिविधियों के लिए इसके द्वारा अर्जित ₹ 1.6 करोड़ के मुनाफा का पुन: निवेश करना चाहिए।

4.5.3 परियोजना कार्यान्वयन

4.5.3.1 सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों का चयन

आधारभूत सर्वेक्षण और निर्धारण का संचालन: 82 सीपीएसई में से, 69 सीपीएसई ने सीएसआर परियोजना/गतिविधि की पहचान के लिए आधारभूत सर्वेक्षण और निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता थी, जिसमें से 34 सीपीएसई ने आधारभूत और निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता के संचालन पर ₹ 16 करोड़ का व्यय किया है। 13 सीपीएसई (एआईएटीएसएल, एआईईएल, बीडीएल, भेल, बीएलआई, सीसीआरईएल, सीडब्ल्यूसी, गेल गैस, गेल, आईआरएफसीएल, एमआरपीएल, एनएमडीसी और एनटीपीएल) ने कोई अलग से आधारभूत सर्वेक्षण संचालित नहीं किया है।

4.5.3.2 सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका

कंपनी (सीएसआर) नियमावली, 2014 के नियम 4 विशेष रूप से धारा 135 (1) के तहत सीएसआर गतिविधि को संचालित करने के तरीके से संबंधित है। बोर्ड अपनी सीएसआर गतिविधियों को एक पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी या एक कंपनी द्वारा स्थापित की गई कंपनी या उसके होल्डिंग या सहायक या सहयोगी कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 8 के तहत या अन्यथा के माध्यम से सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित करने का निर्णय लिया जा सकता है। 9088 सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन का तरीका निम्नानुसार था:

- **प्रत्यक्ष/आंतरिक:** कुल 2616 परियोजनाएं सीपीएसई द्वारा प्रत्यक्ष/आंतरिक रूप से फाउंडेशन (ओएनजीसी, एमओआईएल और आरईसी द्वारा फाउंडेशन के माध्यम से कुछ सीएसआर परियोजनाओं को शुरू किया) के माध्यम को शामिल करते हुए कार्यान्वित की गई थी।

- **बाह्य एजेन्सीयां:** सरकार/बाह्य एजेन्सियों, एनजीओ, सोसायटी आदि के माध्यम से 6185 परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया था।
  - एनपीसीआई द्वारा की गई 287 गतिविधियों के संबंध में बाहरी और आंतरिक में ब्रेकअप उपलब्ध नहीं है।

सीपीएसई ने कुल 1703 परियोजनाओं के संबंध में निविदा का प्रयोग किया और 932 परियोजनाओं को नामांकन के आधार पर आरंभ किया गया था।

4.5.3.3 केन्द्र बिन्दु के क्षेत्र

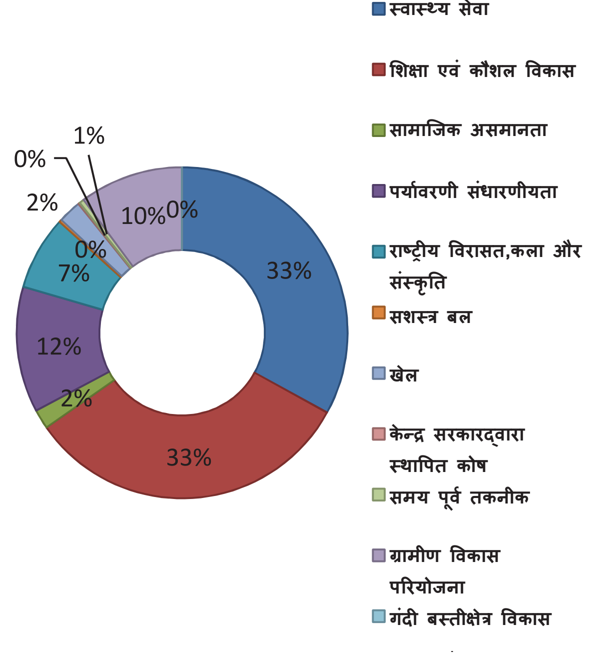

चार्ट 4.9 केन्द्रित क्षेत्र

जैसाकि चार्ट में संकेत किया गया है, स्वास्थ्य पर अधिकतम ध्यान (32.66 प्रतिशत) दिया। इस शीर्ष के तहत कुल व्यय ₹ 1090.41 करोड़ हुआ। अगला अधिकतम व्यय (₹ 1067.79 करोड़) शिक्षा में यानि 31.98 प्रतिशत था। केन्द्र सरकार निधि (₹ 5.40 करोड़) और सशस्त्र बलों के कल्याण (₹ 8.35 करोड़) और झुग्गी-झोपड़ी विकास के लिए योगदान (₹ 0.12 करोड़) का सबसे कम केन्द्रीत क्षेत्र था। बीएलआई ने पूरी सीएसआर राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवा दिया। सीसीआईएल ने स्वच्छ भारत (एसबी) पर पूरी सीएसआर राशि व्यय की और केपीएल ने एसबी कोष की सीएसआर निधियों का 80.63 *प्रतिशत* योगदान दिया था। शिक्षा में ₹ 395.09 करोड़ और कौशल विकास में ₹ 187.66 करोड़ में अवसंरचना का सहयोग था। स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता में ₹ 534.38 करोड़ और अवसंरचना को सहयोग ₹ 132.31 करोड़ था। ओएनजीसी ने मद वार क्षेत्रों को केन्द्रित क्षेत्रों में बनाए नहीं रखा था। हालांकि, ओएनजीसी ने नागपुर और असम में अस्पतालों की स्थापना में ₹ 100 करोड़ (कुल ₹ 264.98 करोड़ में से) से अधिक राशि व्यय की थी। ओएनजीसी द्वारा शिक्षा पर कुल व्यय ₹ 132.03 करोड़ था।

4.5.3.4 स्थानीय क्षेत्र

अधिनियम की धारा 135 (5) प्रावधान करता है कि कंपनी स्थानीय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को वरीयता देगी जहां वह सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि व्यय करने के लिए काम करती है। 82 सीपीएसई में से, 19[38] सीपीएसई ने नीति में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया। ₹ 3338.60 करोड़ के कुल सीएसआर व्यय में से, स्थानीय क्षेत्रों में व्यय ₹ 2142.28 करोड़ (47 सीपीएसई) यानी 64.16 *प्रतिशत था*। 18[39] सीपीएसईएस ने स्थानीय क्षेत्रों में 100 *प्रतिशत* व्यय किए और 10 सीपीएसई ने स्थानीय क्षेत्रों में 70 प्रतिशत से अधिक व्यय किया (बीईएल, भेल, सीसीएल, कॉनकॉर, सीपीसीएल, ईआईएल, केआरसीएल, एनएचडीसी, एनएलसी और एनआरएल)। बीपीसीएल द्वारा शुरू की गई कुल 191 परियोजनाओं में से 146 स्थानीय क्षेत्रों में यानी 76.43 *प्रतिशत* थी। हालांकि, मूल्य के संदर्भ में अन्य क्षेत्रों में ₹ 110 करोड़ के प्रति स्थानीय व्यय केवल ₹ 56 करोड़ (लगभग) यानी 34 *प्रतिशत* था। बीएलआई ने संपूर्ण राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। 16 सीपीएसई (बीडीएल, बीएलसी, बीपीसीएल, सीसीएल, कानकोर एअर, गेल, एचपीसीएल, इरकॉन, केपीएल, एमडीएल, एमआरपीएल, एनएफएल, ओआईएल, ओएनजीसी, एसईसीएल और एसपीएमसीआईएल) ने 5 से 70 प्रतिशत के बीच स्थानीय क्षेत्रों में व्यय किया था। सीएसआर पर रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार, स्थानीय और अन्य क्षेत्रों में व्यय की गई राशि को अलग दिखाना होगा। 35 सीपीएसई (एएआई, एआईईएल, एआईएटीएसएल, सीसीआई, सीडब्ल्यूसी, ईसीजीसी, गेलगैस, एचएससीसी, हुडको, आईआरसीटीसी, आईआईएफसी, इरेडा, आईआरएफसी, आईटीपीओ, जेसीआई, केआईओसीएल, एमईसीएल, मिधानी, एमएसटीसी, एनबीसीसी, एनसीएल, नीपको, एनएसआईसीएल, एनटीपीवीवीएन, पीएफसीएल, पीएचएल आरईसीसीएल, आरईपीडीसीएल, आरआईटीईएस, एससीआई, एसईसीआईएसजेवीएन, टीसीआईएल और टीएचडीसी यूसीआईएल, वैपकास) ने सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में स्थानीय क्षेत्र को निर्दिष्ट नहीं किया। हालांकि, तीन सीपीएसई बीडीएल, मिधानी और

---

[38] *एंट्रिक्स, बीडीएल, बीईएल, बीएलआई, सीएसएल, ईसीजीसी, सीडब्ल्यूसी, हुडको, आईआईएफसी, आईओसीएल, इरेडा, आईटीपीओ, केआईओसीएल, कोंकण रेलवे, एमएसटीसी, पीएफसीएल, आरपीडीसी, एससीआई और एसजेवीएन*

[39] *एआईईएल, बीईएमएल, सीसीआई, सीएमपीडीआईएल, सीएसएल, जीएसएल, आईओसीएल, एमसीएल, एमओआईएल, नाल्को, एनएचपीसी, एनएमडीसी, एनपीसीआईएल, एनटीपीसीएल, एनटीपीएल, पीजीसीआईएल, आरसीएफ और रेल विकास निगम लिमिटेड*

जीएसएल ने उस राज्य में व्यय किया है जहां यह स्थित है अर्थात् (तेलंगाना/ गोवा)। 1 सीपीएसई (एचएससीसी) के संबंध में 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का इंतजार किया गया था।

4.5.3.5 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं/परियोजनाओं की निधीयन

भारत सरकार(जीओआई) ने समाज के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की शुरुआत की और निधीयन के लिए सीपीएसई से संपर्क किया। सीपीएसई अधिनियम की अनुसूचीVII की शर्तों को पूरा करने के लिए सीएसआर के अधीन ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं के निधीयन पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे अर्थात् इसमें दस व्यापक श्रेणियों यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक समानता, राष्ट्रीय विरासत की सुरक्षा, सशस्त्र बलों की मर्यादा, ग्रामीण विकास और झुग्गी विकास का उल्लेख होना चाहिए। इन व्यापक शीर्षों के तहत आने वाली परियोजनाएं और योजनाएं सीएसआर के तहत निधीयन के लिएयोग्य होंगी। लेखापरीक्षा ने सीएसआर के तहत सीपीएसई द्वारा कुछ जीओआई के परियोजनाओं के निधीयन की समीक्षा की और निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

1. स्वच्छ भारत (एसबी) मिशन

अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, डीपीई ने सीपीएसई को गंगा कायाकल्प के लिए एसबी मिशन और स्वच्छ गंगा निधि पर सीएसआर निधि का 33 प्रतिशत खर्च करने का निर्देश (अगस्त 2016) दिया। एमओयू के तहत निष्पादन मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों (जनवरी 2018) के अनुसार, सीपीएसई को एसबी पर अनुपालन पूरा करना होगा। एसबी मिशन के तहत अनुमत घटकों का निम्न में योगदान था:

(i) एसबी कोष,

(ii) प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना (पीएमयूवाई) और

(iii) स्वच्छ गंगा निधि

73 सीपीएसई द्वारा एसबी पर कुल व्यय ₹ 1019.16 करोड़ (एसबी पर ₹ 829.27 करोड़ + स्वच्छ गंगा पर ₹ 47.04 करोड़ + पीएमयूवाई पर ₹ 142.85 करोड़) यानी कुल सीएसआर व्यय का 30.52 प्रतिशत था। 8 सीपीएसई (एआईएटीएसएल, बीईएमएल, बीएलआईएल, एमएसटीसी, एनटीपीएल, रेलटेल, आरईडीपीसीएल और यूसीआईएल) ने एसबी पर व्यय नहीं किया। 23 सीपीएसई ने एसबी कोष को कुल ₹ 137.08 करोड़ दिए, 4 सीपीएसई (बीपीसीएल, सीपीसीएल एचपीसीएल, आईओसीएल) ने पीएमयूवाई के लिए कुल ₹ 142.85 करोड़ का योगदान दिया (कुल सीएसआर व्यय का 4.29 प्रतिशत) और 12 सीपीएसई (एएआई, सीएसएल, सीपीसीएल, एचएससीसी एमडीएल, इरकॉन, आईआरएफसी, आईटीपीओ, एसईसीएल, एसईसीआई, एसपीएमसीआई और टीसीआईएल) ने स्वच्छ गंगा कोष में कुल ₹ 47.04 करोड़ का योगदान दिया। इस प्रकार, एसबी पर कुल कमी 2.48 प्रतिशत थी। 26 सीपीएसई ने एसबी पर 33 प्रतिशत से अधिक और 47 सीपीएसई ने 33 प्रतिशत से कम व्यय किया (**परिशिष्ट-XXII** में विवरण)।

मंत्रालय ने अपने जवाब में बताया (अगस्त 2019) कि पीएमयूवाई एसबी कोष का हिस्सा नहीं हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि 6 सीपीएसई[40] के लिए जून 2016 में पीएमयूवाई योजना के कार्यान्वयन के तोर-तरीकों के अनुसार 2 प्रतिशत सीएसआर निधि के 20[41] प्रतिशत निधियों की सीमा तक पीएमयूवाई योजना पर प्रयुक्त होगा। एमओपीएनजी की वेबसाइट पर पीएमयूवाई योजना पर स्वच्छ भारत का लोगो उपस्थित है।

2. कौशल विकास संस्थान

एमओपीएनजी ने जनवरी 2015 में ऑयल पीएसयू को कौशल विकास संस्थान (एसडीआई) की स्थापना के लिए निर्देश दिए। प्रत्येक पीएसयू को एक एसडीआई को आश्रय और अन्य पीएसयू द्वारा एसडीआई को आश्रय देने में सहायता प्रदान करनी थी। कुल 6 एसडीआई (विशाखापत्तनम-एचपीसीएल, भुवनेश्वर-आईओसीएल, कोच्चि-बीपीसीएल, अहमदाबाद-ओएनजीसी, गुवाहाटी-ओआईएल और रायबरेली-गेल) स्थापित किए गए हैं। 2017-18 में, तेल पीएसयू और ईआईएल ने एसडीएस (बीपीसीएल - ₹ 5.5 करोड़, गेल - ₹ 1.5 करोड़, एचपीसीएल - ₹ 9 करोड़, आईओसीएल- ₹ 10 करोड़, ओआईएल - ₹ 4.55 करोड़, ओएनजीसी - ₹ 6 करोड, ईआईएल - ₹ 2.25 करोड़) के

40 *ओएनजीसी, ओआईएल, गेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल*

41 *हालांकि सीपीसीएल ने सीएसआर के अंतर्गत् पीएमयूवाई के लिए ₹ 0.92 करोड़ खर्च करने हेतु अनुमति नहीं दी, आईओसीएल ने ₹ 14.42 करोड़ द्वारा 20 प्रतिशत की सीमापार कर दी।*

लिए कुल ₹ 38.45 करोड़ का योगदान दिया। एसडीआई कोच्चि का केन्द्र बिन्दु "विदेशी प्लेसमेंट" होना बताया गया है। 6 एसडीआई में से, 5 परिचालन में हैं और एसडीआई रायबरेली को परिचालन में लाया जाना बाकी है।

3. भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान के कॉर्पस फंड

एमओपीएनजी ने (दिसंबर 2016) तेल पीएसयू (ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, ओआईएल और गेल) से अनुरोध किया कि वह विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) की स्थापना के लिए ₹ 200 करोड़ का योगदान करें। ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल और ओआईएल ने 2016-17 (₹ 125 करोड़) और 2017-18 (₹ 45 करोड़) के दौरान कॉर्पस फंड में कुल ₹ 170 करोड़ का योगदान दिया। विवाद के कारण अप्रैल 2018 तक, राज्य सरकार द्वारा भूमि को सौंपा जाना अभी बाकी था और इस तरह का निर्माण कार्य शुरू होना अभी बाकी है। इस बीच, आईआईपीई, आंध्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एक अस्थायी परिसर से काम कर रहा है और 2016-17 से शैक्षणिक सत्र संचालित कर रहा है। इस प्रकार, कोष का उपयोग किया जाना अभी बाकी है। व

4. राष्ट्रीय तेल संग्रहालय

एमओपीएनजी ने 1984 में राष्ट्रीय तेल संग्रहालय के लिए वापस प्रस्ताव शुरू किया। 1997-2002 के दौरान, तेल सार्वजनिक उपक्रमों ने इसके लिए ₹ 5.47 करोड़ का योगदान दिया। इसके बाद, 34 वर्षों तक कोई प्रगति नहीं हुई। 2016-17 में प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया गया और ओआईएल को संग्रहालय की गतिविधियों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई। ओआईएल ने (अगस्त 2017) तेल पीएसयू और ईआईएल को संग्रहालय की अनुमानित लागत (₹ 88.96 करोड़) के निधीयन के लिए लिखा था (2005 में अनुमानित लागत ₹ 30 करोड़ थी)। 2017-18 में, बीपीसीएल एकमात्र सीपीएसई था जिसने सीएसआर के तहत अनुसूची VII की श्रेणी (v) के तहत विचार करके ₹ 14.83 करोड़ का योगदान दिया, अर्थात राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण, ऐतिहासिक महत्व का स्थल और पुस्तकालय का निर्माण। संग्रहालय का निर्माण अभी बाकी है।

डीपीई ने अपने उत्तर (जुलाई 2019) में बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षित विभिन्न मद वे हैं जो डीपीई के दायरें में नहीं आते हैं जैसे कि तेल क्षेत्र की सीपीएसई द्वारा कौशल विकास संस्थान की स्थापना, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान की कौपर्स

निधि, राष्ट्रीय तेल संग्रहालय आदि। ये सीपीएसई और अन्य स्रोतों से लेखापरीक्षा द्वारा एकत्रित सूचना पर आधारित हैं। डीपीई नें यह भी बताया कि प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने हेतु लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित मंत्रालय/सीपीएसई की टिप्पणियों पर विचार किया जाए। कार्रवाई अंतिम रिपोर्ट पर की जाएगी।

उत्तर को तथ्य के ध्यान में रखते हुए देखा जाए कि तेल सीपीएसई ने सीएसआर निधियों को इन परियोजनाओं पर खर्च किया और इनके कार्यान्वयन की स्थिति को अध्याय में प्रदर्शित किया गया है। जहां आवश्यक था सीपीएसई के उत्तर पर विचार करने के बाद सीएसआर पर अध्याय को अंतिम रूप दिया गया है।

4.5.3.6 सीपीएसई द्वारा आरंभ की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निष्कर्ष

(i) सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक उपक्रम के लिए जल बेंचमार्किंग अध्ययन

ग्लोबल कॉम्पेक्ट नेटवर्क इंडिया (जीसीएनआई) संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पेक्ट न्यू यॉर्क के भारतीय स्थानीय नेटवर्क ने भारत में थर्मल पावर जनरेशन, आयरन एंड स्टील, ऑयल एंड गैस, पेपर-पल्प, फर्टिलाइजर्स और ऑटोमोटिव सेक्टर के सामने आने वाले पानी से संबंधित रुझानों और चुनौतियों का पता लगाने के लिए वॉटर इंडेक्स/बेंचमार्किंग पर अध्ययन के लिए ओएनजीसी से वित्त हेतु अनुरोध (मई 2016) किया। ओएनजीसी ने जीसीएनआई कोअध्ययन के लिए 2017-18 में ₹ 0.50 करोड़ का सहयोग दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि अध्ययन में शामिल लगभग 30 कंपनियां और सभी व्यावसायिक संस्थाएं जैसे बीएचईएल, गेल (इंडिया) लिमिटेड, जेके पेपर लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स आदि जीसीएनआई की सदस्य थीं। जीसीएनआई की निधीयन सदस्यता शुल्क के माध्यम से होती है। चूंकि अध्ययन इन निजी और सार्वजनिक वाणिज्यिक सदस्य कंपनियों के लाभ के लिए विशेष रूप से किया गया था, इसलिए परियोजना लागत को सदस्य कंपनियों द्वारा अपने व्यापार निधि से साझा किया जाना चाहिए था। हालांकि अध्ययन का विषय अनुसूची VII के अनुरूप था, लक्ष्य समूह को देखते हुए सीएसआर के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने उत्तर (अगस्त 2019) में बताया कि एमसीए 21 के पोर्टल पर फाईल किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार ओएनजीसी ने जीसीएनआई में काई योगदान

नहीं किया। ओएनजीसी द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार ओएनजीसी ने 2017-18 में जीसीएनआई को चरण-।। के अध्यन हेतु ₹ 0.50 करोड़ की राशि का सहयोग दिया।

(ii) निजी क्षेत्रों में जल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ओएसडी के अनुरोध के आधार पर, ओएनजीसी ने स्वच्छ मंत्री की डोईवाला निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 3 सौर आधारित रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) जल शुद्धिकरण संयंत्रों (₹ 0.31 करोड़) की स्थापना की थी। इस परियोजना को शार्प डेवलपमेंट के साथ इसके प्रौद्योगिकी साझेदार जीकेएमएनर्जी, सोलर सिस्टम के निर्माता द्वारा कार्यान्वित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ओएसडी द्वारा चुने गए स्थानों पर दो मंदिर और एक विवाह हॉल यानी एक वाणिज्यिक इकाई थे। दो आरओ संयंत्र मंदिरों की छत पर और एक आरओ संयंत्र शादी के हॉल के परिसर के अंदर लगाया गया था। जैसा कि सीएसआर स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपे गए एजेंडे में कहा गया है, 5 साल बाद, यह व्यवस्था, लागू करने वाली एजेंसी द्वारा स्थानीय गवर्निंग बॉडी को सौंप दी गई थी। हालांकि, मंदिर और मैरिज हॉल सरकारी संपत्ति नहीं हैं। आरओ वाटर संयंत्र को सार्वजनिक स्थानों जैसे नगरपालिका, पब्लिक स्कूल, रेलवे स्टेशन आदि में स्थित होना चाहिए।

(iii) सीएसआर के तहत व्यवसाय के सामान्य अवधि में गतिविधि

इरडा ने सीएसआर के तहत विभिन्न स्थानों में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता (₹ 0.52 करोड़) प्रदान की थी। सीएसआर नियम 6 के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों में व्यवसाय के सामान्य अवधि के अनुसरण में शुरू की गई गतिविधियाँ शामिल नहीं होनी चाहिए। इरडा का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता के माध्यम से नए और नवीकरणीय स्रोतों और रूढ़िवादी ऊर्जा के माध्यम से बिजली और/ऊर्जा पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता देना है। इसलिए उपरोक्त निधीयन सीएसआर के रूप में योग्य नहीं है।

4.3.5.7 उल्लेखनीय परियोजनाएं

82 सीपीएसई ने शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण के चार केंद्रित क्षेत्रों में 2017-18 में कुल 9088 सीएसआर परियोजनाएं शुरू कीं। शिक्षा के तहत स्कूलों की स्थापना/निर्माण के लिए विशेष/नि: शक्तजन बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा के लिए

सहायता प्रदान करने में कुल खर्च ₹ 395.09 करोड़ की का हुआ। स्वास्थ्य पर व्यय ₹ 132.30 करोड़ था जिसमें अस्पतालों की स्थापना, मोबाइल मेडिकल वैन/एंबुलेंस, स्वास्थ्य शिविर आदि प्रदान करना शामिल था। कौशल विकास (₹ 1876.65 करोड़) में युवाओं और अल्प सुविधा प्राप्त को प्रशिक्षणशामिल थे। पर्यावरण (₹ 410.61 करोड़) में जानवरों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों, वृक्षारोपण, ईंधन संयंत्र के अपशिष्ट आदि शामिल थे, कुछ उल्लेखनीय परियोजनाएँ नीचे सूचीबद्ध हैं:

सीपीएसई	उल्लेखनीय परियोजना
शिक्षा	
एचपीसीएल	परियोजना नन्ही कली लड़कियों -के लिए शिक्षा,परियोजना अनुकूलन -विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा और चिकित्सा हेतु सहायता
एमएसटीसी	पश्चिम बंगाल मेंअनाथों/ शोषित/मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए स्कूल भवन
एनएमडीसी	विकलांग/मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए आवासीय स्कूल
पीजीसीआईएल	विकलांग के लिए स्कूल सह-छात्रावास
रोजगार और कौशल विकास	
बीपीसीएल	कुष्ठ प्रभावित और वंचित व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण
सीपीसीएल, ईआईएल, एचपीसीएल, एमओआईएल, एनएफएल, एनएचडीसी, एनपीसीआईएल, ओआईएल, एसएमपीसीआईएल	युवाओं, महिलाओं, संविदाकर्मियों आदि को कौशल विकास प्रशिक्षण
गैल	प्रोजेक्ट उत्कर्ष-हाशिए पर रहने वाले छात्रों को आईआईटीजेईई प्रशिक्षण।
पर्यावरण	
ईआईएल, आईओसीएल, एनएचडीसी, ओएनजीसी	ईंधन संयंत्र का अपशिष्ट, जैव सीएनजी बॉटलिंग और गोबर/सब्जी कचरे को ठोस खाद/उर्वरक में परिवर्तित करने के लिए उर्वरक संयंत्र,

4.5.4 निगरानी ढांचा

चार्ट 4.10 निगरानी तंत्र

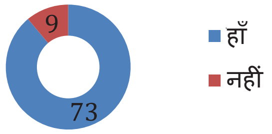

सीएसआर नियमावली, 2014 के नियम 5 (2) के अनुसार, सीएसआर समिति, कंपनी द्वारा शुरू किए गए सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी। डीपीई ने का.ज्ञा. दिनांक 01.08.2016 के अनुसार सीपीएसई को सीएसआर की निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के लिए एक संस्थागत तंत्र रखने का निर्देश दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 82 सीपीएसई, 9 सीपीएसई (बीएलआई, कॉनकोर एयर, सीडब्ल्यूसी, ईआईएल, जीसीआई, यूसीआईएल, आईओसीएल, एनएलसी, और एनटीपीएल) ने नीति में निगरानी तंत्र को निर्दिष्ट नहीं किया। जबकि 12 सीपीएसई ने कोई समीक्षा बैठक नहीं की, 17 सीपीएसई ने मासिक समीक्षा बैठकें की, 31 सीपीएसई त्रैमासिक (जेसीआई सहित, जिनके पास यद्यपि सीएसआर नीति नहीं थी) बैठक आयोजित की गई, 6 सीपीएसई छमाही और 16 सीपीएसई ने परियोजना की आवश्यकता के अनुसार नियमित बैठकें कीं।

मूल्यांकन: सीपीएसई, सीएसआर परियोजना/गतिविधि के प्रकार पर निर्भर रहते हुए मामले के आधार पर प्रभाव निर्धारण कर रहे हैं। 2017-18 में, 82 सीपीएसई में से, केवल 14 सीपीएसई ने प्रभाव निर्धारण किया। बीएलआई ने पीएमआरएफ को पूरे सीएसआर निधि का योगदान दिया, इसलिए वहां निगरानी और निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं थी। बीपीसीएल में 2017-18 के निर्धारण के लिए कोई परियोजना बकाया नहीं थी। 12 सीपीएसई (एएआई, एआईएटीएसएल, भेल, गेल, जीएसएल, आईटीपीओ, एमडीएल, एनएएल, ओआईएल, ओएनजीसी, आरईटीएस और एसजेवीएन) ने बाहरी एजेंसियों के माध्यम से प्रभाव निर्धारण प्राप्त किया है। एचएएल और आईओसीएल सीएसआर गतिविधियों के प्रभाव का आंतरिक रूप से/अनौपचारिक आंतरिक रूप से रूप से साइट विजिट और परामर्श के माध्यम से आकलन करते हैं। प्रभाव निर्धारण पर कुल व्यय ₹ 1.58 करोड़ (15 सीपीएसई के लिए) था।

4.5.5 रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

अधिनियम की धारा 134 (3) (ओ) के साथ पठित धारा 135 (2) और (4) के अनुसार कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट को शामिल करने और

इसे आधिकारिक वेबसाइट रखने की आवश्यकता होती है। कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित का खुलासा करना होगा:

1. सीएसआर नीति की सामग्री, सीएसआर नीति की वेब लिंक, औसत निवल लाभ, सीएसआर समिति की संरचना, प्रशासनिक उपरिव्यय, निर्धारित राशि, अव्ययित राशि, अव्ययित राशि के कारणों का खुलासा करना।

2. सीएसआर समिति द्वारा हस्ताक्षरित एक उत्तरदायित्व विवरण शामिल करें कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर उद्देश्य और कंपनी की नीति के अनुपालन में था।

82 सीपीएसई द्वारा अनुपालन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां[42] निम्नानुसार हैं:

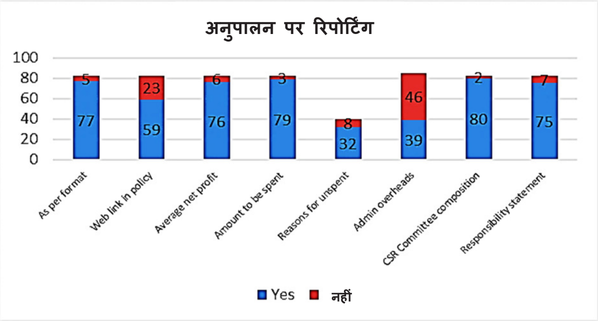

- ➢ 4 सीपीएसई (सीडब्ल्यूसी, एचएससीसी, एसईसीआई और यूसीआईएल) ने निर्धारित प्रारूप को नहीं अपनाया।
- ➢ 20 सीपीएसई (परिशिष्ट-XXIII के अनुसार) ने रिपोर्ट में वेब लिंक नहीं दर्शाया।
- ➢ 5 सीपीएसई (सीएमपीडीआईएल, एचएससीसी, एनआरएल, एसईसीआई और यूसीआईएल) ने पिछले 3 वित्तीय वर्ष के लिए औसत निवल लाभ नहीं दर्शाया।
- ➢ 1 सीपीएसई (एचएससीसी) ने व्यय की जाने वाली राशि का संकेत नहीं दिया और 2 सीपीएसई (सीएमपीडीआईएल और एचएससीसी) ने अव्ययित राशि का विवरण नहीं दिया। ₹ 38.61 लाख की अव्ययित राशि केविपरीत, गेल गैस ने ₹ 1.12 लाख को अव्ययित राशि के रूप में दिखाया है।
- ➢ 53 सीपीएसई में से जिनमें प्रशासनिक परिव्यय हुआ था, 10 सीपीएसई परियोजना के प्रत्यक्ष और उपरिव्यय खर्चों पर अलग से रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। (सीडब्ल्यूसी, जीएसएल, आईटीपीओ, जेसीआई, एनएसआईसी, पीजीसीएल, आरसीएफ, आरईसीएल, यूसीआईएल और डब्ल्यूएपीसीओएस)

---

[42] *1 सीपीएसई के संबंध में रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर (2017-18 के लिए रिपोर्ट प्रतिक्षित)।*

- 39 सीपीएसई में से, जिसने (वर्तमान वर्ष की) सीएसआर निधि को पूरी तरह से खर्च नहीं किया, 3 सीपीएसई (सीसीआई, सीडब्ल्यूसी और ईसीजीसी) ने कमी का कारण नहीं बताया।
- 2 सीपीएसई (एनआरएल और एसईसीआई) को छोड़कर सभी ने रिपोर्ट में सीएसआर समिति की संरचना दी थी। एचएससीसी ने प्रारूप में नहीं दिया।
- 6 सीपीएसई (सीसीआई, ईसीजीसी, एचएससीसी, एनएसआईसीएल, एसईसीआई और यूसीआईएल) ने उत्तरदायित्व विवरण को शामिल नहीं किया
- केपीएल दवारा उत्तरदायित्व विवरण में निगरानी तंत्र के अस्तित्व पर टिप्पणी कीगई और सीएसआर नीति के अनुपालन की स्थिति पर नहीं।

4.6 निष्कर्ष

80 सीपीएसई ने सीएसआर समिति के गठन और सीएसआर नीति तैयार करने के संबंध में अधिनियम और सीएसआर नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है। दो सीपीएसई ने आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया (एसईसीआई ने सीएसआर समिति का गठन नहीं किया और जेसीआई के पास सीएसआर नीति नहीं थी)। पाँच सीपीएसई ने सीएसआर निधि का2 फीसदी व्यय किया, 43 सीपीएसई ने 2 फीसदी से ज्यादाव्यय किया और 34 सीपीएसई ने 2 फीसदी से कम व्यय किया। प्रशासनिक उपरिव्यय 8 सीपीएसई के लिए समग्र सीएसआर बजट की 5 प्रतिशत की सीमा को पार कर गया।एचएएल और एसजेवीएन ने सीएसआर निधियों में अधिशेष वापस कर दिया था और बीडीएल ने इसे व्यावसायिक आय के रूप में दिखाया था। पिछले वर्ष की तरह शिक्षा और स्वास्थ्य ने अधिकतम निधीयन प्राप्त किया हैं। 72 सीपीएसई के संबंध में निगरानी तंत्र लागू था। इरडा ने सीएसआर के तहत सामान्य व्यावसायिक गतिविधि को शामिल किया था। पैरा 4.5.3.6 में टिप्पणी की गई परियोजनाओं को छोड़कर, सीएसआर गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन में पारदर्शिता और उचित परिश्रम था।

अध्याय V

प्रशासनिक मंत्रालयों और मिनीरत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

5.1 प्रस्तावना

समझौता ज्ञापन (एमओयू) चुने हुए मापदंडों पर लक्ष्य तय करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय और केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के प्रबंधन के बीच एक पारस्परिक रूप से बातचीत किया गया समझौता है, आम तौर पर एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले और इन लक्ष्यों के निष्पादन को देखने के लिए वर्ष के अंत में परिणाम मूल्यांकन किया गया। इसमें सीपीएसई और सरकार के इरादे, दायित्व और पारस्परिक जिम्मेदारियां शामिल हैं और नियंत्रण और प्रक्रियाओं द्वारा प्रबंधन के बजाय परिणामों और उद्देश्यों द्वारा सीपीएसई प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में निर्देशित किया जाता है। सीपीएसई की सहायक कंपनियों को अपनी होल्डिंग कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है।

5.2 एमओयू नीति के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) सीपीएसई और प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच एक सुविधा के रूप में कार्य करती है और सीपीएसई के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। यह एक ऐसी प्रणाली प्रदान करती है जिसके माध्यम से एमओयू लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और एमओयू के लिए दोनों पक्षों की प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन वर्ष के अंत में किया जा सकता है इसके अलावा एमओयू को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक तकनीकी इनपुटों में सुधार किया जा सकता है। इस संस्थागत व्यवस्था और उनके इंटर-लिंक का विवरण निम्नानुसार है:

- **पूर्व-वार्ता समिति:** पूर्व-वार्ता समिति (पीएनसी) में संयुक्त सचिव/सलाहकार जो डीपीई में एमओयू देख रहे हैं, सीपीएसई के साथ प्रशासनिक मंत्रालय के संयुक्त सचिव/सलाहकार, सीपीएसई, निदेशक (एमओयू) के डोमेन से संबंधित, सलाहकार (नीति आयोग), प्रत्येक सीपीएसई के संबंध में विस्तार में एमओयू लक्ष्यों की

जांच करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निदेशक (एमओयू) एवं प्रतिनिधि शामिल हैं। पूर्व-वार्ता समिति की भूमिका (पहले एमओयू पर स्थायी समिति के रूप में जानी जाती है), निष्पादन मेंसुधार को मापने के लिए और लक्ष्य निर्धारण के लिए सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक मापदंडों का निर्धारण करने में अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की सहायता करनी होगी। आईएमसी की बैठक से पहले प्रत्येक मामले में पूर्व-वार्ता समिति (पीएनसी) की बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि एमओयू मापदंडों और लक्ष्यों को देखने, चर्चा करने, बातचीत करने और सिफारिश करने पर विचार किया जा सके।

- **अंतर-मंत्रालयी समिति:** एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) टास्क फोर्स का एक वैकल्पिक तंत्र है जो तब तक एमओयू वार्ता, लक्ष्य निर्धारण और सीपीएसई के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करती हैं। आईएमसी में इसके अध्यक्ष के रूप में सचिव डीपीआई, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव या उनके प्रतिनिधि, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिवया उनके प्रतिनिधि, नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव या इसके वरिष्ठ प्रतिनिधि इसके अन्य सदस्य हैं। सचिव, डीपीई किसी भी अधिकारी को सहयोगित कर सकता है जो आवश्यकता महसूस होने पर मामले में वित्त विशेषज्ञ है। समिति की संरचना में कोई भी बदलाव कैबिनेट सचिव के अनुमोदन से किया जाएगा। आईएमसी की भूमिका वर्ष की शुरुआत से पहले सीपीएसई के एमओयू लक्ष्यों को तय करने में एमओयू और डीपीई पर उच्च शक्ति समिति पावर कमेटी (एचपीसी) की सहायता करना और उस वर्ष के पूरा होने के बाद एमओयू का निष्पादन का मूल्यांकन करना है।

- **उच्च अधिकार प्राप्त समिति:** संस्थागत व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर उच्च शक्ति समिति (एचपीसी) है, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष और वित्त सचिव, सचिव (व्यय), सचिव (योजना आयोग), सचिव (कार्यक्रम कार्यान्वयन), अध्यक्ष (सार्वजनिक उद्‌यम चयन बोर्ड) और सदस्य के रूप में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कैबिनेट सचिव करते हैं।सचिव (सार्वजनिक उद्‌यम) सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करता है।

एचपीसी ने अंतिम मूल्यांकन को मंजूरी दी कि एमओयू के दोनों पक्षों द्वारा किए गए वादों को अब तक कैसे पूरा किया गया है।

5.3 निष्पादन निर्धारण और रेटिंग के लिए एमओयू लक्ष्य

एमओयू लक्ष्यों के नियत करने में मूल दृष्टिकोण यह है कि लक्ष्य यथार्थवादी, विकास उन्मुख और आकांक्षी होने चाहिए।

2016-17 के लिए एमओयू दिशानिर्देशों ने 10 व्यापक मूल्यांकन मानदंडों की एक टोकरी प्रदान की जिसमें i) क्षमता उपयोग, ii) दक्षता मानदण्डों (भौतिक संचालन), iii) उत्तोलन निवल मूल्य, iv) निगरानी मानदण्ड, v) परिचालन के लिए टर्नओवर, vi) परिचालन लाभ/अधिशेष, vii) कमजोरी के प्रारंभिक लक्षण, viii) विपणन दक्षता अनुपात, ix) निवेश पर प्रतिफल, और x) अलग-अलग भारित के साथ क्षेत्र/सीपीएसई विशिष्ट लक्ष्य शामिल है। हालांकि, यह स्वीकार करते हुए कि सीपीएसई विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिस्थितियों में काम करता है, वर्ष 2017-18 के लिए एमओयू दिशानिर्देशों ने कहा कि वित्तीय निष्पादन को मापने के लिए तीन समान मानदण्ड होंगे अर्थात परिचालन से राजस्व, परिचालन लाभ और निवेश पर प्रतिफल, (उदाहरण कर/निवल मूल्य का अनुपात) सभी सीपीएसई के वित्तीय निष्पादन को मापने के लिए कुल भार के साथ 50 *प्रतिशत,* सीपीएसई को छोड़कर जो कि सरकार के अनुदान या अनुदान वितरण के निष्पादन कार्य आदि पर निर्भर हैं। शेष 50 *प्रतिशत* भार के लिए, सीपीएसई जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, उसके आधार पर चयन के लिए मापदंडों का एक मेनू सुझाया गया है। निष्पादन को मापने के लिए सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक मानदंड, पूर्व-वार्ता समिति द्वारा अंतर-मंत्रालयी समिति को सुझाव दिए जाएंगे। सभी मामलों में अंतर-मंत्रालयी समिति ने पूर्व-वार्ता समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर उचित निर्णय लेगी।

वर्ष 2017-18 के लिए एमओयू के लिए संशोधित दिशानिर्देश और 12.01.2018 को डीपीई द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, आम तौर पर 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग के लिए लक्ष्य पिछले पाँच वर्षों में प्राप्त किए गए सर्वश्रेष्ठ से कम नहीं होना चाहिए और 'बहुत अच्छा' वर्तमान वर्ष की अपेक्षित उपलब्धि की तुलना में कम नहीं होना चाहिए (उस वर्ष से पहले का वर्ष जिसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं)। जब तक कि निचले लक्ष्य

तय करने के विशिष्ट कारण नहीं हैं और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा विधिवत समर्थन किया जाता है।

5.4 एमओयू स्कोर और रैंकिंग

एमओयू लक्ष्य निर्धारण और मूल्यांकन की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

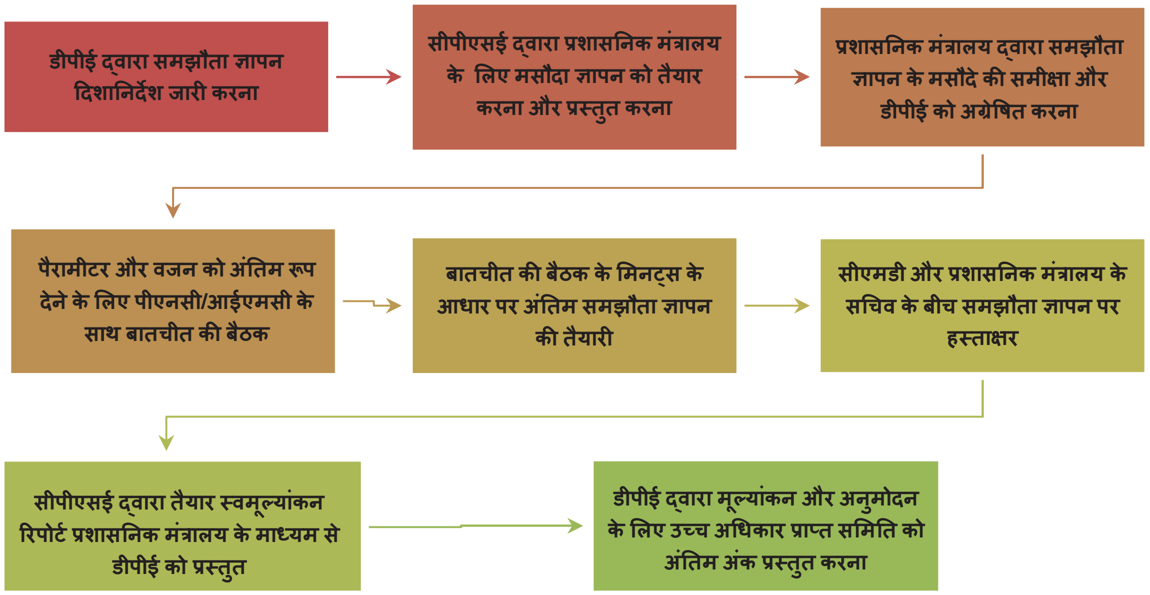

5.5 विश्लेषण का कवरेज

विभिन्न मंत्रालयों के तहत 75 मिनीरत्न[43] सीपीएसई हैं, जिनमें से 17 सीपीएसई का एक नमूना एमओयू विश्लेषण के कवरेज के लिए चुना गया था। इस मसौदा अध्याय में वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए इन 17 'मिनीरत्न' सीपीएसई के एमओयू का विश्लेषण शामिल है। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए एमओयू को अंतिम रूप देने और मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की लेखापरीक्षा में जांच की गई। विश्लेषण के लिए चयनित 17 'मिनीरत्न' कंपनियों के 2016-17 से 2017-18 की अवधि के लिए उनके एमओयू रेटिंग का विवरण ***परिशिष्ट-XXIV*** में दिया गया है।

---

[43] *सीपीएसई जो पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ कमा चुके हैं और सकारात्मक निवल मूल्य की मिनिरत्न स्थिति के अनुदान के लिए विचार करने के लिए पात्र हैं।*

5.6 विश्लेषण का उद्देश्य

विश्लेषण का उद्देश्य यह आकलन करना था कि:

(i) एमओयूकोडीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम रूप दिया गया था और लक्ष्य यथार्थवादी थे और सीपीएसई की वार्षिक योजना के अनुसार;

(ii) सीपीएसई द्वारा प्रस्तुत सूचना/डेटा के सत्यापन के लिए डीपीई/प्रशासनिक मंत्रालयों में प्रभावी तंत्र था;

(iii) समझौता ज्ञापनों में सहमति के अनुसार सीपीएसई को सरकार से प्रतिबद्धता/सहायता प्राप्त हुई;

(iv) प्रशासनिक मंत्रालय/डीपीई को सीपीएसई द्वारा आवधिक रिटर्न/रिपोर्ट सौंपी गई; और

(v) उपलब्धियां एमओयू लक्ष्यों के अनुरूप थीं।

5.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए उनके प्रशासनिक मंत्रालयों और उनके निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीईआर) के साथ 17 चयनित मिनिरत्न सीपीएसई द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू 2016-17 और एमओयू 2017-18 की जांच की। अग्रलिखित पैराग्राफ में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की जाती है। सीपीएसई के उत्तर, जहाँ भी मिले, उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

5.7.1 एमओयू का प्रस्तुतीकरण और हस्ताक्षर

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रशासनिक मंत्रालय की मंजूरी के बाद एमओयू की प्रतिलिपि डीपीई, निति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और टास्क फोर्स के सदस्य को क्रमशः 21 जनवरी 2016 और 31 जनवरी 2017 तक प्रस्तुत की जानी थी।हालांकि, वर्ष 2016-17 के लिए दिशा-निर्देश प्रारंभिक रूप से दिसंबर 2015 में जारी किए गए थे और अंततः 30 जून 2016 तक या अंतर-मंत्रालय समिति (आईएमसी) कार्यवृत्त के मुद्दे से 15 दिनों के भीतर, जो भी बाद में था; चरणबद्ध तरीके से समय सीमाओं को संशोधित किया गया था।

वर्ष 2017-18 के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने की समयसीमा 31 मार्च 2017 (अर्थात् वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले जो लक्ष्य तय किए गए थे) या आईएमसी कार्यवृत्त के मुद्दे से, जो भी बाद में हो। 21 दिनों के भीतर निर्धारित की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमओयू प्रस्तुत करने और हस्ताक्षर करने के लिए समयसीमा को बार-बार डीपीई द्वारा बदल दिया गया। सभी मामलों में, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के बाद लक्ष्य निर्धारित किये गये थे/ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके लिए सीपीएसई के लक्ष्य आईएमसी द्वारा कार्यवृत को अंतिम रूप देने में देरी के कारण लागू थे। एमओयू को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करते समय सीपीएसई द्वारा प्रस्तुत मसौदा लक्ष्यों को संशोधित किया गया था। एमओयू की पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए प्रदान की गई समयसीमा का विस्तार एमओयू दिशानिर्देशों के विरुद्ध था, जो वित्तीय वर्ष के आरंभ से पहले लक्ष्य तय करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय और सीपीएसई के प्रबंधन के बीच एक समझौता और अनुबंध के रूप में एमओयू को परिभाषित करता है औरवित्तीय वर्ष के पूरा होने के बाद सीपीएसई के निष्पादन का मूल्यांकन करना निहित है। इसके अलावा मेकॉन लिमिटेड (मेकॉन) ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर आईएमसी कार्यवृत्त के 44 दिनों के समापन के बाद किए।

डीपीई ने बताया (जुलाई 2019) कि एमओयू के दिशा निर्देशों के अनुसार एमओयू पर हस्ताक्षर न करने पर संयुक्त अंको से प्राप्तांक काटा गया। उत्तर को तथ्य के प्रति देखा जाए कि प्रारूप एमओयू को देरी से जमा करने पर प्राप्तांक काटे जाने का प्रावधान था परन्तु दिशा निर्देशों में एमओयू पर हस्ताक्षर करने में देरी पर प्राप्तांक काटने संबंधी कोई प्रावधान नहीं हैं।

डीपीई/प्रशासनिक मंत्रालय को एमओयू का प्रस्तुतीकरण/एमओयू की मूल्यांकन रिपोर्ट: बोर्ड के अनुमोदन के बाद वर्ष 2016-17 के लिए ड्राफ्ट एमओयू/एमओयू मूल्यांकन एमओयू दिशानिर्देश 2016-17 को प्रस्तुत करना अपेक्षित था। एमओयू दिशानिर्देश 2017-18 को सीपीएसई बोर्ड की मंजूरी के बाद निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड के अनुमोदन के बिना मंत्रालय ने 2016-17 और 2017-18 के लिए मैकॉन ने अपने ड्राफ्ट एमओयू के साथ एमओयू मूल्यांकन भी प्रस्तुत किया।

मैकॉन ने कहा (अक्टूबर 2018) कि एमओयू पैरामीटर के प्रति केवल वास्तविक उपलब्धियों को बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है और उक्त को एमओयू मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाना है। ड्राफ्ट एमओयू को वर्ष 2016-17 के लिए एमओयू पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की मंजूरी के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

स्पष्ट रूप से बोर्ड द्वारा अनुमोदित एमओयू ड्राफ्ट/एमओयू मूल्यांकन प्रस्तुत करना निर्दिष्ट करता है कि वर्ष 2016-17 का लिए एमओयू दिशानिर्देश के पैरा 14.3 (vii) के रूप में उत्तर स्वीकार्य नहीं है। एमओयू दिशानिर्देश 2017-18 के पैरा 13 भी बोर्ड की मंजूरी के बाद निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना निर्दिष्ट करता है।

5.7.2 वार्षिक योजना/ बजट/ कॉर्पोरेट योजना के साथ एमओयू लक्ष्यों का संरेखण

एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार, एमओयू लक्ष्य सीपीएसई की वार्षिक योजना, बजट और कॉर्पोरेट योजना के अनुरूप होना चाहिए। दिशानिर्देश यह भी दर्शाते हैं कि वार्षिक योजना, वार्षिक बजट, और कॉर्पोरेट योजना की प्रति के साथ-साथ एमओयू ड्राफ्ट की एक अग्रिम प्रति डीपीई को भेजी जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि तालिका 5.1 में उल्लिखित कंपनियों ने पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे:

तालिका 5.1

सीपीएसई द्वारा प्रस्तुत न किए गए आवश्यक दस्तावेजों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम	2016-17			18-2017		
		वार्षिक योजना	वार्षिक बजट	कॉर्पोरेट योजना	वार्षिक योजना	वार्षिक बजट	कॉर्पोरेट योजना
1	बीएलसी		✔		✔	✔	
2	एमआरपीएल	✔		✔	✔		✔
3	हुडको	✔	✔		✔		
4	एफएसएनएल	✔		✔			
5	ओवीएल			✔			✔
6	एमएमटीसी						✔
7	केआईओसीएल						✔

बीएलसी ने कहा (सितम्बर 2018) कि कंपनी की वार्षिक योजना बोर्ड के अनुमोदन के बाद हर साल मार्च के महीने में अंतिम रूप दिया जाता है। इसलिए, अगले वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के लिए ड्राफ्ट एमओयू (नवंबर/दिसंबर) की अग्रिम प्रति जमा करते समय वार्षिक बजट उपलब्ध नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि बीएलसी ने प्रत्येक व र्षमार्च के बाद भी डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा आवश्यक प्रासंगिक वर्षों की वार्षिक योजना/वार्षिक बजट प्रदान नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप एमओयू को अंतिम रूप देने में देरी हुई है।

एमआरपीएल ने कहा (सितंबर 2018) कि डीपीई ने उन कंपनियों को ये विवरण प्रस्तुत करने के लिए जोर दिया, जिनके लिए ये योजनाएँ उपलब्ध थीं।

हुडको ने कहा (अक्टूबर 2018) कि एमओयू लक्ष्य जो पिछले पाँच वर्षों के प्रदर्शन और कॉर्पोरेट योजना 2019-20 में प्रदान किए गए वार्षिक संचालन विवरणों के आधार पर वित्तीय और परिचालन विवरण उनके द्वारा लगाये गये अनुमानों पर आधारित थे।

तथ्य यह है कि एमआरपीएल और हुडको ने एमओयू दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है।

एफएसएनएल, ओवीएल, एमएमटीसी और केआईओसीएल के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जून 2019)।

5.7.3 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ बेंचमार्किंग

एमओयू दिशानिर्देश 2016-17 के अनुसार, सीपीएसई को आईएमसी के विचारार्थ लागू वित्तीय/गैर-वित्तीय मापदंडों से संबंधित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानदंड पर जानकारी प्रदान करना था। मंत्रालयों/विभागों को क्षेत्र के निष्पादन सहित सीपीएसई के साथ-साथ 2016-17 के लिए डीपीई के लिए एमओयू भेजने के दौरान लागू मानदंडों के साथ-साथ पृष्ठभूमि पर भी ध्यान देने की आवश्यकता थी। आईएमसी को एमओयू लक्ष्य तय करते समय मानदंड सहित इस जानकारी को ध्यान में रखना था। एमओयू दिशानिर्देश 2016-17 में राष्ट्रीय स्तर पर निजी क्षेत्र में सबसे अच्छा निष्पादन करने वाली कंपनी के साथ मिनीरत्न सीपीएसई के एमओयू मानक के बेंचमार्किंग की आवश्यकता है। हालाँकि, यह आवश्यकता एमओयू दिशानिर्देश 2017-18 में बंद कर दी गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11[44] सीपीएसई ने 2016-17 में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निजी क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनी के साथ बेंचमार्किंग अभ्यास नहीं किया।

इन सीपीएसई ने (सितंबर 2018 से जनवरी 2019) अपने उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के बारे में जानकारी सीपीएसई के लिए अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क अभी तक प्रशासनिक मंत्रालय/डीपीई द्वारा किया जाना है। बेंच मार्किंग के अभाव में, कार्यकुशलता में सुधार और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए वर्षों के ऐतिहासिक डाटा को इकोनोमाईज किया गया।

उत्तर पुष्टि करते हैं कि ये सीपीएसई एमओयू दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती थी औरजिस उद्देश्य के लिए बेंचमार्किंग को निर्धारित किया गया था, विफल हो गया था।

5.7.4 सीपीएसई द्वारा एमओयू और स्व-मूल्यांकन के अतंर्गत निष्पादन

5.7.4.1 महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के एमओयू लक्ष्यों में असंगतता

एमओयू दिशानिर्देश 2016-17 ने बंद/निर्माण के अंतर्गत सीपीएसई को छोड़कर सभी सीपीएसई का एक ही प्रारूप (फॉर्म-I) निर्धारित किया। इस प्रारूप के अनुसार, 'कमजोरी के शुरुआती संकेतों' के मानदंड में पिछले वर्षों में कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों में कमी शामिल थी। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय, सीपीएसई और अन्य द्वारा किये गए दावे शामिल थे।

लेखापरीक्षा ने कहा कि एससीएल के मामले में, इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य में सीपीएसई और अन्य द्वारा किये गये दावे शामिल थे जो एमओयू दिशानिर्देशों 2016-17 के अनुरूप नहीं थे। केंद्र/राज्य सरकारों के दावों सहित 31.03.2016 तक कंपनी के ₹ 4,946.95 करोड़ के प्रति कुल दावों में से, कंपनी के प्रति सीपीएई और अन्य के दावे केवल ₹ 171.88 करोड़ के ही थे। इस प्रकार, दावों के प्रमुख हिस्से को देखने की आवश्यकता थी।

---

[44] *एनएचपीसी लिमिटेड, (ii) केआईओसीएल लिमिटेड, (iii) एमआईसीओएन लिमिटेड, (iv) फेरोस्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल), (v) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसी), (vi) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको), (vii) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल), (viii) एसईसीएल, (ix)एमएमटीसी, (x) ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) और (xi) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएएल)*

एमसीएल ने कहा (दिसंबर 2018) कि मंत्रालय और सीआईएल के बीच एमओयू में माने जाने वाले मापदंडों का पालन सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों (एमसीएल सहित) के बीच हुए एमओयू में किया गया था। इस प्रकार, सीआईएल के साथ एमसीएल द्वारा अंतिम रूप दिए गए मानकों के संबंध में कोई विचलन नहीं था।

तथ्य यह है कि एमसीएल के प्रति ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किए गये के दावों में एक बड़ा हिस्सा था, जो मुख्य रूप से केंद्र/राज्य सरकारों के दावों के कारण थे, जिन्हें वर्ष 2016-17 के लिए एमओयू पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में इस लक्ष्य को शामिल करके सुधार किया जा सकता था।

5.7.4.2 एनएचपीसी के एमओयू के मूल्यांकन में विसंगतियां

एमओयू लक्ष्यों के प्रति एनएचपीसी लिमिटेड के निष्पादन का मूल्यांकन करते समय, निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं कि एमओयू 2016-17 के लिए लक्ष्य तय करते समय, जहां भी वर्ष 2015-16 वर्ष के लिए अनंतिम/अनुमानित आंकड़ों पर लक्ष्य तय किए गए थे, यह बताया गया था कि मामले में वास्तविक उपलब्धि अतंमिम आंकड़ों से बेहतर है, लक्ष्य में अंतर जोड़ा जाना था। हालांकि, निष्पादन का मूल्यांकन करते समय, एनएचपीसी ने वास्तविक आधार पर 'संचालनों से राजस्व, संचालनों से राजस्व की प्रतिशतता के रूप में संचालन लाभ और व्यापार प्राप्य' जैसे मानकों के लिए संशोधित लक्ष्य निर्धारित नहीं किये थे।

एनएचपीसी ने उत्तर दिया कि पिछले वर्ष (अर्थात् 2015-16) की उपलब्धियों के आधार पर मूल्यांकन (अर्थात् 2016-17) के अंतर्गत वर्ष के लिए एमओयू लक्ष्य की ऑफसेटिंग डीपीई/ आईएमसी/एचपीसी के दायरे में थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2016-17 के लिए एमओयू 08.07.2016 को हस्ताक्षरित किया गया था और उपलब्धि के वास्तविक आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए था।

5.7.5 विनियामक प्रावधानों की अननुपालना

एमओयू दिशानिर्देश 2016-17 एक अतिरिक्त पात्रता मानदंड प्रदान करता है जिसके तहत सीपीएसई को लिस्टिंग समझौते और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करने के लिए कहा गया था, उसी सीमा तक सीपीएसई और वित्तीय निहितार्थ

वाले डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन एमओयू दिशानिर्देश के दायरे में था। एमओयू दिशा-निर्देश 2017-18 भी केवल 'उत्कृष्ट' रेटिंग के लिए अतिरिक्त पात्रता मानदंड से ऊपर प्रदान किया गया है।

स्वतंत्र निदेशक/महिला निदेशक

भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और सीपीएसई 2010 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सीपीएसई के निदेशक मंडल में 50 *प्रतिशत* स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए। इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और 149 (1) में भी प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कुल निदेशकों में से कम से कम एक-तिहाई और कम से कम एक-महिला निदेशक होना अपेक्षित हैं।

इस संबंध में, यह देखा गया कि:

- मैकॉन, एफएसएनएल, एमसीएल और एएआई के निदेशक मंडल को 2016-17 और 2017-18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, जबकि 2016-17 के दौरान ओवीएल के पास अपने बोर्ड में आवश्यक संख्या नहीं थी।
- 2016-17 और 2017-18 के दौरान मैकॉन और एफएसएनएल बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं रही हैं। 2016-17 के दौरान एमसीएल, एसईसीएल, और एनआरएल बोर्ड में भी महिला निदेशक नहीं थीं।
- केआईसीओएल, आरसीएफ, सीपीसीएल, एनएचपीसी, एमएमटीसी, डीसीआईएल, हुडको, बीएलसी और एनएफएल द्वारा उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन पर अध्याय 3 के पैरा क्रमांक 3.2.2 में टिप्पणी, यदि कोई है तो की गयी है क्योंकि ये सूचीबद्ध कंपनियाँ हैं।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि एमओयू 2016-17 दिशानिर्देशों के अतिरिक्त पात्रता मानदंडों के अनुपालन को प्रमाणित करते हुए, इन सीपीएसई ने गलत/अपूर्ण प्रमाणीकरण के कारण मंत्रालय/डीपीई को उपरोक्त उल्लंघनों को नहीं दर्शाया।

5.7.6 वित्तीय निहितार्थ वाले डीपीई दिशानिर्देशों की अननुपालना: सीपीएसई

5.7.6.1 सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन:

सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई के पास कम से कम ₹ 2000 करोड़ की कुल पूंजी है और ₹ 1000 करोड़ से अधिक नकद और बैंक शेष है, वापस खरीद के उद्देश्य हेतु मानक[45] पर वित्तीय वर्ष के बंद होने के बाद पहली बोर्ड मीटिंग में विचार-विमर्श और विवेचन करना चाहिए।

हालांकि, यदि कोई भी सीपीएसई उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन करने में सक्षम नहीं है, तो इसके प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) से छूट प्राप्त की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएचपीसी और केआईओसीएल के पास 2016-17 के दौरान क्रमश: ₹ 2,000 करोड़ और ₹ 1,000 करोड़ की राशि से अधिक अपने निवल पूंजी और नकद और बैंक शेष थे, इस प्रावधान का पालन नहीं किया गया और इन कंपनियों को कोई छूट भी नहीं दी गई। डीपीई ने इन सीपीएसई को एमओयू पर स्कोर प्रदान करते हुए माना कि सभी अनुपालन किये गये हैं।

दोनों सीपीएसई का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2019)।

5.7.6.2 लीज रेंट रिकवरी के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन:

डीपीई दिशानिर्देशों (दिनांक 20 मार्च, 2012) के अनुसार, सीपीएसई को मूल वेतन या वास्तविक किराये के 10 *प्रतिशत* की दर पर जो भी पट्टे के संबंध में कम की वसूली अपने कर्मचारी से की जानी अपेक्षित थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016-17 और 2017-18 के दौरान उपरोक्त दिशानिर्देशों में एनएचपीसी ने उनके द्वारा तय दरों पर किराया वसूल किया था जो निर्धारित दरों से कम था। 2016-17 के दौरान डीपीई ने स्कोर में पूर्ण अंक प्रदान किये।

एनएचपीसी का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2019)।

---

[45] *(i) नकद और बैंक बैलेंस, (ii) पिछले 3 वर्षोंमें अर्जित सीएपीईएक्स के संदर्भ में किए गए पूंजीगत व्यय और व्यवसाय विस्तार, (iii) कुल पूंजी(फ्रीभंडार और पूँजी सहित अन्य भंडार (यदि कोई हो), और (iv)) दीर्घ कालिक उधार और इसके 'नेटवर्थ' के आधार पर उधार लेने की आगे की क्षमता, (v) निकट भविष्य में कोई अन्य वित्तीय प्रतिबद्धता, (vi) व्यवसाय/अन्यप्राप्तियां और आकस्मिक देयताएं, यदि कोई हो; और (vii) बाजार मूल्य/शेयर का बुक मूल्य*

5.7.6.3 वेतन संशोधन दिशानिर्देशों का अनुपालन:

डीपीई ओएम दिनांक 26 नवंबर, 2008 के अनुसार, सीपीएसई को डीपीई द्वारा निर्धारित स्तर ई0 से ई9 तक अपने अधिकारियों के लिए ग्रेड और अनुरूप वेतनमान का पालन करना होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमआरपीएल ने ग्रेड ई1 से ई6 और ग्रेड ई7 के अधिकारियों के लिए निर्धारित पैमाने से एक स्केल अधिक की तुलना में अपने अधिकारियों के लिए डीपीई द्वारा निर्धारित वेतनमान के दो पैमानों की अनुमति दी थी। आवश्यक अनुपालन के लिए कार्यकारी ग्रेड के गैर-अनुपालन पर स्पष्टीकरण जारी किया गया था (24 दिसंबर, 2012)। इस निर्देश का पालन न करने से वित्तीय निहितार्थ के साथ डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

एमआरपीएल ने कहा कि उन्होंने वेतनमान और भत्ते तय कर दिए थे और बोर्ड की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमोपीएनजी) को सूचित किया। एमओपीएनजी के पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2009 द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश को लागू करने के लिए कहा गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अध्यक्षीय निर्देश दिनांक 28 अप्रैल, 2009 में विशेष रूप से एमआरपीएल को डीपीई ओएम दिनांक 26 नवंबर, 2008 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया।

5.7.6.4 निष्पादन संबंधी भुगतान दिशानिर्देशों का अनुपालन:

डीपीई दिशानिर्देश (सितंबर 2013) के अनुसार, निष्पादन से संबंधित भुगतान (पीआरपी) केवल सीपीएसई की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ के आधार पर वितरित किया जा सकता है और निष्क्रिय नकदी/बैंक शेष पर ब्याज कर से पहले लाभ (पीबीटी) से घटाया जा सकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएफएल ने 2016-17 में गैर-मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से आय को समायोजित/घटाए बिना पीबीटी पर विचार कर निष्पादन संबंधित भुगतान (पीआरपी) किया। इसके अलावा, डीपीई के दिशानिर्देशों (26 नवंबर 2008) के अनुसार, पीआरपी की गणना बेल कर्व एप्रोच[46]को लागू करके की जाएगी, अर्थात वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रेटिंग (एपीएआर) जिसमें 10

---

[46] *निष्पादन मूल्यांकन की बेलकर्व प्रणाली मानती है कि किसी कंपनी में कर्मचारियों को उच्च निष्पादनकर्ता, (शीर्ष 20 प्रतिशत), औसत निष्पादनकर्ता (मध्य 70 प्रतिशत) और गैर-निष्पादनकर्ता या औसत निष्पादनकर्ता (नीचे 10 प्रतिशत) के समूहों में विभाजित किया जा सकता है।*

प्रतिशत कार्यकारियों की रेटिंगको "औसत से नीचे" माना जाएगा और इन कार्यकारियों को किसी पीआरपी का भुगतान नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- वर्ष 2016-17 के दौरान एनएफएल में 1,819 कार्यकारी (बोर्ड स्तर के कार्यकारी को छोड़कर) थे। अंतिम एपीएआर रेटिंग के आधार पर, कंपनी ने 182 कार्यकारियों को छोड़कर 1,637 कार्यकारी को पीआरपी का भुगतान किया,जो बेल कर्व दृष्टिकोण के "औसत से नीचे" की श्रेणी में आते हैं। हालांकि, एनएफएल के फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन के अनुरोध पर, एनएफएल ने 2016-17 के लाभ से नीचे की श्रेणी में आने वाले 182 कार्यकारियों में से प्रत्येक 104 कार्यकारियों को ₹ 10,000 का एकमुश्त भुगतान किया। इसके अलावा, एनएफएल ने प्रत्येक 60 पूर्व-कर्मचारियों (कार्यकारी) को ₹ 12,500 का एकमुश्त भुगतान किया, जो वर्ष 2015-16 के दौरान सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उन्होंने वर्ष 2015-16 के लिए अपनी स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
- डीपीई दिशानिर्देश (26 नवंबर 2008) द्वारा प्रदान की गई बेल कर्व एप्रोच के उल्लंघन में 'न्यूनतम 5 *प्रतिशत* या औसत से नीचे श्रेणी' के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए हुडको ने 2016-17 के लिए पीआरपी का भुगतान किया।
- 2016-17 के लिए 1.22 *प्रतिशत* की कोई पीआरपी एनएचपीसी ने प्रदान नहीं की क्योंकि 10 *प्रतिशत* कर्मचारियों की आवश्यकता के प्रति 'औसत से नीचे' मानकर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी पीआरपी का भुगतान नहीं किया जाएगा, एमओयू।

अयोग्य कर्मचारियों को पीआरपी के निश्चित भुगतान के बारे में तथ्यों की पुष्टि करते हुए, एनएफएल ने कहा (अक्टूबर 2018) कि गैर-परिचालन आय के रूप में वर्गीकृत अन्य आय एक दूरस्थ स्थान पर स्थित उर्वरक संयंत्र की मुख्य गतिविधियों का हिस्सा है, एनएफएल ने भी इन प्रस्तावित आय के संबंध में खर्च किया है और इसलिए, कंपनी द्वारा किए गए संबंधित व्यय के समायोजन के बाद ये आय उस सीमा तक कम हो जाएगी। इसके अलावा, 2016-17 के दौरान, अन्य आय कोर व्यावसायिक गतिविधियों से

एनएफएल के लिए बढ़ गई है। इसलिए, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 2016-17 के लिए अधिकारियों को पीआरपी का सही भुगतान किया गया है।

एनएफएल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है, व प्रकृति अनुसार यह अनिवार्य है।

हुडको ने कहा (अक्टूबर 2019) कि हताशापूर्ण व्यावसायिक परिवेश को बढावा देने के कारण बेल कर्व कार्यशैली को समाप्त कर दिया गया है। हुडको का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिशानिर्देशों में बदलाव 01.08.2017 से ही प्रभावी हुआ है।

एनएचपीसी का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2019)।

5.7.7 एमएसएमई दिशानिर्देशों की अननुपालना

सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई कोसूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से 20 *प्रतिशत* की कुल न्यूनतम खरीद प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के 20 *प्रतिशत* से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का चार *प्रतिशत* उप-लक्ष्य है।

लेखापरीक्षा ने कहा कि, डीसीआईएल और एनएचपीसी ने 2016-17 और 2017-18 के दौरान उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। इसके अतिरिक्त 2016-17 और 2017-18 के दौरान केआईओसीएल, एफएसएनएल मेकॉन, एमसीएल, एसईसीएल, एनएफएल, बीएलसी, एमआरपीएल और 2016-17 के दौरान एनआरएल, ओवीएल और 2017-18 के दौरान सीपीसीएल हुडको की माल और सेवा खरीद के चार *प्रतिशत* के उप-लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही।

एफएसएनएल और केआईओसीएल ने कहा (अक्टूबर 2018) कि एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा एमएसई से खरीद को बढ़ावा देते हुए, विक्रेताओं के पास जाये, विकास कार्यक्रम, विभिन्न राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन नोटिस डेटा बैंक को अपडेट करने का प्रयास किया गया।

हुडको ने कहा (अक्टूबर 2018) कि वर्ष 2017-18 के दौरान एमएसएमई से वास्तविक खरीद ₹ 13.59 करोड़ की थी, जिसके प्रति एमएसई से कुल खरीद ₹ 4.77 करोड़ थी

जिसमें एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से ₹ 0.29 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार, 20 *प्रतिशत* खरीद का लक्ष्य प्राप्त किया गया था।

तथ्य यह है कि इन सीपीएसई ने एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया था।

डीसीआईएल ने कहा (नवंबर 2018) कि उन्होंने अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति से छूट के लिए अनुरोध किया था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने अभी तक उपरोक्त दिशानिर्देशों से कोई छूट नहीं दी है और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार एमओयू स्कोर को कम नहीं किया गया है।

एनएचपीसी ने कहा (फरवरी 2019) कि एमएसई ऑॅर्डर 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति एमएसई द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं के लिए लागू है। इसलिए, कुल वार्षिक खरीद मूल्य से वास्तविक उपकरण निर्माता (ओइएम) से खरीदे गये माल, मैगा जोखिम और सीपीएम बीमा निति आदि को छोड़कर एमएसई से वस्तुओं/सेवाओं के समेकित मूल्य का 20 *प्रतिशत* के अनिवार्य लक्ष्य के प्रति 2017-18 के दौरान ₹ 532.08 करोड़ के कुल वार्षिक खरीद मूल्य का 25.56 *प्रतिशत* था।

नीति के अनुसार उत्तर स्वीकार्य नहीं है, कम से कम 20 *प्रतिशत* सकल खरीद एमएसई के माध्यम से होनी चाहिए। एनएचपीसी ने उन वस्तुओं/उपकरणों/सेवाओं को छोड़ने के लिए एमएसएमई से छूट मांगी है जो या तो स्वरूप से ओईएम स्वामित्व हैं और/या कुल खरीद मूल्य से एमएसई द्वारा निर्मित/प्रदान नहीं किए गए हैं जो अभी भी प्रतीक्षित था।

मेकॉन, एमसीएल, एसईसीएल, एनएफएल, बीएलसी, एमआरपीएल और ओवीएल के उत्तर प्रतीक्षित थे (अप्रैल 2019)।

5.7.8 एमओयू रेटिंग और संबंधित वेतन निष्पादन पर लेखापरीक्षा विश्लेषण का प्रभाव

2016-17 के लिए एमओयू दिशानिर्देशों केखंड 14.2 और 14.3 आठ अतिरिक्त पात्रता मानदंडों[47] का अनुपालन प्रदान करते हैं। शर्तों में से किसी एक का भी पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप सीपीएसई को "उत्कृष्ट" (90 से अधिक स्कोर) से कम होकर

[47] *नीति के अनुपालन मै. माइक्रों एंड मीडियम इंटरप्राईजिस आदि द्वारा जारी सुक्षम और लघु उद्यश्य के लिए वित्तीय निहितार्थ के साथ अनुपालन डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन सार्वजनिक खरीद।*

"बहुत अच्छा" (स्कोर 70 से अधिक और समान या 90 से कम) हो रहा है, और उत्कृष्ट के अतिरिक्त रेटिंग के मामले में समग्र स्कोर को 5 के स्कोर से कम किया जाना था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 के लिए एमओयू दिशानिर्देशों के खंड 14.5 के अनुसार, अतिरिक्त पात्रता मानदंडों में से प्रत्येक का अनुपालन सीपीएसई के बीओडी द्वारा पुष्टि/प्रमाणित किया जाना था।

इसके अलावा, एमओयू दिशानिर्देश 2017-18 (पैरा 14.2) ग्यारह अतिरिक्त मानदंडों का अनुपालन दर्शाता है। प्रत्येक मानदंड का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप स्कोर में 1 अंक की कमी (अधिकतम 5 अंक के संदर्भ में) होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 9[48] सीपीएसई के निदेशक मंडल ने वर्ष 2016-17 और 2018 के लिए एमओयू के मूल्यांकन को प्रस्तुत करते हुए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन को प्रमाणित किया था, जबकि इन सीपीएसई के हिस्से पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में खामियां थीं, जैसाकि पैरा 5.7.6 और 5.7.7 में दर्शाया गया है।

डीपीई ने डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण एनएफएल, एनएचपीसी, एमआरपीएल और मेकॉन के स्कोर में कटौती की है जबकि 2016-17 के दौरान डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण डीपीई ने एफएसएनएल, ओवीएल, हुडको, केआईओसीएल, और बीएलसी के किसी भी स्कोर में कटौती नहीं की हैऔर दिशानिर्देशों के अनुपालन के रूप में इन मामलों को गलत तरीके से पूर्ण स्कोर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप दो सीपीएसई अर्थात हुडको और ओवीएल को बहुत अच्छे की अपेक्षा उत्कृष्ट रेटिंग की ओवर रेटिंग और पीआरपी के उच्च भुगतान पर इसका प्रभाव पड़ा।

डीपीई ने बताया (जुलाई 2019) कि विभिन्न अनुपालनों को बोर्ड संकल्प के आधार पर स्वीकृत किया गया। बोर्ड संकल्प में गलत सूचना देना कंपनी अधिनियम, 2013 का उल्लंघन है और अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय है।

उत्तर को तथ्य के प्रति देखा जाए कि एमएसई दिशा निर्देशों, 2012 के अनुपालन में सेवाओं और वस्तुओं की 4 प्रतिशत खरीद का एमएसई (एससी/एसटी) से करने का उपलक्ष्य था, जैसाकि पैरा सं 5.7.7 में चर्चा की गई हैं। ओबीएल ने अपने पत्र दिनांक

---

[48] *(i) एफएसएनएल, (ii) एनएफएल, (iii) ओवीएल, (iv) एनएचपीसी, (v) हुडको, (vi) एमआरपीएल, (vii) केआईओसीएल (viii) मेकॉन, (ix) बीएलसी और (x) एमआरपीएल*

27.06.2017 द्वारा सूचित किया कि 2016-17 में एमएसई (एससी/एसटी) से खरीद 0.46 प्रतिशत थी परन्तु डीपीसी/आईएमसी ने इस सूचना का संज्ञान नहीं लिया जिसका परिणाम उच्चतर रेटिंग रहा। तथ्य यह रहा कि सूचना का सत्यापन न किए जाने के कारण ओवर रेटिंग रही तथा पीआरपी के अधिक भुगतान पर इसका प्रभाव पड़ा।

5.8 निष्कर्ष और सिफारिशें

2016-17 और 2017-18 के लिए 17 'मिनीरत्न' कंपनियों के एमओयू के विश्लेषण से पता चला कि एमओयू को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में देरी हुई और परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष जिसके लिए लक्ष्य लागू थे; की पहली तिमाही के बाद एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू दिशानिर्देशों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के संदर्भ में मानकों का मानदंड निर्धारित किया है। हालांकि, ग्यारह सीपीएसई ने बेंचमार्किंग को नहीं अपनाया है। एमओयू में निर्धारित लक्ष्यों के प्रति मूल्यांकन के संबंध में, सात सीपीएसई के संबंध में मापदंडों के प्रति निष्पादन का अनुचित मूल्यांकन भी देखा गया था। सीपीएसई ने अपने बोर्ड में गैर-आधिकारिक निदेशकों को भरने और स्वतंत्र और महिला निदेशकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए एमओयू में प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक प्रतिबद्धता को शामिल नहीं किया। नौ सीपीएसई में स्वतंत्र और महिला निदेशकों के कुछ पद खाली पड़े थे। इसके अलावा, दस सीपीएसई ने एमएसएमई दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया। ग्यारह सीपीएसई ने वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत अतिरिक्त पात्रता मानदंड के गलत प्रमाण पत्र को गलत प्रमाणीकरण को प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए 'वेरी गुड' की अपेक्षा हडको और ओवीएल को उत्कृष्ट रेटिंग मिली परिणामस्वरूप पीआरपी का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा डीपीई, सीपीएसई और उनके प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा विचार और कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सिफारिशों का सुझाव देता है:

- यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई के बेहतर प्रदर्शन के लिए लक्ष्य निर्धारण पर ध्यान दिया जा सकता है, निर्धारित समय के भीतर एमओयू तैयार और अंतिम रूप से तय किए गए हैं।

- डीपीई पर सत्यापन प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत किया जा सकता है कि किसी भी अधूरी या गलत जानकारी और/या प्रमाणीकरण को अन्य मंत्रालयों और हितधारकों के साथ उचित समन्वय के माध्यम से एमओयू के अंतिम मूल्यांकन से पहले पता लगाया जा सकता है।

अध्याय VI

चयनित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्‌यमों में भारतीय लेखांकन मानकों (चरण-II के अंतर्गत) के कार्यान्वयन का प्रभाव

6.1 प्रस्तावना

किसी अर्थवयवस्था की समग्र वृद्धि और विकास में वित्तीय रिपोटिंग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरण के युग के कारण सोशल मोबिलिटी, वित्त के पूंजी और वस्तुओं सीमापार संचलन में वृद्धि हुई है, जिसनें उच्च गुणवत्ता के वैश्विक लेखांकन मानकों के एकल सैट को आवश्यक बना दिया। ऐसे उच्च गुणवत्ता के सिद्धांत आधारित अंतराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के अविर्भाव के साथ अंतराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) के द्‌वारा निर्धारित वैश्विक लेखांकन परिदृश्य में अन अद्यतित उच्च गुणवत्ता के आईएफआरएस के साथ भारतीय लेखांकन मानको के सम्मिलन की आवश्यकता महसूस की गई थी। आईएफआरएस के अंगीकरण या सम्मिलन से वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशलता आती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वास, वृद्धि और दीर्घावृद्धि वित्तीय स्थायित्व द्‌वारा जनहित को पूरा करता है।

इसे ध्यान में रखते हुए कि देश के पास एक अच्छी प्रमाणित लेखांकन संरचना है, कोरपोरेट कार्यों के मंत्रालय, (एमसीए), भारत सरकार ने भारतीय लेखांकन मानकों (इंडएएस) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के द्‌वारा भारतीय आर्थिक और वैधिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए और आईएफआरएस मानकों से संबंध द्‌वारा अधिसूचित किया। इन्ड एएस आईएफआएस रूप में थे जोकि भारतीय सामान्य स्वीकृत लेखांकित सिद्धातों (आईजीएएपी) से मुख्यत: तीन पक्षों में भिन्न थे: अर्थात उचित मूल्यांकन, कानूनी रूप पर तात्पर्य और तुलनपत्र पर महत्व। ये इंडएएस 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी कंपनियों के निर्धारित वर्ग द्‌वारा अपनाए जाने के लिए अनिवार्य हैं। 31 मार्च 2018 को 39 इंडएएस लागू हैं। एमसीए समय-समय पर कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 में संशोधन के माध्यम से आईएफआरएस के साथ अभिसरण रखने के लिए इंडएएस में संशोधन करता है।

6.2 इंडएएस का कार्यान्वयन

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 द्वारा भी वित्तीय वर्ष 2016-17 से शुरू होने वाले चरण के रूप में इंडएएस के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप जारी किया है जिसे नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है:

(क) चरण I

निम्नलिखित कंपनियों द्वारा 31 मार्च 2016 या उसके बाद की अवधियों की तुलना में लेखांकन अवधि के आरंभ में या 1 अप्रैल 2016 के वित्तीय विवरण हेतु इंडएएस का पालन किया जाएगा:

- जिन कंपनियों की इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं या जो भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रिया चल रही हैं और कुल संपत्ति ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक है।
- उपरोक्त के अंतर्गत कवर न की गई कंपनियों के अतिरिक्त जिन कंपनियों की कुल संपत्ति ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक है।
- होल्डिंग, सहायक, संयुक्त उद्यम या ऊपर कवर की गई कंपनियों की सहयोगी कंपनियां।

(ख) चरण II

निम्नलिखित कंपनियों द्वारा 31 मार्च 2017 या उसके बाद की अवधियों की तुलना में लेखांकन अवधि के आरंभ में या 1 अप्रैल 2017 के बाद वित्तीय विवरण हेतु इंडएएस का पालन किया जाएगा:

- जिन कंपनियों की इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं या भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में और निवल मूल्य ₹ 500 करोड़ से कम का है।
- पहले चरण में शामिल की गई कंपनियों के अलावा अन्य गैर-सूचीबद्ध कंपनियां जिनकी कुल संपत्ति ₹ 250 करोड़ या उससे अधिक है लेकिन ₹ 500 करोड़ से कम है।
- उपरोक्त सम्मिलित कंपनियों की होल्डिंग, सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां।

(ग) बैंकिंग कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) और बीमा कंपनियों के लिए लागू होना:

इंडएएस के रूप में इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियों और संपत्ति की स्थिति की सूचीबद्धता के आधार पर 1 अप्रैल 2018 या 1 अप्रैल 2019 से एनबीएफसी पर लागू होते हैं। बैंकिंग कंपनियों और बीमा कंपनियों के लिए इंडएएस 1 अप्रैल 2018 से लागू होने थे, जिसे बैंकिंग कंपनियों के लिए 1 अप्रैल 2019[49] और बीमा कंपनियों के लिए 1 अप्रैल 2020 तक के लिए टाल दिया गया था।

(घ) इंडएएस का स्वेच्छा से अपनाया जाना:

कोई कंपनी 31 मार्च 2015 या उसके बाद की अवधि की तुलना में लेखांकन अवधि के आरंभ में या 1 अप्रैल 2015 के वित्तीय विवरण हेतु इंडएएस का पालन कर सकती है। हालाँकि, कोई कंपनी एक बार स्वैच्छिक अथवा अनिवार्य रूप में इंडएएस के अनुसार रिपोर्ट करना शुरू करती है, तो वे आईजीएएपी पर वापस नहीं लौट सकते।

(ड) किसी भारतीय कंपनी की विदेशी सहायक, सहायक या संयुक्त उद्यम और अन्य समान सत्त्व:

ये इकाइयाँ विशिष्ट क्षेत्राधिकार की आवश्यकताओं के अनुसार अपने एकल वित्तीय विवरण तैयार कर सकती हैं। हालाँकि, इन संस्थाओं को अभी भी समेकित इंडएएस के रूप में तैयार करने के लिए अपनी भारतीय मूल कंपनी के लिए अपने इंडएएस के रूप में समायोजित संख्या की रिपोर्ट देनी होगी।

6.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य चरण II में इंडएएस के कार्यान्वयन का अध्ययन यह निर्धारण करना था:

(i) चरण-II में इंडएएस के रूप में अपनाने के समय पर सीपीएसई द्वारा एंडएएस के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन कितना किया गया था;

(ii) सीपीएसई के वित्तीय वक्तव्यों में इंडएएस के कार्यान्वयन का प्रभाव।

---

[49] *भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसे 1 अप्रैल 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया है*

6.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

अध्ययन में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में 25 सीपीएसई शामिल हैं, जिन्हें द्वितीय चरण में इंडएएस के रूप में अपनाने की आवश्यकता थी या 2017-18 के दौरान स्वेच्छा से इंडएएस अपनाया गया था। उपरोक्त में 2 नई निगमित सीपीएसई शामिल हैं जिन्होंने वर्ष 2017-18 के लिए अपने पहले वित्तीय विवरणों में इंडएएस को अपनाया है। समीक्षा की गई सीपीएसई की सूची ***परिशिष्ट-XXV*** में दी गई है।

6.5 लेखापरीक्षा कार्यपद्धति

सीपीएसई जिन्होंने द्वितीय चरण के तहत अंतर्गत इंडएएस के साथ-साथ नव निगमित सीपीएसई को अपनाया है, जिन्होंने 1 अप्रैल 2017 से अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए 2017-18 में पहली बार इंडएएस को अपनाया है, के एकल वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई। इंडएएस के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन और इनके राजस्व पर इन सीपीएसई में इंडएएस के कार्यान्वयन के प्रभाव, कर के बाद लाभ (पीएटी), निवल मूल्य और सीपीएसई की कुल संपत्ति का विश्लेषण परिवर्तन के संदर्भ में किया गया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व पहचान, वित्तीय साधनों और संपत्ति का मूल्यांकन, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) कर्मचारी लाभ का आकलन और व्यावसायिक संयोजनों के लेखांकन के रूप में इंडएएस को अपनाया गया हैं।

6.6 इंडएएस के पहली बार अपनाये जाने की समीक्षा

इंडएएस 101 के अनुसार, किसी सत्व के प्रथम इंडएएस यह दर्शाते हैं कि अपने सूचित तुलन-पत्र, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह को आईजीएएपी से इंडएएस में पारगमन को कैसे प्रभावित किया। चरण-II में इंडएएस को अपनाने वाली कंपनियां आईजीएएपी के अनुसार उसी तिथि पर इंडएएस के अनुसार इक्विटी के साथ 01 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017 कोरिपोर्ट की गई अपनी इक्विटी के सामंजस्य का प्रकटन करेंगी।

इंडएएस 101 इंडएएस के पूर्वव्यापी प्रयोग के सामान्य सिद्धांत के लिए वैकल्पिक छूट और अनिवार्य छूट को दर्शाता है। अनिवार्य अपवाद इंडएएस 10 - रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ, इंडएएस 109 वित्तीय दस्तावेज और इंडएएस 110 - समेकित वित्तीय विवरण के कुछ पहलुओं के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग से संबंधित हैं।

वैकल्पिक छूट में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) इंडएएस 103 - व्यापार संयोजन

कंपनी पिछले व्यापार संयोजनों (व्यापार संयोजन जो इंडएएस के लिए पारगमन की तिथि से पहले हुआ था) के लिए इंडएएस 103 को लागू नहीं करने का चुनाव कर सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अध्ययन के तहत 25 सीपीएसई में से, ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पिछले व्यापार संयोजन के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू किया।

(ii) इंडएएस 16 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

इंडएएस के पारगमन की तिथि पर, जैसाकि आईजीएएपी के अनुसार आंका गया। वित्तीय विवरण में पहचाने गये इंडएएस अपनी संपत्ति, पौधों और उपकरणों (पीपीई) और अमूर्त संपत्ति के मूल्य को जारी रखने के साथ चुनाव करने के लिए पहली बार अपनाने को अनुमति देता है और देनदारियों समाप्त करने के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद पारगमन की तिथि पर इसकी अनुमानित लागत के रूप में उपयोग करें। परिसंपत्ति की समायोजित मूल्यह्रास राशि को उसके शेष उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से मूल्यह्रास किया जाता है।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 25 सीपीएसई में से, 14 सीपीएसई ने लागत वहन करने के लिए पीपीई के मूल्य का विकल्प चुना, जबकि एक सीपीएसई (हसन मैंगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड) ने उचित मूल्य के आधार पर पीपीई को चुना। इसके अतिरिक्त, एक सीपीएसई (हिंदुस्तान फ्लोरोकॉर्बन्स लिमिटेड) ने फ्री होल्ड जमीन को छोड़कर वहन लागत पर पीपीई के मूल्य का चयन किया जहां उचित मूल्य को ध्यान में रखा गया था।

(iii) इंडएएस 27 - अलग वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों के मामले में इंडएएस-101 के डी14 और डी15 पैराग्राफ के अनुसार, इंडएएस 27 में, सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों मेंअपने निवेश के लिए एक इकाई की अपेक्षा होती है और या तो लागत या इंडएएस 39 से जुड़ा होता है। यदि पहली बार अपनाने वाला इंडएएस 27 के अनुसार लागत पर इस तरह के निवेश को आंकता है, तो यह उस निवेश को लागत पर या अलग-अलग प्रारंभिक इंडएएस तुलन पत्र के रूप में लागत पर आंकेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 4 सीपीएसई (एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इंडिया टुरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन और एसटीसी लिमिटेड) ने वहन मूल्य/लागत मूल्य पर सहायक कंपनियों/सहयोगियों में निवेश को मापने का विकल्प चुना।

(iv) इंडएएस 109 - वित्तीय दस्तावेज

इंडएएस-101 किसी वित्तीय परिसंपत्ति को इंडएएस के लिए पारगमन तिथि पर मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इंडएएस 109 के अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति और एक इक्विटी साधन में निवेश करने के लिए एक इकाई को अनुमति देता है।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि 5 सीपीएसई (हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड, ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, मेकॉन लिमिटेड और रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने वहन मूल्य/लागत मूल्य पर इक्विटी का मूल्यांकन किया और दो सीपीएसई (महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एसटीसी लिमिटेड) ने उचित मूल्य पर इक्विटी का मूल्यांकन किया।

6.7 2017-18 में निगमित कंपनियों द्वारा इंडएएस अपनाया जाना

अध्ययन में शामिल 25 सीपीएसई में से, 2 सीपीएसई अर्थात इरकॉन दावानागेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड और सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 1 अप्रैल 2017 के बाद शामिल किया गया और पहली बार इंडएएस को अपनाया गया। चूंकि इन कंपनियों ने पहली बार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए थे, इसलिए इंडएएस का कोई प्रभाव नहीं था।

6.8 चयनित प्रमुख क्षेत्रों पर इंडएएस के कार्यान्वयन का प्रभाव

इंडएएस विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन से कर के बाद लाभ (पीएटी), राजस्व, कुल परिसंपत्ति, और कुल संपत्ति के मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ सकता है। इंडएएस के अपनाने के समय सीपीएसई द्वारा लिए गए विकल्पों के आधार पर मूल्य बढ़ या घट सकते हैं। इंडएएस के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा और समीक्षा हेतु चयनित 23 सीपीएसई[50] के कार्यान्वयन का प्रभाव नीचे दिया गया है:

[50] *2017-18 में इंड एस अपनाने वाली 2 नई सीपीएसई को छोड़कर*

6.8.1 कर के बाद लाभ (पैट) पर प्रभाव

31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि की तुलना में 1 अप्रैल 2017 से पहले या बाद की लेखांकन अवधि के लिए कर के बाद लाभ (पैट) पर इंडएएस के अपनाने के प्रभाव, नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 6.1: पैट पर इंडएएस को अपनाने का सीपीएसई-वार प्रभाव

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	पैट में कमी (₹ करोड़ में)	पैट में वृद्धि (₹ करोड़ में)	नेट प्रभाव (₹ करोड़ में)
1.	हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लिमिटेड	-	1.04	1.04
2.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	-3.14	2.74	-0.40
3.	ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	-1.42	0.93	-0.49
4.	ब्रिज और रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	-	0.16	0.16
5.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	1.61	1.61
6.	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-248.42	12.08	-236.34
7.	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	2.06	2.06
8.	हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	-8.85	16.41	7.56
9.	नेशनल हाईस्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	-0.003	0.490	0.487
10.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-0.0020	0.0205	0.0185
11.	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.10	0.13	0.03
12.	मेकॉन लिमिटेड	-1.71	0.02	-1.69
13.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	-23.55	27.81	4.26
14.	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	-0.96	1.52	0.56
15.	इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन	-112.56	111.72	-0.84
16.	एसटीसी लिमिटेड	-4.61	4.33	-0.28

इंडएएस अपनाने के कारण पीएटीमें अधिकतम वृद्धि और कमी क्रमशः इंडिया टुरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में देखी गई।

6.8.2 पीएटी में वृद्धि/कमी के लिए योगदान करने वाले घटक

इंडएएस अपनाने के परिणामस्वरूप राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों के विभिन्न मदों के मूल्यांकन में परिवर्तन उद्यम के पीएटी को प्रभावित कर सकते हैं। लेखापरीक्षा विश्लेषण ने संकेत दिया कि इंडएएस को अपनाने के परिणामस्वरूप चयनित सीपीएसई के पीएटी की वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुई थी:

(i) रोजगार लाभ के बाद लिए देनदारियों के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण लाभ में वृद्धि

आईजीएएपी के तहत वर्ष के लाभ या हानि का हिस्सा रोजगार के बाद देनदारियों के मापन के कारण होने वाले अंतर से बनता हैं। हालांकि इंडएएस के तहत, इस तरह के अंतर अर्थात् एक्चुरियल लाभ या हानि और योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न को लाभ या हानि के बजाय 'अन्य व्यापक आय' के तहत मान्यता दी गई थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडिया टुरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन ने रोजगार के बाद के लाभों के प्रति देनदारियों लेखांकन की अलग-अलग पद्धति के कारण इंडएएस को अपनाने पर अपने लाभ में क्रमशः ₹ 1.04 करोड़, ₹ 0.10 करोड़ और ₹ 1.24 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

(ii) आस्थगित करोंको स्वीकार करने के कारण लाभ में वृद्धि

इंडएएस 12 को लागू करना-आय कर को तुलन पत्र में किसी परिसंपत्ति या देयता की राशि और उसके कर आधार के बीच नए अस्थायी अंतरों पर आस्थगित कर की मान्यता की आवश्यकता होती है। आईजीएएपी के अंतर्गत यह एक आवश्यकता नहीं थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एसटीसी लिमिटेड नेइंडएएस-12 में निर्धारित आस्थगित कर की पहचान की नई पद्धति के कारण अपने लाभ में क्रमश: ₹ 1.08 करोड़, ₹ 0.04 करोड़, ₹ 0.03 करोड़ और ₹ 1.15 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

(iii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश मापन के कारण लाभ में वृद्धि

आईजीएएपी के तहत सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को लागत पर आंका जाता है, जबकि इंडएएस के तहत, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय

देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर लागू करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया किएंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड और एसटीसी लिमिटेड के लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश के मापन के परिणामस्वरूप कर के बाद लाभ में क्रमशः ₹ 0.31 करोड़ और ₹ 1.04 करोड़ की वृद्धि हुई।

(iv) अन्य कारणों से लाभ में वृद्धि

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड पूर्व अवधि मद और ने दीर्घावधि प्राप्य के पुन: मापन पर लाभ के कारण लाभ में क्रमश: ₹ 1.31 करोड़ और ₹ 0.04 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के मामले में, पीएटीमें कर्मचारी ऋण और सुरक्षा जमा की मान्यता के कारण ₹ 0.16 करोड़ की राशि बढ़ गई, जिसे इंडएएस 107 और इंडएएस 109 के अनुसार उचित मूल्य पर फिर से आंका गया है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कर्मचारी लाभ/ ऋण और सुरक्षा जमा और पीएंडएल खाते से ली गई। आस्थगित आय के कारण क्रमशः पैट में ₹ 0.10 करोड़ और ₹ 0.13 करोड़ और ₹ 11.84 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पीएटी में ₹ 2.65 करोड़ और ₹ 13.76 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की, जो कि ओवरहेड्स के उचित मूल्य के बीच अंतर को पहचान कर, देय और नोमीनल मूल्य को अनार्जित राजस्व के रूप में और उक्त को स्ट्रेट लाईन मथैड पर अन्य आय के आधार पर क्रमश: पुन: चुकाने की अवधि और पारगमन की तिथि से रियायत समझौते की शेष अवधि में फ्रेट शेयरिंग अधिकारों पर मूल्यह्रास/ परिशोधन पुन: गणना द्वारा पहचानता है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड नेसुरक्षा जमा के उचित मूल्य पर ब्याज, केपीटल वर्क-एन-प्रोगरेस में पूंजीगत कर्मचारी लाभ और अन्य इक्विटी में शेयर ईश्यू व्यय की पहचान के संबंध में क्रमश: ₹ 0.30 लाख, ₹ 0.25 करोड़ और ₹ 0.20 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। इसके अतिरिक्त, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने वर्क-मैन प्राप्य और सुरक्षा जमा पर राष्ट्रीय हित के कारण लाभ में ₹ 0.02 करोड़ की वृद्धि दर्ज की और मेकॉन लिमिटेड ने पुनर्मूल्यांकन कार्य के परिणामस्वरूप लाभ में ₹ 0.02 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में पैट मेंवित्तीय लागत, अमूर्त लागत, अघोषित राजस्व, व्यापार प्राप्तियों के प्रति प्रावधान का रिवर्सल और वारंटी शुल्कों के प्रति प्रावधान का रिवर्सल होने के कारण ₹ 13.16 करोड़, ₹ 9.90 करोड़, ₹ 3.95 करोड़ और ₹ 0.80 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी पैट में सुरक्षा जमा प्राप्त पर छूट देने पर ब्याज कारक आस्थगित राजस्व आय में पहचाने गये ब्याज कारक का परिशोधन लीजहोल्ड भूमि पर मूल्यह्रास में कमी और आस्थगित आय से पहचानी गई आय पहचान के संबंध में क्रमश: ₹ 0.27 करोड़, ₹ 1.00 करोड़, ₹ 0.06 करोड़ और ₹ 0.16 करोड़ कीवृद्धि दर्ज की। इसके अतिरिक्त, इंडिया टुरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन ने अन्य को किये गये भुगतान और विद्युत वसूली की वापसी और इंडएएस के अनुसार

उचित मूल्य मापन प्रभाव के संबंध में पैट में क्रमश: ₹ 106.93 करोड़, ₹ 4.93 करोड़ और ₹ 1.15 करोड़ की वृद्धि दर्ज की और पूर्व अवधि व्यय को बट्टे खाते में डालने के संबंध में ₹ 2.14 करोड़ की वृद्धि एसटीसी लिमिटेड ने दर्ज की।

इंडएएस को अपनाने के परिणामस्वरूप चयनित सीपीएसई के पैट में कमी निम्नलिखित कारणों से हुई:

(i) आस्थगित करों को स्वीकार करने के कारण लाभ में कमी

इंडएएस 12 को लागू करना- आयकर को तुलन पत्र में एक परिसंपत्ति या देयता और उसके कर आधारकी राशि को नए अस्थायी अंतर के बीच आस्थगित कर की पहचान की आवश्यकता है। आईजीएएपी के तहत यह एक आवश्यकता नहीं थी। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और इंडिया टुरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मामले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी के लाभ में इंडएएस अपनाने के समय आस्थगित कर की पहचान के कारण क्रमशः ₹ 248.42 करोड़, ₹ 4.71 करोड़, ₹ 2.29 करोड़ और ₹ 0.33 करोड़ की कमी हुई।

(ii) पश्च रोजगार लाभों के प्रति देनदारियों के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण लाभ में कमी

आईजीएएपीके अंतर्गत, पश्च रोजगार लाभ के प्रति देयता में परिवर्तनों का मूल्य वर्ष हेतु लाभ या हानि का भाग बनाता है जबकि इंडएएस के अंतर्गत ऐसा मूल्यांकन अर्थात् एक्चूरियल लाभ और हानि और योजनाबद्ध परिसंपत्तियों पर रिटर्न लाभ या हानि की अपेक्षा अन्य विस्तृत आय के अंतर्गत पहचाने जाते है। एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में लेखापरीक्षा में पाया गया कि पश्च रोजगार लाभ के लिए देनदारियों के मूल्यांकन परिवर्तन के कारण कंपनी के लाभ में क्रमशः ₹ 2.77 करोड़, ₹ 0.39 करोड़ और ₹ 0.04 करोड़ की कमी हुई। रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एसटीसी लिमिटेड ने पैट में पश्च रोजगार लाभ के लिए देनदारियों में वृद्धि के कारण क्रमश: ₹ 0.10 करोड़, ₹ 0.29 करोड़, ₹ 0.02 करोड़ और ₹ 3.51 करोड़ की कमी दर्ज की है।

(iii) अन्य कारण से लाभ में कमी

लेखापरीक्षा ने पाया कि अन्य नॉन-करंट देयता में टीबोर्ड की बुकिंग के परिणामस्वरूप एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के लाभ में₹ 0.37 करोड़ तक कमी आई। हसन मैंगलोर

रेल डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड ने प्रभावी ब्याज दर विधि के आधार पर सावधि जमा पर देयता की पुन: देय अवधि और ब्याज की पुन: गणना पर देय आस्थगित ओवरहेड पर राष्ट्रीय हित व्यय के रूप में पहचान कर क्रमश: ₹ 4.07 करोड़ और ₹ 0.03 करोड़ की पैट में कमी दर्ज की। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लाभ मेंसुरक्षा जमा पर स्थगित प्रीपेड खर्चों के परिशोधन के कारण₹ 0.003 करोड़ की कमी आईऔर स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा जमा,दरों और करों, मजदूरी और पूर्व साल के खर्च के कारण खर्चों में वृद्धि के लिए ₹ 0.0020 करोड़ की कमी हुई।खर्च के प्रावधानों में वृद्धि के कारण मेकॉन लिमिटेड ने भी लाभ में ₹ 1.71 करोड़ की कमी दर्ज की। लेखापरीक्षा में आगे कहा गया कि हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में पीएटी मेंठेकेदारों से जमा राशि और लीजहोल्ड भूमि के परिशोधन के लिए संबंधित वित्त लागत में क्रमशः ₹ 20.91 करोड़ और ₹ 0.06 करोड़ की कमी आई है। सोलर इनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आस्थगित लीजरेंट व्यय के परिशोधन, लीज रेंट आस्थगित राजस्व व्यय में पहचाने गये ब्याज कारक के परिशोधन में वृद्धि, निष्पादन गारंटी जमा पर छूट देना और केपीटल परिसंपत्ति की लागत से केपीटल ग्रांट के गैर-समायोजन के कारण हुए व्यय से क्रमश: ₹ 0.06 करोड़, ₹ 0.29 करोड़, ₹ 0.36 करोड़ और ₹ 0.23 करोड़ की कमी पीएटी में दर्ज की। इसके अलावा, एसटीसी लिमिटेड ने वित्त लागत और असाधारण व्यय के कारण पीएटी में ₹ 0.97 करोड़ और ₹ 0.13 करोड़ की कमी दर्ज की और इंडिया टुरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन ने पीएटी में दूसरों के खाते में प्राप्त राजस्व की वापसी और क्रमशः बिजली की वसूली की वापसी होने के कारण क्रमश: ₹ 106.93 करोड़ और ₹ 4.93 करोड़ की कमी दर्ज की।

6.8.3 राजस्व की बुकिंग पर इंडएएस अपनाने का प्रभाव

इंडएएस 18 - राजस्व राजस्व के लेखांकन के लिए लागू इंडएएस है। इंडएएस 18 के तहत 'राजस्व' की परिभाषा में सभी आर्थिक लाभ शामिल हैं जो एक इकाई की गतिविधियों की सामान्य प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नेट वर्थ प्रतिभागियों के योगदान से संबंधित वृद्धि के अलावा अन्य निवलपूंजी में वृद्धि होती है। आईजीएएपीके अनुसार, राजस्व (एएस 9 - राजस्व मान्यता), हालांकि, माल की बिक्री सेवाओं के प्रतिपादन से, और ब्याज, रॉयल्टी और लाभांश देने वाले उद्‌यम संसाधनों के अन्य द्‌वारा उपयोग से, एक उद्‌यम की सामान्य गतिविधियों के दौरान प्राप्त होने वाला नकद, प्राप्य या अन्य स्रोत्र को अंत: सकल प्रवाह के रूप में परिभाषित किया गया है।

चयनित सीपीएसई में 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि की तुलना में 1 अप्रैल 2017 के आरंभ या समाप्त होने के बाद लेखांकन अवधि के लिए राजस्व की बुकिंग पर इंडएएस अपनाने का प्रभाव निम्नानुसार है:

तालिका 6.2: राजस्व पर इंडएएस के परिशोधन का सीपीएसई-वार प्रभाव

क्र. सं.	सीपीएसईका नाम	राजस्व में कमी (₹ करोड़ में)	राजस्व में वृद्धि (₹ करोड़ में)	निवल प्रभाव (₹ करोड़ में)
1.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	-	1.45	1.45
2.	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	-	0.42	0.42
3.	कॉटन इंडिया लिमिटेड	-	218.86	218.86
4.	चेन्नई-एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	-0.005	-	-0.005
5.	हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	-	29.46	29.46
6.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-0.0020	0.0205	0.0185
7.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	-1.31	9.90	8.59
8.	सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	-0.27	-	-0.27
9.	इंडिया टुरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-111.86	1.15	-110.71

लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्व में ₹ 218.86 करोड़ की अधिकतम वृद्धि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में देखी गई, जबकि भारत टुरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में राजस्व में ₹ 111.86 करोड़ की कमी देखी गई।

6.8.4 राजस्व में वृद्धि/कमी के लिए जिम्मेदार घटक

इंडएएस अपनाने के परिणामस्वरूप चयनित सीपीएसई के राजस्व में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से थी:

लेखापरीक्षा ने पायाकि परिचालन गतिविधियों से हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लिमिटेड ने राजस्व में ₹ 1.45 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है और ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने अन्य स्रोतों से आय के कारण ₹ 0.42 करोड़ की राजस्व में वृद्धि दर्ज की। इंडएएस 18 के अनुसार राजस्व पहचान के लिए लेखांकन नीति में बदलाव के कारण, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ने ₹ 218.86 करोड़ की राशि के परिचालन से राजस्व में वृद्धि दर्ज की। हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने परियोजना परिसंपत्तियों के तहत निर्माण और उसके बाद परियोजना परिसंपत्तियों पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सेवा रियायत समझौतों के तहत निर्माण अनुबंध लागत की पहचान के कारण राजस्व में ₹ 29.46 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। वर्कमैन प्राप्य और सुरक्षा जमा पर अनुमानित ब्याज के कारण, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने राजस्व में ₹ 0.02 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के राजस्व में अघोषित राजस्व के कारण ₹ 9.90 करोड़ की वृद्धि थी। इंडिया टुरिज्म

डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन में, इंडएएस के अनुसार उचित मूल्य मापन प्रभाव के कारण राजस्व में ₹ 1.15 करोड़ की वृद्धि हुई थी।

इंडएएस अपनाने के परिणामस्वरूप चयनित सीपीएसई के राजस्व में कमी का कारण पूर्व अवधि त्रुटि थी जबकि चेन्नई-एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड ने राजस्व में ₹ 0.50 लाख की कमी दर्ज की। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को सुरक्षा जमा, दरों और करों, मजदूरी और पूर्व वर्ष के खर्चों के कारण खर्च में वृद्धि के परिणामस्वरूप राजस्व में ₹ 0.20 लाख की कमी हुई। इसके अलावा, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के राजस्व में परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों के मापन और राजस्व आय से समायोजित ग्राहक को अनुमत छूट के कारण ₹ 1.31 करोड़ और ₹ 0.27 करोड़ की राशि की कमी हुई, इंडिया टुरिज्म डेवलेपमेंट कार्पोरेशन राजस्व में अन्य और विद्युत वसूली वापसी के कारण राजस्व वापसी के कारण राजस्व में क्रमश: ₹ 106.93 करोड़ और ₹ 4.93 करोड़ की कमी आई।

6.8.5 कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर इंडएएस अपनाने का प्रभाव

इंडएएस16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई), इंडएएस 38, अमूर्त परिसंपत्ति, इंडएएस 32 - वित्तीय दस्तावेज:, प्रस्तुतीकरण, इंडएएस 109 - वित्तीय दस्तावेज और इंडएएस 40 - निवेशसंपत्ति के अंतर्गत आईजीएएपी की तुलना में निर्धारित लेखांकन पद्धतियों में अंतर के कारण इंडएएस के कार्यान्वयन पर परिसंपत्तियों के कुल मूल्य प्रभावित किया।

इंडएएस को प्रथम बार अपनाने के संबंध में इंडएएस 101 इंडएएस के पारगमन की तिथि पर आईजीएएपी के अंतर्गत आंकी गई वित्तीय विवरण के पहचाने जाने के रूप में अपनी सभी पीपीई के वहन मूल्य को और देयता रोकने के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद पारगमन की तिथि पर इसकी अनुमानित लागत के वहन मूल्य जारी रखने के निर्णय के लिए प्रथम बार स्वीकारकर्ता को अनुमत करता है। यह छूट इंडएएस 38 - अमूर्त परिसंपत्ति और इंडएएस 40 - निवेश संपत्ति के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्ति के मूल्यांकन के लिए भी प्रयोग की जा सकती है।

चयनित सीपीएसई में 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि की तुलना में 1 अप्रैल 2017 को आरंभ या उसके बाद की अवधि के लिए कुल संपत्ति के मूल्य पर इंडएएस के अपनाने का प्रभाव इस प्रकार है:

तालिका 6.3: कुल परिसंपत्ति के मूल्य पर इंडएएस के अपनाने का सीपीएसई वार प्रभाव

क्र.सं.	सीपीएसईकानाम	कुल परिसंपत्ति के मूल्य में कमी (₹ में करोड़)	कुल परिसंपत्तियों के मूल्यमें वृद्धि (₹ करोड़ में)	निवल प्रभाव (₹ करोड़ में)
1.	हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बंस लिमिटेड	-	29.96	29.96
2.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	-0.02	3.11	3.09
3.	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	-73.86	4.85	-69.01
4.	ब्रिज और रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	-0.74	-	-0.74
5.	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-9.39	20.04	10.65
6.	हिंदुस्तान कार्बनिक कैमीकल लिमिटेड	-583.07	1696.18	1113.11
7.	चेन्नई-एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	-15.19	33.85	18.66
8.	हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	-0.03	29.26	29.23
9.	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.02	0.35	0.33
10.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-	0.0285	0.0285
11.	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	4.67	4.67
12.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	-36.15	-	-36.15
13.	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	-2.54	-	-2.54
14.	इंडिया टुरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन	-0.01	-	-0.01
15.	एसटीसी लिमिटेड	-314.32	313.29	-1.03

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड में कुल परिसंपत्ति के मूल्य में ₹ 1113.11 करोड़ का अधिकतम निवल प्रभाव (वृद्धि) देखा गया, जबकि परिसंपत्ति के कुल मूल्य में

₹ 69.01 करोड़ का अधिकतम निवल प्रभाव (कमी) ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में देखा गया।

6.8.6 कुल परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि/कमी के लिए जिम्मेदार घटक

चयनित सीपीएसई की कुल परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि के निम्नलिखित कारण थे:

हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड और एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड की कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में भूमि की गणना और उचित मूल्य पर निवेश के कारण क्रमशः ₹ 29.96 करोड़ और ₹ 3.11 करोड़ की वृद्धि हुई। ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने निवेश और आस्थगित कर परिसंपत्तियों के कारण क्रमश: ₹ 0.08 करोड़ और ₹ 4.77 करोड़ की कुल संपत्ति के मूल्य में वृद्धि दर्ज की। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मेंकुल परिसंपत्तियों के मूल्य में उप-ऋण और सुरक्षा जमा के उचित मूल्यांकन पर ब्याज व्यय के पूंजीकरण और कर्मचारी लाभ, सुरक्षा जमा और प्रबंधन शुल्क के उचित मूल्यांकन के लिए किए गए पूर्व भुगतान में विभाजन के कारण क्रमश: ₹ 10.76 करोड़ और ₹ 9.27 करोड़ की वृद्धि देखी गई।हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ने कुल परिसंपत्ति के मूल्य में, उचित मूल्य पर भूमि के पुनर्मूल्यांकन और परिभाषित लाभ योजना में परिवर्तन के कारण क्रमश: ₹ 1687.45 करोड़ और ₹ 8.73 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। चेन्नई-एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड ने कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में गैर परिशोधित व्यय के अंतर्गत प्राथमिक व्यय, नॉन-करंट परिसंपत्ति से करंट परिसंपत्ति का पुन: वर्गीकरण, नॉन-करंट परिसंपत्ति में वृद्धि, करंट वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में नकद और नकद समराशि का पुन: वर्गीकरण और पार्टियों से करंट परिसंपत्तियों की वसूली के रूप में क्रमश: ₹ 0.71 करोड़,₹ 1.28 करोड़, ₹ 14.57 करोड़, ₹ 15.97 करोड़ और ₹ 1.32 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। हसन मैंगलोर रेल डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में इंडएएस 11 के अनुसार कम मूल्यह्रास/मूर्त/अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन के दावे तथा पारगमन तिथि से रियायत समझौते की शेष अवधि पर एसएलएम आधार प्रयोग करते हुए मालभाड़ा शेयरिंग अधिकार पर मूल्यह्रास/परिशोधन की पुन: गणना के कारण ₹ 29.26 करोड़ राशि की वृद्धि देखी गई। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कुल परिसंपत्तियों में मूल्य में सीडब्ल्यूआईपी (पूर्वअवधि व्यय, शेयर ईश्यू व्यय पर आस्थगित कर की पहचान, नॉन-करंट भाग का उचित मूल्य समायोजन (वहन मूल्य और प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य में अंतर) और करंट भाग (वहन मूल्य और प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य में अंतर) के उचित मूल्य समायोजन में व्यय के पूंजीकरण के कारण क्रमश: ₹ 0.29 करोड़, ₹ 0.04 करोड़, ₹ 0.01 करोड़ और ₹ 0.01 करोड़ की राशि की वृद्धि देखी गई। लेखापरीक्षा ने कंपनी द्वारा प्राप्त प्रतिभूति जमा पर लीज के अंतर्गत भूमि और अनुमानित ब्याज के

निवारण में परिवर्तन के कारण स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के कुल परिसंपत्तियों के मूल्य ₹0.03 करोड़ और ₹ 0.002 करोड़ राशि की वृद्धि देखी। इसके अतिरिक्त, रांची अशोक बिहार हॉटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में पूंजीकरण के पारंपरिक केंद्र के संबंध में ₹ 4.67 करोड़ की वृद्धि हुई। इसे अतिरिक्त, निवेश संपत्ति में वर्गीकृत पीपीई के संबंध में एसटीसी लिमिटेड की कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में ₹ 313.02 करोड़ की वृद्धि हुई।

इंडएएस अपनाने के परिणामस्वरूप चयनित सीपीएसई की कुल संपत्ति के मूल्य में कमी निम्नलिखित कारणों से थी:

- एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड ने गैर वर्तमान व्यापार प्राप्तियों पर छूट के कारण ₹ 0.02 करोड़ की कमी की सूचना दी।
- ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने क्रमशः व्यापार प्राप्य और अन्य कारकों के कारण क्रमश: ₹ 5.20 करोड़ और ₹ 68.66 करोड़ की कमी दर्ज की।
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता के लिए नीति में बदलाव के लिए और उचित मूल्य, ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड में वित्तीय परिसंपत्तियों के पुन:मूल्यांकन में क्रमशः ₹ 0.17 करोड़ और ₹ 0.57 करोड़ की कमी दर्ज की गई।
- महाराष्ट्र मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए निष्पक्ष मूल्यांकन के प्रभाव, वर्ष 2016-17 से 2017-18 के लिए विदेशी ऋण पर एकल प्रबंधन फीस के प्रभाव, वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए कर्मचारियों को दिये गये ऋणों के निष्पक्ष मूल्यांकन, वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए सुरक्षा जमा के निष्पक्ष मूल्यांकन के कारण क्रमश: ₹ 0.09 करोड़, ₹ 8.64 करोड़, ₹ 0.38 करोड़ और ₹ 0.27 करोड़ की राशि दर्ज की।
- हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ने राज्य सरकार से भूमि की बिक्री, और आस्थगित कर देयताओं और वैट की वापसी के कारण क्रमश: ₹ 379.40 करोड़, ₹ 199.86 करोड़ और ₹ 3.81 करोड़ की कमी दर्ज की।
- चेन्नई-एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड ने वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में नकद और नकद समकक्षों के पुनर्वर्गीकरण के रूप में कुल परिसंपत्ति के मूल्य में ₹ 15.19 करोड़ की कमी दर्ज की।
- हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड में प्रभावी ब्याज दर पद्धति के आधार पर सावधि जमाओं पर ब्याज की पुन: गणना के कारण ₹ 0.03 करोड़ की राशि में कमी देखी गई।

- प्रतिभूति जमा के उचित मूल्यांकन के कारण ₹ 0.02 करोड़ की राशि से नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कमी देखी गई।
- हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को ग्राहकों की जमा राशि, अचल परिसंपत्ति के लिए लीजहोल्ड भूमि की मान्यता, व्यापार प्राप्ति के प्रावधान, कराधान और आस्थगित कर परिसंपत्ति के लिए प्रावधान के संबंध में ₹ 5.28 करोड़, ₹ 0.18 करोड़, ₹ 12.37 करोड़, ₹ 16.94 करोड़ और ₹ 1.38 करोड़ की राशि की कमी आई।
- सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी लीजहोल्ड भूमि की गैर-मान्यता, नॉन-करंट सुरक्षा जमा प्राप्य के मूल्य में कमीके कारण कुल संपत्ति में क्रमश: ₹ 1.77 करोड़ और ₹ 0.77 करोड़ की कमी दर्ज की।
- एसटीसी लिमिटेड और इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन ने क्रमशः इंडएएस के अनुसार निवेश संपत्ति और उचित मूल्य मापन प्रभाव पर विचार करने के कारण क्रमश: ₹ 314.04 करोड़ और ₹ 0.01 करोड़ की कमी दर्ज की।

6.8.7 निवल मूल्य के आधार पर इंडएएस अपनाने का प्रभाव

निवल मूल्य परिसंपत्ति के मूल्य और किसी कंपनी की देनदारियों के बीच का अंतर है। निवल मूल्य (इक्विटी) शेयर कैपिटल का भुगतान,फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम खाते के कुल मूल्य, संचित घाटे, आस्थगित व्यय और विविध खर्चों के औसत मूल्य से कम करके किया जाता है। फ्री रिजर्व में परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन मूल्यह्रास और समामेलन की वापसी से सृजित रिज़र्व शामिल नहीं हैं।

इंडएएस तुलन पत्र खोलने में किसी सत्व की लेखांकन नीतियां आईजीएएपी को प्रयोग करते हुए उक्त तिथि के लिए प्रयुक्त हो रही नीतियों से अलग हो सकती है। चयनित सीपीएसई में 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि की तुलना में 1 अप्रैल 2017 या बाद में प्रारंभ लेखांकन के लिए निवल मूल्य पर इंडएएस की अपनाने का प्रभाव अग्रलिखित है:

तालिका 6.4: निवल मूल्य पर इंडएएस अपनाने का सीपीएसई-वार प्रभाव

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	निवल मूल्य में कमी (₹ करोड़ मे)	निवल मूल्य में वृद्धि (₹ करोड़ में)
1.	हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लिमिटेड		49.75
2.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	-110.73	
3.	ब्रेथवेट बर्न और जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	-52.50	

4.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड (इंडिया)	-0.80	
5.	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	-1.12	
6.	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-5.29	
7.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-270.00	
8.	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	18.06
9.	राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	0.29
10.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-0.0251	-
11.	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-2.16	-
12.	मेकॉन लिमिटेड	-1.69	-
13.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	-	0.41
14.	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया	-	1.19
15	इंडिया टुरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन	-16.91	-
16	एसटीसी लिमिटेड	-1.10	-

निवल सम्पत्ति में अधिकतम ₹ 49.75 करोड़ की वृद्धि हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स में देखी गई जबकि निवल सम्बधित में अधिकतम कमी ₹ 270.00 करोड़ की कमी हिन्दुस्तान ऑरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड में देखी गई।

6.8.8 निवल सम्पत्ति में वृद्धि/कमी के लिए उत्तरदायी घटक

इंडएएस अपनाने के परिणामस्वरूप चयनित सीपीएसई की निवल सम्पत्ति में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से थी:

- हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन्स लिमिटेड के निवल मूल्य में ₹ 49.75 करोड़ की वृद्धि फ्रीहोल्ड भूमि के उचित मूल्यांकन के कारण हुई थी।
- एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड की निवल सम्पत्ति में ₹ 0.65 करोड़ की राशि की वृद्धि निवेश में वृद्धि के कारण हुई थी।
- ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की निवल सम्पत्ति में ₹ 16.03 करोड़, ₹ 0.05 करोड़ और ₹ 4.26 करोड़ की राशि की वृद्धि क्रमश: प्रस्तावित लाभांश और कर, परिशोधित लागत पर बांड मूल्य और आस्थगित कर पर प्रभाव के कारण हुई थी।
- अत्यधिक मूल्यह्रास के प्रभाव के लिए, हुगली प्रिटिंग कंपनी लिमिटेड ने ₹ 0.13 करोड़ तक की निवल सम्पत्ति में वृद्धि रिकार्ड की।

- कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निवल मूल्य में वृद्धि ₹ 13.84 करोड़ की पूर्वविधि मदों के समायोजन और ₹ 4.22 करोड़ के लाभांश पर लाभांश और कर के समायोजन के कारण दर्ज की।
- नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने निवल सम्पत्ति में ₹ 0.40 लाख, ₹ 0.03 लाख और ₹ 0.246 करोड़ की वृद्धि क्रमश: शेयर इश्यू व्यय पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता, प्रतिभूति जमा पर छूट देने और सीडब्ल्यूआईपी में व्ययों के पूंजीकरण के कारण दर्ज की।
- हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की निवल सम्पत्ति में ₹ 0.41 करोड़ की वृद्धि विभिन्न घटको अर्थात् ग्राहकों/ठेकेदारों से परिशोधित लागत पर जमा कर मापन और बिल न किए गए राजस्व का प्रभाव और विभिन्न अन्य कारक जिसके परिणामस्वरूप निवल सम्पत्ति में कमी अर्थात् ट्रेड प्राप्यों पर हानि भत्ता, वारंटी प्रभारों के लिए प्रावधान, पट्टाभूमि का परिशोधन, पूर्वावधि त्रुटियां और उपरोक्त समायोजनों का कर प्रभाव के कारण हुई जिसके परिणामस्वरूप निवल सम्पत्ति में वृद्धि हुई।
- सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भी ₹ 1.19 करोड तक की निवल सम्पत्ति की वृद्धि उचित मूल्य/परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं को मान्यता, पट्टाभूमि का मूल्यह्रास और उस पर आस्थगित कर और आस्थगित राजस्व सरकारी अनुदान के परिशोधन के कारण रिकार्ड की गई।

इंडएएस अपनाने के परिणामस्वरूप चयनित सीपीएसई की निवल मूल्य में कमी निम्नलिखित कारणों से हुई:

- एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड ने ₹ 2.89 करोड़, ₹ 3.75 करोड़, ₹ 0.10 करोड़, ₹ 0.22 करोड़, ₹ 1.10 करोड़ और ₹ 103.32 करोड़ की राशि की कुल सम्पत्ति की कमी क्रमश: पूर्वविधि त्रुटियों में सुधार, आस्थगित कर देयता में वृद्धि, कम मूल्य पर ट्रेड प्राप्यों पर विचार, पूंजीगत अग्रिम का समायोजन, टी बोर्ड आर्थिक सहायता का पुन: वर्गीकरण और धारक संयंत्रों पौधों के रिज़र्व पुर्नमूल्यांकन के समायोजन के कारण से हुई थी।
- ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने क्रमश: ₹ 68.13 करोड़ और ₹ 4.71 करोड़ की राशि की निवल सम्पत्ति की कमी क्रमश: परिसम्पत्तियों की मान्यता रद्द करना और प्रत्याशित क्रेडिट हानि विधि के अनुसार हानि भत्ते के कारण दर्ज की।

- ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लिमिटेड ने ₹ 0.17 करोड़, ₹ 0.97 लाख, ₹ 0.56 करोड़ और ₹ 0.06 करोड़ की राशि की निवल सम्पत्ति में कमी क्रमश: पट्टा भूमि और परिवर्तन तिथि पर पट्टे के अधीन भवन की मान्यता, उचित मूल्य पर कार्मिक ऋण के पुन:मापन, उचित मूल्य पर नॉन करंट वित्तीय परिसम्पत्तियों का पुन: मापन और प्रत्याशित क्रेडिट हानि का उपयोग कर ट्रेड प्राप्यों के संबंध में हानि की गणना के कारण थी।
- आस्थगित कर और आंकलनोंमें परिवर्तन के प्रभाव के लिए हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड ने निवल सम्पत्ति में क्रमशः ₹ 0.25 करोड़ और ₹ 1.00 करोड़ की कमी दर्ज की।
- महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की निवल सम्पत्ति में ₹ 5.29 करोड़ की कमी उचित मूल्यांकन और अन्य प्रभावों के कारण हुई थी।
- प्रेफरेंश शेयर पूंजी के शेयर पूंजी के बजाय चालू वित्तीय देयता हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेडमें निवल सम्पत्ति में ₹ 270 करोड़ की कमी पाई गई।
- नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रतिभूति जमा पर आस्थगित पूर्वदत्त व्ययों के परिशोधन के कारण निवल सम्पत्ति में ₹ 0.30 लाख की कमी दर्ज की।
- स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मेकॉन लिमिटेड ने निवल संपत्ति में ₹ 0.03 करोड़, ₹ 2.16 करोड़ और ₹ 1.69 करोड़ की कमी दर्ज की जिसका कारण क्रमश: पट्टा भूमि के प्रबंधन में परिवर्तन, अवधि के दौरान हानि और निवल लाभ में कमी थी।
- इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने निवल सम्पत्ति में ₹ 16.91 करोड़ की कमी दर्ज की जिसका कारण लाभांश पर कर के साथ प्रस्तावित लाभांश में परिवर्तन, वित्तीय परिसम्पत्तियों/देयताओं का परिशोधन, आस्थगित कर और पूर्वावधि मदों का समायोजन था।
- इसके अतिरिक्त, एसटीसी लिमिटेड में पूर्वावधि त्रुटि के समायोजन और मूल्यह्रास समायोजन के कारण ₹ 1.10 करोड़ की निवल संपत्ति में कमी देखी गई।

6.9 निष्कर्ष

इंडएएस अपनाने के परिणामस्वरूप वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना में परिवर्तन, एतिहासिक लागत मूल्यांकन के रूप में उचित मूल्यांकन का प्रयोग हुआ। लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि चरण-II में इंडएएस अपनाने से चयनित सीपीएसई के कर पश्चात् लाभ के मूल्य, कुल परिसंपत्ति और निवल संपत्ति पर प्रभाव पड़ा। इंडएएस के तहत राजस्व की

मान्यता की विधि में परिवर्तन ने भी उन सीपीएसई जिन्होंने चरण-II में इंडएएस अपनाया था मान्यता प्राप्त राजस्व को भी प्रभावित किया। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए चयनित सीपीएसई के वित्तीय विवरणों में परिवर्तन को प्रकट उद्घोशित किया गया है। संबंधित सीपीएसई के निष्पादन और वित्तीय स्थिति आकलन के समय परिवर्तनों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

अध्याय VII

सीपीएसई द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय

7.1 प्रस्तावना

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) व्यावसायिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसके परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी बाजार में नए उत्पाद और सेवाएं लाती है। आरएंडडी के परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ता कार्य, सफल उद्यम, बेहतर माल एवं सेवाएं और अधिक योग्य और लागत प्रभावी कार्यविधि होती है।

विज्ञान एवं तकनीकी विभाग (डीएसटी) के तहत नेशनल साइंस एंड टेकनालाजी मैनेजमेंट इनफारमेंशन सिस्टम (एनएसटीएमआईएस) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, देश में आरएंडडी की स्थिति ने 2004-05 से 2014-15 के दशक में आरएंडडी पर सकल व्यय (जीईआरडी) तीन गुना से अधिक ₹ 24,117 करोड़ से ₹ 85,326 करोड़ दर्शाई है। अध्ययन से पता चला कि जीईआरडी मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र द्वारा चलाया जा रहा था जिसमें केंद्र सरकार 45.1 *प्रतिशत*, राज्य सरकार 7.4 *प्रतिशत*, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग 5.5 *प्रतिशत* और उच्च शिक्षा के संस्थान 3.9 *प्रतिशत* था। निजी उद्योगों का हिस्सा बाकी 38.1 *प्रतिशत* था।

भारत सरकार ने भारत में बढ़ते अनुसंधान और विकास के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए प्रभावी सरकारी उपायों से भारत को 2020 तक एक वैश्विक नवाचार केन्द्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। सीपीएसई द्वारा आरएंडडी गतिविधियों के परिणामस्वरूप बाजार हिस्सेदारी में काफी वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता में सराहनीय विस्तार होगी। यह सीपीएसई को बढ़ती वैश्विक दुनिया में नई चुनौतियों और अवसरों को प्रयोग करने का मौका देता है।

7.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

अध्याय में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान 21 चयनित सीपीएसई (***परिशिष्ट-XXVI***) द्वारा आरएंडडी गतिविधियों पर व्यय को कवर किया गया है। 21 सीपीएसई जिसमें 2014-15 से 2016-17 के किसी भी वर्ष के दौरान आरएंडडी गतिविधियों में ₹ 15 करोड़ से अधिक का व्यय किया गया है।

7.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

- कंपनी की आरएंडडी नीति/योजना तैयार करने और आरएंडडी बजट स्थापित करते समय उचित ध्यान दिया गया था?
- आरएंडडी योजना को प्रभावी ढंग से बजट लागत के भीतर परिकल्पित लाभ प्राप्त करने के लिए लागू किया गया है?
- प्रभावी प्रक्रियाएं और कार्यप्रणाली का प्रयोग किया गया है ताकि आरएंडडी परियोजनाओं से कार्यान्वयन और अंतिम परिणामों की निगरानी की जा सके?

7.4 लेखापरीक्षा मापदंड

निम्नलिखित मानदंडों के प्रति विश्लेषण किया गया था:

- डीपीई द्वारा जारी (सितंबर 2011) दिशानिर्देश।
- सीपीएसई की आरएंडडी परियोजनाओं के चयन के लिए प्रक्रियाएं और साधन और उसका मूल्यांकन तंत्र।
- एजेंडा/बोर्ड की बैठक का कार्यवृत/आरएंडडी उप-समिति/मानीटरिंग समिति।
- अनुसंधान और विकास व्ययों से संबंधित आयकर लाभ।

7.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

7.5.1 आरएंडडी गतिविधियों के लिए नीति और योजना

सितंबर 2011 में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए अनुसंधान और विकास (आरएंडडी दिशानिर्देश) पर दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 और 3.2 में अपेक्षित है कि प्रत्येक सीपीएसई की कॉर्पोरेट आरएंडडी नीति होनी चाहिए जिसे कम्पनी की दूरदर्शिता और मिशन के साथ जोड़ा जा सके। कॉर्पोरेट आरएंडडी नीति के आधार पर कम्पनी की एक आरएंडडी मैनुअल और विशिष्ट आरएंडडी योजना होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 21 सीपीएसई में से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की एक सुव्यवस्थित आरएंडडी नीति है जिसमें नीतिगत योजना, मानव संसाधन विकास, आरएंडडी कार्पस निधि, एसओपी का विकास, विशेष मंच जैसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ संयुक्त विकास कार्यक्रम या विकास भागीदार, सीमीक्षा, सहभागिता और विश्लेषण तंत्र और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में मानदंड कवर किए गए थे।

तथापि, निम्नलिखित सीपीएसई के मामले में दिशानिर्देशों का अननुपालन पाया गया था:

- स्टील अर्थारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपनी आरएंडडी नीति और विशिष्ट आरएंडडी योजना नहीं बनाई थी। इसके पास केवल आरएंडडी नियमपुस्तिका है जिसे आरएंडडी केन्द्र (आरडीसीआईएस) द्वारा तैयार किया गया है।
- आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और बीईएमएल लिमिटेड की आरएंडडी नीति और नियमपुस्तिका नहीं थी। एनटीपीसी ने आरएंडडी केन्द्र के रूप में एनटीपीसी एनर्जी टेकनालाजी रिसर्च एलायंस (एनईटीआरए) स्थापित किया था।
- एनएमडीसी लिमिटेड के पास आरएंडडी नीति और नियमपुस्तिका नहीं है।आरएंडडी के लिए आईएमएस एपेक्स फ्रेमवर्क दस्तावेज विकसित किया था (नवम्बर 2017) जो मुख्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मानकों (मानकीकरण, व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आकलन श्रृंखला और सामाजिक जवाबदेहिता मानकों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन) को दर्शाता है।
- आरएंडडी नीति और विशिष्ट आरएंडडी योजना के अभाव में, आईटीआई लिमिटेड आरएंडडी नियमपुस्तिका का अनुसरण करती है जो कम्पनी की गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली नियमपुस्तिका का भाग है और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटैड में यह कारपोरेट मैनेजमेंट सिस्टम दस्तावेज का एक भाग है।
- गेल (इंडिया) लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास आरएंडडी कॉर्पोरेट नीति है, किन्तु उनके पास नीति और नियमपुस्तिका के आधार पर विशिष्ट आरएंडडी योजनाएं नहीं हैं।
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की आरएंडडी नीति 1983 में बनाई गई थी और उसे तब से संशोधित नहीं किया गया है। कंपनी के पासआरएंडडी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश है जिन्हें जुलाई 2012 में अनुमोदित किया गया था।
- नालको और ईआईएल के पास डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 2013-2020 आरएंडडी नीति के लिए बोर्ड अनुमोदित रोडमैपहै।

7.5.2 आरएंडडी परियोजनाओं का निधियन

7.5.2.1 पीएटी की प्रतिशतता के रूप में आरएंडडी व्यय

आरंएंडडी दिशानिर्देशों के पैरा 3.8 में कहा गया है कि कर पश्चात् लाभ (पीएटी) की प्रतिशतता के रूप में आरएंडडी पर न्यूनतम व्यय महारत्न/नवरत्न सीपीएसई के मामले में एक *प्रतिशत,* मिनिरत्न-। एवं ॥ और उसके नीचे के वर्ग की सीपीएसई के मामले 0.5

प्रतिशत होना चाहिए। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान चयनित सीपीएसई द्वारा पीएटी की प्रतिशतता के रूप में आरएंडडी व्यय नीचे तालिका 7.1 में विस्तृत रूप से दिया गया है:

तालिका 7.1: 2013-14 से 2017-18 के दौरान पीएटी की प्रतिशतता के रूप में सीपीएसई द्वारा वास्तविक आरएंडडी व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	सीपीएसई की श्रेणी	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
			राशि	पीएटी का प्रतिशत	राशि	पीएटी का प्रतिशत	राशि	पीएटी का प्रतिशत	राशि	पीएटी का प्रतिशत	राशि	पीएटी का प्रतिशत
1	सेल	महारत्न	113.66	6.62	144.26	8.9	124.7	NA*	127.66	NA*	122.9	NA*
2	ओएनजीसी	महारत्न	623	2.82	575	3.24	564	3.52	621	3.47	606	3.04
3	गेल	महारत्न	53.88	1.33	51.61	1.18	76.49	2.35	28.47	1.26	28.87	0.82
4	भेल	महारत्न	1114	32.19	1019	71.81	893	NA*	794	160.08	753	93.30
5	आईओसी एल	महारत्न	252.72	5.05	262.97	3.75	597.31	11.33	327.10	3.15	316.63	1.66
6	एनटीपीसी	महारत्न	134.34	1.06	129.56	1.18	129.68	1.26	162.28	1.59	184.98	1.97
7	एनएमडीसी	नवरत्न	16.74	0.26	18.49	0.29	17.64	0.58	20.3	0.78	22.03	0.58
8	पीजीसी आईएल	नवरत्न	2.95	0.07	6.72	0.13	10.85	0.18	9.92	0.13	8.71	0.10
9	बीईएल	नवरत्न	467	50.11	549	47.04	704	53.86	777	50.19	988	70.62
10	ईआईएल	नवरत्न	20.93	3.33	17.68	3.69	16.93	5.49	12.67	4.59	13.23	4.07
11	एचपीसीएल	नवरत्न	100.62	5.8	129.87	4.75	180.32	4.84	276.54	4.45	232.78	3.75
12	ओआईएल	नवरत्न	38.75	1.3	71.11	2.83	46.76	2.01	63.42	4.1	64.32	2.41
13	नॉलको	नवरत्न	13.87	2.33	7.31	1.13	15.75	1.19	47.52	6.5	27.95	4.17
14	बीपीसीएल	नवरत्न	36.8	0.91	40.7	0.80	59.7	0.85	49.5	0.62	83.2	1.05
15	बीडीएल	मिनिरत्न	19.89	5.76	22.72	5.43	29.43	5.21	37.41	6.62	40.22	7.62
16	बीईएमएल	मिनिरत्न	86.23	18.43	82.82	12.25	66.63	10.41	78.08	9.24	102.04	7.88
17	आईटीआई	अन्य	0.33	उ.न.*	0.05	उ.न.*	17.23	6.76	16.95	5.56	7.76	3.3
18	एमडीएसएल	मिनिरत्न	52.66	13.24	66.47	13.52	73.07	12.85	75.09	13.67	75.11	17.07
19	एचएएल	नवरत्न	85	3.15	150	6.28	257	12.86	305	11.66	309	14.92
20	ईसीआईएल	अन्य	22.40	47	23.81	47	19.79	27	22.65	40	16.03	30
21	एनपीसीआई एल	अन्य	डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया									

**सीपीएसई जिन्होने वर्ष के दौरान हानि उठाई*

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान आरएण्डडी व्यय से दिशानिर्देशों में अनुबंधित अपेक्षा पूरी नहीं हुई जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है:

- एनएमडीसी लिमिटेड तथा पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान सभी वर्षों हेतु आरएण्डडी पर किया गया वास्तविक व्यय पीएटी के एक प्रतिशत से कम था।
- वर्ष 2017-18 के दौरान गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा आरएण्डडी पर किया गया वास्तविक व्यय एक प्रतिशत के निर्धारित व्यय से कम था।
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड केवल 2017-18 के दौरान ही पीएटी के एक प्रतिशत के निर्धारित व्यय को प्राप्त कर सकी थी और यह वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर सकी थी।
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 तथा 2015-16 के दौरान क्रमश: हानि उठाने के बावजूद आरएण्डडी व्यय जारी रखा।
- भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड तथा इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीएटी की प्रतिशतता के रूप में आरएण्डडी व्यय के संबंध में शीर्ष तीन सीपीएसई थी जो वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान क्रमश: 32-160 प्रतिशत 47-70 प्रतिशत और 27-47 प्रतिशत के बीच था।

पीएटी के प्रतिशतता के रूप में आरएण्डडी व्यय 2013-14 से 2017-18 के दौरान 79 कंपनी - वर्षों[51] में 1 प्रतिशत से अधिक था जबकि कुल 94 कंपनी - वर्षों (सेल, भेल तथा आईटीआई में हानि के 6 वर्ष घटाकर 20 सीपीएसई x 5 वर्ष) में से 15 कंपनी - वर्षों में 1 प्रतिशत से कम था। 14 कंपनी - वर्षों (भेल-4 वर्ष, बीईएल - 5 वर्ष तथा ईसीआईएल - 5 वर्ष) के मामलें में पीएटी की प्रतिशता के रूप में आरएण्डडी व्यय 27-160 प्रतिशत के बीच था जबकि 27 कंपनी वर्षों में यह 5 प्रतिशत से अधिक था। अत:, पीएटी की प्रतिशतता के रूप में आरएण्डडी खर्चों की निर्धारित दर में वृद्धि हेतु समीक्षा की आवश्यकता है ताकि इसे भारत में सरकारी संगठनों द्वारा किए गए आरएण्डडी व्यय की सर्वोत्तम पद्धति से जोड़ा जा सके।

7.5.2.2 आरएण्डडी बजट के प्रति आरएण्डडी व्यय

आरएण्डडी दिशानिर्देशों के पैरा 3.8 (iii) में प्रवधान किया गया था कि अगले तीन वर्षों

[51]एक कंपनी-वर्ष एक कपंनी एक वर्ष के लिए से संबंधित है।

के लिए आरएण्डडी बजट अवश्य ही स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए, हालांकि, विचाराधीन वर्ष हेतु प्रक्षेपित वार्षिक व्यय को वर्ष हेतु लक्ष्य के रूप में लिया जाएगा। इसके अलावा, पैरा 3.8 (iv) में भी प्रावधान किया गया कि व्यपगत आरएण्डडी बजट को संबंधित कंपनी द्वारा बनाई गई आरएण्डडी निधि में हस्तांरित किया जाएगा।

हालांकि, बजट के प्रतिशतता उपयोग के साथ तुलना करने पर सीपीएसई के आरएण्डडी व्यय से देखा जा सकता है कि 21 के नमूना आकार में से काफी संख्या में सीपीएसई 100 प्रतिशत बजट राशि का उपयोग नहीं कर सकी थी जिसे तालिका 7.2 में दर्शाया गया है:-

तालिका 7.2: वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान आरएण्डडी बजट के प्रति वास्तविक आरएण्डडी व्यय की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2013-14			2014-15			2015-16			2016-17			2017-18		
		बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य प्रतिशतता	बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य प्रतिशतता	बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य प्रतिशतता	बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य प्रतिशतता	बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य प्रतिशतता
1	सेल	173	114	66	186	144	77	180	125	69	175	128	73	151	123	81
2	ओएनजीसी	391	623	159	543	575	106	774	564	73	608	621	102	650	606	93
3	गेल	40	54	134	43	52	119	30	76	252	23	28	127	35	29	82
4	भेल	1114	1114	100	1019	1019	100	893	893	100	794	794	100	753	753	100
5	आईओसीएल	408	253	62	416	263	63	465	597	128	418	327	78	455	317	70
6	एनटीपीसी	65	134	205	76	130	170	103	130	126	102	162	160	94	185	197
7	एनएमडीसी	22	17	76	22	18	83	88	18	20	29	20	71	87	22	25
8	बीईएल	651	467	72	664	549	83	814	704	87	955	777	81	1064	988	93
9	ईआईएल	41	21	51	32	18	56	27	17	63	31	13	40	33	13	40
10	एचपीसीएल	91	101	111	256	130	51	169	180	106	244	277	113	198	233	118
11	ओआईएल	उ.न.*	39	उ.न.	44	71	163	38	47	123	61	63	104	62	64	104
12	नॉलको	उ.न.*	14	उ.न.	उ.न.*	7	उ.न.	15	16	107	38	48	126	38	28	73
13	बीपीसीएल	39	37	95	46	41	89	57	60	105	54	50	92	90	83	92
14	बीडीएल	27	20	72	उ.न.	23	उ.न.	उ.न.	29	उ.न.	24	37	159	95	40	42
15	बीईएमएल	उ.न.*	86	उ.न.	उ.न.*	83	उ.न.	उ.न.*	67	उ.न.	उ.न.*	78	उ.न.	उ.न.*	102	उ.न.
16	आईटीआई	उ.न.*	0.33	उ.न.	उ.न.*	0.05	उ.न.	उ.न.*	17	उ.न.	उ.न.*	17	उ.न.	उ.न.*	8	उ.न.
17	एचएएल#	693	1083	156	948	1042	110	982	1191	121	1036	1284	124	1212	1612	133
18	पीजीसीआईएल	59	3	5	100	7	7	132	11	8	124	10	8	106	9	8
19	एमडीएसएल	38	53	140	41	66	161	46	73	159	51	75	147	50	75	150
20	ईसीआईएल	उ.न.	22	उ.न.	उ.न.	24	उ.न.	उ.न.	20	उ.न.	उ.न.	23	उ.न.	उ.न.	16	उ.न.
21	एनपीसीआईएल**	86	36	42	70	24	34	64	24	38	50	18	35	50	19	38

***ऑयल इंडिया लिमिटेड, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, आईटीआई लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड तथा इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इन वर्षों हेतु वर्ष वार आरएण्डी बजट से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की थी।**

****एनपीसीआईएल से संबंधित डाटा में केवल इनके तकनीकी विकास समूह का डाटा शामिल है। वर्ष वार बजट तथा वास्तविक व्यय को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली समूह के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था।**

#आंकड़ों में आंतरिक तथा बाहय दोनों निधियन शामिल हैं।

- इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के मामले में अगले तीन वर्षों के आरएण्डडी बजट को दर्शाया नहीं गया था।
- एनटीपीसी लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के मामले में आरएण्डडी की व्यपगत राशि को डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सीपीएसई द्वारा सृजित आरएण्डडी निधि में हस्तांतरित किया जा रहा था। तथापि, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किसी आरएण्डडी निधि का सृजन नहीं किया, इसलिए, व्यपगत आरएण्डडी बजट को अगले वर्ष में अग्रेनीत नहीं किया जा सका था।
- वर्ष 2015-16 और 2017-18 में एनएमडीसी लिमिटेड केवल 20-25 प्रतिशत आरएण्डडी बजट का ही उपयोग कर सकी थी जबकि बाकी वर्षों के दौरान बजट उपयोग 71-83 प्रतिशत था।
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान क्रमश: 66-81 प्रतिशत तथा 40-63 प्रतिशत बजट का ही उपयोग कर सकी थी। डाटा को संयंत्रों/युनिटों के संबंध में डाटा की अनुपलब्धता के अभाव में केवल इसके आरएण्डडी केन्द्र (आरडीसीआईएस) का ही माना गया है।
- इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड 2015-16 को छोड़कर पिछले पाँच वर्षों के दौरान केवल 62-78 प्रतिशत तथा 89-95 प्रतिशत का ही उपयोग कर सकी थी।
- आरएण्डडी बजट का न्यूनतम उपयोग वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 5-8 प्रतिशत था।
- गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा आरएण्डडी बजट का प्रतिशतता उपयोग वर्ष 2015-16 में उच्च (252 प्रतिशत) तथा वर्ष 2017-18 में न्यूनतम 82 प्रतिशत था।

- सीपीएसई तथा वर्षों, जिनमें आरएण्डडी बजट का उपयोग 100 प्रतिशत था, को ***परिशिष्ट-XXVII*** में दिया गया है।

7.5.3 आरएण्डडी परियोजनाओं का कार्यान्वयन

आरएण्डडी दिशानिर्देशों का पैरा 4.3.1 तथा 4.3.2 निर्धारित करता है कि आरएण्डडी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तंत्र का गठन परियोजना के आरंभ में किया जाएगा तथा आरएण्डडी कार्याकलापों द्वारा डाले गए प्रभाव का मापन परियोजना को शुरू करने से पहले विकसित बेसलाइन डाटा के संदर्भ में सर्वाधिक संभव सीमा तक किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि कुछ सीपीएसई में आरएण्डडी परियोजनाओं के लिए सुपरिभाषित तंत्र मौजूद है अर्थात।

(i) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के मामले में आरएण्डडी परियोजनाओं के विकास हेतु मुख्य कायकलापों, निधि एवं श्रमबल आवश्यकता, सहयोगपूर्ण भागीदार तथा प्रस्तावित कार्यक्रम आदि को प्रबंधन संस्वीकृति आदेश के समय अच्छी तरह से निर्धारित किया गया था जो विकास एवं इंजीनियरिंग कार्यकारी प्रमुखों, मुख्य तकनीकी अधिकारियों, महाप्रबंधकों, कार्यकारी निदेशकों तथा अंत में अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक (सीएमडी) के माध्यम से भेजा गया है; सीएमडी, निदेशकों (आरएण्डडी/वित्त) और एक बाहरी निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित) वाली एक शीर्ष आरएण्डडी समिति आवधिक रूप से माइलस्टोन, समय विस्तारणों, जोखिम क्षेत्रों की समीक्षा/विश्लेषण करती है और आवश्यक अनुमोदन हेतु बोर्ड को सिफारिश करती है।

(ii) आरएण्डडी परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन, आवधिक समीक्षा तथा बोर्ड का आवश्यक अनुमोदन लेने में नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड अनुसंधान एंव प्रौद्योगिकी केंद्र (एनआरटीसी) की सहायता स्थानीय परामर्शदाता बोर्ड (अनुसंधान एंव वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति / प्रौद्योगिकी समिति) द्वारा की जाती है।

(iii) ऑयल इंडिया लिमिटेड में बोर्ड द्वारा नियुक्त परिषद प्रमुख के रूप में शीर्ष कार्यकारी निदेशक के नेतृत्व में शीर्ष कोर समिति के रूप में अनुसंधान परिषद (आरसी) है, कंपनी की वार्षिक योजना तथा बजट को दो सदस्यीय आरएण्डडी समन्वय दल द्वारा तैयार किया जाता है और इसके पश्चात बोर्ड के आवश्यक अनुमोदन हेतु आरसी को प्रस्तुत किया जाता है।

तथापि, यह नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त उल्लिखित कार्यान्वयन तंत्र का नालको को छोड़कर किसी सीपीएसई द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से पालन किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

7.5.3.1 आंतरिक आरएण्डडी परियोजना

सीपीएसई द्वारा 2013-14 से 2017-18 के दौरान शुरू की गई आंतरिक आरएण्डडी परियोजनाओं के ब्यौरे तालिका 7.3 में दिए गए है।

तालिका 7.3: आंतरिक आरएण्डडी परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	शुरू की गई आंतरिक आरएण्डडी परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण परियोजना	विलंबित परियोजनाओं की संख्या (पूर्ण / पून: अनुसूचित और चालू)	पुन: अनुसूचित / विलंब से पूर्ण परियोजनाओं की संख्या > एक वर्ष
1	बीडीएल	7	1	0	0
2	बीईएल	235	0	49	13
3	बीईएमएल	31	26	21	8
4	एचएएल	85	51	29	19
5	एचपीसीएल	55*	23	0	0
6	आईटीआई	2	1	1	1
7	एनएमडीसी	32	32	0	0
8	भेल	484	484	139	18
9	नॉलको	16	12	1	1
10	ईआईएल	41	27	10	0
11	ओआईएल	128	128	12	6
12	एनपीसीआईएल	19	12	6	3
13	सेल	253	190	56	0
14	एमडीएसएल	14	13	1	0
15	एनटीपीसी	31	22	9	3
16.	पीजीसीआईएल	7	7	0	0
17	बीपीसीएल	31	23	1	1
18	गेल	0**	-	-	-
19	ओएनजीसी	2470	2470	0	0
20	आईओसीएल	105	73	28	7

**इसमें नवी मुम्बई आरएण्डडी केंद्र की परियोजनाएं शामिल नहीं है क्योंकि संपूर्ण ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।*

***गेल ने आंतरिक परियोजनाएं शुरू नहीं की है।*

टिप्पणी: ईसीआईएल से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

- भारत डायनामिक्स लिमिटेड के मामले में शुरू की गई सात परियोजनाओं में से एक परियोजना को समयपूर्व बंद कर दिया गया, एक पूरी हो चुकी परियोजना की प्रयोक्ता को आवश्यकता नहीं थी और शेष की 2018-19 और 2019-20 में पूर्ण होने की संभावना है।
- भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने 2013-14 से 2017-18 के दौरान 235 आरएण्डडी परियोजनाए शुरू की है और कोई परियोजना पूरी नहीं हुई। 49 विलंबित / पुन: अनुसूचित परियोजनाओं में से 13 एक वर्ष से अधिक समय से विलंबित थी।
- बीईएमएल ने 2013-14 से 2017-18 के दौरान की गई कुल 31 परियोजनाओं में से 26 परियोजनाए पूरी की थी। 21 विलंबित/पुन: अनुसूचित परियोजनाओं में से आठ परियोजनाओं में एक वर्ष से अधिक विलंब हुआ था।
- हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड ने वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान शुरू की गई 85 परियोजनाओं में से 51 परियोजनाएं पूरी की थी। 29 विलंबित / पुन: अनुसूचित परियोजनाओं में से 19 एक वर्ष से अधिक समय से विलंबित थी।
- भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 2013-14 से 2017-18 के दौरान 484 परियोजनाएं पूरी की थी जिसमें से 139 परियोजनाएं (पूर्ण और चालू दोनों) विलंबित थी/है, जिसमे एक वर्ष से अधिक समय से विलंबित 18 परियोजनाए तथा तीन वर्षों से अधिक समय से विलंबित तीन परियोजनाएं शामिल है। तीन विलंबित परियोजनाओं के परिणामस्वरूप ₹ 140 लाख से अधिक की लागत वृद्धि हुई।
- आईटीआई ने तीन वर्षों से अधिक विलंब के साथ वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान शुरू की गई दो परियोजनाओं में से एक पूरी की थी।
- ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 2013-14 से 2017-18 के दौरान शुरू की गई 128 परियोजनाएं पूरी की थी। 12 विलंबित परियोजनाओं में से छ: परियोजनाओं में एक वर्ष से अधिक का विलंब हुआ था।
- न्यूक्लीयर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान शुरू की गई 19 परियोजनाओं में से 12 पूरी की थी। छ: परियोजनाओं में से तीन में एक वर्ष से अधिक का विलंब हुआ था।
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक से दस माह के विलंब के साथ 56 परियोजनाएं पूरी की थी। 20 परियोजनाएं अचानक बंद कर दी गई थी जिनकी संस्वीकृत लागत ₹ 926.25 लाख थी (वास्तविक लागत प्रस्तुत नहीं की गई) थी।

- इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान शुरू की गई 105 परियोजनाओं में से 73 पूरी की थी। 28 पूर्ण / पुन: अनुसूचित विलंबित परियोजनाओं में से सात परियोजनाओं में एक वर्ष से अधिक का विलंब हुआ था। एक विलंबित परियोजना को 60 प्रतिशत कार्य होने के बाद तकनीकी कारणों से पूरा नहीं किया जा सका था।

7.5.3.2 विश्वविद्यालयों / संस्थानों के सहयोग से शुरू की गई आरएण्डडी परियोजनाएं

सीपीएसई द्वारा 2013-14 से 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालयों / संस्थानों के सहयोग से शुरू की गई आरएण्डडी परियोजनाओं के ब्यौरे तालिका 7.4 में दिए गए है।

तालिका 7.4: विश्वविद्यालयों / संस्थानों के सहयोग से शुरू की गई आरएण्डडी परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	विश्वविद्यालय / संस्थानों की संख्या	शुरू की गई आरएण्डडी परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत लागत (₹ लाख में)	व्यय की गई लागत (₹ लाख में)	संस्वीकृत लागत के प्रति वास्तविक लागत की प्रतिशतता	पूर्ण की गई परियोजना		चालू परियोजनाएं
							अनुसूची के अनुसार	अनुसूची से अधिक	
1.	बीपीसीएल	7	7	5185	5174	100	0	1	6
2.	आईटीआई	1	1	14	13	93	1	0	0
3.	नालको	15	33	2773.6	2076.81	75	10	10	13
4.	एनएमडीसी	6	7	1358	482	35	0	2	5
5.	ओआईएल	9	12	1628.50	238.90	15	4	4	4
6.	गेल	12	32	5345.88	4011.41	75	7	14	11
7.	ईआईएल	4	4	631.48	342.09	54	2	0	2
8.	एचएएल	7	22	2558	962	38	4	7	11
9.	बीईएमएल	1	1	5.75	5.75	100	0	1	0
10.	बीईएल	49	127	132846.36	59990.71	45	0	0	127
11.	एनपीसीआईएल	1	2	112.41	112.41	100	2	0	0
12.	सेल	8	14	340.70	237.03	70	10	0	4
13.	भेल	17	44	5551.24	5159.02	93	19	25	0
14.	एनटीपीसी	23	37	5195.64	4675.56	90	2	10	25
15.	पीजीसीआईएल	5	6	1863	520	28	0	3	3
16.	ओएनजीसी	17	48	10314.31	4050.79	39	14	7	27
17.	एचपीसीएल	15	24	4292.42	2555.16	60	11	1	12
18.	आईओसीएल	10	12	614.01	204.77	33	0	4	8
19.	एमडीएसएल	6	6	233.80	380.49	163	1	2	3

टिप्पणी: बीडीएल ने विश्वविद्यालयों / संस्थानों के सहयोग से कोई परियोजना शुरू नहीं की थी। ईसीआईएल के मामले में ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

- ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा पावर ग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड संस्वीकृत लागत के क्रमश: 15 तथा 28 प्रतिशत का ही उपयोग कर सकी थी उनके द्वारा शुरू की गई कुल 18 आरएण्डडी परियोजनाओं में से केवल चार परियोजनाएं समय पर पूरी हुई थी और 7 परियोजनाओं में विलंब था।
- एनएमडीसी ने संस्वीकृत लागत का 35 प्रतिशत खर्च कर दिया था और कुल सात परियोजनाओं में से केवल दो को एक वर्ष से अधिक के विलंब से पूरा कर सकी थी।
- बीईएमएल ने केवल एक परियोजना शुरू की गई जो 21 माह के विलंब से पूरी हुई थी।
- भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में 127 परियोजनाओं में से 58 परियोजनाओं का विस्तारण किया गया जो मार्च 2018 से पहले पूरी की जानी थी। कोई भी परियोजना पूरी नहीं हुई तथा इन परियोजनाओं हेतु 45 प्रतिशत संस्वीकृत लागत का उपयोग किया गया था।
- भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अनुसूची के अनुसार 19 परियोजना और इस अवधि के दौरान शुरू की गई कुल 44 परियोजनाओं में से 25 परियोजनाएं 1 से 40 माह के विलंब से पूरी कर सकी थी।
- हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड के मामले में 22 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाएं समय पर पूरी हुई और 7 परियोजनाएं 6-43 माह के विलंब के बाद पूरी हुई थी।
- एनटीपीसी लिमिटेड ने ली गई 37 परियोजनाओं में से केवल 2 परियोजनाएं ही समय पर पूरी की थी और 10 परियोजनाए एक वर्ष से अधिक विलंब के साथ पूरी हुई थी।
- आईटीआई लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड न्यूक्लीयर पावर कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में विश्वविद्यालयों / संस्थानों के सहयोग से परियोजनाओं की समय पर पूर्णता से संबंधित निष्पादन संतोषजनक था। जबकि, गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा नालको का निष्पादन संतोषजनक नहीं था।

7.5.4 आरएण्डडी परियोजनाओं की निगरानी

दिशानिर्देशों का पैरा 5.1 बताता है कि आरएण्डडी कार्यकलापों की उचित तथा आवधिक निगरानी के लिए सीपीएसई बोर्ड की उप-समिति या उचित शीर्ष समूह को नियुक्त कर सकती है। दिशानिर्देशों के पैरा 5.2 में आगे बताया गया है कि सीपीएसई द्वारा शुरू की गई आरएण्डडी परियोजनाओं की नियमित अंतरालों पर (मासिक / तिमाही / वार्षिक) निगरानी तथा समीक्षा की जाएगी तथा समीक्षा हेतु प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में परियोजना की प्रत्यक्ष एंव वित्तीय दोनों प्रगति शामिल होगी।

निम्नलिखित अननुपालन देखे गए:

- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा मझगॉव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने आरएण्डडी कार्यकलापों की आवधिक निगरानी के लिए बोर्ड की उप-समिति या शीर्ष समूह की नियुक्ति नहीं की थी।
- आईटीआई लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (आंतरिक परियोजनाए), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में समीक्षा हेतु प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में परियोजना की वित्तीय प्रगति शामिल नहीं थी।
- इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की अनुसंधान परामर्शदात्री परिषद (आरएसी) की संदर्भ शर्तों के अनुसार, आरएसी को वर्ष में दो बार बैठक करनी थी परंतु आरएसी ने वर्ष 2013-14, 2015-16 और 2016-17 के दौरान केवल एक बार बैठक की। वर्ष 2017-18 के दौरान आरएसी की कोई बैठक नहीं हुई थी।
- आईटीआई लिमिटेड की 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान (08.12.2018 तक) आयोजित की गई डीपी समीक्षा / एमईसीयू परियोजना प्रबंधन समूह की बैठकों के कार्यवृत्तों से एकमात्र चालू आंतरिक आरएण्डडी परियोजना (एमसीईयू हेतु ई1 / ई3) से संबंधी विचार-विमर्श का पता नहीं चला जो दिसम्बर 2018 में पूरी की जानी थी।

7.5.5 आरएण्डडी परियोजनाओं में से सीपीएसई द्वारा शोध पत्रों के पेटेंट का पंजीकरण तथा प्रकाशन

प्रौद्योगिकी, उत्पादन या आविष्कार का पेटेंट अन्यों को इसे बनाने, उपयोग करने या बेचने से वर्जित करने के लिए कंपनी के अधिकार को समर्थ बनाता है। यह पेटेंट कराई

गई प्रौद्योगिकी की विकास लागतों की वसूली तथा विकास में निवेश का प्रतिफल प्राप्त करने में भी सहायता करता है। पेटेंट की फाइलिंग इस जोखिम को कम करने में सहायता करती है कि समान विचार पर विकसित प्रौद्योगिकी, उत्पाद या आविष्कार किसी अन्य कंपनी द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा।

तालिका 7.5 में वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान प्रदत्त पेटेंट के साथ-साथ पंजीकरण हेतु दर्ज पेटेंट की तुलना में पूरी की गई सीपीएसई वार आरएण्डडी परियोजनाओं को दर्शाया गया है:

तालिका 7.5: सीपीएसई द्वारा दर्ज पेटेंट की संख्या

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	पूरी की गई आरएण्डडी परियोजनाएं			पेटेंट पंजीकरण हेतु दर्ज पेटेंट योग्य आविष्कारों की संख्या		प्रदत्त पेटेंट की संख्या
		आंतरिक	विश्वविद्यालय / संस्थान	कुल	भारत	भारत से बाहर	
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	190	10	200	168	0	0
2	ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन	2470	21	2491	29	2	0
3	गेल (इंडिया) लिमिटेड	0	21	21	23	1	2
4	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	484	44	528	193	5	198
5	एनटीपीसी लिमिटेड	22	12	34	9	0	0
6	एनएमडीसी लिमिटेड	32	2	34	3	0	0
7	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	0	0	0	82*	0	7*
8	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	27	2	29	21	0	0
9	ऑयल इंडिया लिमिटेड	128	8	136	6	4	2
10	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	12	20	32	20**	0	9**

11	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	23	1	24	16	11	3
12	बीईएमएल लिमिटेड	26	1	27	12	0	7
13	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	51	11	62	309	0	15
14	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12	2	14	0	0	0
15	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7	3	10	4	0	0
16	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	13	3	16	1	0	0
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	विवरण प्रस्तुत नहीं			2	0	2
18	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	1	0	1	0	0	0
19	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	23	12	35	79	35	2
20	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	73	4	77	13#	33#	0
21	आईटीआई लिमिटेड	1	1	2	0	0	0

इसमें 2018-19 के दौरान दर्ज सात पेटेंट शामिल है। प्रदत्त पेटेंट वर्ष 1998-99 से 2009-10 के दौरान दर्ज पेटेंट से संबंधित है।

*****इसमे 2013-14 से पूर्व दर्ज परन्तु 2013-14 से 2017-18 के दौरान प्रदत्त नौ पेटेंट है***

 # इसमें वर्ष 15-16 से 17-18 के डाटा शामिल है।

नमूना चयन की गई सीपीएसई में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड उत्कृष्ट निष्पादक था; इसे 198 पेटेंट दिए गए थे। 11[52] सीपीएसई के मामले में वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान कोई पेटेंट नहीं दिया गया। यह भी देखा जा सकता है कि 9[53] सीपीएसई द्वारा पेटेंट पंजीकरण हेतु दर्ज 600 परियोजनाओं में से; वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान केवल 49 पेंटेट दिए गए थे। इस प्रकार, सीपीएसई का प्रदर्शन भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को छोड़कर आशाप्रद प्रतीत नहीं होता।

---

[52] सेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, एनएमडीसी, ईआईएल, एनपीसीआईएल, एमडीएसएल, बीडीएल, आईओसीएल और आईटीआई

[53] गेल, ओआईएल, नालको, बीपीसीएल, बीईएमएल, एचएएल, ईसीआईएल, बीईएल और एचपीसीएल

7.5.6.1 आरएण्डडी परियोजनाओं में से सीपीएसई द्वारा शोध पत्रों का प्रकाशन

आरएण्डडी की उपलब्धियों को शोध पत्रों के रूप में प्रकाशित किया जाता है जो ज्ञान सहभाजन के साथ-साथ भावी मार्गदर्शन हेतु उपयोगी हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप लेखक की अनुमति से अन्य / संगठन द्वारा अनुसंधान के आवेदन आ सकते थे और अनुसंधान आउटपुट से रॉयल्टी का सृजन हो सकता था। हालांकि, यह देखा गया कि महत्वपूर्ण आरएण्डडी व्यय के बावजूद शोध पत्रों के प्रकाशन में सीपीएसई का योगदान बहुत आशाजनक नहीं था।

तालिका 7.6 में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान शोध पत्र का सीपीएसई वार प्रकाशन दर्शाया गया है।

तालिका 7.6: सीपीएसई वार अनुसंधान प्रकाशन की संख्या

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आरएण्डडी व्यय (2013-14 से 2017-18) (₹ करोड़ में)	प्रकाशन की संख्या (2013-14 से 2017-18)
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	633	475
2	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2989	447
3	गेल (इंडिया) लिमिटेड	239	5
4	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	4573	72
5	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	1757	20*
6	एनटीपीसी लिमिटेड	741	3
7	एनएमडीसी लिमिटेड	95	5
8	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	3485	71**
9	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	81	56
10	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	920	30
11	ऑयल इंडिया लिमिटेड	284	33
12	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	112	4
13	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	270	12

14	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	150	8
15	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	6212	36
16	पावर ग्रिड कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	40	24
17	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	342	5
18	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	186	4
19	बीईएमएल लिमिटेड	416	शून्य
20	आईटीआई लिमिटेड	42	शून्य
21	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	105	4

**केवल वर्ष 2013-14 से 2014-15 का डाटा उपलब्ध कराया गया था।*

***केवल वर्ष 2017-18 का डाटा उपलब्ध कराया गया था।*

7.5.6.2 आरएण्डडी परियोजनाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण

सीपीएसई खोज करने के प्रयास में आरएण्डडी कार्यकलापों पर काफी संसाधन खर्च करता है जो पहले से मौजूद उत्पादों या कार्यविधि के संवर्धन के प्रति नए उत्पादों या नाम या कार्य करने के तरीके को विकसित करने में सहायता करता है। तथापि, यह कहा गया कि आरएण्डडी परियोजनाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान केवल पाँच सीपीएसई थोड़ा सा राजस्व अर्जित कर सकी थी जबकि न्यूक्लीयर पावर कार्पोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड ने नई प्रौद्योगिकी से काफी राजस्व अर्जित किया था जैसे निम्नलिखित तालिका 7.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.7: नई विकसित प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण

सीपीएसई का नाम	वाणिज्यिकृत प्रौद्योगिकी की सं.	नई प्रौद्योगिकी से सृजित बिक्री प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	39	शून्य
इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	11	6.89
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	4	0.70
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड	14	शून्य
नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	4	0.08
भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड	2	4.50

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	4	26.67
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	15	शून्य
न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5	545.17
हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	2*	7017

**केवल आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर तथा हल्के लड़ाकू विमानों की उत्पादन बिक्री शामिल है*

7.6 निष्कर्ष

कुछ अग्रणी सीपीएसई (महारत्न, नवरत्न या मिनिरत्न) में आरएण्डडी कार्यकलापों पर डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित कार्पोरेट आरएण्डडी नीति नहीं थी। अधिकतर सीपीएसई व्यपगत बजट को आरएण्डडी निधि में हस्तांतरित नहीं कर रहे है। परियोजनाओं के पूरा होने में काफी विलंब हुए थे। आरएण्डडी परियोजनाओं की प्रभावपूर्ण निगरानी का अभाव था। पेटेंट तथा पूरी हो चुकी परियोजनाओं से राजस्व उदग्रहण में सीपीएसई का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। कुछ सीपीएसई को छोड़ कर सीपीएसई ने बहुत कम शोध पत्र प्रकाशित कराए थे। अधिकतर सीपीएसई द्वारा प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण से बहुत कम राजस्व अर्जित हुआ।

7.7 सिफारिशें

- सीपीएसई आरएण्डडी नीति, नियमपुस्तक तथा विशेष योजना स्थापित करे।और आरएण्डडी बजट के व्यपगमन को रोकने के लिए पृथक आरएण्डडी निधि सृजित करें।
- आरएण्डडी व्यय के संबंध में व्यय के लक्ष्यों का पिछले वर्षों में वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए सीपीएसई के साथ एमओयू के अंतर्गत निर्धारण किया जाए।
- सभी सीपीएसई को आरएण्डडी बजट का 100 प्रतिशत उपयोग करने हेतु उपाय करने की आवश्यकता है।
- आरएण्डडी परियोजनाओं की बेहतर निगरानी तथा यह समय पर पूरे होने चाहिए।
- सीपीएसई को अधिक शोध पत्र प्रकाशित करने तथा आरएण्डडी परियोजना से विकसित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण से उनकी आय में वृद्धि का प्रयास करना चाहिए।

डीपीई ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2019) कि सिफारिशों को नोट कर लिया गया है और यह भी बताया कि आरएण्डी दिशा निर्देशों को पहले ही वापिस लिया जा चुका है। दिशा निर्देशों को वापिस लेते हुए कार्यालय ज्ञापन (जुलाई 2019) से ज्ञात हुआ कि दिशा निर्देशों को वापिस लिया गया क्योंकि 2016-17 के बाद से परिणामोन्मुख मापदण्ड़ों को निर्धारित करते हुए एमओयू दिशा निर्देशों में संशोधित के उपरांत वे निरर्थक हो गये थे। उपरोक्त सिफारिशे डीपीई दिशा निर्देशों में परिकल्पित विचारधारा की प्राप्ति को सुनिश्चित मंत्रालय भविष्य में वार्षिक रूप से सीपीएसई हेतु एमओयू के अंतर्गत् आरण्डडी व्यय के लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगी।

अध्याय VIII

सीपीएसई में विनिवेश

8.1 भारत सरकार की विनिवेश नीति

मौजूदा विनिवेश नीति 5 नवम्बर 2009 को लाई गई थी। भारत सरकार की विनिवेश नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है:

(i) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र की संपत्ति है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संपत्ति आम जनमानस के हाथों में होनी चाहिए, सीपीएसई में जन-स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(ii) सूचीबद्ध सीपीएसई में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से विनिवेश करते समय सरकार अधिकांश शेयरधारिता अर्थात कम से कम 51 प्रतिशत शेयरधारिता और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंधन नियंत्रण अपने पास रखेगी।

(iii) अभिज्ञात सीपीएसई में सरकारी शेयरधारिता में से 50 प्रतिशत या उससे अधिक एक बड़े हिस्से की बिक्री के जरिए नीतिगत विनिवेश सहित प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण।

5 नवम्बर 2009 को सरकार ने लाभ अर्जित करने वाली सरकारी कंपनियों में विनिवेश करने के लिए निम्नलिखित कार्य योजना अनुमोदित की:

(क) अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री से विनिवेश:

- प्रतिभूति संविदा (विनियम) (संशोधन) नियमावली 2010 में सूचीबद्ध सीपीएसई में न्यूनतम 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता की परिकल्पना की गई थी (जून 2010)। इस सीमा को अगस्त 2014 में संशोधित करके 25 प्रतिशत कर दिया गया था।
- गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई जिनका कोई संचित घाटा नहीं है तथा जो पिछले तीन वर्षों से लगातार निवल लाभ कमा रहे हैं, उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा।
- अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकशों पर मामला दर मामला आधार पर सीपीएसई की पूंजीनिवेश संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा और सरकार इसके साथ अथवा स्वतंत्र रूप से अपनी इक्विटी शेयरधारिता के एक हिस्से की पेशकश कर सकती है।

- विनिवेश के सभी मामलों पर मामला दर मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
- निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से सीपीएसई की पहचान करेगा और जिन मामलों में सरकारी इक्विटी की बिक्री की पेशकश आवश्यक हो, उनके प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(ख) नीतिगत विनिवेश

- नीति आयोग सहित विभिन्न मंत्रालय/विभागों के साथ एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
- नीति आयोग नीतिगत विनिवेश के लिए सीपीएसई की पहचान करेगा और बिक्री की पद्धति, सीपीएसई के बिक्री किए जाने वाले शेयर की प्रतिशतता और सीपीएसई के मूल्यांकन की पद्धतियों के संबंध में सलाह देगा।
- विनिवेश संबंधित सचिवों काकोर ग्रुप (सीजीडी) नीति आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगा ताकि नितिगत विनिवेश के संबंध में आर्थिक मामलों पर केबिनेट समिति (सीसीईए) द्वारा निर्णय लेने में सुविधा हो और कार्यान्वयन की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण/निगरानी करेगा।

8.2 वर्ष 2017-18 की बजट घोषणाएं

वर्ष 2017-18 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने निम्नलिखित को उजागर किया था:

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सूचीबद्ध करने से अधिक सार्वजनिक जवाबदेही को प्रोत्साहन मिलेगा और इन कंपनियों का वास्तविक मूल्य प्रकट होगा। सरकार स्टॉक एक्सचेंज पर अभिज्ञात सीपीएसई का समय बाधित सूचीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक संशोधित तंत्र स्थापित करेगी।
- आईआरसीटीसी, आईआरएफसी तथा ईरकॉन जैसी रेलवे पीएसई के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा।
- एकीकरण, विलयन और अधिग्रहणों के माध्यम से सीपीएसई को एक उद्यम की सभी मूल्य श्रृखंला में एकीकृत किया जा सकता है। यह उन्हें अधिक जोखिम वहन करने, स्केल मितव्ययता प्राप्त करने, उच्चतर निवेश निर्णय लेने और पणधारकों के लिए अधिक मूल्य सृजित करने की क्षमता देगा। इस प्रकार की पुन: सरंचना की संभावनाएं तेल एवं गैस के क्षेत्र में दृष्टिगोचर है। एक एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र 'ऑयल मेजर' का सृजन किया जायेगा जो अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू निजी क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनियों के प्रदर्शन से मेल खाने में सक्षम होगा।

- दस सीपीएसई की हिस्सेदारी वाली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को हाल ही में अगली निधि पेशकश (एफएफओ)[54] में जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली है। शेयरों के अगामी विनिवेश के लिए साधन के रूप में ईटीएफ का उपयोग जारी रहेगा। तद्नुसार, विविध सीपीएसई स्टॉक तथा अन्य सरकारी धारिता के साथ नया ईटीएफ 2017-18 में शुरू किया जाएगा।

8.3 वर्ष 2017-18 के दौरान सीपीएसई के विनिवेश का लक्ष्य तथा उपलब्धि

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए विनिवेश प्रक्रिया के द्वारा डीआईपीएम के अभिलेखों के अनुसार किए गये बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक उदग्रहण तालिका 8.1 मे दी गई है:

तालिका 8.1: वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक सीपीएसई के विनिवेश के अनुमान तथा वास्तविक उद्ग्रहण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	उद्ग्रहण
2013-14	40000	16027	15819
2014-15	43425	26353	24349
2015-16	41000	25313	23997
2016-17	56500	45500	46274
2017-18	72500	100000	100057*

भारत सरकार (जीओआई) ने 2017-18 के दौरान विभिन्न तरीकों / माध्यमों से 36 मामलों में अपनी शेयरधारिता का विनिवेश किया। इन प्रत्येक तरीकों से वास्तविक उद्ग्रहण के ब्यौरें तालिका 8.2 में दिए गए हैं।

[54] *एफएफओ:- आगामी निधि पेशकश से तात्पर्य निवेशको को वर्तमान निधि द्वारा आगामी ईकाइयों को जारी करना है।*

तालिका 8.2: वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न माध्यमों द्वारा सीपीएसई के विनिवेश से प्राप्त उद्ग्रहण

विनिवेश के माध्यम	मामलों की संख्या	उद्ग्रहण/ प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)
आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ)/पिगीबैक[55]	6	24,039.85
बिक्री की पेशकश (ओएफएस)[56]	7	13,395.65
कर्मचारियों का ओएफएस	6	315.21
शेयरों की वापसी खरीद	13	5,337.55
नया निधि पेशकश[57]	1	14,500.00
नितिगत विनिवेश[58]		
(क) ऑफ मार्केट (एचपीसीएल - ओएनजीसी डील)	1	36,915.00
(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विशेष उपक्रम (एसयूयूटीआई) में नीतिगत धारिताओं का विनिवेश	1	4,153.65
एसयूयूटीआई के निवेश के प्रबंधन से आय	1	1,400.00
कुल जोड़	**36**	**1,00,056.91**

लेखापरीक्षा में देखा गया कि एसयूयूटीआई निवेश से प्राप्त आय विनिवेश का भाग नहीं है। भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों तथा तत्पश्चात समय-समय पर एसयूयूटीआई के सलाहकारी बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार एसयूयूआईटी के निवेश पर प्राप्त ब्याज तथा लाभांश को एसयूयूटीआई सरकार को दे रही है। इस आय को सरकारी लेखा के एमएच-4000.01.800 'अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत बुक किया जाता है जबकि सरकारी विनिवेश की बिक्री से संबंधित विनिवेश प्राप्तियों को एमएच - 4000.03.190

[55] *आरंभिक सार्वजनिक पेशकश पहली बार सब्स्क्रिप्शन हेतु पब्लिक को गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई या सरकार द्वारा इसकी शेयरधारिता या दोनों के सहयोग द्वारा शेयरों के पेशकश से संदर्भित है। सरकार के शेयर की बिक्री के साथ नई इक्विटी जारी करने को पिगीबैक ट्राजेक्शन कहा जाता है।*

[56] *बिक्री की पेशकश का संबंध स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से सरकार (प्रमोटर) द्वारा शेयरों की बिक्री से है। यह पद्धति स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराए गए मंच पर शेयरों की नीलामी की अनुमति देती है।*

[57] *नयी निधि पेशकश का संबंध एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड (ईटीएफ) के माध्यम से विनिवेश से है जो एकल पेशकश के माध्यम से विविध क्षेत्रों में विभिन्न सीपीएसई में सरकारी शेयर की एक साथ बिक्री की अनुमति देता है। यह सरकार के लिए ईटीएफ बास्केट का भाग बनने वाले सीपीएसई में इसकी शेयर धारिता के मुद्रीकरण हेतु तंत्र प्रदान करता है।*

[58] *नीतिगत विनिवेश का संबंध प्रबंधन नियंत्रण सहित सीपीएसई की 50 प्रतिशत तक या इससे अधिक प्रतिशत की सरकारी शेयरधारिता जैसा सक्षम अधिकारी निर्णय ले, के प्रर्याप्त हिस्से की बिक्री से है।*

'सार्वजनिक क्षेत्र के एवं अन्य उपक्रमों में विनिवेश' के अंतर्गत बुक किया जाता है। डीआईपीएएम के वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2017-18 के दौरान एसयूयूटीआई के निवेश के प्रबंधन से प्राप्त आय के रूप में ₹ 1,400 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी जिसे 4000.01.800 अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत बुक करने की बजाय गलती से एमएच - 4000.03.190 के अंतर्गत बुक किया गया था। इस प्रकार, 2017-18 के दौरान डीआईपीएएम ने विनिवेश राशि को ₹ 1,400.00 करोड़ तक बढ़ाकर बताया था। लेखाओं को प्रमाणित करते समय इसके बारे में बताया गया था।

डीआईपीएएम ने उत्तर दिया (जुलाई 2019) कि एसयूयूटीआई केवल निरंतर पुराने अभ्यास के अनुसार अपने निवेशो इत्यादि से अर्जित अतिरिक्त आय को प्रदान करती है। हालांकि मुख्य शीर्ष 4000- 'विविध पूंजीगत प्रतियां' के अंतर्गत शीर्ष 04 - सरकार कीइक्विटी धारिता के विनिवेश से प्राप्त प्रीमियम है।

डीआईपीएएस का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ऐसी प्रप्तियां एमएच 4000.01.800- सरकारी लेखो की अन्य प्रप्तियां के अंतर्गत बुक किए जाते है। इसके अलावा प्रधान लेखा कार्यालय, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने गलत वर्गीकरण से सहमति जताई (सितम्बर 2018) और सूचित किया कि परिशोधन किया जा चुका है। सीजीए ने इस संबंध मे एमओएफ द्वारा किए गए परिशोधन को स्वीकृत (जून 2019) किया था। इस प्रकार एसयूयूटीआई से ₹ 1,400 करोड़ की आय को विनिवेश से प्राप्तियाँ नहीं माना जा सकता।

डीआईपीएएम के साथ मामले को बार-बार उठाने के बाबजूद 2017-18 दौरान सरकार द्वारा किए गए विनिवेश में एलआईसी की भागीदारी की सूचना प्रस्तुत नहीं की। बाद में डीआईपीएएम ने 2017-18 के दौरान भारत सरकार के द्वारा किए गए विनिवेश में एलआईसी द्वारा ली गई हिस्सेदारी (तीन आईपीओ और एक ओएफएस) से संबंधित आंशिक सूचना प्रस्तुत की गई (जून 2019)। इसने 2018-19 मे जारी एक आईपीओ (मिघानी) से संबंधित सूचना भी प्रदान की। यह भी देखा गया कि आईपीओ (2017-18) में प्रस्तावित शेयरों मे से एचएएल के आईपीओ में 68.62 प्रतिशत शेयर एलआईसी द्वारा खरीदे गये जबकि भारत सरकार द्वारा आईपीओ (2018-19) मे प्रस्तावित शेयरो मे मिघानी के मामले में एलआईसी ने 33.56 प्रतिशत शेयर खरीदे।

पूर्ण सूचना के अभाव में लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या सीपीएसई के जन स्वामित्त्व के प्रोत्साहन के उददेश्य 2017-18 के दौरान सफलतापूर्वक प्राप्त हुए थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष 2017-18 के लिए लेखापरीक्षा जांच में निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा उपलब्ध कराई गई फाइलों/अभिलेखों के आधार पर विभिन्न तरीकों से सीपीएसई में विनिवेश प्रक्रिया के 36 मामलें शामिल है। लेखापरीक्षा जांच में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एचपीसीएल - ओएनजीसी डील के विनिवेश प्रक्रिया से संबंधित अभिलेख जिस भी सीमा तक दिए गए, भी शामिल है।

8.4 आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ)

8.4.1 आईपीओ के माध्यम से विनिवेश से उद्ग्रहण

वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार ने आईपीओ/पिगीबैक के माध्यम से छः सीपीएसई अर्थात जनरल इन्श्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी), दि न्यू इंडिया एश्योरेंस क. लिमिटेड (एनआईएसीएल), भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल), हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) तथा हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) में अपनी शेयरधारिता विनिवेशित कर दी। इन छः मामलों में विनिवेश से उद्ग्रहीत प्राप्तियाँ तालिका 8.3 मे दी गई है।

तालिका 8.3: वर्ष 2017-18 के दौरान आईपीओ द्वारा विनिवेश से उदग्रहण का विवरण

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	भारत सरकार की विनिवेशित शेयर धारिता की प्रतिशतता	विनिवेश का तरीका	विनिवेश से प्राप्त राशि (₹ करोड़ में)	विनिवेश के पश्चात भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता
(i)	जीआईसी	12.5	आईपीओ (पिगीबैक)	9,704.16	85.78
(ii)	एनआईएसीएल	11.65	आईपीओ (पिगीबैक)	7,653.32	85.44
(iii)	बीडीएल	12	आईपीओ	950.35	88
(iv)	एचएएल	10	आईपीओ	4,054.66	90
(v)	सीएसएल	25	आईपीओ (पिगीबैक)	470.01	75
(vi)	हुडको	10.19	आईपीओ	1,207.35	89.81
			कुल	**24,039.85**	

8.4.2 व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों से प्राप्त खराब प्रतिक्रया

'सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से विनिवेश पर हस्तपुस्तिका[59]' के पैरा 3.3(8) में निर्दिष्ट किया गया था कि विनिवेश नीति सीपीएसई के धन एवं समृद्धि में हिस्सेदारी के लिए देश के नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक शेयरधारिता के व्यापक प्रसार की परिकल्पना करती है। शेयरों के संवितरित स्वामित्व को खुदरा निवेशकों को शेयरों के प्रस्ताव देकर प्राप्त किया जा सकता है। सीपीएसई में अल्पांश हिस्से के विनिवेश की मौजूदा नीति को आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) के निर्णय (5 नवम्बर 2009) द्वारा शासित किया जाता है। इस निर्णय के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ सीसीईए ने अनुमोदित किया कि सीपीएसई, जिनकी धनात्मक निवल संपत्ति है, कोई संचित हानि नहीं है और जिन्होने लगातार पिछले तीन वर्षों में निवल लाभ अर्जित किया है, से 10 प्रतिशत सार्वजनिक धारिता के अनिवार्य सूचीकरण मानक को प्राप्त करना अपेक्षित है और ऐसी सभी गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई से स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होना अपेक्षित है। 22 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) ने प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियमावली, 1957 में संशोधन अधिसूचित किया था जिसके अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी जिसकी सार्वजनिक शेयरधारिता 25 प्रतिशत से कम है, अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को तीन वर्षों की अवधि में कम से कम 25 प्रतिशत तक बढ़ाएगी।

सीसीईए ने मामला दर मामला आधार पर 35 सीपीएसई में विनिवेश के निर्णय की आवश्यकता को वैकल्पिक तंत्र[60] को सौंप दिया था (जनवरी 2017) जिसे विनिवेश की मात्रा पर निर्णय लेना था, सीपीएसई के शेयरों की बिक्री हेतु कीमत बैंड / आधार मूल्य, विनिवेश की पद्धति / तरीके, शेयर के हिस्से की संख्या एवं आबंटित शेयरों की संख्या और खुदरा निवेशकों तथा सीपीएसई के पात्र कर्मचारियों को छूट का अनुमोदन करना था। 11 सीपीएसई में भारत सरकार की 25 प्रतिशत शेयरधारिता के विनिवेश हेतु डीआईपीएएम के प्रस्ताव के सीसीईए अनुमोदन (अप्रैल 2017) के अनुसार वैकल्पिक तंत्र

---

[59] *सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से विनिवेश पर हस्तपुस्तिका जून 2011 में तत्कालीन विनिवेश विभाग (अब डीआईपीएएम) द्वारा प्रकाशित की गई थी।*

[60] *वैकल्पिक तंत्र तत्कालीन मंत्रियों के सशक्त समूह (ईजीओम) के कार्य करता है और इसमें अध्यक्ष के रूप में वित्त मंत्री तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री तथा प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के मंत्री सदस्य के रूप में शामिल है।*

ने कई बार[61] पात्र संस्थागत बोलीदाताओं, खुदरा निवेशकों तथा असंस्थागत निवेशकों को क्रमशः 50:35:15 के अनुपात में आबंटन के साथ आईपीओ की प्रक्रिया के माध्यम से सीपीएसई के शेयरों का प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया था। सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 के विनियम 43 (2) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रोसेस[62] के माध्यम से एक निर्गमन में जनता को निवल प्रस्ताव का आबंटन 35 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

छः सीपीएसई, जहां वर्ष 2017-18 के दौरान आईपीओ के माध्यम से विनिवेश किया गया था, से संबंधित निवेशकों की प्रत्येक श्रेणी से प्राप्त प्रतिक्रिया कितनी बार शेयर अभिदान किया गया, को नीचे तालिका 8.4 में दिया गया है:

तालिका 8.4: वर्ष 2017-18 के दौरान आईपीओ द्वारा विनिवेश पर निवेशकों की प्रतिक्रिया

क्र. सं.	विवरण	जीआईसी	एनआईएसीएल	बीडीएल	एचएएल	सीएसएल	हुडको
(i)	पात्र संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी)	2.25x	2.34x	1.50x	1.73x	63.52x	55.54x
(ii)	गैर-संस्थागत निवेशक (एनआईआई)	0.22x	0.12x	0.50x	0.03x	288.87x	330.36x
(iii)	व्यक्तिगत खुदरा निवेशक (आरआईआई)	0.63x	0.11x	1.41x	0.39x	8.51x	10.79x
(iv)	कर्मचारियों हेतु आरक्षण	1.01x	0.21x	0.42x	0.21x	0.48x	0.74x
सभी श्रेणियों के निवेशक		1.38x	1.19x	1.30x	0.99x	76.19x	79.53x

(उपरोक्त तालिका में 'x' का संबंध उस संख्या से है जितने गुणा शेयर सब्स्क्राइब किए गए। अतः 2.25x बताता है कि आईपीओ के अंतर्गत प्रस्तावित शेयर 2.25 गुणा सब्स्क्राइब किए गए अर्थात प्रस्तावित 100 शेयरों के प्रति 225 शेयर सब्स्क्राइब किए गए थे)

जैसे उपरोक्त तालिका से देखा गया, एचएएल, जीआईसी तथा एनआईएसीएल के आईपीओ के मामले में व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों की प्रतिक्रिया काफी खराब थी जो

---

[61] *अवसर - हुडको - अप्रैल 2017; सीएसएल - अगस्त 2017; जीआईसी - अक्टूबर 2017; एनआईएसीएल - नवम्बर 2017; बीडीएल और एचएएल - मार्च 2018*

[62] *बुक बिल्डिंग प्रोसेस मांग प्राप्त करने तथा प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य निर्धारित करने के लिए कीमत निर्धारण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया है।*

प्रस्तावित शेयरों से 0.11 गुणा से 0.63 गुणा के बीच थी। इस प्रकार, 2017-18 के दौरान लाए गये आईपीओ की 50 प्रतिशत संख्या में तीन सीपीएसई में व्यक्तिगत खुदरा निवेशक कोटा काफी कम सब्सक्राइब किया गया था और तत्पश्चात विनिवेश नीति में व्यक्तिगत खुदरा निवेशक के लिए परिकल्पित उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सका था।

डीआईपीएएम ने उत्तर (मार्च 2019 और जून 2019) दिया कि यद्यपि खुदरा निवेशक श्रेणी के अंतर्गत निगर्मन को पूर्णत: सब्स्क्राइब नहीं किया जा सका था, फिर भी समग्र निर्गम को गैर-खुदरा निवेशकों की भागीदारी के मद्देनजर पूर्णत: सब्स्क्राइब कर लिया गया था। डीआईपीएएम ने यह भी उत्तर दिया कि निवेशकों की प्रतिक्रिया सरकार के नियंत्रण में नहीं होती और यह व्यक्तिगत निवेशक की इच्छा और निवेश हेतु बाजार की स्थितियों पर निर्भर करती है।

यद्यपि यह सहमति है कि निवेशकों की प्रतिक्रिया सरकार के नियंत्रण में नहीं है, खुदरा शेयरधारकों से भिन्न प्रतिक्रिया, अर्थात तीन सीपीएसई में अधिक सब्स्क्रप्शन और अन्य तीन सीपीएसई में कम सब्स्क्रिप्शन, इस बात की सूचक है कि विभिन्न श्रेणियों में निवेश पद्धति को बेहतर तरीके से समझने के लिए विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, टिप्पणी आईपीओ में खुदरा भागीदारी से संबंधित थी परन्तु डीपीआईएएम के उत्तर में ना तो निम्न खुदरा निवेश भागीदारी के लिए कारण और ना ही आइपीओ में खुदरा निवेशक भागीदारी को बढावा देने के उपचारात्मक कदम बताए गये थे।

8.5 बिक्री की पेशकश (ओएफएस)

8.5.1 ओएफएस के माध्यम से विनिवेशों से उद्ग्रहण

वर्ष 2017-18 के दौरान, डीआईपीएएम ने ओएफएस पद्धति के माध्यम से सात सीपीएसई में विनिवेश से ₹ 13,395.65 करोड़ की राशि उद्ग्रहीत की थी जिसके ब्यौरें तालिका 8.5 में दिए गए है:

तालिका 8.5: 2017-18 के दौरान ओएफएस के माध्यम से विनिवेश उदग्रहण

सीपीएसई का नाम	भारत सरकार की शेयरधारिता के विनिवेश की प्रतिशतता	सीसीईए के अनुमोदन की तिथि	विनिवेश से प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	विनिवेश के पश्चात भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता
नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	9.21	19.02.2015	1,191.73	65.38
राष्ट्रीय केमीकल एंड फर्टीलाईजर्स (आरसीएफएल)	5	13.05.2015	205.15	75
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)	15	13.05.2015	530.72	74.71
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	6.83	13.05.2015	404.71	76.05
एनटीपीसी लिमिटेड	6.63	18.01.2017	9,117.92	63.11
एनएलसी (इंडिया) लिमिटेड	5	18.01.2017	722.29	84.32
एनएमडीसी लिमिटेड	2.52	19.02.2015	1,223.13	72.42
जोड़			**13,395.65**	

8.5.2 ओएफएस हेतु कार्यान्वयन अनुसूची का अननुपालन

22 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) ने प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियमावली, 1957 में संशोधन अधिसूचित किया था जिसके अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी जिसकी सार्वजनिक शेयरधारिता 25 प्रतिशत से कम है, अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को तीन वर्षों की अवधि में कम से कम 25 प्रतिशत तक बढ़ाएगी।

तदनुसार, सीसीईए ने ओएफएस के माध्यम से एमएमटीसी लिमिटेड (एमएमटीसी) तथा दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) में सरकार की 15 प्रतिशत शेयरधारिता के विनिवेश का अनुमोदन किया (13 मई 2015)। भारत सरकार ने 5 मई 2015 को एमएमटीसी तथा एसटीसी में क्रमश: 89.93 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत शेयर धारित किए थे। कार्यान्वयन अनुसूची के अनुसार सीसीईए ने निर्णय किया कि निर्गमन

का समय बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा प्रस्तावित विनिवेश को 21 अगस्त 2017 तक कार्यान्वित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि डीआईपीएएम 21 अगस्त 2017 तक एमएमटीसी तथा एसटीसी में विनिवेश हेतु सीसीईए के निर्णय को कार्यान्वित नहीं कर सका था। इसके परिणामस्वरूप 21 अगस्त 2017 को व्यापक ट्रेडिंग कीमतों के आधार पर ₹ 974 करोड़ (एमएमटीसी ₹ 836.97 करोड़ और एसटीसी ₹ 137.03 करोड़) का अपेक्षित उद्ग्रहण इन दो सीपीएसई के विनिवेश के माध्यम से मूर्त रूप नहीं ले सका। इसके अलावा, निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है कि दोनों सीपीएसई की शेयर ट्रेडिंग कीमत में 21 अगस्त 2017 के बाद गिरावट आई थी जिसके परिणामस्वरूप 30 सितम्बर 2018 तक ₹ 260.81 करोड़ (एमएमटीसी: ₹ 218.24 करोड़ तथा एसटीसी: ₹ 42.57 करोड़) तक संभावी हानि हुई।

एमएमटीसी तथा एसटीसी में सरकारी शेयरधारिता के ब्यौरे, शेयरों की संख्या तथा स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग दरों सहित तालिका 8.6 में दिए गए है।

तालिका 8.6 : एमएमटीसी और एसटीसी में ओएफएस में देरी के कारण अनुमति हानि

सीपीएसई	तिथि	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या	बेचे जाने वाले शेयरों की संख्या अर्थात भारत सरकार की धारिता का प्रतिशत 15	प्रति शेयर विनिमय दर (₹ में)	विनिवेश के माध्यम से अपेक्षित उद्ग्रहण (₹ करोड़ में) (घ)x(ड़)	विनिवेश में विलंब से अनुमानित हानि (₹ करोड़ में)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
एमएमटीसी	21.08.2017	89,92,68,762	14,99,94,790	55.80	836.97	-
	31.03.2018	89,92,68,762	14,99,94,790	55.65	834.72	2.25
एमएमटीसी (बोनस जारी करने के बाद)	30.09.2018	134,89,03,143	22,49,92,184	27.50	618.73	218.24
एसटीसी	21.08.2017	5,40,00,000	90,00,000	152.25	137.03	-
	31.03.2018	5,40,00,000	90,00,000	135.85	122.27	14.76
	30.09.2018	5,40,00,000	90,00,000	104.95	94.46	42.57

**एमएमटीसी ने 3 मई 2018 को 1:2 बोनस शेयर जारी किये थे*

डीआईपीएएम ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि शेयर बाजार में कीमत संचलन सीपीएसई के प्रदर्शन, इसकी संभावित वृद्धि के बारे में निवेशकों के बोध तथा निवेशको की रूचि पर निर्भर करता है। विनिवेश का निर्णय मौजूदा निवेशकों की रूचि तथा बाजार की परिस्थितियों के आधार पर लिया जाता है। वि.व. 2017-18 की अवधि में एमएमटीसी के 25.5 लाख शेयर / दिन तथा एसटीसी के 3.6 लाख शेयर/ दिन शेयरो की दैनिक ट्रेडिंग मात्रा निवेशकों की कम रूचि दर्शाती है जबकि ओएफएस का अनुमोदन एमएमटीसी के मामले में 14.99 करोड़ शेयरों तथा एसटीसी के मामले में 90 लाख शेयरों के लिए था। निवेशकों की रूचि के अभाव में एमएमटीसी तथा एसटीसी के लिए ओएफएस करना उचित नहीं माना गया क्योंकि बाजार में भारत सरकार के प्रस्तावों की विफलता संभावित थी जो वांछित नहीं था।

डीआईपीएएम ने पूर्व उत्तर को दोहराते हुए, यह कहा (जून 2019) कि प्रत्येक संव्यवहार एक दूसरे से भ्न्नि है और विशेष रूप से एमएमटीसी/ एसटीसी में ट्रेड मात्रा कम होने की अवधि के दौरान बाजार मांग की कमी के कारण ओएफएस की विफलता हो सकती थी जिससे और अधिक जटिलताएं सृजित होती। अत: तदनुसार उस अवधि के दौरान एमएमटीसी के ओएफएस पर विचार नहीं किया गया।

डीआईपीएएम का उत्तर मान्य नहीं था और जिसे इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना था कि सात सीपीएसई, जिन्हें ओएफएस के माध्यम से विनिवेश किया था, के संबंध में विनिवेशित शेयर औसत दैनिक ट्रेडिंग मात्रा की अपेक्षा संख्या में काफी अधिक थे कि तालिका 8.7 में दिखाया गया है। जो इन पाँच सीपीएसई में, दैनिक औसत ट्रेडिंग मात्रा के प्रतिशत के रूप में विनिवेशित मात्रा दैनिक ट्रेडिंग मात्रा के प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित मात्रा से अधिक थी। इसके अलावा, वैकल्पित तंत्र के अनुमोदन के अनुसार, 80 *प्रतिशत* ओएफएस को गैर-खुदरा श्रेणी में आवंटित किया गया था और इसलिए सीमित श्रेणीकरण के साथ, ओएफएस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए प्रयास करना डीआईपीएएम का कर्तव्य है।

अत: एसटीसी तथा एमएमटीसी के संबंध में डीआईपीएएम द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है।

तालिका 8.7 : ओएफएस के अंतर्गत दैनिक ट्रेड मा्त्रा की प्रतिशत के अनुसार प्रस्तावित मात्रा और विनिवेशित मात्रा

सीपीएसई	2017-18 के दौरान औसत दैनिक ट्रेडिड मात्रा (बीएसई+ एनएसई)	ओएफएस हेतु प्रस्तावित मात्रा	प्रस्तावित मात्रा तथा दैनिक ट्रेडिड मात्रा के बीच अंतर (ग)-(ख)	दैनिक ट्रेडिड मात्रा के % के रूप में प्रस्तावित मात्रा (ग)/(ख)*100	ओएफएस के माध्यम से विनिवेशित मात्रा	दैनिक ट्रेडिड मात्रा के % के रूप में विनिवेशित मात्रा
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ) =(च)/(ख)*100
एसटीसी	369815	9000000	8630185	2434	--	
एमएमटीसी	2553447	149994790	147441343	5874	--	
एनएमडीसी	3846680	47458357	43611677	1234	79554641	2068
एनएलसी	691589	45857053	45165464	6631	76428421	11051
नालको	6348910	96646444	90297534	1522	178069927	2804
हिंद कोपर	3005198	37008720	34003521	1231	63172849	2102
आरसीएफएल	4949451	27584405	22634954	557	27584405	557
एनएफएल	1400751	73586760	72186009	5253	73586760	5253
एनटीपीसी	6856984	412273220	405416236	6012	548049960	7992

इसके अतिरिक्त एमएमटीसी तथा एसटीसी की शेयर कीमत की प्रवृति को ***परिशिष्ट-XXVIII*** में दर्शाया गया है। यह भी देखा जा सकता है कि एसटीसी के शेयर की कीमत,09.01.2017 को ₹ 239.85 की अधिकतम शेयर कीमत के साथ 01.01.2017 से 25.01.2017 के दौरान ₹ 200 से ऊपर रही। हालांकि, डीआईपीएएम ने सबसे अच्छी कीमत पर शेयरों को बेचने के अवसर का उपयोग नहीं किया। इसके बाद गिरावट की प्रवृति देखी गई। तथापि, यह भी देखा जा सकता है कि सीसीईए द्वारा निर्धारित समयसीमा के अंतिम दिन अर्थात 21.08.2017 के बाद भी एसटीसी शेयर की बाजार कीमत ने 07.11.2017 को ₹ 280.70 की अधिकतम कीमत के साथ 02.11.2017 से 17.11.2017 के दौरान ₹ 200 प्रति शेयर से अधिक पर फिर से ट्रेड किया। इस बार भी डीआईपीएएम इस अवसर का लाभ नहीं उठा सका।

एमएमटीसी की शेयर कीमत में भी समान पद्धति देखी गई थी। एमएमटीसी शेयर ने 12.01.2017 को ₹ 71.45 की अधिकतम शेयर कीमत के साथ जनवरी 2017 से जून 2017 तक (अर्थात सीसीईए द्वारा अनुमोदित अंतिम तिथि 21.08.2017 से पूर्व) कई बार ₹ 60 से अधिक पर ट्रेड किया था। इसके अलावा, सितम्बर 2017 से जनवरी 2018 (अर्थात अंतिम तिथि 21.08.2017 के बाद) तक कई अवसरों पर एमएमटीसी शेयर ने 07.11.2017 को ₹ 95.75 की अधिकतम कीमत के साथ ₹ 60 से अधिक पर ट्रेड किया था। इस बार भी डीआईपीएएम अवसर का लाभ नहीं उठा सका।

एमएमटीसी/ एसटीसी के संबंध में शेयर की ट्रेड मात्रा के लेखापरीक्षा विश्लेषण और स्माल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप सूचकांक की बाजार प्रवृति से पता चला कि अनेकों अवसर थे जब शेयर को बाजार में बेचा जा सकता था। हालांकि डीआईपीएएम ने शेयर को सर्वोचित मूल्य पर बेचने के अवसर का लाभ नहीं उठाया।

8.5.3 कर्मचारियों के ओएफएस के माध्यम से विनिवेश से उद्ग्रहण

वर्ष 2017-18 के दौरान पाँच सीपीएसई (छः बार) में कर्मचारियों के ओएफएस (ईओएफएस) के माध्यम से विनिवेश से ₹ 315.21 करोड़ उद्ग्रहीत किए थे जैसा कि तालिका 8.8 में दिया गया है।

तालिका 8.8: 2017-18 के दौरान ईओएफएस के माध्यम से विनिवेश उद्ग्रहण

सीपीएसई का नाम	भारत सरकार की शेयरधारिता के विनिवेश की प्रतिशतता	विनिवेश से प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	विनिवेश के बाद भारत सरकार की शेयर धारिता की प्रतिशतता
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	0.07	3.73	82.88
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	0.25	79.51	67.94
एनटीपीसी लिमिटेड	0.12	151.14	62.99
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	0.0064	0.36	76.046
नेशनल अल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	0.40	50.51	64.96
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	0.21	29.96	74.29
	कुल	**315.21**	

8.5.4 कर्मचारियों के ओएफएस से अपेक्षित उद्ग्रहण की प्राप्ति न होना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा 18 जुलाई 2012 को ओएफएस पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, ओएफएस के संव्यवहार से 12 सप्ताह की शांत अवधि के बाद ईओएफएस किया जाना था। कर्मचारियों द्वारा अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ओएफएस की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए ओएफएस के बाद प्रमोटर द्वारा शेयरों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित मौजूदा प्रावधानों को सेबी द्वारा क्रमश: 27 जून 2017 और 18 अगस्त 2017 के इसके परिपत्रों द्वारा आशोधित किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ यह ऐसी कंपनियों के कर्मचारियों को ओएफएस संव्यवहार की तिथि से 2 सप्ताह की अवधि में शेयर बेचने के लिए प्रमोटरों को अनुमति देता है। कर्मचारियों के ओएफएस को ओएफएस संव्यवहार का भाग बनाया जाना था और सीपीएसई के सभी पात्र कर्मचारियों को शेयरों के आबंटन की अनुमति इस शर्त के अंतर्गत दी गई थी कि आबंटन आकार ओएफएस के निर्गमन आकार के अधिकतम 5 प्रतिशत तक होगा।

निम्नलिखित तीन मामलों में ईओएफएस को ओएफएस संव्यवहार की समाप्ति के पश्चात कार्यान्वित नहीं किया जा सका था। कर्मचारियों के ओएफएस के माध्यम से अपेक्षित उद्ग्रहण तालिका 8.9 में दिया गया है।

तालिका 8.9: ईओएफएस से अपेक्षित उद्ग्रहण

सीपीएसई का नाम	सीसीईए के अनुमोदन की तिथि	ओएफएस पूर्णता की तिथि	कर्मचारी श्रेणी को आबंटित शेयरों की संख्या	छूट कीमत / शेयर	अपेक्षित उद्ग्रहण (₹ करोड़ में)
एनएमडीसी	19/2/2015	9/10.01.2018	3977732	145.83	58.01
आरसीएफएल	13/5/2015	29/30.6.2017	68961	70.53	0.49
एनएफएल	13/5/2015	26/27.07.2017	551900	69.16	3.82
				कुल	**62.32**

आरसीएफएल और एनएफएल ईओएफएस को ओएफएस के दो सप्ताह के अंदर क्रियान्वित नहीं कर सके थे क्योंकि डीआईपीएएम सेबी से आग्रह कर रहा था कि

कर्मचारी ओएफएस को ओएफएस का भाग न माना जायें।परन्तु सेबी ने डीआईपीएएम के आग्रह को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार आरसीएफएल और एनएफएल ईओएफएस दो सप्ताह की अवधि में समय के अभाव के कारण पूर्ण नहीं हो सके थे और लंबित प्रार्थना सेबी के विचाराधीन थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि एनएमडीसी लिमिटेड के संबंध में, एनएमडीसी ने डीआईपीएएम को सूचना दी (15 जनवरी 2018) कि वह सुदूर क्षेत्रों में खनन प्रचालन कर रहे थे और इक्विटी शेयर प्राप्त करने हेतु पात्र अधिकतर कर्मचारी खदान क्षेत्रों में कार्यरत थे जिनकी इंटरनेट तक पहुँच सीमित थी। तद्नुसार, एनएमडीसी ने डीआईपीएएम को सूचना दी कि ईओएफएस का निर्गमन 25.01.2018 को या इसके पश्चात औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पूर्ण किया जाएगा तथा तत्पश्चात डीआईपीएएम को सूचना दी (जुलाई 2018) कि चूंकि कंपनी की शेयर कीमत में काफी गिरावट आ गई थी, अत: ईओएफएस के संव्यवहार कर्मचारियों के सर्वोत्तम हित में नहीं किए जा सके।

डीआईपीएएम ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि ईओएफएस में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को डीमेट खाता खोलना था और डीमेट खोलने में लिया गया समय 2 सप्ताह से ज्यादा था जबकि सेबी मानकों के अनुसार कर्मचारियों के ओएफएस का निर्धारित समय दो सप्ताह था। अत:, सीपीएसई के कर्मचारी निर्धारित समय में शेयर सब्स्क्राइब करने में समर्थ नहीं थे और इसी बीच, चूंकि कर्मचारियों को प्रस्तावित कीमत एनएमडीसी के शेयर के बाजार मूल्य से अधिक थी, अत: किसी भी कर्मचारी ने रूचि नहीं दिखाई।

डीआईपीएएम ने पूर्व उत्तर को दोहराते हुए बताया कि (जून 2019) कोल इंडिया लिमिटेड से संबंधित अन्य मामलें में सेबी ने कर्मचारी प्रस्ताव को 2 सप्ताह में पूर्ण करने के अनुबद्ध से छूट प्रदान करने के प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी थी। इस कारण से एनएमडीसी कर्मचारी ओएफएस को डीआईपीएएम सचिव का अनुमोदन लेने के पश्चात बन्द किया था।

डीआईपीएएम का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एनटीपीसी लि. के संबंध में (भारत सरकार के हिस्से के 5 प्रतिशत के विनिवेश हेतु) ओएफएस 29 अगस्त 2017 को शुरू किया गया था और 30 अगस्त 2017 को पूरा हुआ था। इसके अलावा, एनटीपीसी से

ईओएफएस को 11 सित्मबर, 2017 से 13 सित्म्बर, 2017 अर्थात ओएफएस के 2 सप्ताह तक खुला रखा गया था। डीआईपीएएम की प्रतिक्रिया मान्य नहीं थी क्योंकि उन कर्मचारियों, जिनके पास इस ओएफएस की तिथि को डीमेट खाता नहीं था, की प्रतिशतता की सूचना का अभाव था जबकि कर्मचारी जिनके पास डीमेट खाते थे कर्मचारी ओएफएस में भागीदारी का अवसर प्राप्त नहीं कर पायें।

कोल इंडिया लिमिटेड के मामले में सेबी की अस्वीकृति एनएमडीसी लिमिटेड के बारे में टिप्पणी से संबंधित की गई थीं। इसके अतिरिक्त, एनएमडीसी लिमिटेड के मामले में, कर्मचारी प्रस्ताव को 2 सप्ताह में पूर्ण करने के अनुबन्ध से छूट के प्रयास संबंधी सेबी से पत्राचार के कोई भी संकेत लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गये अभिलेखों में नहीं थे।इस मामले में डीआईपीएएम ने एनएमडीसी कर्मचारी ओएफएस को बन्द कर दिया। इससे सूचित हुआ कि डीआईपीएएम की ओर से समयोचित कार्रवाई का अभाव था।

इस प्रकार उपरोक्त तीन सीपीएसई के संबंध में ईओएफएस न करने के कारण सेबी के दिशानिर्देशों का अननुपालन हुआ और भारत सरकार के ₹ 62.32 करोड़ के अपेक्षित उद्ग्रहण ने मूर्त रूप नहीं लिया।

8.6 शेयरों की वापसी खरीद

8.6.1 शेयरों की वापसी खरीद के माध्यम से विनिवेश से उद्ग्रहण

शेयरों की वापसी खरीद कंपनी में निवेशक के विश्वास में सुधार करती है और यह भविष्य में पूंजी सृजित करने हेतु कंपनी की सहायता करती है जब इसे वृद्धि के विस्तारण/विविधता के लिए निधियों की आवश्यकता हो। अत:, यह उनके बाजार पूंजीकरण में सहायता करती है, जो कंपनी के समग्र दीर्घावधि हित में है। डीआईपीएएम के दिनांक 27 मई 2016 के पूंजी पुन: संरचना दिशानिर्देशों में प्रावधान किया है कि वित्तीय विश्लेषण के आधार पर कम से कम ₹ 2000 करोड़ की निवल संपत्ति तथा ₹ 1000 करोड़ के नकद एवं बैंक शेष वाली प्रत्येक सीपीएसई उनके शेयरों की वापसी खरीद का विकल्प देगी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने 6 और 7 जून 2017 को आयोजित इसकी बैठक में 13 सीपीएसई में वापसी खरीद के माध्यम से विनिवेश पर विचार किया। चार और सीपीएसई अर्थात एसजेवीएन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड में

विनिवेश को वर्ष के दौरान वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था। इन 17 सीपीएसई में से डीआईपीएएम ने वापसी खरीद के माध्यम से 13 सीपीएसई में भारत सरकार की शेयर धारिता के हिस्से को विनिवेशित किया था और 2017-18 के दौरान ₹ 5337.55 करोड़ की उद्ग्रहित प्राप्तियों को तालिका 8.10 में दिया गया है।

तालिका 8.10: शेयरों की वापसी खरीद के द्वारा विनिवेश से उद्ग्रहण

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वापसी खरीद हेतु डीआईपीएएम द्वारा प्रस्तावित शेयरों की प्रतिशतता	2017-18 के दौरान निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित वापसी खरीद की प्रतिशतता	भारत सरकार में वास्तविक प्रोद्भवन (₹ करोड़ में)
1.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	25	5	217.76
2.	एमओआईएल लिमिटेड	25	7.5	130.85
3.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	25	7.5	921.5
4.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	25	5	190.59
5.	मझगांव डॉक्स लि.	25	10	253.48
6.	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	25	10	455
7.	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	25	25*	450.53
8.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	25	7.5	77.62
9.	एचएससीसी लिमिटेड (इंडिया)	25	25*	49.55
10.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	25	5.6	1135.26
11.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	25	6.64	657.81
12.	एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15	15	238.92
13.	एसजेवीएन लिमिटेड	5	5	558.68
	कुल			**5,337.55**

**विशेष संकल्प द्वारा निर्धारित*

8.7 नीतिगत विनिवेश

8.7.1 नीतिगत विनिवेश के कार्यान्वयन की स्थिति

नीतिगत विनिवेश का तात्पर्य प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण सहित 50 प्रतिशत या इससे अधिक प्रतिशतता तक सीपीएसई की सरकारी शेयरधारिता के पर्याप्त हिस्से की बिक्री जैसा सक्षम प्राधिकारी निर्णय ले, से है। सरकार को घाटा उठाने वाली सीपीएसई को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर बचत होगी। सीसीईए ने 17 फरवरी 2016 को आयोजित की गई बैठक में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के नीतिगत विनिवेश की प्रकिया और तंत्र से संबंधित निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

भारत सरकार ने 2017-18 के दौरान नीतिगत विनिवेश हेतु 24 सीपीएसई का अनुमोदन किया। अंतर-मंत्रालयी चर्चाओं के बाद नीति आयोग ने चार ट्रैंचों में 23 सीपीएसई में नीतिगत विनिवेश की सिफारिश की थी। नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह (सीजीडी) की सिफारिशों पर सीसीईए ने 27 अक्टूबर 2016 (पहले एवं दूसरे ट्रैंच), 1 नवम्बर 2017 (तीसरा ट्रैंच) और 28 जून 2017 (चौथा ट्रैंच) को चार ट्रैचों में सहमति दी थी। कार्यान्वयन की समयसीमा दो स्तरीय नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से सीसीईए अनुमोदन से एक वर्ष की थी। नेशनल प्रोजेक्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी), एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड तथा इंजीनियर्स प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) इन सीपीएसई के मामले में यह नीलामी उपरोक्त समय सीमा के अनुसार समान स्थापित सीपीएसई के साथ विलयन हेतु की जानी थी। इसके अलावा, सीसीईए ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल - ओएनजीसी डील) में नीतिगत विनिवेश को भी 19 जुलाई 2017 को आयोजित की गई इसकी बैठक में इसका अनुमोदन किया था।

8.7.2 नीतिगत विनिवेश के कार्यान्वयन में विलंब

डीआईपीएएम द्वारा उपलब्ध सूचना (सितम्बर 2018) के अनुसार नीतिगत विनिवेश के तरीके से 24 सीपीएसई में विनिवेश प्रक्रिया की स्थिति निम्नानुसार है:

सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई का नाम	स्थिति
1	एचपीसीएल	लेन-देन पूरा (2017-18) हो गया है और विनिवेश से ₹ 36915 करोड़ रुपये की राशि उद्ग्रहीत हुई है।
23	(1) स्कूटरर्स इंडिया लिमिटेड, (2) ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड, (3) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, (4) पवन हंस लिमिटेड, (5) भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड, (6) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (7) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, (8) बीईएमएल लिमिटेड, (9) हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, (10) फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, (11) हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बनस लिमिटेड, (12) सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (13) एनएमडीसी लिमिटेड (नगरनार इकाई), (14) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर, सेलम और भद्रावती स्टील प्लांट), (15) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, (16) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड, (17) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, (18) ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (19) कामराज पोर्ट लिमिटेड, (20) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, (21) इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (22) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और (23) एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी पाँच सहायक कंपनियां।	नीतिगत विनिवेश कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नीतिगत विनिवेश हेतु सीसीईए द्वारा अनुमोदित 24 सीपीएसई में से 2017-18 के दौरान केवल एक एचपीसीएल-ओएनजीसी डील को अंतिम रूप दिया गया। डीआईपीएएम द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार शेष 23 सीपीएसई का नीतिगत विनिवेश का कार्यान्वयन चल रहा था, यद्यपि इसे सीसीईए अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष के अंदर पूरा किया जाना था। अत: 23 सीपीएसई में नीतिगत

विनिवेश को सीसीईए अनुमोदन में निर्दिष्ट समय सीमा में निष्पादित नहीं किया गया था।

डीआईपीएएम ने उत्तर दिया (26 मार्च 2019) कि नीतिगत विनिवेश के लिए अपेक्षित समय संव्यवहार में शामिल जटिलताओं और संभावित बोलीदाताओं की रूचि की सीमा पर निर्भर करता था। उदाहरणार्थ,एयर इंडिया, एचएफएल, एचएनएल, पीएचएल तथा बीएण्डआर के मामले में कोई रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्राप्त नहीं हुई थी; पीडीआईएल तथा ईपीआईएल के मामले में वित्तीय बोली निरस्त कर दी गई थी;एचएएल के मामले में कोई वित्तीय बोली प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए,प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई। डीआईपीएएम ने आगे कहा कि 2018-19 के दौरान एचएससीसी, डीसीआईएल, आरईसी तथा एनपीसीसी ने नीतिगत विनिवेश को पहले ही पूरा किया जा चुका था।

डीआईपीएएम के अनुवर्ती उत्तर (जुलाई 2019) से नीतिगत विनिवेश के मामलों की वर्तमान स्थिति दी गई। हालांकि, विनिवेश के चार मामलों (एचएससीसी, डीसीआईएल, आरईसी और एनपीसीसी) के अलावा किसी अन्य मामले को अंतिम रूप नहीं दिया था।

डीआईपीएएम के उत्तर ने दर्शाया कि नीतिगत विनिवेश हेतु अनुमोदित 24 सीपीएसई में से केवल चार को 2018-19 तक विनिवेशित किया गया था। उत्तर से यह स्पष्ट हुआ कि आरईसी, जो 2018-19 के दौरान नीतिगत विनिवेश के विषयाधीन थी, को 24 सीपीएसई की सूची में शामिल नहीं किया गया था जिन्हें 2017-18 के दौरान नीतिगत विनिवेश हेतु अनुमोदित किया गया था।

24 सीपीएसई के लक्ष्य को यहां तक की निकटता में भी प्राप्त नहीं किया। इसके आगामी शेष सीपीएसई में नीतिगत विनिवेश को पूरा करने के लिए डीईपीएएम तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की ओर से प्रयासों के साथ-साथ उनके बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता थी।

8.7.3 एचपीसीएल में नीतिगत विनिवेश (एचपीसीएल-ओएनजीसी डील)

सीसीईए ने प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण सहित ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के एचपीसीएल की कुल इक्विटी शेयर के कुल 51.11 प्रतिशत तक एचपीसीएल में भारत सरकार की मौजूदा शेयरधारिता की नीतिगत बिक्री के लिए विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह (सीजीडी) की सिफारिशों का ''सैद्धान्तिक रूप से'' अनुमोदन (19 जुलाई 2017) किया। मै. प्रोटोकॉल इन्श्योरेंस सर्वेयर एण्ड लॉस एसेसर

प्रा. लि. को मूर्त परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण के लिए प्रशासनिक मंत्रायल अर्थात पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा परिसंपत्ति मूल्यांकक के रूप में नियुक्त किया था। मूल्यांकक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट परिसंपत्तियों के संबंध में प्रस्तावित मूल्य निर्धारण प्राप्त करने हेतु आधार अर्थात कार्यपद्धतियाँ/उपागम एवं अवधारणाए आदि प्रदान करती है। मै. जेएम फाइनेंशल इन्स्टीटयूशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड को कारोबार मूल्यनिर्धारण करने के लिए संव्यवहार परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। मूल्यांकन समिति (ईसी) के अनुमोदन हेतु एमओपीएनजी द्वारा इन रिपोर्टों की जांच और सिफारिश की गई थी। मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर मूल्य निर्धारण समिति ने इस अवलोकन के साथ सीजीडी को ₹ 35,749 करोड़ की आरक्षित कीमत की सिफारिश की थी कि मूल्यनिर्धारण तथ्यात्मक रूप से सही, पूर्ण तथा सिद्धांतों एंव कार्यपद्धतियों के अनुरूप था। ओएनसीजी द्वारा प्रस्तुत की गई कीमत बोली को 20 जनवरी 2018 को आयोजित की गई ईसी की बैठक में खोला गया था। ओएनजीसी ने उक्त डील के लिए ₹ 36915 करोड़ की कीमत उद्धृत की थी जिसे स्वीकार कर लिया गया था और तद्नुसार भारत के राष्ट्रपति (एमओपीएनजी के माध्यम से कार्य करते हुए) और ओएनजीसी के बीच शेयर खरीद करार 20 जनवरी 2018 को कर दिए गए थे।

डीआईपीएएम के 'नीतिगत विनिवेश पर मार्गदर्शन नोट-III' के अनुसार कार्य-पत्रकों, सहायक दस्तावेजों (कागज़ी एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप में अभिलेख) सहित सलाहकारों द्वारा विचार विमर्श के अभिलेखों को प्रशासनिक मंत्रालय के भावी संदर्भ हेतु रखा जाना चाहिए।

कीमत निर्धारण विश्लेषण रिपोर्ट की संवीक्षा से पता चला कि सव्यंवहार सलाहकार ने एचपीसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा में कुछ लिंकिंग त्रुटियों को परिशोधित किया था। इसलिए, लेखापरीक्षा ने डील के लिए ईसी द्वारा प्राप्त एवं सिफारिश की गई कीमत (मुक्त नकद प्रवाह, ऋण सूची तथा परिशोधनशाला मार्जिन के अनुमान की फैक्टरिंग के समय) से संबधित प्रसंगिक गणना / कार्य पत्रक उपलब्ध कराने के लिए एमओपीएनजी से अनुरोध किया (अक्टूबर 2018)। एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (2 नवम्बर 2018) कि मांगी गई उक्त सूचना/अभिलेख मंत्रालय में उपलब्ध नहीं थे। तथापि, एमओपीएनजी ने बाद में उत्तर दिया कि परिसंपत्ति मूल्यांकक ने सूचना दी थी कि सभी गणनाओं,

कार्यपद्धतियों/उपागम तथा अवधारणाओं आदि को इन्सेपशन रिपोर्ट एंव मूल्य निर्धारण रिपोर्ट में पहले ही शामिल कर लिया गया था जिसे पहले ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिया गया था। एमओपीएनजी के उत्तर को डीआईपीएएम के उत्तर (मार्च 2019) के मद्देनजर देखा जाना था कि सलाहकारों ने एमओपीएनजी के समक्ष एचपीसीएल के मूल्यनिर्धारण हेतु यथावत विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया था और विस्तृत व्यख्या दी थी कि मूल्यनिर्धारण रिपोर्ट के संलग्नकों में प्रत्येक पद्धति के तहत उत्कृष्ट गणना उपलब्ध कराई गई है जिसे विस्तृत पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण में दर्शाया गया था।

डीआईपीएएम तथा एमओपीएनजी के उत्तरों तथा कीमत प्राप्त करने हेतु तकनीकी सलाहकार को एचपीसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए सहायक पत्रकों (जिसमें भावी अनुमान अर्थात मुक्त नकद प्रवाह, ऋण सूची तथा परिशोधनशाला मार्जिन का अनुमान शामिल है) के अभाव में लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी कि कीमत सही रूप से प्राप्त की गई थी।

डीआईपीएएम ने अपने अनुवर्ती उत्तर (जुलाई 2019) में बताया कि मूल्यांकन ज्ञात करने का आधार एमओपीएनजी के संव्यवहार सलाहकार द्वारा प्रस्तुत अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट में दिया था, जोकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया। डीआईपीएएम का उत्तर तथ्यपरक नहीं था क्योंकि उन्हें सलाहकार की विवेचना के अभिलेखों को एचपीसीएल द्वारा सलाहकार को प्रस्तुत किए गए कार्यकारी पत्र, सहायक दस्तावेज (कागज तथा इलेक्ट्रेनिक रूप में) और सहायक पत्र (संभावित प्रक्कथन को सम्मिलित करते हुए यथा मुक्त नकद प्रवाह, ऋण सूची और रिफाइनरी मार्जिन के प्राक्कथन) को प्रस्तुत नहीं किया।

हालांकि एचपीसीएल-ओएनजीसी सौदे में विनिवेश सीसीईए द्वारा 'स्ट्रैटेजिक सेल' के लिए निर्धारित प्रक्रिया और तंत्र के अनुसार था, लेकिन ऑडिट का मानना है कि इस विनिवेश को इस तथ्य के प्रकाश में देखने की जरूरत है कि यह केवल भारत सरकार के शेयर एक सरकारी कंपनी से दूसरे सरकारी कंपनी को स्थानांतरण मात्र ही है।

8.8 नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (नया ईटीएफ)

8.8.1 नए ईटीएफ का गठन

सूचीबद्ध उपक्रमों के सार्वजनिक प्रस्तावों में देखें गए बाजार व्यवधानों को न्यूनतम करने; सूचीबद्ध सीपीएसई में आंशिक हिस्सेदारी के मुद्रीकरण के लिए सरकार की योग्यता

बढ़ाने, शेयरों की विस्तृत खुदरा भागीदारी और इक्विटी आधारित उत्पादों के लिए बाजार को बढ़ाने के मद्देनजर आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति (सीसीईए) ने 2 मई, 2013 को भारत सरकार की शेयरधारिता से बनी बास्केट में शामिल सीपीएसई के अधिकतम तीन प्रतिशत शेयरों के विनिवेश प्रस्ताव जो सूचीबद्ध सीपीएसई के इक्विटी स्टॉक के विनिवेश हेतु सीपीएसई ईटीएफ के गठन और शुरूआत का अनुमोदन किया था। वित्त मंत्री ने 2017-18 के बजट भाषण में घोषणा की कि शेयरों के अगले विनिवेश के साधन के रूप में ईटीएफ को जारी रखा जाएगा। तद्नुसार, विविध सीपीएसई स्टॉक तथा अन्य सरकारी धारिताओं के साथ नए ईटीएफ को 2017-18 में शुरू किया जाना था। सरकार ने नए ईटीएफ के एएमसी के रूप में मै. आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का चयन किया तथा उसे नियुक्त किया। मै. कोटक महिंद्रा कैपिटल क. लि. को नए एटीएफ के सृजन तथा इसे शुरू करने में डीआईपीएएम को सलाह देने और सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया था। मै. एसएनजी एण्ड पार्टनर्स को नई एटीएफ प्रक्रिया के निष्पादन/कार्यान्वयन में सहायता एवं सलाह देने हेतु भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में चयनित एवं नियुक्त किया गया था।

सीसीईए ने 19 जुलाई 2017 (नोट 18 जुलाई 2017) को आयोजित इसकी बैठक में ईटीएफ के माध्यम से विनिवेश, अर्थात ईटीएफ के माध्यम से विनिवेश से संबंधित मुद्दों और सभी सूचीबद्ध सीपीएसई में से ईटीएफ पोर्टफोलियों का गठन, के लिए निर्णय लेने हेतु वैकल्पिक तंत्र (एएम) को अधिकृत कर दिया था। एएम ने 3 अगस्त 2017 तथा 23 अक्टूबर 2017 को आयोजित की गई इसकी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ 22 घटक उपक्रमों वाली भारत 22 ईटीएफ इंडेक्स नामक नए ईटीएफ के गठन का अनुमोदन किया था। नया निधि पेशकश (एनएफओ) अर्थात भारत 22 ईटीएफ को एंकर निवेशकों के लिए 14 नवंबर 2017 को और गैर-एंकर निवेशकों के लिए 15-17 नवंबर 2017 से शुरू किया गया था। एनएफओ के आकार को ₹ 8,000 करोड़ पर रखा गया था। इसके अलावा, एनएफओ के दौरान अधिक - सब्स्क्रिप्शन के मामले में भारत सरकार को ₹ 4,000 करोड़ तक के अधिक सब्स्क्राइब किए गए हिस्से को रखने का अधिकार था। यह भी निर्णय लिया गया कि यूनिटों को सब्स्क्राइब करने वाले सभी निवेशकों को अग्रिम छूट की मात्रा को 'संदर्भ बाजार कीमत' पर 3 प्रतिशत पर रखा जा सकता है जिसकी गणना भारत 22 ईटीएफ के माध्यम से विनिवेशित इंडेक्स शेयरों की गैर-एंकर निवेश एनएफओ

अवधि (अर्थात 15-17 नवम्बर 2017) के दौरान बम्बई स्टॉक एक्सचेंज पर पूरे दिन की मात्रा की औसत का भारित औसत कीमत के आधार पर निर्धारित कीमत पर की जाएगी।

भारत 22 में ***परिशिष्ट-XXIX*** में दर्शाई गई 22 स्टॉक अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) और लारसन एण्ड टर्बो (एलएण्डटी), एक्सिस बैंक और आईटीसी जैसी ब्लुचिप निजी कंपनियों में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विशेष उद्यम (एसयूयूटीआई) के अंतर्गत सरकार की धारिता भी शामिल है। ईटीएफ अर्थव्यवस्था के 6 मुख्य क्षेत्र अर्थात वित्त, उद्योग, ऊर्जा, जनोपयोगी सेवा, जल्दी खपत वाला उपभोज्य सामान (एफएमसीजी) और मूलभूत सामग्रियों को प्रस्तुत करता है।

8.8.2 एसयूयूटीआई के अंतर्गत सरकारी धारिताओं पर परिहार्य छूट

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने 28 जून 2017 ड्राफ्ट सीसीईए नोट पर डीआईपीएएम को भेजी गई अपनी टिप्पणियों में भारत 22 ईटीएफ में लारसेन एण्ड टर्बो, एक्सिस बैंक तथा आईटीसी में एसयूयूटीआई के अंतर्गत सरकारी धारिताओं के समावेशन के प्रस्ताव को सहमति नहीं दी थी। डीईए ने सुझाव दिया कि: (i) एक्सिस बैंक, एलएण्डटी या आईटीसी जैसी निजी कंपनियों में सूचीबद्ध एसयूयूटीआई धारिताएं अब सरकार के लिए नीतिगत नहीं थी, (ii) एसयूयूटीआई धारिता प्रवाही और लाभयोग्य स्टॉक थे जिसने नीतिगत निवेशकों को आकृष्ट किया था जिनके ऊंची दरों पर बोली लगाने की अधिक संभावना थी जबकि ईटीएफ ने अन्य पीएसयू स्टॉक सहित छूट पर उनके प्रस्ताव को संभव बना दिया था। मूल्यनिर्धारण अधिक हो सकता है, क्योंकि यह धारिता इन कंपनियों के निदेशक मंडल में निदेशकों के लिए स्थान को आश्वस्त कर सकते है। (iii) यद्यपि, एसयूयूटीआई स्टॉक को ईटीएफ वाले कुछ पीएसयू स्टॉक में आकर्षण बढ़ाने के लिए प्रलोभन के रूप में उपयोग किया गया था, पीएसई-उन्मुख ईटीएफ में इसके समावेशन हेतु यह कारण काफी नहीं था विशेष रूप से जब सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान बाजार में काफी मूल्य वाले स्टॉक थे। एसयूयूटीआई स्टॉक का अपवर्जन सरकार के प्रस्तावित ईटीएफ को विशेष वित्त क्षेत्र उन्मुख ईटीएफ बना देगा।

एसयूयूआईटी के पास मार्च 2017 की समाप्ति पर एक्सिस बैंक में 11.47 प्रतिशत, आईटीसी में 9.08 प्रतिशत तथा एलएण्डटी में 6.55 प्रतिशत हिस्सा था। इन निजी कंपनियों में ईटीएफ के माध्यम से विनिवेशित शेयरों की संख्या तथा छूट कीमत पर उदग्रहीत राशि को तालिका 8.11 में दिया गया है:

तालिका 8.11: सरकारी धारिता पर छूट के कारण विनिवेश से अल्प उद्ग्रहण

विवरण	एक्सिस बैंक	आईटीसी	एलएण्डटी	कुल उद्ग्रहीत राशि (₹ करोड़ में)
ईटीएफ के माध्यम से विनिवेशित कुल शेयर	2,15,70,215	7,75,19,516	2,08,13,138	
3 ट्रेडिंग दिनों अर्थात 2017 की नवम्बर 15, 16 तथा 17 को एक्सचेंज पर शेयर ट्रेडिड मात्रा - भारित औसत कीमत (वीडब्ल्यूएपी) का औसत	545.27	254.72	1221.09	
सभी श्रेणियों में ईटीएफ पर 3 प्रतिशत छूट के बाद छूट कीमत	528.92	247.08	1184.46	
2017 के नवम्बर 15, 16 तथा 17 को वीडब्ल्यूएपी के औसत पर संगणित प्राप्तियाँ (₹ करोड़)	1176.16	1974.58	2541.47	5692.21 (क)
छूट दी गई कीमत पर उद्ग्रहीत वास्तविक प्राप्तियाँ (₹ करोड़)	1140.89	1915.35	2465.23	5521.47 (ख)
छूट देने के कारण उद्ग्रहीत कम राशि = (क) - (ख) = ₹ 170.74 करोड़				

लेखापरीक्षा का मत है कि एलएण्डडी, एक्सिस बैंक तथा आईटीसी जैसी ब्लूचिप निजी कंपनियों में एसयूयूटीआई धारिता काफी प्रवाही, अच्छे प्रकार के स्टॉक है। ऐसे लाभयोग्य स्टॉक बेहतर और अधिक दर प्राप्त करने के लिए उच्च निवल संपत्ति वाले निवेशकों को आसानी से आकृष्ट कर सकते थे। इन निवेशों को नई ईटीएफ में प्रस्तावित वास्केट को अधिक विविध बनाने की इच्छा से ईटीएफ में शामिल किया गया था। तथापि, निवेशकों की सभी श्रेणियों, उच्च निवल संपत्ति वाले निवेशकों को भी अन्य पीएसयू स्टॉक सहित तीन ब्लुचिप निजी कंपनियों में एसयूयूटीआई निवेशों पर ₹ 170.74 करोड़ की परिहार्य छूट दी गई थी। यदि डीईए के सुझावों पर विचार किया जाता तो यह एसयूयूटीआई स्टॉक के भारत सरकार के नीतिगत विनिवेश हेतु उच्च मूल्य निर्धारण कीमत प्राप्त कर सकता था और प्रलोभक स्टॉकों पर प्रस्तावित ₹ 170.74 करोड़ की छूट से बचा जा सकता है।

डीआईपीएएम ने उत्तर दिया (जुलाई 2019) कि छूट को अधिकतम प्रस्तावों के प्रायिक क्रम में सामान्य: दिया जाता है चाहे वो ओएफएस, आईपीओ या डीआईपीएएम द्वारा विनिवेश में प्रयुक्त बाजार से जुड़ी अन्य निवेश हो। डीआईपीएएम ने यह भी उत्तर दिया कि बड़ी मात्रा विभाजन पर अपेक्षित छूट का प्रस्ताव बाजार स्थिति के आधार पर स्वीकृत उपयोग पद्धति है। डीआईपीएएम ने आगे उत्तर दिया कि छूट की मात्रा और छूट देने का निर्णय सरकार द्वारा सलाहकारों के द्वारा किए गये तकनीकी और बाजार विश्लेषण पर आधारित और एचएलसी के द्वारा सुविचारित और सिफारिश किया गया और वैकल्पिक तंत्र द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह एएमसी/ वाणिज्यिक बैंकरों, जिन्हें बाजार दशाओं और निवेशकों के हितों की गहन जानकारी और व्यापक अनुभव है, की सलाह पर आधारित था।

डीआईपीएएम का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाए कि डीआईपीएएम ने डीईए की टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण दिए और डीईए को उनके मतों पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना (जुलाई 2017) की। हांलाकि, लेखापरीक्षा को दिये गए अभिलेखों से ना तो डीईए का प्रति उत्तर उपलब्ध था और ना ही वित्त मंत्रालय का समेकित मत उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से कोई संकेत नहीं मिला कि डीआईपीएएम ने डीईए के मत को ध्यान में रखते हुए ईटीएफ की वैकल्पिक संरचना का मूल्यांकन किया था।

8.9 विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि (एसएनआईएफ)

8.9.1 विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि का सृजन

प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियमावली, 1957 (एससीआरआर) के अनुसार, सभी सूचीबद्ध सीपीएसई से कंपनी की कम से कम 10 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी की शेयरधारिता रखना अपेक्षित था। उन सभी कंपनियों को 8 अगस्त 2013 से पहले अनुपालक बनाया जाना था जो न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) की अनुपालक नहीं थी।

चूंकि, कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी और कुछ को उनके पुनर्जीवन हेतु औद्योगिक एवं वित्तीय पुन: सरंचना बोर्ड (बीआईएफआर)/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की पुन: सरंचना बोर्ड (बीआरपीएसई) को भेजा गया था, अत: सेबी द्वारा अनुमोदित पद्धतियों के अनुपालन द्वारा एमपीएस मानक पूरा करना कठिन पाया गया था। डीआईपीएएम (तब विनिवेश विभाग) ने सेबी के साथ

मामले पर चर्चा की और विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि (एसएनआईएफ) नामक पृथक निधि के सृजन द्वारा छः सीपीएसई (अर्थात एन्ड्रू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, दि फर्टिलाईजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, एचएमटी लिमिटेड, आईटीआई लिमिटेड तथा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड) में एमपीएस मानकों को पूरा करने का प्रस्ताव रखा।

सीसीईए ने 26 जुलाई 2013 को आयोजित की गई अपनी बैठक में उपरोक्त छः सीपीएसई में 10 प्रतिशत के एमपीएस मानक को पूरा करने के विशेष उद्देश्य से एसएनआईएफ के गठन का अनुमोदन किया। सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार इन छः सीपीएसई को एमपीएस के अनुरूप बनाने के लिए शेयरों की संख्या बिना विचार किए एसएनआईएफ को अवसूलीयोग्य आधार पर हस्तांतरित की गई थी।

8.9.2 एसएनआईएफ को बंद करना

एसएनआईएफ सृजित करने हेतु दिनांक 6 अगस्त 2013 की अधिसूचना के अनुसार एसएनआईएफ का प्रबंधन सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले स्वतंत्र व्यवसायिक निधि प्रबंधन द्वारा किया जाएगा। हस्तांतरित शेयरों को पाँच वर्षों की अवधि में स्वतंत्र व्यवसायिक निधि प्रबंधन द्वारा बेचा जाएगा और ऐसी बिक्री से प्राप्त निधि को सरकार की सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। इस कार्य के पश्चात एसएनआईएफ बंद कर दिया जाएगा।

छः सीपीएसई के 10 प्रतिशत शेयर को एमपीएस मानकों के अनुपालन में एसएनआईएफ को हस्तांतरित किया गया था परन्तु पाँच वर्षों की अवधि में एसएनआईएफ के लिए चिन्हित सीपीएसई में भारत सरकार के धारण के विनिवेश के तरीके का पता लगाने के लिए डीआईपीएएम द्वारा कतिपय प्रयास नहीं किए जा रहें थे। एसएनआईएफ का प्रबधन सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले स्वतंत्र व्यावसायिक प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा। तथापि, संगठन की संरचना, एसएनआईएफ में हस्तांतरित शेयरों के निपटान हेतु डीआईपीएएम द्वारा नियुक्त अधिकारियों, निधि के स्वामियों से संबंधित सूचना अभिलेखों मे उपलब्ध नहीं पाई गई थी।

लेखापरीक्षा में डीआईपीएएम को ब्यौरें उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था (अपैल 2019)। डीआईपीएएम का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2019)।

8.9.3 एसएनआईएफ के लिए लेखांकन प्रक्रिया

एसएनआईएफ के सृजन से संबंधित गजट अधिसूचना (6 अगस्त 2013) के अनुसार, हस्तांतरित शेयरों को एसएनआईएफ द्वारा बेचा जाएगा तथा शेयरों की बिक्री से हुई प्राप्तियों को सरकार की सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं हेतु उपयोग किया जाएगा। लेखांकन प्रक्रिया को आर्थिक मामलों के विभाग (बजट डिवीजन) द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। इस संबंध में,लेखापरीक्षा में ब्याज,लाभांश आदि के रूप में निधि से प्राप्त आय के लेखांकन हेतु अंतिम रूप दीगई लेखांकन प्रक्रिया, यदि है, और निधि के संवितरण के ब्यौरों के संबंध में डीआईपीएएम से ब्यौरे मांगे थे।

डीआईपीएएम ने उत्तर दिया (जुन 2019) कि डीईए द्वारा लेखांकन कार्यविधि को अंतिम रूप दिया जाना था इसलिए डीआईपीएएम से पैरा ड्राप किया जा सकता है। डीआईपीएएम ने यह भी उत्तर दिया था कि सभी सीपीएसइ्र जिनके शेयर एसएनआईएफ में जमा है घाटे में चल रही इकाईयां है इसलिए किसी भी नियमित आय की गुजांइश अत्याधिक कम है। डीआईपीएएम के उत्तर से यह पुष्टि होती है कि लेखांकन कार्यविधि को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

8.10 न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानक

8.10.1 सीपीएसई में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के लिए अपेक्षाएं

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 का विनियम 38 (सूचीबद्धता विनियम) समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियमावली, 1957 (एससीआरआर) के नियम 19 (2)(ख) और 19 क में निर्दिष्ट न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) अपेक्षाओं का पालन करना सूचीबद्ध उपक्रमों के लिए अधिदेशित करता है।

तद्नुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को एससीआरआर के नियम 19क के प्रावधानों के संबंध में 21 अगस्त 2017 तक कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता कायम करनी थी। एमपीएस मानकों को लागू करने में उपागम को सरल बनाने के प्रयास में सेबी ने भी अननुपालक कंपनियों पर जुर्माना लगाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के लिए प्रक्रिया निर्धारित की थी। सेबी ने सभी सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा एमपीएस मानकों के अनुपालन हेतु 21 अगस्त 2018 तक अतिरिक्त समय दिया था। आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय ने दिनांक 3 अगस्त 2018 की इसकी अधिसूचना के

माध्यम से सीपीएसई में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक अनुपालन हेतु दो वर्षों की अवधि का विस्तारण किया। लेखापरीक्षा ने अपेक्षित सीमा तक भारत सरकार की शेयरधारिता को कम करने में विलंब के दस्तावेजी कारण की जांच करने के लिए अभिलेखों की मांग की जिसमें ऐसे विस्तारण मांगे गए थे। तथापि,संबंधित अभिलेख/ फाइलें लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

8.10.2 सूचीबद्ध सीपीएसई में एमपीएस मानकों की प्राप्ति न होना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 17 सीपीएसई में अनिवार्य 25 प्रतिशत एमपीएस प्राप्त नहीं हुआ था जो तालिका 8.12 में दिया गया है:

तालिका 8.12: जिन सीपीएसई में एमपीएस प्राप्त नहीं हुआ था का ब्यौरा

क्र. सं.	कंपनी	03.08.2018 को बंद हुई कीमत	03.08.2018 को बाजार पूंजीकरण	सरकार की शेयरधारिता (%)	सार्वजनिक शेयरधारिता (%)	कमी (%) (30.06.2018 को)	राशि (₹ करोड़ में)
1.	कोल इंडिया लिमिटेड	278.5	172876.35	78.32	21.68	3.32	5,740.54
2.	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	282.35	46531.28	85.44	14.56	10.44	4,856.42
3.	केआईओसीएल लिमिटेड	169.45	10751.84	99	1	24	2,580.03
4.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	84.05	14730.59	88.58	11.42	13.58	2,000.88
5.	एसजेवीएन लिमिटेड	27.05	10630.1	90.62	9.38	15.62	1,659.9
6.	आईटीआई लि.	93.85	8418.34	93.76	6.24	18.76	1,579.03
7.	एनएलसी लिमिटेड (इंडिया)	78.8	12045.12	83.93	16.07	8.93	1,076.02
8.	एमएमटीसी लिमिटेड	33.9	5085	89.93	10.07	14.93	759.03
9.	एचएमटी लिमिटेड	23.45	2823.59	93.69	6.31	18.69	527.6
10.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	402.85	3455.22	87.03	12.97	12.03	415.52

11.	उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड	42.3	2737.11	90	10	15	410.57
12.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	24.6	1202.82	89.25	10.75	14.25	171.37
13.	दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	142.55	855.3	90	10	15	128.29
14.	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यू . कंपनी लिमिटेड	30	620.6	90	10	15	93.09
15.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	63.8	5902.89	76.05	23.95	1.05	61.72
16.	स्कूटर इंडिया लिमिटेड	38.5	328.72	93.74	6.26	18.74	61.59
17.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	29.4	473.64	85.27	14.73	10.27	48.63
कुल							**22,170.23**

स्त्रोत: www.bsepsu.com

तालिका से यह देखा जा सकता है कि 17 सीपीएसई ने जून 2018 तक एमपीएस हेतु एससीआरआर की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है। एमपीएस मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा बेचे जाने वाले इक्विटी शेयरों का मौजूदा बाजार मूल्य ₹ 22,170.23 करोड़ आंका गया है।

डीआईपीएएम ने उत्तर दिया कि (जून 2019) डीआईपीएएम और प्रशासनिक मंत्रालयों के सामने आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए डीईए ने इसकी अधिसूचना दिनांक 03 अगस्त 2018 के द्वारा अवधि को 21 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया। डीआईपीएएम ने यह भी उत्तर दिया कि संबंधित मंत्रालयों से समयसीमा के अन्दर एमपीसीएस का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा तैयार करने को कहा गया, यह भी कहा गया कि इस संबंध में की गई प्रगति की निकटता से सचिव (डीआईपीएएम), सचित (डीईए), सचिव (डपीई) और सचिव (डीएफएस) द्वारा निगरानी की जाएगी।

डीआईपीएएम के उत्तर में सीपीएसई-वार एमपीएस मानकों को प्राप्त करने के लिए रूपरेखा समाविष्ट थी, जिसमें यह इंगित किया गया था कि 17 सीपीएसई में से, एक

मामले में, कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया था और दूसरी सीपीएसई के मामले में कंपनी पूंजीगत पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। यह स्पष्ट था कि शेष 15 सीपीएसई के लिए कोई व्यक्तिगत समय सीमा नहीं थी कि कब तक सीपीएसई को एमपीएस को प्राप्त करना था। अब जबकि बढ़ायी गई आधी अवधि समाप्त होने के निकट है, वर्तमान स्थिति इंगित करती है कि रूपरेखा को बेहतर निगरानी की आवश्यकता है।

8.11 गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई के सूचीकरण की धीमी गति

आर्थिक मामलों पर केबिनेट समिति (सीसीईए) ने 23 अक्टूबर 2009 को आयोजित इसकी बैठक में विनिवेश नीति का अनुमोदन (5 नवम्बर 2009) किया जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीपीएसई की शेयरधारिता में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करके 'जन स्वामित्व' के विकास को बढ़ाने के लिए सीपीएसई के सूचीकरण के महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ धनात्मक निवल संपत्ति वाली, बिना संचित हानि वाली तथा पिछले तीन वर्षों में निवल लाभ अर्जित करने वाली सभी गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई के स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण की परिकल्पना की गई थी।

सार्वजनिक उद्यम विभाग की www.bsepsu.com और सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट 2016-17 में उपलब्ध डाटा के अनुसार लेखापरीक्षा में देखा गया कि 31 अगस्त 2018 तक केवल 59 सीपीएसई को सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि पिछले तीन वर्षों (2014-15 से 2016-17) में लाभ अर्जित करने वाली 90 सीपीएसई थी जिनकी निवल संपत्ति ₹ 1,59,283.66 करोड़ थी, जिससे यह स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण हेतु अपेक्षित मानदंड को पूरा करती है।

डीआईपीएएम ने उत्तर दिया (जून 2019) कि अप्रैल 2017 में पिछले क्रमागत 3 वर्षों में धनात्मक पीएटी, 1,000 करोड़ से अधिक धनात्मक निवल सम्पत्ति वाली सीपीएएई को सूचीबद्ध करने के लिए सीसीईए का अनुमोदन लिया गया था। डीआईपीएएम ने यह भी उत्तर दिया कि कंपनी को सूचीबद्ध करना बाजार में नगदी, कंपनी में बाजार रूचि आदि का भी फलन है, इसलिए सीपीएसई के सूचीबद्ध करने के बीच में यथोचित समय अंतराल बनाए रखना यथेष्ट था क्योंकि अन्यथा यह निम्नतर मूल्य निर्धारण और अन्यमन्स्क निवेशक अनुक्रिया के रूप में फलित हो सकता था। डीआईपीएएम ने आगे उत्तर दिया कि सीपीएसई यथा-सीएसएल, एचएएल, बीडीएल, मिघानी, जीआरएसई, आरआईटीईएस, ईरकॉन, आरवीएनएल, एमएसटीसी को जून 2019 तक सूचीबद्ध कर दिया गया था तथा

इसके अलावा सीपीएसई यथा केआईओसीएल एमडीएल, आईआरसीटीसी, एनईईपीसीओ टीएचडीसीआईएल, रेलटेल और आईएफआरसी को सूचीबद्ध करना विचाराधीन था और उन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही, बाजार दशाओं के अधीन सूचीबद्ध करने का प्रयास किया जा रहा था।

किए गए प्रयासों के बारे में डीईपीएएम का प्रत्युत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि ऊपर उल्लेखित 90 सीपीएसई में से केवल तीन सीपीएसई को आईपीओ के द्वारा सूचीबद्ध किया गया था।

नई दिल्ली

दिनांक: 29 नवम्बर 2019

(वैंकटेश मोहन)
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रति हस्ताक्षरित

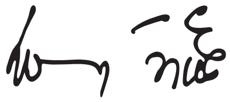

नई दिल्ली
दिनांक: 29 नवम्बर 2019

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I
(पैरा सं. 1.1.3 देखे)

2017-18 के दौरान सीएजी की लेखापरीक्षा दायरे के अंतर्गत/बाहर निकलने वाली सरकारी/सरकारी नियंत्रण वाली कम्पनियों की सूची

क्रम सं	कंपनी का नाम
सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे के अंतर्गत आने वाली सरकारी कम्पनियां	
1	एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड
2	बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
3	बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
4	गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस
5	हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी
6	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड देखभाल हॉस्पिटल लिमिटेड
7	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
8	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जिबिशन सेंटर लिमिटेड
9	इंडो-रशियन हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड
10	इरकॉन दावनगेरेहवेरी हाइवे लिमिटेड
11	आईआरईअलआईडीसीओएल लिमिटेड
12	महाराष्ट्र एग्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड
13	एनबीसीसी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लिमिटेड
14	एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड
15	एनईएसएल ई-इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
16	एनईएसएल-एसेट डेटा लिमिटेड
17	रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
18	एसबीआई बिजनेस प्रोसेस एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
19	सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट

सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे के अंतर्गत आने वाली सरकारी नियंत्रण वाली कम्पनियां	
क्रम सं	**कंपनी का नाम**
1	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड
2	गोवा नैचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
3	कोलकाता पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
4	पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर
5	रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
6	उज्जवल प्लस फाउंडेशन

सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे के बाहर निकलने वाली सरकारी कम्पनियां	
क्रम सं	**कंपनी का नाम**
1	बैरा सूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड
2	क्रेडा-एचपीसीएल बायोफ्यूल लिमिटेड
3	फतेहगढ़ भादिया ट्रांसमिशन लिमिटेड
4	गोवा तमनर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
5	गुड़गांव पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड
6	आईओसी-क्रेडा बायो ईंधन लिमिटेड
7	खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड
8	कोहिमा मरीनी ट्रांसमिशन लिमिटेड
9	मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड[1]
10	नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड
11	एनईआर II ट्रांसमिशन लिमिटेड
12	नॉर्थ करनपुरा ट्रांसको लिमिटेड
13	एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड

[1] *कंपनी मध्य प्रदेश सरकार को हस्तांतरित की जा चुकी है तथा अब यह एक राज्य पी एस ई है।*

14	ओड़िशा जेनरेशन फेज II ट्रांसमिशन लिमिटेड
15	वरोरा कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड

सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे के बाहर निकलने वाली सरकारी नियंत्रण की अन्य कम्पनियां

क्रम सं	कंपनी का नाम
1	ऑलबैंक फाइनेंस लिमिटेड
2	टूरिज़्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

परिशिष्ट-II क
(पैरा सं. 1.1.3 देंखे)

सीपीएसई का विवरण जहाँ बकाया खाता या कंपनी परिसमापन के अधीन

क. सरकारी कंपनियां और निगम

क्रम सं	सेक्टर / सीपीएसई का नाम	वर्ष, जिस के लिए 30 सितंबर 2018 तक खाते अप्राप्त थे
असूचीबद्ध सकारी कंपनियां		
रसायन और उर्वरक		
**1	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	2014-15 से 2017-18
**2	बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
3	एफएसीटी आर सी एफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	2017-18
**4	आईडीपीएल तमिलनाडु (प्रा.) लिमिटेड	2010-11 से 2017-18
5	इंडीयन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2016-17 से 2017-18
**6	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड[2]	1998-99 से 2017-18
7	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	2017-18
8	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	2016-17 से 2017-18
**9	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
**10	द सदर्न पेस्टिसाइड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
नागरिक उड्डयन		
**11	एयर इंडीया एसेट होल्डिंग लिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
12	एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड	2017-18
13	एयर इंडिया लिमिटेड	2017-18
14	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2017-18

[2] *मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के 1998-99 से 2017-18 की अवधि के खाते प्राप्त हो चुके है। इन खातों की जांच की जा रही है*

वाणिज्य और उद्योग		
**15	सरकारी ई-मार्केट प्लेस	पहला खाता देय नहीं
16	जेएंडके डेवलेपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2017-18
**17	टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी		
**18	इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड और प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
19	डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन	2017-18
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण		
**20	आईआरईएल आईडीसीओएल लिमिटेड	पहला खाता देय नहीं
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास		
**21	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड	2015-16 से 2017-18
पर्यावरण और वन		
22	अंडमान एवं निकोबार आईलैंड फोरेस्ट एंड प्लांटेशन डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2017-18
वित्त		
**23	इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
24	राष्ट्रीय इवेंस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी फंड	2017-18
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		
25	एचएससीसी इंडिया लिमिटेड	2017-18
भारी उद्योग और लोक उद्यम		
26	भारत ब्रेक एंड वाल्वस लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
**27	भारत ऑपथेलमिक ग्लास लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
**28	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
29	भारत पंप एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड	2017-18
**30	भारत यंत्र निगम लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
**31	साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अधीन

**32	हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16 से 2017-18
33	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	2017-18
34	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड	2016-17 से 2017-18
**35	मंड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
**36	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
**37	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड	2015-16 से 2017-18
**38	नेशनल इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
**39	रीहेबीलीटेशन इडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
**40	रेरोल बर्न लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
**41	टेनरी और फुट वियर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
**42	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	2013-14 से 2017-18
43	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	2017-18
**44	टायर कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
**45	वेइबर्ड (इंडिया) लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
पेट्रोएलियम एवं प्राकृतिक गैस		
46	बीको लॉरी लिमिटेड	2017-18
47	केरल गेल गैस लिमिटेड	2017-18
48	महाराष्ट्र प्राकृतिक गैस लिमिटेड	2017-18
ऊर्जा		
49	ग्रिड कंडक्टर लिमिटेड	2017-18
सड़क परिवहन और महामार्ग		
**50	इंडियन रोड़ कंस्ट्रशर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
रेलवे		
51	भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	2017-18
52	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	2016-17 से 2017-18
**53	राइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज़ लिमिटेड	परिसमापन के अधीन

नौवहन		
54	केन्द्रीय इंलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2017-18
वस्त्र		
**55	ब्रशवेयर लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
**56	कानपुर टेक्सटाइल लिमिटेड	निष्क्रिय
57	द ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17 से 2017-18
**58	द एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड	निष्क्रिय
59	द हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2017-18
पर्यटन		
60	असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2017-18
संघ शासित प्रदेश प्रशासन		
**61	चंडीगढ़ चाईल्ड और वुमन डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2011-12 से 2017-18
62	चंडीगढ़इंडस्ट्रीयल एंड टुरिज्म डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2017-18
**63	चंडीगढ़ रोडयूल्ड कास्ट फाइनेशियल एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16 से 2017-18
शहरी विकास		
64	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड	2017-18
65	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	2017-18

***** सीपीएसई जिनके खाते तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया थे या निष्क्रिय/ परिसमापन के अधीन थे या पहले खाते प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे।***

परिशिष्ट-II ख

(पैरा सं. 1.1.3 देखे)

सीपीएसई का विवरण जहाँ बकाया खाता या कंपनी परिसमापन के अधीन/निष्क्रिय

ख. सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां

क्रम सं	सीपीएसई का नाम	वर्ष, जिस के लिए 30 सितंबर 2018 तक खाते अप्राप्त थे
**1	एक्युमैज़र (पंजाब) लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
**2	अलाईड इंटरनेशनल प्रोडक्ट लिमिटेड	निष्क्रिय
**3	बेकर ग्रे एंड कंपनी (1930) लिमिटेड	निष्क्रिय
**4	बिहार इंडस्ट्रियल एंड टैक्नीकल कंसल्टैंसी आर्गनाईजेशन लिमिटेड	निष्क्रिय
**5	बीओबी ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड	पहला खाता अप्राप्त
6	डीएमआईसीडीसी गुना पावर कंपनी लिमिटेड	2017-18
7	डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लिमिटेड	2017-18
8	डीएमआईसीडीसी वघेल पावर कंपनी लिमिटेड	2017-18
9	डीएमआईसीडीसी वले भगद पावर कंपनी लिमिटेड	2017-18
**10	एक्सलसीयर प्लांट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
**11	फ्लेवेरिट स्पाइस ट्रेडिंग लिमिटेड	2012-13 से 2017-18
**12	गंगावती शुगर्स लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
**13	गैस एंड पावर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	2013-14 के2017-18
14	हार्डिकॉन लिमिटेड	2017-18
15	हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड	2017-18
**16	भारत क्लियरिंग एंड डिपॉजिटरी सर्विसेज	परिसमापन के अधीन
**17	जे एंड के इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	2005-06 2017-18

18	कोंकण एल एन जी प्राइवेट लिमिटेड	2017-18
** 19	मिलेनियम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
**20	नालंदा सिरेमिक एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	निष्क्रिय
**21	पूर्वोत्तर औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	2012-13 से 2017-18
**22	एनटीपीसी-एससीसीएल ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	2015-16 से 2017-18
**23	उड़ीसा इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	निष्क्रिय
**24	पजस्सी रुबर्स (पी) लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
25	पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड	2016-17 से 2017-18
**26	पोनमुडी रबर्स (पी) लिमिटेड	2014-15 से 2017-18
**27	पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, पोर्टब्लेयर	पहला खाता अप्राप्त
**28	रबरवुड इंडिया (पी) लिमिटेड	2015-16 से 2017-18
**29	टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अधीन
**30	उज्जवल प्लस फाउंडेशन	पहला खाता अप्राप्त
31	यूपी इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंट्स लिमिटेड	2017-18
32	वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड	2017-18
**33	वैगन इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अधीन

***** सीपीएसई जिनके खाते तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया थे या निष्क्रिय / परिसमापन के अधीन थे या पहले खाते प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे।***

परिशिष्ट-III

(पैरा सं. 1.2.2.2 देखे)

सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची,

जिनकी कुल परिसंपत्तियां 2017-18 के दौरान बकाया दीर्घकालिक ऋण से कम थी।

क्रम सं	कंपनी का नाम
1	अंडमान फिशरीज लिमिटेड
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और वृक्षा रोपण विकास निगम लिमिटेड
3	असम अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
6	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड
7	द ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
9	एफएसीटी आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड
10	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स (विनिर्माण) कंपनी लिमिटेड
11	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
12	नेशनल मोटरसाइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13	नेशनल जूट मैन्यू फैक्चरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
14	टीसीआईएल टोल रोड लिमिटेड
15	टीसीआईएलएलटीआर लिमिटेड

परिशिष्ट-IV
(पैरा सं. 1.3.2 देखे)

सरकारी कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश में कमी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सेक्टर / सीपीएसई का नाम	निवल मूल्य	कर के बाद लाभ	लाभांश की घोषणा	निवल मूल्य का 5%	कर के बाद 30% लाभ	न्यूनतम लाभांश घोषित करने की आवश्यकता	कमी
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां								
कोयला और लिग्नाइट								
1	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	13334.57	1848.78	646.58	666.73	554.63	666.73	20.15
वाणिज्य और उद्योग								
2	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	930.81	37.52	0	46.54	11.26	46.54	46.54
3	एमएमटीसी लिमिटेड	1449.45	48.84	30	72.47	14.65	72.47	42.47
रक्षा								
4	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	1956.38	528.15	25	97.82	158.45	158.45	133.45
5	बीईएमएल लिमिटेड	2200.24	58.78	33.32	110.01	17.63	110.01	76.69
6	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	789.04	130.3	37.89	39.45	39.09	39.45	1.56
वित्त								
7	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	105130.70	3233.58	1002	5256.53	970.07	5256.53	4254.53
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम								
8	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	189.01	19.17	5.88	9.45	5.75	9.45	3.57

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन								
9	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	9821.74	799.06	110.1	491.09	239.72	491.09	380.99
खान								
10	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	1043.25	84.6	18.5	52.16	25.38	52.16	33.66
पेट्रोलियम								
11	गेल (इंडिया) लिमिटेड	40328.12	4618.41	1750.5	2016.41	1385.52	2016.41	265.91
विद्युत								
12	एनटीपीसी लिमिटेड	101777.8	10343.17	4040.28	5088.89	3102.95	5088.89	1048.61
रेलवे								
13	कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	9401.11	1049.04	416.76	470.06	314.71	470.06	53.30
नौवहन								
14	द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7097.56	253.75	0	354.88	76.13	354.88	354.88
इस्पात								
15	केआईओसीएल लिमिटेड	2145.63	81.48	0	107.28	24.44	107.28	107.28
16	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	270.03	0.35	0.07	13.50	0.11	13.50	13.43
पर्यटन								
17	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	336.42	19.14	0	16.82	5.74	16.82	16.82
गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां								
कृषि								
18	लक्षद्वीप डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	259.01	35.55	0	12.95	10.67	12.95	12.95
परमाणु ऊर्जा								
19	कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2661.2	106.73	38.39	133.06	32.02	133.06	94.67

20	इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड	729.5	82.11	0	36.48	24.63	36.48	36.48
रसायन और उर्वरक								
21	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	1121.55	20.55	0	56.08	6.17	56.08	56.08
22	प्रोजेट एंड डिवेलपमेंट इंडिया लिमिटेड	1121.55	20.55	0	56.08	6.17	56.08	56.08
23	हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड	1121.55	20.55	0	56.08	6.17	56.08	56.08
नागर विमानन								
24	पवन हंस लिमिटेड	20,5556,0 8 6,17 56,08		0			1121,55	56.08
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी								
25	नेशनल इंफोरमेटिक्स सेंटर सिर्वसेज इंक	638.82	31.04	0	31.94	9.31	31.94	31.94
26	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	80.37	2.77	0.83	4.02	0.83	4.02	3.19
वित्त								
27	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3156.69	1509.89	0	157.83	452.97	452.97	452.97
28	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	9018.51	1002.66	0	450.93	300.80	450.93	450.93
29	सेंट्रल रेजिस्ट्री ऑफ सेक्यूरिटाईज़ेशन एसेट रेकन्स्ट्रक्शन एण्ड सिक्युरिटी इन्टरस्ट ऑफ इंडिया	668.91	238.58	0	33.45	71.57	71.57	71.57

30	उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी	308.49	8.49	0	15.42	2.55	15.42	15.42
31	राष्ट्रीय इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रैक्चर फंड लिमिटेड	18.17	4.65	0	0.91	1.40	1.40	1.40
32	राष्ट्रीय फाइनेशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	1.11	0	0	0.06	0.00	0.06	0.06
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम								
33	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	338.37	16.57	4.84	16.92	4.97	16.92	12.08
34	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	230.67	0.14	0	11.53	0.04	11.53	11.53
खान								
35	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	413.12	93.77	0	20.66	28.13	28.13	28.13
विद्युत								
36	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड	6130.94	293.17	88	306.55	87.95	306.55	218.55
37	भारतीय रेल विद्युत कंपनी लिमिटेड	2230.42	27.21	0	111.52	8.16	111.52	111.52
38	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	8420.8	778.74	335.21	421.04	233.62	421.04	85.83
रेल								
39	डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर निगम लिमिटेड	11040.51	18.19	5.6	552.03	5.46	552.03	546.43
40	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	5.82	2.6	0	0.29	0.78	0.78	0.78

41	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	681.91	21.15	0	34.10	6.35	34.10	34.10
42	इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड	947.71	222.02	47.18	47.39	66.61	66.61	19.43
सड़क परिवहन और राजमार्ग								
43	नेशनल हाइवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्परेशन लिमिटेड	157.65	38.79	0	7.88	11.64	11.64	11.64
विज्ञान और प्रौद्योगिकी								
44	बयोटैक्नॉलोजी इंडस्ट्री रिसर्च एसीसटैंस काउंसिल	93.43	1.52	0	4.67	0.46	4.67	4.67
45	नेशनल रिसर्च डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	9.43	0.32	0	0.47	0.10	0.47	0.47
नौवहन								
46	सेतुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड	810.92	1.88	0	40.55	0.56	40.55	40.55
47	सागरमाला विकास निगम लिमिटेड	218.11	3.45	0	10.91	1.04	10.91	10.91
लघु उद्योग								
48	नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड	948.06	99.41	0	47.40	29.82	47.40	47.40

सामाजिक न्याय और अधिकारिता								
49	आर्टीफिशल लिंबस मैन्यूफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	324.56	50.79	0	16.23	15.24	16.23	16.23
इस्पात								
50	मेकॉन लिमिटेड	205.44	58	10.27	10.27	17.40	17.40	7.13
वस्त्र								
51	जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	124.9	17.68	5.3	6.25	5.30	6.25	0.95
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन								
52	इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ दयन, डीप एंड दादरा नगर हवेली लिमिटेड	137.94	20.08	0	6.90	6.02	6.90	6.90
सांविधिक निगम								
53	सैंट्रल वेयरहाउस निगम	2529.03	56.82	21.75	126.45	17.05	126.45	104.70
कुल								**9417.75**

परिशिष्ट-V

(पैरा सं. 1.4.1 देखे)

31 मार्च 2018 को नकारात्मक निवल मूल्य वाली सीपीएसई की सूची

(₹ लाख में)

क्र. सं	सीपीएसई का नाम	लाभांश से पहले शुद्ध लाभ	निवल मूल्य	प्रदत्त पूंजी
1	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	40532.64	-6093.60	843.50
2	हिंदुस्तान वेजीटेबल आयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	33697.53	-9304.22	771.16
3	एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड	29674.50	-99941.40	78000.00
4	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	20832.27	-35860.13	7171.91
5	एनईपीए लिमिटेड	3012.44	-1929.11	58471.25
6	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	2099.00	-61943.00	30199.00
7	रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड	1645.80	-43093.89	15661.05
8	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	1005.76	-9204.32	7696.04
9	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	971.46	-10452.91	2860.64
10	नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	919.41	-22343.33	5579.74
11	नॉर्थ इस्टर्न हंडीक्राफ्टस एंड हैडंलूम डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	52.87	-246.90	850.00
12	एचएमटी चिनार वाचेज़ लिमिटेड	1.46	-58914.21	166.01
13	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	0.00	-1.95	5.00
14	एच ओ सी केमातुर लिमिटेड	0	0	5
15	उड़ीसा इन्टीग्रेटड पावर लिमिटेड	-0.02	-7.55	5.00
16	इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड	-0.14	-4.61	5.00
17	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	-0.22	-5.81	5.00
18	छत्तीसगढ़ माइनिंग वेंचर्स लिमिटेड	-0.34	-3.84	1.00
19	मोहीन्द्रगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.61	-0.62	5.00
20	बल्लभगढ़- जी एन ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.62	-0.62	5.00
21	सॉउथ सेन्ट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	-0.64	-0.51	5.00
22	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-0.69	-1938.95	5.00
23	सेल-बंगाल अलॉमी कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	-0.71	-2.39	2.00
24	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	-0.74	-2.05	1.00
25	झारखंड नेशनल मिनरल डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.77	-4.62	1.00
26	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-1.26	-84.49	5.00
27	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	-1.46	-2.37	1.00
28	ग्रिड कंडक्टर लिमिटेड	-1.68	0	5

29	इन्डस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	-2.14	-4.00	5.00
30	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-2.67	-13147.55	123.97
31	हेमीसफ़ेयर प्रोपर्टीस इंडिया लिमिटेड	-3.00	-2.96	5.00
32	सूती टेक ऑप्शन लिमिटेड	-3.16	-27.06	50.26
33	झारखंड कोल्हन स्टील लिमिटेड	-3.20	-3.46	1.00
34	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड	-9.34	-268.21	5.00
35	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड	-32.62	-6194.23	6000.00
36	एचएलएल मेडीपार्क	-74.48	-81.44	10.01
37	हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लिमिटेड	-77.39	-3841.81	1961.46
38	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-77.52	-2405.49	130.00
39	एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड	-138.18	-12362.91	3770.91
40	असम अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-171.00	-949.00	100.00
41	नेशनल इन्वेटमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी फंड	-174.30	-257.81	2.00
42	एनबीसीसी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	-208.51	-133.99	100.00
43	रांची अशोक बिहार होटल निगम लिमिटेड	-215.40	-699.11	489.96
44	सांभर साल्टस नमक लिमिटेड	-258.11	-3324.51	100.00
45	अंडमान फिशरिश लिमिटेड	-351.85	-2733.98	100.00
46	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	-354.13	-82.90	102.71
47	बर्डस जुट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड	-380.17	-12625.21	39.48
48	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	-510.61	-1584.92	1957.00
49	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-598.79	-2465.36	498.61
50	भेल इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड	-605.18	-827.90	1050.00
51	एचएमटी वाचेज़ लिमिटेड	-849.18	-280826.58	649.01
52	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	-936.82	-36652.72	501980.20
53	फ्रेश एंड हेल्दी इंटरप्राइजेज लिमिटेड	-1062.00	-1810.00	14567.00
54	बीक्को लॉरी लिमिटेड	-1234.10	-6116.54	7476.32
55	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	-1433.59	-1767.92	7584.87
56	नेशनल बाई साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-2170.62	-58735.23	565.46
57	एफएसीटी आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-2911.71	-3798.40	7045.40
58	पीईसी लिमिटेड	-5394.00	-113391.00	6000.00
59	भारतीय होटल निगम लिमिटेड	-5427.00	-16653.00	13760.00
60	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन और बागान विकास निगम लिमिटेड	-5756.55	-38227.81	359.18
61	मद्रास उर्वरक लिमिटेड	-6196.00	-49203.00	16214.00
62	एचपीसीएल बायो फ्यूल्स लिमिटेड	-7784.51	-3908.67	20552.00
63	भारत पंप्स और कंप्रेसर लिमिटेड	-8397.40	-10922.45	5353.10

64	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	-9136.66	-54469.24	14605.49
65	हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड	-9988.45	-1857.96	9999.99
66	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	-10047.65	-187768.44	5106.40
67	द ब्रिटिश इंडीया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-10255.54	-80981.76	3170.71
68	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-12925.00	-123035.00	27660.00
69	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	-13051.18	-164018.10	64707.20
70	इंडीयन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-16117.92	-714941.58	11688.33
71	एयरलाइन अलाइड सर्विसेज़ लिमिटेड	-28272.22	-134359.56	40225.00
72	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	-44444.00	-177820.00	16667.00
73	एसटीसीएल लिमिटेड	-65686.38	-456268.31	150.00
74	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	-93117.00	-135623.00	221845.00
75	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-297303.00	-633736.00	63000.00
76	हिंदुस्तान फ़ोटॉफ़िल्म (मन्युफैक्चर्स) कंपनी लिमिटेड	-340236.58	-2373240.00	20687.00
77	एयर इंडिया लिमिटेड	-576517.00	-1991451.00	2689021.00

नोटः हालांकि मार्च 2018 तक के अनुसार 77 सीपीएसई का निवल मूल्य शून्य या नकारात्मक है, क्रम सं 1 - 12 की सीपीएसई ने 2017-18 के दौरान मुनाफा कमाया है।

परिशिष्ट-VI

(पैरा सं.1.5.3 देखे)

सीपीएसई की सूची जहाँ पिछले 5 वर्षों के दौरान 3 या अधिक वर्षों में आरओई निजी कम्पनीयों से कम हैं

क्र.सं	सरकारी कंपनी	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	निजी कंपनी	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	8.11	5.55	3.95	6.15	22.86	आर्कोटेक लिमिटेड	1.72	12.04	18.28	20.24	24.41
2	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-26.72	-11.62	5.56	11.9	16.37	अतुल ऑटो लिमिटेड	21.05	20.11	30.66	33.51	31.53
3	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	2.01	7.13	17.46	7.18	51.18	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.79	16.96	15.18	18.62	15.44
4	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-383.44	-173.19	-43.25	41.58	60.34	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.79	16.96	15.18	18.62	15.44
5	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	12.59	4.2	35.62	39.31	-48.52	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.79	16.96	15.18	18.62	15.44
6	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	4.29	4.28	4.11	0.54	-1.78	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.79	16.96	15.18	18.62	15.44
7	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	2.69	6.13	6.76	11.88	9.96	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.79	16.96	15.18	18.62	15.44
8	एचएमटी लिमिटेड	-2.04	-10.5	-6.96	-9.28	7.66	एस्कॉर्ट्स लिमिटेड	13.53	8.06	4.77	4.16	एनए
9	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	14.72	14.62	16.36	16.49	19.11	गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड	33.92	33.2	40.36	41.37	एनए

10	आईएफसीआई लिमिटेड	-17.45	-6.81	4.69	7.3	7.28	आईडीएफसी लिमिटेड	1.52	0.58	-12.11	9.95	11.57
11	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	2.73	1.53	-2.76	4.16	10.51	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	10.96	11.85	13.04	13.63	16.32
12	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	16.66	11.71	9.72	11.99	19.71	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	10.96	11.85	13.04	13.63	16.32
13	गेल (इंडिया) लिमिटेड	11.45	9.18	7.52	10.44	16.16	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	10.68	10.9	11.42	10.51	11.16
14	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	10.31	9.65	10.6	12.26	16.16	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	10.68	10.9	11.42	10.51	11.16
15	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-1.35	-8.85	-6.12	4.82	6.13	टाटा स्टील लिमिटेड	6.54	6.63	6.95	9.66	10.49
16	एमएमटीसी लिमिटेड	3.37	3.98	3.98	3.52	1.39	वेदांता लिमिटेड	9.15	13.88	12.46	5.66	एनए

परिशिष्ट - VII

(पैरा सं. 1.5.3 देखे)

सीपीएसई की सूची जहाँ पिछले 5 वर्षों के दौरान 3 या अधिक वर्षों में आरओसीई निजी कम्पनीयों से कम हैं

क्र. सं.	सरकारी कंपनी	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	निजी कंपनी	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	7.07	4.63	3.33	6.15	22.86	आर्कोटेक लिमिटेड	1.29	9.25	12.81	19.45	21.53
2	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-23.4	-10.04	4.7	9.63	13.05	अतुल ऑटो लिमिटेड	21.05	20.11	30.66	33.51	31.53
3	आई टी आई लिमिटेड	11.02	17.11	6.35	-41.7	-42.04	भारती इंफ्राटेल लिमिटेड	13.62	16.66	7.13	15.17	6.14
4	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-75.16	-80.7	-25.59	-23.46	59.5	भारती एयरटेल लिमिटेड	0.05	-6.55	5.98	13.48	8.92
5	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	-100.16	-68.08	-142.09	57.53	99.24	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.79	16.96	14.99	18.07	13.99
6	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	2.21	7.9	20.82	11.71	63.41	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.79	16.96	14.99	18.07	13.99
7	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-30.44	-63.36	-19.68	89.04	113.68	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.79	16.96	14.99	18.07	13.99

8	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	4.14	3.56	3.41	0.4	-1.17	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.79	16.96	14.99	18.07	13.99
9	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	2.43	5.9	6.41	10.44	8.8	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	20.79	16.96	14.99	18.07	13.99
10	एचएमटी लिमिटेड	-0.49	-4.01	-5.82	-8.79	7.35	एस्कॉर्ट्स लिमिटेड	13.46	7.84	4.56	3.93	एनए
11	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	14.72	14.62	16.36	16.49	19.11	गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड	33.92	33.20	40.36	41.37	एनए
12	आईएफसीआई लिमिटेड	-3.94	-1.55	0.99	1.61	1.85	आईडीएफसी लिमिटेड	1.52	0.58	-12.11	2.82	3.15
13	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	2.72	1.53	-2.75	4.16	10.48	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	10.11	11.29	10.83	11.09	14.03
14	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-0.74	-5.78	-4.95	3.64	4.65	टाटा स्टील लिमिटेड	4.71	4.5	5.22	7.11	7.55
15	एमएमटीसी लिमिटेड	3.37	3.98	3.98	3.46	1.39	वेदांता लिमिटेड	7.71	10.85	8.14	3.45	एनए

परिशिष्ट-VIII

(पैरा सं. 1.5.3 देखे)

सीपीएसई की सूची जहाँ पिछले 5 वर्षों के दौरान 3 या अधिक वर्षों में ईपीएस निजी कम्पनीयों से कम हैं

क्र. सं.	सरकारी कंपनी	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	निजी कंपनी	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	0.35	0.63	0.25	0.39	0.68	हैरिसन मलयालम लिमिटेड	2.41	2.22	-24.75	-19.10	2.39
2	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	24.16	17.48	16.05	16.08	15.49	गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड	31.92	23.7	20.24	15.62	-1.15
3	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	2.2	2.03	-3.73	5.8	14.14	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	38.46	39	57.07	54.46	59.26
4	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	-0.99	1.56	-1.44	0.36	1.48	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	9	29	18.9	18.9	15.2
5	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	61.31	69.15	48.96	-2.62	-20.4	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	53.08	49.77	84.66	70.25	68.05
6	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	5.83	4.82	7.68	9.14	14.24	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	38.46	39	57.07	54.46	59.26
7	गेल (इंडिया) लिमिटेड	20.48	20.71	18.12	23.96	34.49	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	53.08	49.77	84.66	70.25	68.05

क्र. सं.	सरकारी कंपनी	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	निजी कंपनी	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
8	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	0.86	0.67	0.47	0.73	3.1	आर्कोटेक लिमिटेड	0.37	2.6	17.37	16.07	15.76
9	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	-2.46	-2.49	-5.67	-1.93	-12.67	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	12.57	16.35	12.41	13.85	12.05
10	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-29.69	-38	-25.89	-32.08	-26.33	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	12.57	16.35	12.41	13.85	12.05
11	एचएमटी लिमिटेड	-0.06	-1.99	-0.21	-0.83	1.15	एस्कॉर्ट्स लिमिटेड	28.85	16.84	7.49	6.26	20.53
12	आई टी आई लिमिटेड	3.23	6.77	7.77	-11.26	-12.88	भारतीइन्फ्राटेल लिमिटेड	13.05	14.49	6.97	14.41	5.77
13	आईएफसीआई लिमिटेड	-6.07	-2.76	2.03	3.14	3.05	आईडीएफसी लिमिटेड	0.93	0.35	-7.29	10.83	11.22
14	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	22.52	40.31	42.83	21.72	28.91	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	53.08	49.77	84.66	70.25	68.05
15	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	-2.76	-1.45	-11.77	-8.36	6.21	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	12.57	16.35	12.41	13.85	12.05
16	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-47.19	-46.68	-31.84	-45.93	124.21	भारती एयरटेल लिमिटेड	0.2	-24.84	18.88	33.02	16.69
17	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	12.69	20.79	6.55	-9.77	3.43	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	53.08	49.77	84.66	70.25	68.05

क्र. सं.	सरकारी कंपनी	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	निजी कंपनी	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
18	एमएमटीसी लिमिटेड	0.49	0.57	0.55	0.48	0.19	वेदांता लिमिटेड	19.47	29.04	18.45	6.5	NA
19	एमओआईएल लिमिटेड	21.08	20.21	10.3	25.48	30.33	टाटा स्टील लिमिटेड	38.57	31.74	48.67	64.49	64.21
20	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	4.34	4.24	4.02	0.53	-1.83	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	12.57	16.35	12.41	13.85	12.05
21	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	15.54	13.95	18.71	20.73	25.83	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	53.08	49.77	84.66	70.25	68.05
22	ऑयल इंडिया लिमिटेड	23.32	19.32	38.76	41.76	49.59	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	53.08	49.77	84.66	70.25	68.05
23	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	1.43	3.25	3.47	5.84	4.53	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	12.57	16.35	12.41	13.85	12.05
24	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-2.19	-1.2	0.64	1.3	1.59	अतुल ऑटो लिमिटेड	21.05	16.88	21.6	18.49	27
25	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-1.17	-6.86	-10.02	5.07	6.33	टाटा स्टील लिमिटेड	38.57	31.74	48.67	64.49	64.21
26	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	-2.02	-2.89	-6.99	-6.18	-4.09	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	12.57	16.35	12.41	13.85	12.05

परिशिष्ट-IX

(पैरा सं. 1.5.3 देखे)

सीपीएसई की सूची जहाँ पिछले 5 वर्षों के दौरान 3 या अधिक वर्षों में पी/ई अनुपात निजी कम्पनीयों से कम हैं

क्र. सं.	सरकारी कंपनी	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	निजी कंपनी	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	13.40	15.76	10.01	10.85	5.54	गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड	28.48	29.68	25.05	32.57	NA
2	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	24.92	23.55	21.56	22.94	9.83	गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड	28.48	29.68	25.05	32.57	NA
3	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	-19.90	14.49	-12.81	101.11	5.87	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	34.11	40.45	21.31	31.56	21.48
4	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	16.46	21.83	17.56	16.35	11.89	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	55.04	23.71	43.36	54.09	37.72
5	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10.63	10.58	8.77	11.52	8.20	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	16.63	26.51	12.35	11.74	13.66
6	कोल इंडिया लिमिटेड	18.94	12.66	11.29	17.10	12.12	अडानी एंटरप्राइजेज	87.40	53.59	16.33	166.32	-227.62
7	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5.36	5.25	4.07	-26.16	-3.36	एसआईसीएएल लोजिस्टिक्स	42.02	32.04	39.28	32.17	एनए

8	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	27.12	29.95	22.17	21.25	15.80	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	34.11	40.45	21.31	31.56	21.48
9	गेल (इंडिया) लिमिटेड	-25.27	-14.34	-3.02	-4.55	-5.02	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	16.63	26.51	12.35	11.74	13.66
10	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	16.04	18.18	19.67	16.23	10.89	आर्कोटेक लिमिटेड	89.96	201.73	22.17	21.32	10.81
11	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-4.32	-6.87	-1.00	-3.47	-0.36	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	23.24	19.13	15.30	19.38	18.43
12	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	-475.83	-19.02	-213.33	-50.78	25.13	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	16.63	26.51	12.35	11.74	13.66
13	एचएमटी लिमिटेड	-0.78	-0.65	-0.64	-0.44	-0.45	एस्कॉर्ट्स लिमिटेड	29.10	32.00	18.56	20.30	एनए
14	आई टी आई लिमिटेड	8.25	8.60	6.89	8.05	6.05	भारतीइन्फ्राटेल लिमिटेड	25.76	22.46	54.81	26.70	35.29
15	आईएफसीआई लिमिटेड	-3.25	-10.76	12.12	10.62	8.70	आईडीएफसी लिमिटेड	52.31	155.71	-5.54	15.41	10.89
16	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	7.83	9.59	9.19	16.96	9.65	इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड	95.04	92.70	40.70	-114.56	-9.89
17	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	35.02	10.49	3.09	-1.82	-1.25	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	23.24	19.13	15.30	19.38	18.43
18	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	9.29	15.53	21.11	10.84	8.27	भारती एयरटेल लिमिटेड	2013.34	-14.09	18.59	11.93	19.11
19	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	-11.63	-13.34	-0.99	-1.93	0.00	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	16.63	26.51	12.35	11.74	13.66

20	एमओआईएल लिमिटेड	8.63	5.13	10.24	-6.87	13.86	टाटा स्टील लिमिटेड	14.80	15.21	6.56	4.91	6.13
21	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	-0.40	-0.51	-0.56	-0.40	0.12	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	33.21	25.81	-137.34	28.83	19.99
22	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	9.62	25.50	13.96	9.09	15.92	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	23.24	19.13	15.30	19.38	18.43
23	एनटीपीसी लिमिटेड	11.23	9.08	8.43	6.09	7.81	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	-6.59	85.38	27.39	23.36	24.23
24	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	9.86	18.43	12.82	8.03	8.61	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	16.63	26.51	12.35	11.74	13.66
25	ऑयल इंडिया लिमिटेड	12.31	13.72	12.07	15.25	11.22	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	16.63	26.51	12.35	11.74	13.66
26	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	11.44	13.27	11.48	14.80	12.34	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	23.24	19.13	15.30	19.38	18.43
27	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	51.19	25.15	11.18	9.64	7.31	अतुल ऑटो लिमिटेड	20.98	27.57	24.04	30.04	13.32
28	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-60.00	-8.92	-4.29	13.48	11.28	टाटा स्टील लिमिटेड	14.80	15.21	6.56	4.91	6.13
29	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	11.81	26.12	8.03	10.71	-7.05	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	23.24	19.13	15.30	19.38	18.43

परिशिष्ट-X

(पैरा सं. 1.5.3 देखे)

सीपीएसई की सूची जहाँ पिछले 5 वर्षों के दौरान 3 या अधिक वर्षों में ब्याज कवरेज अनुपात निजी कम्पनीयों से कम हैं

क्र. सं	सरकारी कंपनी	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	निजी कंपनी	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-30.47	-11.39	5.27	38.86	21.8	अतुल ऑटो लिमिटेड	165.69	97.77	92.56	101.42	126.71
2	आई टी आई लिमिटेड	2.53	3	1.52	-1.03	-2.21	भारती इंफ्राटेल लिमिटेड	70.4	85.66	3969.60	-502.65	165.46
3	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-0.97	-1.03	-1.17	-1.01	6.99	भारती एयरटेल लिमिटेड	0.88	-0.86	3.82	12.11	7.28
4	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	0.59	0.39	-0.74	-1.04	-0.5	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	6.62	4.18	3.43	3.83	3.34
5	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	0.74	-0.5	-2.22	-0.8	-16.25	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	6.62	4.18	3.43	3.83	3.34
6	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-1.67	-1.66	-1.63	-3.2	-3.15	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	6.62	4.18	3.43	3.83	3.34
7	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.18	0.68	-1.3	-0.6	2.28	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	6.62	4.18	3.43	3.83	3.34
8	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2.76	2.71	2.24	1.15	0.21	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	6.62	4.18	3.43	3.83	3.34

9	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	3.05	3.65	3.18	5.36	3.8	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	6.62	4.18	3.43	3.83	3.34
10	एचएमटी लिमिटेड	0.03	-13.39	0.02	-4.36	8.64	एस्कॉर्ट्स लिमिटेड	18.81	8.59	3.04	2.58	3.21
11	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.54	5.98	3.55	-0.84	0.42	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	10.82	15.98	15.35	13.19	9.68
12	गेल (इंडिया) लिमिटेड	26.29	12.29	5.96	12.86	18.48	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	10.82	15.98	15.35	13.19	9.68
13	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	17.24	17.84	9.96	6.88	2.96	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	10.82	15.98	15.35	13.19	9.68
14	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	10.44	8.64	6.28	3.33	2.95	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	10.82	15.98	15.35	13.19	9.68
15	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	8.61	11.69	3.03	-4.29	2.27	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	10.82	15.98	15.35	13.19	9.68
16	ऑयल इंडिया लिमिटेड	9.92	6.41	17.74	11.94	65.12	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	10.82	15.98	15.35	13.19	9.68
17	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.73	-1.06	-2.5	2.62	4.33	टाटा स्टील लिमिटेड	3.36	2.99	5.2	5.31	6.34

परिशिष्ट-XI
(पैरा सं. 1.5.4 देखे)

2000-01 से 2017-18 तक केन्द्र सरकार द्वारा सीपीएसई में निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
	स्कूटर इंडिया लिमिटेड	इक्विटी	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.49	31.9	0	0	0	0
1		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0.43	0	0	0.62	0.89	0	0	9.45	28.43	37.32	8.08	1.89	20	0	0	-4	0
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.21	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	इक्विटी	0	0	0	-262.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	47.35	0	0	0	0	0	0
		अनुदान/सब्सिडी	224.32	16	15.04	14.06	18	18	18	18	25	25	55.5	53.33	66.6	19.66	35.34	53.19	0	12
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	249.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	इक्विटी	0	0	1.86	0	0	0	8.07	0	0	0	0	0	12	9.94	2.51	0	42.33	0
		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	इक्विटी	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	इक्विटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.31	0	0	0	0	0	0
		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	57.31	0	10	5.79	7	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	नेशनल साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	इक्विटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		इक्विटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ब्याज मुक्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
	रिचर्डसन और क्रुडस (1972) लिमिटेड	ऋण (आईएफएल)																		
7		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.78	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	इक्विटी	0	0	0	0	0	0	0	0	137.2	0	0	0	43.02	0	2	7	0	0
		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	4.5	0	2	0	0	0
8		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009-10 आईटीआई लिमिटेड में चुकाया गया ऋण	इक्विटी	0	0	0	0	200	0	0	0	0		0	0	0	0	192	0	80	337
9		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	0	0	0	100	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	इक्विटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	भारत संचार निगम लिमिटेड	इक्विटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	इक्विटी	160	165	172	337.3	229.9	244	250	581	874	896.85	1256.92	584.09	750	514.5	843.06	1423.65	192.05	75.5
		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	75	1	3	50	0	58	58	225	205.5	64.7	0	249.87	216	400	511.32	717.92	804.69	91.5
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	इक्विटी	0	1.75	1.32	1.22	5.48	6.01	0	0	2.02	49.25	5	0	0	0	0	0	0	0
		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		इक्विटी	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4446.5

क्र. सं.	सीपीएसई		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
	हिंदुस्तान																			2
14	केबल्स लिमिटेड	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	एयर इंडिया लिमिटेड	इक्विटी	0	0	0	0	0	0	0	145	0	800	1200	1200	6000	5000	2833	4318	5257	1937.21
		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	अंडमान फिशरीज लिमिटेड	इक्विटी	0	0	0	0	0.03	0	0	0.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0.11	0.11	0	0	0.05	0.35	0.2	0.42	0.15	0.33	0.3	0.36	0	0	0	0	0	0
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.18	0.18	0	0	0.15	0
	एनईपीए लिमिटेड	इक्विटी	0	0	0	0	0	0.62	0	0	0	0	0	1.85	0	0	0	395.12	52.89	0
17		ब्याज मुक्त ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
		(आईएफएल)																		
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	इक्विटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1502.2	0	0
		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	इक्विटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अनुदान/सब्सिडी	2.63	0.77	0.16	0.32	3.45	2.62	3.41	0	1.5	0.83	1.5	1.4	1.5	1.5	4.36	2.7	4.54	4.12
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	एसटीसीएल लिमिटेड	इक्विटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	1.2	1.2	6.29	5.76	5.22	4.7	4.18	3.55	3.26	3.08	2.94	1.3
		रूपान्तरित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
		आईएफएल																		
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	उर्वरक और रसायन लिमिटेड	इक्विटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	55.4	0	0	0
	हिंदुस्तान फोटोफिल्म्स (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड	इक्विटी	0	0	0.75	0	0	1	1.5	1.5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	32.88	27.26	37.47	0	14.66	25.41	20.54	35.21	27.27	37.06	14.27	0	0	27.3	102.53	23.5	9.46	1
		अनुदान/सब्सिडी	13.12	38.79		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	इक्विटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0
		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
24	अंडमान और निकोबार द्वीप वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड	इक्विटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.59	0	0	0	0	0	0
		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	एचएमटी लिमिटेड	इक्विटी	309.75	0	0	2.5	5.5	35.78	248.40	0	0	0	0	0	0	443.74	0	0	0	0
		ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	543.68	97.90
		अनुदान/सब्सिडी	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		रूपान्तरित आईएफएल	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		विनिवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	67.54	0	0	0	0

परिशिष्ट - XII

(पैरा 2.5.1.1 देखे)

सीपीएसई की सूची जहां लेखापरीक्षा तीन चरण में आयोजित हुई

क्र. सं.	कंपनी के नाम
1.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
2.	एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
3.	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
4.	बीईएल ऑप्ट्रोनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड
5.	बीईएल थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड
6.	बीईएमएल लिमिटेड
7.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
8.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
9.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
10.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
11.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड
13.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
14.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
15.	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन
16.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
17.	कोल इंडिया लिमिटेड
18.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
19.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
20.	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
21.	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
22.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
23.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
24.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
25.	गेल (इंडिया) लिमिटेड
26.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
27.	जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया
28.	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

29.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
30.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
31.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
32.	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
33.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
34.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
35.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
36.	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड
37.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
38.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
39.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
40.	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
41.	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन
42.	इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
43.	इंडो रशियन हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड
44.	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
45.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
46.	कामराजर पोर्ट्स लिमिटेड
47.	लक्षदीप निगम लिमिटेड
48.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
49.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
50.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
51.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
52.	मेकॉन लिमिटेड
53.	मिश्रा धातु निगम लिमिटेड
54.	एमओआईएल लिमिटेड
55.	एमएसटीसी लिमिटेड
56.	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड
57.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
58.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
59.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
60.	एनएचपीसी लिमिटेड
61.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
62.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
63.	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

64.	एनटीपीसी लिमिटेड
65.	एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड
66.	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
67.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
68.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
69.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
70.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
71.	पीएनबी-गिल्ट लिमिटेड
72.	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
73.	पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
74.	रेल विकास निगम लिमिटेड
75.	राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाईजर्स लिमिटेड
76.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
77.	राइट्स लिमिटेड
78.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
79.	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
80.	एसजेवीएनएल लिमिटेड
81.	दक्षिण ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
82.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
83.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
84.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड
85.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
86.	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड
87.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

परिशिष्ट -XIII

(पैरा: 2.5.1.3 देखे)

सीपीएसई की सूची जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों इस रिपोर्ट संशोधित की गई

क्र. सं.	कंपनी का नाम
1	बीईएल ऑप्ट्रोनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड
2	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
3	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड
4	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान लिमिटेड
5	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	चेयुर इंफ्रा लिमिटेड
7	कोल इंडिया लिमिटेड
8	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
9	गोवा नेचुरल गैस लिमिटेड
10	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
11	एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड
12	एचएमटी लिमिटेड
13	एचएमटी वॉचिस लिमिटेड
14	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
15	आईएफसीआई लिमिटेड
16	इरकॉन दावंगरे हैवेरी हाईवे लिमिटेड
17	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
18	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
19	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
20	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
21	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
22	मिश्रा धातु निगम लिमिटेड
23	नेशनल ई-गवर्नेंस लिमिटेड

24	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड
25	ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
26	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड
27	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड
28	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
29	रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
30	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड
31	आरआइएनआईएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड
32	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
33	सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
34	कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
35	यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड

परिशिष्ट-XIV

(पैरा: 2.5.1.4 देखे)

सीपीएसई की सूची जहां सीएजी द्वारा टिप्पणी जारी की गई

क्र. सं.	कंपनी का नाम
1	आर्टिपिशियल लिम्ब मैन्यू फैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3	भारत संचार निगम लिमिटेड
4	बायोटेक्नोलोजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टैंस काउसिल
5	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
6	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
7	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
8	चेन्नई एननोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
9	दिल्ली विमानन ईंधन सुविधा प्राइवेट लिमिटेड
10	डीएनएच पावर डिस्टिब्यूशन कारपोरेशन
11	ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड
12	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड
13	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड
14	एचएमटी बेयरिंग लिमिटेड
15	आईएफसीआई लिमिटेड
16	इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
17	इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल)
18	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
19	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
21	मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म एंड फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड

22	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
23	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
24	नेशनल हाइवे एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
25	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
26	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
27	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
28	ओएनजीसी पेट्रो एडिशनस लिमिटेड
29	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
30	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31	सिडकूल कॉनकॉर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड
32	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
33	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (2016-17)

परिशिष्ट-XV
(पैरा 2.6 देंखे)

कंपनियों के विवरण जहां लेखांकन मानकों का अननुपालन थे जैसा कि वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया

क्रम सं	कंपनी का नाम	श्रेणी (सूचीबद्ध/ असूचीबद्ध)	सरकारी कंपनी (जीसी) या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (डीजीसी)	लेखांकन मानक (एएस)/आईएनडी एएस संख्या
1	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	डी जी सी	एएस 1 और एएस 9
2	भारत इम्युनोलॉजिकल्स और बायोलॉजिकलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 37
3	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	असूचीबद्ध	जीसी	एएस 28
4	इस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	एएस 13
5	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस 21, एएस 27, के एएस 29
6	हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस 2
7	एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	ईंड एएस 19
8	एचएमटी लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	ईंड एएस 110
9	एचएमटी वाचेज़ लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	ईंड एएस 8, ईंड एएस 36 और ईंड एएस 109
10	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस 2, एएस 10, के एएस 13, एएस 15, एएस 28
11	इंडियन मेडिसीन फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस 28
12	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	ईंड एएस 8
13	आरआईएनएल पावरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमिटेड	असूचीबद्ध	डी जी सी	ईंड एएस 1
14	सिक्युरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिनटींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शन	असूचीबद्ध	जीसी	ईंड एएस 18 , ईंड एएस 19 और ईंड एएस 109

परिशिष्ट-XVI

(पैरा: 2.7 देखे)

सीपीएसई की सूची जहां सीएजी द्वारा प्रबंधन पत्र जारी किए गए

क्र. सं.	कंपनी का नाम
1	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
2	अवंतिका गैस लिमिटेड
3	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	बीईएमएल लिमिटेड
5	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
6	भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
7	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड
8	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9	भारत पेट्रोरिसोर्सेज जेपीडीए
10	भारत संचार निगम लिमिटेड
11	सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
12	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
13	सेंट्रल रिजस्ट्री ऑफ सिक्योरटिजेशन एसट रिक्न्सट्रक्शन और सिक्योरिटी ईंट्रस्ट
14	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
15	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन
16	चेन्नई एननोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
17	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
18	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
19	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
20	दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
21	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड
22	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
23	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
24	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड

25	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
26	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
27	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
28	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
29	गोल्डमोहूर डिजाइन और एपैरल पार्कस लिमिटेड
30	ग्रीन गैस लिमिटेड
31	हसन मंगलौर रेल विकास कंपनी लिमिटेड
32	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
33	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
34	हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड
35	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
36	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड
37	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड
38	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल लिमिटेड
39	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड
40	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
41	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
42	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
43	इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
44	इरकॉन दावंगरा हैवेरी हाईवे लिमिटेड
45	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
46	कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
47	कोच्चि सलेम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड
48	कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड
49	लखनऊ सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
50	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
51	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
52	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
53	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड

54	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
55	मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म एंड फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
56	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
57	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र
58	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड
59	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
60	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड
61	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
62	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड
63	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
64	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
65	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
66	नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
67	एनईआईए ट्रस्ट
68	नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड
69	एनएचडीसी लिमिटेड
70	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
71	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
72	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड
73	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
74	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
75	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
76	पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
77	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
78	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड
79	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड
80	पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड
81	पावरग्रिड पारली ट्रासमिशन लिमिटेड
82	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड

83	पंजाब लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
84	रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
85	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड
86	रत्नागौरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
87	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
88	रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड
89	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
90	सांभर साल्टलिमिटेड
91	एसजेवीएन लिमिटेड
92	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
93	एसटीसी लिमिटेड
94	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
95	स्टॉक होल्डिंग दस्तावेज़ प्रबंधन सेवा लिमिटेड
96	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
97	यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
98	वेपकास (इंडिया) लिमिटेड

परिशिष्ट-XVII

(पैरा 3.1.4 देखे)

कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए अध्याय में शामिल सीपीएससी- सूचीगत सीपीएससी

क्रम सं	सीपीएससी का नाम
1	एनएमडीसी लिमिटेड
2	के आई ओ सी एल लिमिटेड
3	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	एचएमटी लिमिटेड
5	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड
6	एन एल सी इंडीया लिमिटेड
7	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड
9	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
10	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
11	बी ई एम एल लिमिटेड
12	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
13	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
14	मिश्र धातू निगम लिमिटेड
15	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
16	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
17	आईटीआई लिमिटेड
18	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी
19	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
21	कोल इंडिया लिमिटेड
22	ऑयल इंडिया लिमिटेड
23	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड,
24	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड

25	बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
26	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
27	बॉमर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
28	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
29	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
30	हिंदुस्तान ऑर्गनिक केमिकल्स लिमिटेड
31	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
32	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
33	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
34	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
35	एमएमटीसी लिमिटेड
36	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
37	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
38	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
39	गेल (भारत) लिमिटेड
40	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
41	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
42	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
43	आईएफसीआई लिमिटेड
44	एनटीपीसी लिमिटेड
45	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
46	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
47	एनएचपीसी लिमिटेड
48	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
49	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
50	एसजेवीएन लिमिटेड
51	एमओआईएल लिमिटेड
52	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

परिशिष्ट-XVIII

(पैरा 4.3 तथा 4.5.1.2 देंखे)

सीपीएसई का विवरण मंत्रालय, श्रेणी, सीएसआर खर्च, निदेशकों के संख्या एवं स्वतंत्र निदेशक और सूचीबद्ध दर्शाते हुए

(₹ करोड़ में)

सीपीएससी का नाम	संक्षिप्तिकरण	मंत्रालय/क्षेत्र	श्रेणी	खर्च सी एस आर	कुल निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	सूचीबद्ध
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	एएआई	विमानन	मिनिरत्न	71.9	4	1	हाँ
एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	एआइएटीसेल	विमानन	अन्य	0.84	4	0	नहीं
एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	ए आई ई एल	विमानन	अन्य	0.48	3	0	हाँ
एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	एनट्रिक्स	अन्य	लघु रत्न	6.96	2	0	नहीं
भारत डायनामिक्स लिमिटेड	बीडीएल	रक्षा	लघु रत्न	18.39	7	5	हाँ
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	बेल	अन्य	नवरत्न	24.59	6	2	हाँ
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	बीईएमएल	अन्य	लघु रत्न	3.35	3	1	हाँ
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	भेल	अन्य	महारत्न	7.36	5	2	हाँ
बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	बीएलसी	अन्य	लघु रत्न	4.38	3	2	हाँ
बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	बी एल आई	अन्य	अन्य	0.12	3	0	हाँ
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बीपीसीएल	पेट्रोलियम	महारत्न	166.01	5	3	हाँ
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सीसीआईएल	अन्य	अन्य	0.09	3	1	नहीं
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	सीसीएल	कोयला/ खनन	लघु रत्न	45.68	5	2	नहीं
कॉल इंडिया लिमिटेड	सीआईएल	कोल/ खनन	महारत्न	24.31	6	3	हाँ
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड	सी एमपीडीआईएल	कोयला/ खनन	लघु रत्न	1.37	4	2	नहीं
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कॉनकोर	रेलवे	नवरत्न	16.22	3	2	हाँ
कॉनकोर एयर लिमिटेड	कॉनकोर एयर	रेलवे	अन्य	0.13	3	1	नहीं
चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सीपीसीएल	पेट्रोलियम	लघु रत्न	9.18	4	1	हाँ
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सीएसएल	शिपिंग	लघु रत्न	8.57	4	2	हाँ
सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन	सीडब्ल्यूसी	अन्य	मिनिरत्न	5.28	4	1	नहीं
ईसीजीसी लिमिटेड	ईसीजीसी	अन्य	मिनिरत्न	6.55	9	7	नहीं

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	ईआईएल	अन्य	नवरत्न	14.74	5	3	हाँ
गेल (इंडिया) लिमिटेड	गेल	पेट्रोलियम	महारत्न	91-65	4	2	हाँ
गेल गैस लिमिटेड	गेल गैस	पेट्रोलियम	अन्य	0.79	3	0	नहीं
गोआ शिपयार्ड लिमिटेड	जीएसएल	शिपिंग	मिनिरत्न	2.88	4	1	नहीं
हिनदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	एचएएल	रक्षा	नवरत्न	77.29	4	1	हाँ
हिनदुस्तान पेट्रोलियम कॉर. लिमिटेड	एचपीसीएल	पेट्रोलियम	नवरत्न	156.87	5	2	हाँ
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	एचएससीसी	अन्य	लघु रत्न	1.44	3	0	नहीं
आवास और शहरी विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हुडको	अन्य	मिनिरत्न	12.29	4	3	हाँ
इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	आईआईएफएस	अन्य		17.32	3	0	नहीं
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आईओसीएल	पेट्रोलियम	महारत्न	331.05	6	2	हाँ
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	इरकॉन	रेलवे	लघु रत्न	8.73	3	2	नहीं
इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिजम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आईआरसीटीसी	रेलवे	लघु रत्न	5.43	6	4	नहीं
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	इरेडा	पावर	मिनिरत्न	3.61	5	1	नहीं
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	आईआरएफसी	रेलवे	मिनिरत्न	13.21	3	1	हाँ
इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन	आईटीपीओ	अन्य	अन्य	3.34	5	1	नहीं
जूट कोरपोन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जेसीआई	अन्य	अन्य	0.27	3	0	नहीं
केआईओसीएल लिमिटेड	केआईओसीएल	खनन	लघु रत्न	0.16	4	2	हाँ
कामराजार पोर्ट लिमिटेड	के पी एल	शिपिंग	लघु रत्न	2.22	3	1	नहीं
कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड	कोंकण रेलवे	रेलवे	अन्य	1.06	3	1	हाँ
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	एमसीएल	कोयला / खनन	लघु रत्न	267.52	7	3	नहीं
मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	एमडीएल	शिपिंग	लघु रत्न	24.35	4	2	नहीं
मिनरल एक्सफ्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एमईसीएल	कोयला /खनन	लघु रत्न	2.03	3	2	नहीं
मिश्र धातु निगम लिमिटेड	मिधानी	धातु	लघु रत्न	3.28	4	1	नहीं
एमओआईएल लिमिटेड	एमओआईएल	खनन	लघु रत्न	9.62	4	4	हाँ
मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	एमआरपीएल	पेट्रोलियम	लघु रत्न	10.03	8	5	हाँ
एमएसटीसी लिमिटेड	एमएसटीसी	धातुओं	लघु रत्न	2.15	3	1	नहीं

नैशनल एल्युमिनियम कंपनी	एनएएल	अन्य	नवरत्न	29.01	8	5	हाँ
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	एनबीसीसी	अन्य	नवरत्न	8.95	3	1	हाँ
नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड	एनसीएल	कोयला / खनन	लघु रत्न	36.59	7	3	नहीं
नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर निगम लिमिटेड	नीपको	विद्युत	लघु रत्न	5.32	6	3	नहीं
नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड	एनएफएल	उर्वरक	लघु रत्न	2.97	5	3	हाँ
एनएचडीसी लिमिटेड	एनएचडीसी	अन्य	अन्य	21.07	4	0	नहीं
एनएचपीसी लिमिटेड	एनएचपीसी	विद्युत	लघु रत्न	38.55	5	1	हाँ
एनएलसी इंडिया लिमिटेड	एनएलसी	खनन	नवरत्न	43.59	6	2	हाँ
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	एनेमडीसीएल	धातु	नवरत्न	169.37	6	3	हाँ
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एनपीसीएल	विद्युत	अन्य	63	5	2	नहीं
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	एनआरएल	पेट्रोलियम	लघु रत्न	46.25	3	1	हाँ
नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एनएसआइसीएल	अन्य	लघु रत्न	3.03	5	3	नहीं
एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	एनटीपी विविएन	विद्युत	अन्य	1.7	3	0	नहीं
एनटीपीसी लिमिटेड	एनटीपीसी	विद्युत	महारत्न	241.54	5	3	हाँ
एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	एनटीपीएल	विद्युत	अन्य	1.44	4	1	नहीं
ऑयल इंडिया लिमिटेड	तेल	पेट्रोलियम	नवरत्न	100.58	5	2	हाँ
तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	ओएनजीसी	पेट्रोलियम	महारत्न	503.44	6	5	हाँ
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	पीएफसीएल	विद्युत	नवरत्न	118.18	3	1	हाँ
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पीजीसीएल	विद्युत	नवरत्न	157.99	7	2	हाँ
पवन हंस लिमिटेड	पीएचएल	विमानन	लघु रत्न	0.29	4	2	नहीं
रेलटेल निगम इंडिया लिमिटेड	रेलटेल	रेल	लघु रत्न	0.76	4	2	नहीं
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	आरसीएफ	उर्वरक	लघु रत्न	7.79	4	2	हाँ
आरईसी विद्युत वितरण कं लिमिटेड	आरपीडीसीएल	विद्युत	अन्य	0.95	3	0	नहीं
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	आरईसीएल	विद्युत	नवरत्न	71.49	5	3	हाँ
राइट्स लिमिटेड	राइट्स	रेल	लघु रत्न	9.91	5	3	हाँ
रेल विकास निगम लिमिटेड	आरवीएनएल	रेलवे	लघु रत्न	7.67	4	1	नहीं

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एससीआई	शिपिंग	नवरत्न	1.69	6	3	हाँ
भारतीय सौर ऊर्जा कॉर्पोरेशन	एस ई सी आई	विद्युत	अन्य	0.78	0	0	नहीं
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	एसईसीएल	कोयला / खनन	लघु रत्न	93.62	4	2	नहीं
एसजेवीएन लिमिटेड	एसजेवीएन	अन्य	लघु रत्न	38.76	3	1	हाँ
सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिनटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	एसपीएमसीआईएल	अन्य	अन्य	4.66	3	1	नहीं
टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स (भारत) लिमिटेड	टीसीआई	अन्य	लघु रत्न	1.16	3	1	नहीं
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	टीएचडीसी	अन्य	लघु रत्न	16.2	4	2	हाँ
यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	यूसीआईएल	विद्युत	अन्य	1.92	4	1	नहीं
वैपकोस लिमिटेड	वैपकोस	अन्य	लघु रत्न	3.02	3	2	नहीं
					354	**150**	

परिशिष्ट-XIX

(पैरा 4.5.1.4 देंखे)

स्वीकृत सीएसआर बजट आवंटन का तिमाही वार विवरण

सीपीएसई	तिमाही जिसमें बजट आवंटन को मंजूरी दी गई			
	तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4
एएआई	जून-17			
एआईएटीएसएल			दिसम्बर-17	
एआईईएल	मार्च-17			
बीडीएल		अगस्त-दिसंबर 17		
बीईएल			अक्टूबर-17	
बीईएमएल	जून-17			
बीएलसी	मई-17			
बीएलआई				जनवरी-18
बीपीसीएल		जुलाई-अगस्त-1		
सीसीआई			नवम्बर-17	
सीसीएल			नवम्बर-17	
सीआईएल		अगस्त-17		
सीएमपीडीआईएल	मई-17			
कॉनकोर		जुलाई-17		
कॉनकोर एयर		जुलाई-17		
सीपीसीएल	मई-17			
सीएसएल	मई-17			
ईसीजीसी	अनुपलब्ध			
ईआईएल		अगस्त-17		
गेल	मई-17			
गेल गैस			अक्टूबर-17	
जीएसएल	जून-17			
एचएएल	अप्रैल-17			
एचपीसीएल	मार्च-17			
एचएससीसी			अक्टूबर-17	
हुडको	मार्च-17			
आईआईएफसीएल			नवंबर-17	

आईओसीएल		अगस्त-17		
इरकॉन			दिसम्बर-17	
आईआरसीटीसी		अगस्त-17		
इरडा	जून-17	जुलाई-अगस्त 17	नवंबर-17	फरवरी-18
आईटीपीओ		अगस्त-17		जनवरी-18
जेसीआई		अगस्त-17		
केआईओसीएल			अक्टूबर-17	
केपीएल		जुलाई-17		
एमडीएल		सितम्बर-17		
एमईसीएल	जून-17			
मिधानी		जुलाई-अगस्त 17		
एमओआईएल	मई-17			
एमआरपीएल		जुलाई-17		
एमएसटीसी	मई-17		अक्टूबर-17	
नाल्को		जुलाई-17		
एनबीसीसी		अगस्त-दिसम्बर 17		
एनसीएल	मई-17	अगस्त-17	जनवरी-18	मार्च-18
एनईईपीसीओ		अगस्त-17		फरवरी-18
एनएफएल		जुलाई-17		
एनएचडीसी			अक्टूबर-17	
एनएलसी	मई-17			
एनएमडीसी	मई-17			
एनपीसीआईएल	मार्च-17			
एनआरएल	जून-17			
एनएसआईसी		अगस्त-दिसम्बर 2017		
एनटीपीएल	अनुपलब्ध			
ओआईएल	मई-17			
ओएनजीसी	अप्रैल-17			
पीएफसीएल	मार्च-17			
पीएचएल		सितम्बर-17		
रेलटेल				जनवरी-18
आरसीएफ	मई-17			
आरईसीएल		जुलाई-17		
आरईसीपीडीएल	मई-17			

राइट्स	अप्रैल-17			
आरवीएनएल	मई-17			
एससीआई			नवंबर-17	
एसईसीएल		जुलाई-17		
एसपीएमसीआईएल	अप्रैल-17			
टीसीआईएल		अगस्त-सितम्बर 17		

परिशिष्ट - XX

(पैरा 4.5.2.1 और 4.5.2.3 देंखे)

आवंटन और वास्तविक सीएसआर खर्च अग्रेषित सहित

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई	खर्च किया जाना 2%	अग्रेषित	आवंटित	वास्तविक खर्च	अंतर	टिप्पणियां	अंतर	खर्च नहीं की गई सीएफ	खर्च नहीं की गई सीवाई
एआई	73.64	60.01	73.61	71.9	1.74	घाटा	0.03	0	-61.75
एआइएटीएस	1.87	1.4	1.87	0.84	1.03	घाटा	0	0.56	-1.87
एआईईएल	3.98	0.18	3.98	0.48	3.5	घाटा	0	0	-3.68
एंट्रिक्स	6.76	12.71	6.76	6.96	-0.2	आधिक्य	0	12.51	0
बीडीएल	15.09	3.47	15.09	18.39	-3.3	आधिक्य	0	0.17	0
बीईएल	34.75	31.22	34.99	14.39	20.36	घाटा	-0.24	21.02	-30.56
बीईएमएल	1.22	0	1.22	3.35	-2.13	आधिक्य	0	0	2.13
भेल	10.35	53.9	10.4	7.36	2.99	घाटा	-0.05	28.09	-28.8
बीएलसी	4.48	0	4.48	4.38	0.1	घाटा	0	0	-0.1
बीएल आई	0.12	0	0.12	0.12	0	वही	0	0	0
बीपीसीएल	183.33	127.23	310.56	166.01	17.32	घाटा	-127.23	113.23	-31.32
सीसीआईएल	0.91	0	0	0.09	0.82	घाटा	0.91	0	-0.82
सीसीएल	54.8	25.61	54.8	45.68	9.12	घाटा	0	10.49	-24.24
सीआईएल	7.88	0	7.88	24.31	-16.43	आधिक्य	0	0	16.43
सीएमपीडीआईएल	0.98	0	1.5	1.37	-0.39	आधिक्य	-0.52	0	0.39
कॉनकोर	25.22	1.53	25.22	16.22	9	घाटा	0	0	-10.53
कॉनकोर एयर	0.35	0.39	0.35	0.13	0.22	घाटा	0	0.39	-0.22
सीपीसीएल	9.09	0	9.18	9.18	-0.09	आधिक्य	-0.09	0	0.09
सीएसएल	8.54	0	8.54	8.57	-0.03	आधिक्य	0	0	0.03
सीडब्ल्यूसी	5.25	0.23	5.25	5.28	-0.03	आधिक्य	0	0	-0.2
ईसीजीसी	7	5.31	7	6.55	0.45	घाटा	0	0	-5.76
ईआईएल	9.16	26.83	9.16	14.74	-5.58	आधिक्य	0	21.25	0
गेल	69.67	0	91.65	91.65	-21.98	आधिक्य	-21.98	0	21.98
गेल गैस	1.18	0	1.18	0.79	0.39	घाटा	0	0	-0.39
जीएसएल	2.28	0	2.28	2.88	-0.6	आधिक्य	0	0	0.6
एचएएल	66.41	0	73.78	77.29	-10.88	आधिक्य	-7.37	0	10.88
एचपीसीएल	126.38	0	156.38	156.87	-30.49	आधिक्य	-30	0	30.49
एचएससीसी	1.21	0.23	1.44	1.44	-0.23	आधिक्य	-0.23	0	0
हुडको	22.89	11.35	18.21	12.29	10.6	घाटा	4.68	7.06	-14.89
आईआइ एफसी	17.32	0	17.32	17.32	0	वही	0	0	0

आईओसी एल	327.94	3.11	327.94	331.05	-3.11	आधिक्य	0	0	0
इरकॉन	7.67	0.91	7.67	8.73	-1.06	आधिक्य	0	0	0.15
आईआरसीटीसी	4.91	0	5.68	5.43	-0.52	आधिक्य	-0.77	0	0.52
इरेडा	10.33	13.81	10.33	3.61	6.72	घाटा	0	11.57	-8.96
आईआरएफसीएल	39.97	23.06	39.97	13.21	26.76	घाटा	0	15.53	-34.29
आईटीपीओ	3.61	3.29	3.61	3.34	0.27	घाटा	0	3.29	-0.27
जेसीआई	0.32	0.17	0.32	0.27	0.05	घाटा	0	0.06	-0.16
केआईओसीएल	0	0.15	0.01	0.16	-0.16	आधिक्य	-0.01	0	0.01
केपीएल	8.99	0	8.94	2.22	6.77	घाटा	0.05	0	-6.77
केआरसीएल	1.54	1.1	1.54	1.06	0.48	घाटा	0	1.1	-0.48
एमसीएल	122.85	0	122.85	267.52	-144.67	आधिक्य	0	0	144.67
एमडीएल	16.63	20.64	16.63	24.35	-7.72	आधिक्य	0	12.76	-0.16
एमईसीएल	2.48	0	2.5	2.03	0.45	घाटा	-0.02	0	-0.45
मिधानी	3.24	0	3.24	3.28	-0.04	आधिक्य	0	0	0.04
एमओआईएल	9.22	0	9.22	9.62	-0.4	आधिक्य	0	0	0.4
एमआरपीएल	30.32	3.55	30.32	10.3	20.02	घाटा	0	1.17	-22.4
एमएसटीसी	2.13	0	2.15	2.15	-0.02	आधिक्य	-0.02	0	0.02
एनएएल	27.88	0	27.88	29.01	-1.13	आधिक्य	0	0	1.13
एनबीसीसी	8.76	0	8.76	8.95	-0.19	आधिक्य	0	0	0.19
एनसीएल	72.47	0	67.49	36.59	35.88	घाटा	4.98	0	-35.88
नीपको	8.27	0.0028	8.27	5.32	2.95	घाटा	0	0	-2.9528
एनएफएल	4.35	2.51	4.35	2.97	1.38	घाटा	0	0.99	-2.9
एनएचडीसी	20.03	7.05	27.08	21.07	-1.04	आधिक्य	-7.05	6.01	0
एनएचपीसी	59.52	0	59.52	38.55	20.97	घाटा	0	0	-20.97
एनएलसी	37.32	6.27	37.32	43.59	-6.27	ही	0	0	0
एनएमडीसी	121.03	0	121.02	169.37	-48.34	आधिक्य	0.01	25.79	74.13
एनपीसीआईएल	0.63	11.4	0.63	0.63	0	वही	0	10.92	-0.48
एनआरएल	40.98	4.97	40.98	46.25	-5.27	आधिक्य	0	0	0.3
एनएसआईसीएल	3.03	0	3.03	3.03	0	ही	0	0	0
एनटीपीसी	220.75	0	220.75	241.54	-20.79	आधिक्य	0	0	20.79
एनटीपीसी वीएनएल	1.77	0.11	1.77	1.7	0.07	घाटा	0	0.11	-0.07
एनटीपीएल	0	0	0	1.44	-1.44	आधिक्य	0	0	1.44
ओआईएल	61.76	0	133.78	100.58	-38.82	आधिक्य	-72.02	0	38.82
ओएनजीसी	487.04	15.31	487.04	503.44	-16.4	आधिक्य	0	15.14	16.23
पीएफसीएल	149.21	100.2	77.07	118.18	31.03	घाटा	72.14	49.4	-81.83
पीजीसी आईएल	157.94	123.38	157.94	157.99	-0.05	आधिक्य	0	123.33	0
पीएचएल	0.73	0	0.73	0.29	0.44	घाटा	0	0	-0.44
रेलटेल	3.68	0	3.7	0.76	2.92	घाटा	-0.02	0	-2.92

आरसीएफ	7.73	0	7.73	7.79	-0.06	आधिक्य	0	0	0.06
आरईसी	161.95	76.77	161.95	71.49	90.46	घाटा	0	54.73	-112.5
आरसीपीडीसी	1.13	0.63	1.09	0.95	0.18	घाटा	0.04	0.26	-0.55
आरआईटी ईएस	9.9	0	9.9	9.91	-0.01	आधिक्य	0	0	0.01
आरवीएन एल	7.23	0	7.67	7.67	-0.44	आधिक्य	-0.44	0	0.44
एससीआई	5.85	1.6	5.85	1.69	4.16	घाटा	0	0.01	-5.75
एसईसी आई - सौर	0.78	0	0.78	0.78	0	वही	0	0	0
एसईसीएल	93.3	186.35	93.3	93.62	-0.32	आधिक्य	0	186.03	0
एसजेवीएन	37.5	0	37.5	38.76	-1.26	आधिक्य	0	0	1.26
एसपीएमसीआईएल	4.59	0	5.5	4.66	-0.07	आधिक्य	-0.91	0	0.07
टीसीआई एल	0	0.08	1.39	1.16	-1.16	आधिक्य	-1.39	0.02	1.1
टीएचडीसी	16.18	0	16.5	16.2	-0.02	आधिक्य	-0.32	0	0.02
यूसीआईएल	2.5	0.68	1.92	1.92	0.58	घाटा	0.58	0	-1.26
डब्ल्यूएपी सीओएस	2.68	0	0	3.02	-0.34	आधिक्य	2.68	0	0.34
		968.7028							0
	3202.73	968.7028	3387.31	3266.03	-63.3		-184.58	732.99	-172.413

परिशिष्ट - XXI

(पैरा: 4.5.2.8 देखे)

उन राज्यों/योजनाओं की सूची जहां कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व केत हत राशि खर्च की गई है

क्रम. सं.	राज्य/योजना	सीएसआर व्यय (₹ करोड़ में)
1	ओड़िशा	387.86
2	छत्तीसगढ़	303.90
3	गुजरात	278.56
4	उत्तर प्रदेश	242.27
5	महाराष्ट्र	223.59
6	असम	184.56
7	आंध्र प्रदेश	175.22
8	तमिलनाडु	120.48
9	कर्नाटक	116.93
10	अरुणाचल प्रदेश	94.13
11	दिल्ली	83.45
12	मध्य प्रदेश	75.67
13	झारखंड	73.05
14	पश्चिम बंगाल	52.68
15	राजस्थान	51.44
16	उत्तराखंड	47.16
17	बिहार	43.07
18	तेलंगाना	40.80
19	हरियाणा	40.52
20	हिमाचल प्रदेश	38.60
21	केरल	36.06
22	जम्मू-कश्मीर	9.57
23	त्रिपुरा	8.07
24	पंजाब	7.92
25	सिक्किम	5.88
26	गोवा	3.65
27	मेघालय	2.64
28	पांडिचेरी	1.79

29	चंडीगढ़	1.54
30	लक्षद्वीप	1
31	मिजोरम	0.59
32	नागालैंड	0.57
33	मणिपुर	0.54
34	दादरा और नगर हवैली	0.20
35	अंडमान निकोबार	0.13
36	दमन और दीव	0
37	पैन इंडिया स्कीम	549.21
38	आरईसीएल द्वारा विभिन्न राज्यों/ योजनाओं में खर्च किया गया सीएसआर	22.04
39	प्रशासनिक व्यय	11.17
40	एमओआईएल के द्वारा इसकी स्थापना हेतु खर्च किया गया सीएसआर	1.5
41	एसईसीआई द्वारा विभिन्न राज्यों/ योजनाओं में खर्च किया गया सीएसई	0.78
	कुल	**3338.79***

* ₹ 0.19 करोड़ का अंतर राशि को लाख से करोड़ में राउंड ऑफ करने के कारण है।

परिशिष्ट-XXII

(पैरा: 4.5.3.5 देखे)

सीपीएसई द्वारा योजनावार सीएसआर खर्च

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई	एस.बी.	प्रतिशत	स्वच्छ गंगा	एस.बी. कोष	पीएमयूवाई	एसडीआई	एसओयू	आईआईपीई
1	एएआई	28.26	39.30	20	20				
2	एआईटी एसएल	0	0						
3	एआईईएल	0.1	20.83						
4	एंट्रिक्स	2.68	38.51	0	0	0	0		
5	बीडीएल	5.82	31.65		4.5				
6	बीईएल	3.19	13.12						
7	बीईएमएल	0	0						
8	भेल	0.1	1.36						
9	बीएलसी	1.25	28.54					0.62	
10	बीएलआई एल	0	0						
11	बीपीसीएल	68.77	41.43			36.67	5.5	45	
12	सीसीआई एल	0.08	88.89						
13	सीसीएल	21.45	46.96	0	0				
14	सीआईएल	0.89	3.66						
15	सीएमपीडीआईए ल	0.14	10.22						
16	कॉनकोर	2.95	18.19	0	1				
17	कॉनकॉर एयर	0.1	76.92		0.1				
18	सीपीसीएल	4.45	48	0.25	0.37	0.92			
19	सीएसएल	1.66	19.37	0.6					
20	सीडब्ल्यूसी	2.37	46.93		1.81				
21	ईसीजीसी	0.67	10.23	0	0.67				
22	ईआईएल	0.02	0.14				2.25	5	
23	गेल	7.06	7.7				1.5	25	
24	गेल गैस	0.41	51.90		0.02				

25	जीएसएल	0.86	29.86						
26	एचएएल	3.75	4.85						
27	एचपीसी एल	62.84	40.06			25.27	9		35
28	एचएससीसी	0	0.00	0.94					0
29	हुडको	8.78	71.44	0	8	0	0		
30	आईआई एफसी	0.7	4.04	0	0	0	0		
31	आईओसी एल	80.11	24.20			79.99	10	68.17	60
32	इरकॉन	2.51	28.75	1.45					
33	आईआरसी टीसी	0.91	16.76						
34	इरेडा	2.18	60						
35	आईआर एफसी	0	0	10.89					
36	आईटीपीओ	1	29.94	1	1				
37	जेसीएल	0.08	50.00						
38	केआईओ सीएल	0.12	80.00						
39	केपीएल	1.79	80.63	0	1.78				
40	केआरसीएल	0.05	4.72		0.05				
41	एमसीएल	24.72	9.24						
42	एमडीएल	4.58	18.81	1	2.7				
43	एमईसीएल	0.22	10.84						
44	मिधनी	0.75	22.87						
45	एमओआई एल	0.24	2.49						
46	एमआरपीएल	2.78	27.72					5	
47	एमएसटीसी	0	0.00						
48	एनएएल	13.46	46.40						
49	एनबीसीसी	2.89	32.29		2.89				
50	एनसीएल	0.23	0.63						
51	नीपको	0.18	3.38						
52	एनएफएल	0.47	15.82						
53	एनएचडीसी	9.87	46.84		1.53				
54	एनएचपीसी	21.7	56.29					5	
55	एनएलसी	0.5	1.34						
56	एनएमडीसी	18	10.63						

57	एनपीसीआईएल	4.81	7.63						
58	एनआरएल	10.42	25.24						
59	एनएसआईसीएल	1.03	33.99		1.03				
60	एनटीपीसी	32.4	13.41						
61	एनटीपीसीवीवीएन	0.02	1.18						
62	एनटीपीएल	0	0						
63	ऑयल	21.46	21.34				4.55		15
64	ओएनजीसी	184.46	36.64				6		60
65	पीएफसी एल	64.42	54.51		49				
66	पीजीसीआईएल	45.42	28.75		40			12.5	
67	पीएचएल	0.28	96.55		0.28				
68	रेलटेल	0	0	0					
69	आरसीएफ	0.46	5.91						
70	आरईसी	3.66	46.98						
71	आरईपीडीसीएल	0	0	0	0	0	0		
72	राइट्स	0.68	6.86		0.1				
73	आरवीएन एल	0.31	4.04						
74	एससीआई	0.15	8.88						
75	एसईसी आईएल	0.18	23.08	0.18	0.18	0	0		
76	एसईसीएल	6.18	6.60	10					
77	एसजेवीएन	0.43	1.11	0	0	0	0		
78	एसपीएमसीआई एल	1.8	38.63	0.5	1.5				
79	टीसीआई एल	0.46	39.66	0.23	0.23				
80	टीएचडीसी	1.06	6.54						
81	यूसीआई एल	0	0.00						
82	वैपकोस	0.23	7.62						
		799.01	**24.09**	**47.04**	**138.74**	**142.85**	**38.8**	**166.29**	**170**

परिशिष्ट -XXIII

(पैरा 4.5.5 देखे)

सीपीएसई द्वारा सीएसआर नीति का अनुपालन, निगरानी और रिर्पोटिंग

सीपीएसई	वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर नीति वेब लिंक	सीएसआर नीति में हस्तक्षेप के क्षेत्रों पर प्रकटन	सीएसआर नीति में कार्यान्वयन के मोड में प्रकटन	अधिशेषनिधि के प्रति पादन के संबंध में प्रकटीकरण	निगरानी संरचना का विवरण	वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर समितिकी संघटनका प्रकटीकरण	स्टैंडअलोन सीएसआर समिति	सीएसआर समिति में कम से कम संख्या में निदेशक	सीएसआर समिति में स्वतंत्र निदेशक	निर्धारित प्रारूप में प्रकटीकरण	पिछले तीन वित्त वर्ष में कंपनी का औसत निवल लाभ हानि का विवरण	व्यय की जाने वाली कुल राशि का विवरण	व्यय की गई राशि का विवरण	निर्धारित 2% व्यय करने वाली सीपीएसई	परियोजना पर प्रत्यक्ष और अतिरिक्त व्यय की पृथक रिपोर्टिंग	वार्षिक रिपोर्ट में प्रशासनिक व्यय का विवरण	5% की सीमा के भीतर प्रशासनिक व्यय	निर्धारित राशि व्यय नहीं करने के लिए कारण	दिए गए जवाबदेही विवरण
एएआई	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
एआईएटीएस एल	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	कोई नहीं	नहीं	कोई नहीं	हाँ	हाँ
एआईईएक्स	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	कोई नहीं	नहीं	कोई नहीं	हाँ	हाँ
एनट्रिक्स	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
बीडीएल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
बीईएल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
बीईएमएल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	नहीं	हाँ	कोई नहीं	हाँ
भेल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
बीएलसी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
बीएलआई	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	नहीं	हाँ	कोई नहीं	हाँ
बीपीसीएल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
सीसीआई	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	कोई नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
सीसीएल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
सीआईएल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
सीएमपीडी आईएल	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	कोई नहीं	नहीं	हाँ	कोई नहीं	हाँ
कॉनकोर एयर	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	कोई नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
कॉनकोर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	कोई नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ

सीपीसीएल	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
सीएसएल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
सीडब्ल्यूसी	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
ईसीजीसी	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	कोई नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
ईआईएल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	कोई नहीं	हाँ
गेल	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
गेल गैस	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	कोई नहीं	हाँ	हाँ
जीएसएल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	कोई नहीं	हाँ
एचएएल	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
एचपीसीएल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	कोई नहीं	हाँ
एचएससीसी	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	कोई नहीं	नहीं	नहीं	कोई नहीं	नहीं
हुडको	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	कोई नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
आईआईएफसीएल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
आईओसीएल	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
इरकॉन	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
आईआरसीटीसी	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
आईआरईडीए	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
आईआरएफसी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
आईटीपीओ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
जेसीआई	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	कोई नहीं	हाँ	हाँ
केआईओसीएल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	नहीं	हाँ	कोई नहीं	हाँ
केपीएल	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
केआरसीएल	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	कोई नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
एमसीएल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	हाँ
एमडीएल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

एमईसीएल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	कोई नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
मिधानी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	हाँ
एमओआईए ल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	कोई नहीं	नहीं	कोई नहीं	हाँ	हाँ
एमआरपीएल	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	कोई नहीं	नहीं	कोई नहीं	हाँ	हाँ
एमएसटीसी	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
कोई नहींएल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	कोई नहीं	हाँ
एनबीसीसी	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
एनसीएल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	कोई नहीं	नहीं	कोई नहीं	हाँ	हाँ
नीपको	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
एनएफएल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
एनएचडीसी	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
एनएचपीसी	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
एनएलसी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
एनएमडीसी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	नहीं	हाँ	कोई नहीं	हाँ
एनपीसीआई एल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	हाँ
एनआरएल	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
एनएसआईसी	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	नहीं
एनटीपीसी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	हाँ
एनटीपीसीवि वि	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	कोई नहीं	नहीं	कोई नहीं	हाँ	हाँ
एनटीपीएल	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	हाँ
ओआईएल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	हाँ
ओएनजीसी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
पीएफसीएल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
पीजीसीएल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	कोई नहीं	हाँ
पीएचएल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	कोई नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
रेलटेल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	कोई नहीं	नहीं	कोई नहीं	हाँ	हाँ

आरसीएफ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	हाँ
आरईसीएल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
राइट्स	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	कोई नहीं	हाँ
आरपीडीसी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	कोई नहीं	नहीं	कोई नहीं	हाँ	हाँ
आरवीएनएल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
एससीआई	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
एसईसीआई	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	नहीं	नहीं	कोई नहीं	नहीं
एसईसीएल	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	कोई नहीं	हाँ
एसजेवीएन	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
एसपीएमसी आईएल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
टीसीआईएल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
टीएचडीसी	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	कोई नहीं	हाँ
यूसीआईएल	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	कोई नहीं	हाँ	नहीं
वैपकोस	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	हाँ
हाँ	**62**	**81**	**77**	**44**	**72**	**80**	**76**	**80**	**70**	**78**	**77**	**81**	**77**	**43**	**43**	**39**	**69**	**36**	**76**
नहीं	**20**	**1**	**5**	**38**	**9**	**2**	**6**	**2**	**12**	**4**	**5**	**1**	**5**	**39**	**10**	**43**	**9**	**3**	**6**
कोई नहीं	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29**	**0**	**4**	**43**	**0**
कुल	**82**	**82**	**82**	**82**	**81**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**

परिशिष्ट - XXIV
(पैरा 5.5 देंखे)

"प्रशासनिक मंत्रालयों और मिनीरत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापनों का विश्लेषण" अध्याय के अंतर्गत शामिल सीपीएसई की सूची

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	2016-17	2017-18 के लिए समझौता ज्ञापन रेटिंग
1	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआइएल)	नौवहन मंत्रालय	अच्छा	अच्छा
2	कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल) लिमिटेड	इस्पात मंत्रालय	अच्छा	अच्छा
3	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)	इस्पात मंत्रालय	बहुत अच्छा	अच्छा
4	मेकॉन लिमिटेड	इस्पात मंत्रालय	अच्छा	अच्छा
5	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	उत्कृष्ठ	उत्कृष्ठ
6	मंगलौर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	उत्कृष्ठ	उत्कृष्ठ
7	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसी)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसमंत्रालय	बहुत अच्छा	उत्कृष्ठ
8	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	उत्कृष्ठ	उत्कृष्ठ
9	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	कोयला मंत्रालय	बहुत अच्छा	अनुपलब्ध
10	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	कोयला मंत्रालय	बहुत अच्छा	अनुपलब्ध
11	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	अच्छा	खराब
12	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
13	मेटल्स एण्ड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट

14	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	अच्छा	बहुत अच्छा
15	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा
16	आवास और शहरी विकास निगम(हुडको)	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
17	एनएचपीसी लिमिटेड	ऊर्जा मंत्रालय	अच्छा	बहुत अच्छा

परिशिष्ट - XXV
(पैरा 6.4 देंखे)

अध्ययन में शामिल सीपीएसई की सूची

क्रम सं	सीपीएसई का नाम	टिप्पणियां
1	हिंदुस्तान फ़्लुरोकार्बन लिमिटेड	सूचीबद्ध सीपीएसई
2	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	सूचीबद्ध सीपीएसई
3	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	असूचीबद्ध
4	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	असूचीबद्ध
5	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	असूचीबद्ध
6	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	असूचीबद्ध
7	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	असूचीबद्ध
8	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध
9	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध
10	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	लिस्टेड
11	कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध
12	चेन्नई-एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	असूचीबद्ध
13	हसन मैंगलोर रेल डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड	असूचीबद्ध
14	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध
15	इरकॉन डावनगेरे हावेरी हाइवे लिमिटेड	असूचीबद्ध 11-05-2017 को शामिल
16	सूरत इंटीग्रेटिड ट्रासपोर्टेशन डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध 17-10-2017 को शामिल

17	स्कूटर इंडिया लिमिटेड	सूचीबद्ध
18	हिमाचल रिन्युएबल्स लिमिटेड	असूचीबद्ध
19	कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध
20	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध
21	मेकॉन लिमिटेड	असूचीबद्ध
22	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	असूचीबद्ध
23	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	असूचीबद्ध
24	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	सूचीबद्ध
25	एसटीसी लिमिटेड	सूचीबद्ध

परिशिष्ट-XXIV

(पैरा 7.2 देंखे)

अनुसंधान और विकास पर व्यय के लिए अध्याय में शामिल सीपीएसई की सूची

क्रम सं	सीपीएसई का नाम	सीपीएसई की श्रेणी
1	बीईएमएल लिमिटेड	मिनिरत्न
2	इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अन्य
3	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	नवरत्न
4	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	नवरत्न
5	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	मिनिरत्न
6	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	महारत्न
7	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	नवरत्न
8	गेल (इंडिया) लिमिटेड	महारत्न
9	ऑयल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	महारत्न
10	ऑयल इंडिया लिमिटेड	नवरत्न
11	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नवरत्न
12	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नवरत्न
13	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	महारत्न
14	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	मिनिरत्न
15	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	महारत्न
16	एनएमडीसी लिमिटेड	नवरत्न

17	एनटीपीसी लिमिटेड	महारत्न
18	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अन्य
19	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नवरत्न
20	आईटीआई लिमिटेड	अन्य
21	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	नवरत्न

परिशिष्ट - XXVII

(पैरा 7.5.2.2 देंखे)

सीपीएसई और उन वर्षों की सूची जिसमें आर एंड डी बजट का 100 *प्रतिशत* उपयोग किया गया था

क्रम सं	सीपीएसई का नाम	वर्ष जिसमें आर एंड डी बजट का 100 *प्रतिशत* उपयोग किया गया था
1	ऑयल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	2013-14, 2014- 15 और 2016-17
2	गेल इंडिया लिमिटेड	2013-14 से 2016 -17
3	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	2013- 14 से 2017-18
4	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16
5	एनटीपीसी लिमिटेड	2013-14 से 2017-18
6	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14, 2016- 17 और 2017-18
7	ऑयल इंडिया लिमिटेड	2014- 15 से 2017-18
8	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	2016-17
9	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16
10	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	2016-17
11	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	2013- 14 से 2017-18
12	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	2013- 14 से 2017-18

परिशिष्ट - XXVIII
(पैरा 8.5.2 देखें)

एमएमटीसी शेयर मूल्य की प्रवृति (बीएसई से)

(₹ राशि में)

तिथि	ओपन कीमत	उच्च कीमत	न्यूनतम कीमत	क्लोज कीमत
31-जनवरी-18	60.3	61.9	60.2	61.15
30-जनवरी-18	61	61.75	60.15	60.45
29-जनवरी-18	62.65	63.35	61.15	61.25
25-जनवरी-18	62.65	63.65	62.4	62.6
24-जनवरी-18	64.3	64.85	62.7	62.9
23-जनवरी-18	65.1	66.4	64.55	64.85
22-जनवरी-18	64.65	66.25	64.45	64.95
19-जनवरी-18	64.35	65.15	63.5	64.2
18-जनवरी-18	66.2	67.7	64.2	64.75
17-जनवरी-18	65.1	67.4	64.3	66.35
16-जनवरी-18	68.2	68.55	65.9	66.15
15-जनवरी-18	68.6	68.9	67.75	67.85
12-जनवरी-18	68.5	69.45	67.55	67.9
11-जनवरी-18	68.5	69.45	68.3	68.6
10-जनवरी-18	69.5	70.4	68.1	68.45
09-जनवरी-18	71	71.45	69	69.25
08-जनवरी-18	71.45	71.9	70.35	70.65
05-जनवरी-18	71.35	72.5	70.55	70.95
04-जनवरी-18	71.65	73.2	71.15	71.4
03-जनवरी-18	71.3	73.5	70.95	71.35
02-जनवरी-18	73.85	73.85	70.7	71.05
01-जनवरी-18	73.25	74.6	72.95	73.1
29-दिसम्बर-17	75.9	76.4	72.9	73.25
28-दिसम्बर-17	73.95	77.25	73.9	75.1
27-दिसम्बर-17	71.5	76.1	71.5	73.45
26-दिसम्बर-17	72.1	72.5	71.2	71.45
22-दिसम्बर-17	72.1	73.9	71.5	71.9
21-दिसम्बर-17	72.5	72.6	71.7	71.9
20-दिसम्बर-17	72	74.15	71.5	71.8
19-दिसम्बर-17	71	72	71	71.6
18-दिसम्बर-17	71	71.7	68	70.6

तिथि	ओपन कीमत	उच्च कीमत	न्यूनतम कीमत	क्लोज कीमत
15-दिसम्बर-17	72.1	72.75	71.1	71.25
14-दिसम्बर-17	72.5	73.35	71.05	71.7
13-दिसम्बर-17	71.2	73.4	70.2	71
12-दिसम्बर-17	71	73	69.95	70.45
11-दिसम्बर-17	72	72.6	70.8	71.2
08-दिसम्बर-17	72	73.85	71.25	71.35
07-दिसम्बर-17	71	73.35	70.8	71.8
06-दिसम्बर-17	71.35	72.1	69.25	69.85
05-दिसम्बर-17	72.9	73.25	71.4	71.55
04-दिसम्बर-17	75.8	76.4	72.6	72.9
01-दिसम्बर-17	75.3	77.25	74.35	74.9
30-नवम्बर-17	77.3	78.2	74.5	74.9
29-नवम्बर-17	79.05	79.45	77	77.3
28-नवम्बर-17	78	81.8	78	78.6
27-नवम्बर-17	77	79.7	76.35	78.75
24-नवम्बर-17	77.5	79.7	76.65	76.8
23-नवम्बर-17	79.5	80.25	77.9	78.1
22-नवम्बर-17	80	81.15	78	78.9
21-नवम्बर-17	80.7	83	78.9	79.25
20-नवम्बर-17	80.5	83.4	78.2	80.65
17-नवम्बर-17	82.9	84.35	80.3	80.95
16-नवम्बर-17	75	81.75	73.45	80.6
15-नवम्बर-17	79.9	79.9	72.75	74.35
14-नवम्बर-17	83.9	83.9	77.75	78.6
13-नवम्बर-17	87	87.6	81.5	82.7
10-नवम्बर-17	86.7	88.4	84	84.85
09-नवम्बर-17	86	90.3	82.3	88.1
08-नवम्बर-17	97	97	86.2	86.2
07-नवम्बर-17	98.8	101.6	94	95.75
06-नवम्बर-17	73.4	87.45	72.3	86.9
03-नवम्बर-17	75.25	75.6	72.25	73.1
02-नवम्बर-17	71.2	77.85	69.4	74.5
01-नवम्बर-17	63.55	71.45	63.55	70.5
31-अक्टूबर-17	64.5	64.55	63.1	63.3
30-अक्टूबर-17	66.65	66.8	64	64.4
27-अक्टूबर-17	62.35	65.7	61.7	65.3
26-अक्टूबर-17	60.75	63.2	60.2	61.9

तिथि	ओपन कीमत	उच्च कीमत	न्यूनतम कीमत	क्लोज कीमत
25-अक्टूबर-17	59.3	61.4	58.6	60.65
24-अक्टूबर-17	59.2	60.25	57.35	59.1
23-अक्टूबर-17	59.7	60.6	58.8	59.2
19-अक्टूबर-17	60.4	60.6	59.35	59.65
18-अक्टूबर-17	60.45	61.6	60.3	60.5
17-अक्टूबर-17	60.6	61.7	60.35	60.7
16-अक्टूबर-17	61.75	62.1	60.45	60.55
13-अक्टूबर-17	63.3	63.45	61	61.4
12-अक्टूबर-17	67	67.5	62.8	63.1
11-अक्टूबर-17	61.3	65.3	60.75	62.95
10-अक्टूबर-17	59.5	61.3	59.45	60.1
09-अक्टूबर-17	60.1	60.7	59.2	59.35
06-अक्टूबर-17	58.75	61.15	58.55	59.95
05-अक्टूबर-17	57	59.65	57	58.2
04-अक्टूबर-17	56.5	57.4	56.4	56.7
03-अक्टूबर-17	56.65	57	55.85	56.05
29-सितम्बर-17	56.7	57.2	56	56.15
28-सितम्बर-17	56	56.65	55.7	56
27-सितम्बर-17	57.9	58.25	55.4	55.6
26-सितम्बर-17	56.75	58.1	56.6	57.35
25-सितम्बर-17	59.2	59.35	56.4	56.5
22-सितम्बर-17	62.5	62.5	59	59.2
21-सितम्बर-17	62.75	63.5	61.05	62.7
20-सितम्बर-17	60.6	64.3	60	62.45
19-सितम्बर-17	60.5	61.7	59.5	60.3
18-सितम्बर-17	60	60.6	59.15	59.55
15-सितम्बर-17	59.45	60.35	58.7	59.15
14-सितम्बर-17	59.4	60.75	58.7	59.85
13-सितम्बर-17	60.6	60.75	58.75	59.1
12-सितम्बर-17	59	62.1	59	60.25
11-सितम्बर-17	59.35	60.5	59.05	59.2
08-सितम्बर-17	61.25	62.55	59.55	59.85
07-सितम्बर-17	59.5	62.35	58.2	60.75
06-सितम्बर-17	58.1	59.9	58.1	59.2
05-सितम्बर-17	58.1	59.5	58.1	58.9
04-सितम्बर-17	58.6	59.15	57.7	58.45
01-सितम्बर-17	57.5	59.25	57.35	58.3

तिथि	ओपन कीमत	उच्च कीमत	न्यूनतम कीमत	क्लोज कीमत
30-जून-17	56.6	57.5	56.6	57
29-जून-17	57.2	57.6	56.9	57.15
28-जून-17	56.2	57.3	56.2	56.55
27-जून-17	56.8	57.7	56	56.3
23-जून-17	59.85	59.85	56.4	56.8
22-जून-17	59.65	61.65	59.05	59.35
21-जून-17	59.7	60.3	59.1	59.2
20-जून-17	61.1	61.3	59.2	59.65
19-जून-17	61.6	62.1	60.8	60.9
16-जून-17	62.25	63.3	60.85	61.05
15-जून-17	61.95	63.7	61.8	62.25
14-जून-17	61.35	62.9	61	61.8
13-जून-17	61.55	62.4	60.8	61.05
12-जून-17	61.4	62.4	60.4	61.1
09-जून-17	62.9	63.2	61	61.8
08-जून-17	56.25	64.6	55.5	63.05
07-जून-17	55.65	56.95	55.3	55.95
06-जून-17	56.9	57	55.05	55.2
05-जून-17	57	57.6	56.45	56.8
02-जून-17	56.5	56.95	56.5	56.8
01-जून-17	56.3	57.05	56	56.35
31-मई-17	55.85	57.3	55.85	56.2
30-मई-17	58.7	58.7	54.8	55.85
29-मई-17	59.7	60.9	58.85	59.15
26-मई-17	57	59.3	56.15	58.85
25-मई-17	57.05	57.4	55.9	56.7
24-मई-17	59.95	60	56	56.45
23-मई-17	62.5	62.5	59.25	59.65
22-मई-17	64.25	64.25	62.2	62.35
19-मई-17	64.5	65	62.9	63.1
18-मई-17	64.25	66.5	63.5	64.05
17-मई-17	65.4	65.85	64.8	65.05
16-मई-17	66.75	67	64.7	65.1
15-मई-17	64.65	66.7	64.2	66.35
12-मई-17	65.65	65.65	64.1	64.55
11-मई-17	66.35	66.75	64.85	65.1
10-मई-17	66.5	67.65	66.05	66.2

तिथि	ओपन कीमत	उच्च कीमत	न्यूनतम कीमत	क्लोज कीमत
09-मई-17	65.7	67.3	65.05	65.9
08-मई-17	64.8	66	64.8	65.15
05-मई-17	66.8	66.9	64.5	64.75
04-मई-17	68.5	68.7	66.8	67.1
03-मई-17	68	69.8	66.65	68.3
02-मई-17	66.65	68.2	66.5	67.5
28-Apr-17	67.2	67.2	65.5	65.85
27-अप्रैल-17	67.2	67.4	66.05	66.35
26-अप्रैल-17	68.5	69.95	65.75	66.8
25-अप्रैल-17	69.8	69.9	67.05	68.2
24-अप्रैल-17	69.65	71	68.35	69
21-अप्रैल-17	64.15	67.8	63.8	67.1
20-अप्रैल-17	64.35	64.5	63.3	63.65
19-अप्रैल-17	63.3	64.6	63	63.4
18-अप्रैल-17	63.95	65.7	63.25	63.4
17-अप्रैल-17	63.4	64.25	62.9	63.35
13-अप्रैल-17	62.95	64.3	62.4	63.3
12-अप्रैल-17	64.25	64.4	62.2	62.65
11-अप्रैल-17	63.85	65.4	63.3	63.95
10-अप्रैल-17	64.6	64.6	63.05	63.5
07-अप्रैल-17	64.6	65.2	63.3	63.6
06-अप्रैल-17	64.55	66.25	64.2	64.95
05-अप्रैल-17	62.6	65.45	62.6	64.55
03-अप्रैल-17	62.4	63.5	62.2	62.55
31-मार्च-17	61.5	63.65	61.35	61.95
30-मार्च-17	61.4	62.1	61	61.5
29-मार्च-17	61.9	62.25	60.4	60.75
28-मार्च-17	62.3	63.75	61.3	61.55
27-मार्च-17	64.25	64.4	62.05	62.35
24-मार्च-17	63.5	65.85	63.25	63.8
23-मार्च-17	60.35	65.05	60.15	63.15
22-मार्च-17	60.5	60.8	59.7	59.9
21-मार्च-17	62.05	62.85	60.5	61.1

तिथि	ओपन कीमत	उच्च कीमत	न्यूनतम कीमत	क्लोज कीमत
20-मार्च-17	62.5	62.8	61.55	61.7
17-मार्च-17	64.35	64.45	62	62.3
16-मार्च-17	62	64.85	61.8	63.95
15-मार्च-17	59.2	63.1	59	61.5
14-मार्च-17	59.8	59.9	58.7	58.85
10-मार्च-17	59.3	59.85	58	58.25
09-मार्च-17	60.6	60.65	58.8	59
08-मार्च-17	62.6	63.05	59.6	60.4
07-मार्च-17	64.1	64.1	62	62.2
06-मार्च-17	63.55	65.6	63.5	63.8
03-मार्च-17	63.5	64.25	62.8	63.2
02-मार्च-17	65.65	65.75	63.5	63.7
01-मार्च-17	63.45	66	63.2	64.65
28-फरवरी-17	63	64	62.7	62.95
27-फरवरी-17	64.3	64.4	62.75	63.1
23-फरवरी-17	64.55	64.55	63	63.4
22-फरवरी-17	65.45	65.5	63.9	64.05
21-फरवरी-17	64.3	65.65	63.85	65.05
20-फरवरी-17	64	64.95	63	64.05
17-फरवरी-17	64.7	65.35	63.55	63.8
16-फरवरी-17	64.6	65	63.25	64.3
15-फरवरी-17	66.6	67.1	63.8	64.35
14-फरवरी-17	65.1	67.6	65.1	66.2
13-फरवरी-17	64.1	64.65	62.75	63
10-फरवरी-17	64	64.9	63.2	63.6
09-फरवरी-17	64	64.4	63.2	63.35
08-फरवरी-17	64.15	64.7	63.25	63.55
07-फरवरी-17	64.4	65.35	63.2	63.55
06-फरवरी-17	64.7	65.6	63.9	64.3
03-फरवरी-17	64.65	65.5	64	64.2
02-फरवरी-17	64.7	65.85	63.7	64.3
01-फरवरी-17	63.2	66.75	62.5	64.35
31-जनवरी-17	64.55	64.55	62.6	62.8

तिथि	ओपन कीमत	उच्च कीमत	न्यूनतम कीमत	क्लोज कीमत
30-जनवरी-17	66.1	66.25	63.65	64.15
27-जनवरी-17	67	67.3	65.5	65.9
25-जनवरी-17	66.7	67.7	66.2	66.75
24-जनवरी-17	66.5	67	65.7	65.95
23-जनवरी-17	65	67.5	64.95	65.95
20-जनवरी-17	68.1	70.5	64.5	64.8
19-जनवरी-17	69.1	69.6	67.65	67.85
18-जनवरी-17	70	71.05	68.45	68.8
17-जनवरी-17	70.65	71.8	69.35	69.75
16-जनवरी-17	70.5	72.4	69.75	70.7
13-जनवरी-17	71.8	72.4	70.35	70.65
12-जनवरी-17	69.5	73.85	68.65	71.45
11-जनवरी-17	69.05	71.4	69.05	69.35
10-जनवरी-17	70.4	70.7	67.4	69
09-जनवरी-17	62.25	71.6	62.2	70.4
06-जनवरी-17	64.6	64.6	62.05	62.25
05-जनवरी-17	62.6	65.45	61.65	64
04-जनवरी-17	61.5	63.45	61.25	61.6
03-जनवरी-17	64.1	64.25	60.2	61.55
02-जनवरी-17	53	63.3	52.25	61.75

एसटीसी शेयर मूल्य प्रवृत्ति (बीएसई से)

(₹ राशि में)

तिथि	ओपन कीमत	उच्च कीमत	न्यूनतम कीमत	क्लोज कीमत
29-दिसम्बर-17	186.1	192.5	186.1	188.45
28-दिसम्बर-17	178.9	185.35	175.5	185.35
27-दिसम्बर-17	175.1	181.4	175.1	176.55
26-दिसम्बर-17	175	179.2	170.85	177.95
22-दिसम्बर-17	174.15	181.4	174.15	176.95
21-दिसम्बर-17	178	181.5	175.05	176.25
20-दिसम्बर-17	173.7	182	173.7	179.3
19-दिसम्बर-17	174.5	176.9	173.1	173.8
18-दिसम्बर-17	177.1	177.1	169.55	174
15-दिसम्बर-17	182.9	185	177.1	178
14-दिसम्बर-17	177.5	177.5	177.5	177.5
13-दिसम्बर-17	171	173.8	168.6	169.05
12-दिसम्बर-17	170	173	166.8	168.55
11-दिसम्बर-17	172	176	169	172.05
08-दिसम्बर-17	173.45	175	168	171.3
07-दिसम्बर-17	165.1	173.95	165.1	170.1
06-दिसम्बर-17	172	173.8	167	168.3
05-दिसम्बर-17	170.5	174.7	167	172.5
04-दिसम्बर-17	177.05	177.05	172.1	173.4
01-दिसम्बर-17	179	185	171.2	176.25
30-नवम्बर-17	182.25	184.8	179	179.8
29-नवम्बर-17	184	190	181	183.35
28-नवम्बर-17	188.25	192	184	185.4
27-नवम्बर-17	187	194	187	189.25
24-नवम्बर-17	195	195	184.8	186.6
23-नवम्बर-17	187	195.3	184.5	191.55
22-नवम्बर-17	192	196	184.6	189
21-नवम्बर-17	198	205	192	194
20-नवम्बर-17	205	206	197.85	199.85

तिथि	ओपन कीमत	उच्च कीमत	न्यूनतम कीमत	क्लोज कीमत
17-नवम्बर-17	220	220	208.25	208.25
16-नवम्बर-17	199.4	220.3	199.4	219.2
15-नवम्बर-17	210.1	210.1	209.85	209.85
14-नवम्बर-17	232.05	237	220.85	220.85
13-नवम्बर-17	244.35	248.5	230.15	232.45
10-नवम्बर-17	247	254.9	238.65	242.6
09-नवम्बर-17	250	265	239	255
08-नवम्बर-17	281.7	282.7	252.65	252.65
07-नवम्बर-17	293	299	275.75	280.7
06-नवम्बर-17	227.9	273.6	224.8	272.6
03-नवम्बर-17	235.5	238	225.2	228
02-नवम्बर-17	221	247.65	213.1	233.7
01-नवम्बर-17	184.6	219.35	183.65	218
31-अक्टूबर-17	183.35	185.25	180.1	182.8
30-अक्टूबर-17	183.05	187.5	181	182.55
27-अक्टूबर-17	180.6	184.5	178.9	179.95
26-अक्टूबर-17	175	186.6	174	178.95
25-अक्टूबर-17	174.95	176.5	171	174.95
24-अक्टूबर-17	168	176.9	168	173.4
23-अक्टूबर-17	173.05	177.5	169.35	170.15
19-अक्टूबर-17	177.45	178.25	173	175.2
18-अक्टूबर-17	178.4	180.5	176.15	177.25
17-अक्टूबर-17	173	182.3	173	178.3
16-अक्टूबर-17	179.75	182	177	177.7
13-अक्टूबर-17	182.8	184.1	177.5	178.6
12-अक्टूबर-17	187.5	189.9	178.8	181.6
11-अक्टूबर-17	173	196.95	171.1	182.4
10-अक्टूबर-17	167.7	174.8	163	169.85
09-अक्टूबर-17	168.15	170	165.8	166.8
06-अक्टूबर-17	164.25	172.95	163.95	166.2

तिथि	ओपन कीमत	उच्च कीमत	न्यूनतम कीमत	क्लोज कीमत
05-अक्टूबर-17	161.3	165.75	161.3	162.15
04-अक्टूबर-17	157.9	163.8	157.9	161.3
03-अक्टूबर-17	157.8	159.6	155.85	156.05
29-सितम्बर-17	158.5	160	152.6	155.1
28-सितम्बर-17	155	158	154.25	155.25
27-सितम्बर-17	160.85	162.4	153.8	154.65
26-सितम्बर-17	157.95	163.15	157.95	159.05
25-सितम्बर-17	164.45	164.45	156	157.7
22-सितम्बर-17	174	174.95	163	164.5
21-सितम्बर-17	175	181.35	171.15	174.8
20-सितम्बर-17	169.55	183	169.4	173.55
19-सितम्बर-17	163.55	172.9	163.05	169.4
18-सितम्बर-17	160.9	164.8	160.85	162.25
15-सितम्बर-17	162	162.7	157.5	158.9
14-सितम्बर-17	161.25	162.5	158.75	160.75
13-सितम्बर-17	163	163.6	158.6	159.45
12-सितम्बर-17	161.45	165	161.45	162.05
11-सितम्बर-17	160.85	162	160	160.6
08-सितम्बर-17	163.25	165.9	159	159.85
07-सितम्बर-17	161.4	169.4	159.15	163.1
06-सितम्बर-17	159	163.6	158.7	159.85
05-सितम्बर-17	156.5	162.85	156.5	159.95
04-सितम्बर-17	160	161.2	157	157.5
01-सितम्बर-17	158.75	163.4	158.75	160.2
30-जून-17	156	156.85	153.65	154.25
29-जून-17	157.85	158.95	155.15	155.95
28-जून-17	155	159.25	154.05	155.3
27-जून-17	161	161.95	154.6	155.3
23-जून-17	167.6	167.6	161	162.2
22-जून-17	167	172.95	166	167.05

तिथि	ओपन कीमत	उच्च कीमत	न्यूनतम कीमत	क्लोज कीमत
21-जून-17	167.55	169.05	165.4	166
20-जून-17	170.8	171.75	165.05	166.8
19-जून-17	173.8	175.6	169.05	169.85
16-जून-17	175.8	178.8	170.2	171.45
15-जून-17	170.5	178.4	170	173.65
14-जून-17	168.7	175.8	167	168.25
13-जून-17	169.75	173.8	166.2	167.45
12-जून-17	170.2	174.9	167	168.05
09-जून-17	175.75	177	169.25	170.25
08-जून-17	154	181.5	151.5	175.85
07-जून-17	149	156.75	148	152.25
06-जून-17	151.7	151.9	145.6	146.45
05-जून-17	148.15	153.6	148.15	150.25
02-जून-17	146.45	150.3	145.5	149
01-जून-17	143.95	148.75	143.95	145.4
31-मई-17	146.35	146.35	143.5	144.25
30-मई-17	144.6	146.35	142.15	145.3
29-मई-17	152.2	152.25	143.55	144.7
26-मई-17	143.95	154.5	143.05	149.9
25-मई-17	141.7	147	140.65	142.75
24-मई-17	151	151.2	140	140.35
23-मई-17	155	155	148.2	150.9
22-मई-17	159.2	159.4	153	154.3
19-मई-17	161.15	163.85	157	158.05
18-मई-17	163	169.9	160.1	161.55
17-मई-17	167.3	168.8	165.8	166.7
16-मई-17	169.5	169.55	167.15	167.8
15-मई-17	168.3	170.15	166.75	168.5
12-मई-17	171	171.05	165.8	166.4
11-मई-17	171.3	173.5	170.65	171.25

तिथि	ओपन कीमत	उच्च कीमत	न्यूनतम कीमत	क्लोज कीमत
10-मई-17	168.4	174.45	168.4	171.4
09-मई-17	168	171.2	167.5	168
08-मई-17	168.55	169.95	167	167.7
05-मई-17	172	172.65	165.25	166.1
04-मई-17	174.85	175	171.1	172.2
03-मई-17	173.3	177.9	172.45	172.9
02-मई-17	174.5	176.5	171.7	173.35
28-अप्रैल-17	176.7	177.5	173.5	174.45
27-अप्रैल-17	176.7	178	174.35	175.45
26-अप्रैल-17	183	183.9	174	175.25
25-अप्रैल-17	177.8	181	177	177.55
24-अप्रैल-17	179.5	181.35	176.2	177.9
21-अप्रैल-17	177	181.75	176	177.75
20-अप्रैल-17	176	178.9	176	177.25
19-अप्रैल-17	176.5	177.7	172.65	174.85
18-अप्रैल-17	181.7	185.25	174.5	175.45
17-अप्रैल-17	182	187	180.5	181.7
13-अप्रैल-17	171.7	183.9	171.7	180.2
12-अप्रैल-17	174.25	174.95	170	170.45
11-अप्रैल-17	170.5	177	170	173.6
10-अप्रैल-17	170	172	166.1	168.9
07-अप्रैल-17	174.9	177	168.4	169.35
06-अप्रैल-17	173.5	177.8	171.5	174.1
05-अप्रैल-17	162.4	170.45	162.4	170.45
03-अप्रैल-17	158.5	163.65	156	162.35
31-मार्च-17	156.5	162.5	156.5	158.95
30-मार्च-17	157	160.1	156.2	156.8
29-मार्च-17	160.1	160.7	155.25	155.9
28-मार्च-17	160	162.7	158.2	159
27-मार्च-17	160.1	162.15	154.95	158.65

तिथि	ओपन कीमत	उच्च कीमत	न्यूनतम कीमत	क्लोज कीमत
24-मार्च-17	162.3	163.5	159.5	160
23-मार्च-17	157	162.4	157	160.55
22-मार्च-17	158.25	158.8	155	155.7
21-मार्च-17	161.2	163.45	158.35	158.9
20-मार्च-17	160.25	162.95	159	160.45
17-मार्च-17	163	167.5	159.05	161.1
16-मार्च-17	155	162.35	153	161.95
15-मार्च-17	152	158.4	151	154.65
14-मार्च-17	155	156	151.5	151.8
10-मार्च-17	158	158.4	150.2	153.45
09-मार्च-17	161.9	161.9	155.7	156.4
08-मार्च-17	161.6	161.9	158.4	159
07-मार्च-17	163.65	163.65	159.8	161.25
06-मार्च-17	164.9	169.75	162.65	163.15
03-मार्च-17	160.7	163.95	160.3	162.45
02-मार्च-17	165.25	168.9	160.5	161.85
01-मार्च-17	160	166.4	159.7	163.95
28-फरवरी-17	159.25	161.25	157.75	158.5
27-फरवरी-17	157	162.95	157	158.45
23-फरवरी-17	162.45	167	157.8	158.2
22-फरवरी-17	162.45	164	158.8	159.25
21-फरवरी-17	160.8	165.4	160.6	161.3
20-फरवरी-17	158.55	163.4	157	160.6
17-फरवरी-17	160.45	162.35	157	157.75
16-फरवरी-17	162	166	154.1	159.45
15-फरवरी-17	165.6	168.8	160.4	160.8
14-फरवरी-17	168.9	172.7	167	168.8
13-फरवरी-17	171	171.45	161.1	166.65
10-फरवरी-17	166.8	174.1	165	169.25
09-फरवरी-17	167.85	169.15	165	165.95

तिथि	ओपन कीमत	उच्च कीमत	न्यूनतम कीमत	क्लोज कीमत
08-फरवरी-17	163.6	170.5	163.45	165.9
07-फरवरी-17	172.05	173.25	163.5	164.65
06-फरवरी-17	176.35	177.15	170.25	171.4
03-फरवरी-17	174.2	178.8	172	174.25
02-फरवरी-17	173	178.5	173	174.15
01-फरवरी-17	173.5	179.3	166.65	172.35
31-जनवरी-17	182	182	173.15	173.6
30-जनवरी-17	191.1	192	182.25	182.25
27-जनवरी-17	201.9	203.65	191.75	191.8
25-जनवरी-17	206.85	210.9	200.2	201.8
24-जनवरी-17	203.5	205.25	200.4	203.8
23-जनवरी-17	203.8	206.35	200.05	201.25
20-जनवरी-17	211.7	214.65	201.4	201.65
19-जनवरी-17	219	225.25	211.5	212
18-जनवरी-17	233	238.2	222.4	222.4
17-जनवरी-17	235.5	242.4	226	234.1
16-जनवरी-17	223.6	232.7	221.9	232.7
13-जनवरी-17	214	221.65	211.55	221.65
12-जनवरी-17	218.25	229	211	211.1
11-जनवरी-17	222.5	231.85	217.15	221.2
10-जनवरी-17	240	251	227.9	227.9
09-जनवरी-17	229.7	239.85	229.7	239.85
06-जनवरी-17	222.8	228.45	221.55	228.45
05-जनवरी-17	196.9	217.6	196.9	217.6
04-जनवरी-17	207.25	207.25	207.25	207.25
03-जनवरी-17	218.15	218.15	218.15	218.15
02-जनवरी-17	209	229.6	209	229.6

परिशिष्ट-XXIX

(पैरा 8.8.1 देखे)

भारत 22 ईटीएफ - सीपीएसई स्टॉक्स का विवरण

क्रम. सं.	कंपनी का नाम	संदर्भ बाजार मूल्य (औसत वीडब्ल्यूएपी)	3% छूट के बाद वीडब्ल्यूएपी	वेटेज (छूट के बाद वीडब्ल्यूएपी के आधार पर)	इंडेक्स घटकों को आवंटित एनएफओ राशि (₹)	शेयरों की संख्या (राऊडिंग डाउन)	एनएफओ खरीद राशि (₹)
1	एक्सिस बैंक लिमिटेड	545.27	528.92	7.87%	114088,13,577	215,70,215	114088,13,143
2	बैंक ऑफ बड़ौदा	180.77	175.35	1.51%	21831,03,208	124,49,966	21831,03,198
3	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	178.94	173.58	3.28%	51871,73,522	298,84,329	51871,73,402
4	भारत पेट्रोलियम कॉर्प. लिमिटेड	502.50	487.43	4.54%	65828,40,962	135,05,341	65828,40,837
5	कोल इंडिया लिमिटेड	270.56	262.45	3.49%	50651,14,693	192,99,913	50651,14,597
6	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	184.32	178.79	1.68%	24294,33,155	135,88,409	24294,33145
7	गेल इंडिया लिमिटेड	449.23	435.75	4.28%	62053,50,429	142,40,519	62053,50,300
8	आईटीसी लिमिटेड	254.72	247.08	13.21%	191536,48,693	775,19,516	191536,48,628
9	इंडियन बैंक	407.31	395.09	0.30%	4370,69,734	11,06,242	4370,69,503
10	इंडियन ऑयल कॉर्प सीमित	392.74	380.95	4.61%	66904,89,693	175,62,435	66904,89,815

11	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	1221.09	1184.46	17.00%	246522,74,224	208,13,138	246522,73,240
12	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	267.88	259.84	0.80%	11620,93,233	44,72,335	11620,93,166
13	एनएचपीसी लिमिटेड	27.04	26.23	1.01%	14670,47,956	559,25,819	14670,47,948
14	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	102.19	99.13	0.27%	3939,98,791	39,74,665	3939,98,737
15	एनटीपीसी लिमिटेड	175.65	170.38	6.97%	101056,91,856	593,13,616	101056,91,770
16	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	81.57	79.12	5.02%	72855,10,017	920,78,399	72855,09,956
17	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प. लिमिटेड	178.48	173.13	5.45%	78976,87,723	456,18,254	78976,87,595
18	पावर फाइनेंस कॉर्प. लिमिटेड	125.31	121.55	0.96%	13875,73,053	114,15,287	13875,73,035
19	पावर ग्रिड कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड	207.43	201.21	7.15%	103664,44,853	515,20,439	103664,44,705
20	ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्प. लिमिटेड	157.55	152.82	1.14%	16543,84,703	108,25,689	16543,84,680
21	एसजेवीएन लिमिटेड	34.81	33.77	0.23%	3380,15,631	100,10,621	2280,15,625
22	भारतीय स्टेट बैंक	332.51	322.54	8.93%	129462,40,025	401,38,658	129462,39,798
				100.00%	सरकार को भुगतान की जाने वाली राशि		1449999,96,824

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
www.cag.gov.in